'ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान''

(अनुभवगम्य सर्वेक्षण आधारित सुलतानपुर जनपद का सूक्ष्म अध्ययन)

'ontribution of Women in Rural Development

(An empirical-based Micro-study of Distt. Sultanpur)

A

THESIS

SUBMITTED

For the partial fulfillment of the requirement for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

IN FACULTY OF HOME SCIENCE

P.K.UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

BY

SEETU MISHRA

(Registration No 161690405683)

UNDER THE SUPERVISION OF

Dr. Nidhi Awashthi

Asst. Professor

Department of Home Science

Arya Kanya P.G. College, Jhansi, Uttar Pradesh

P.K. UNIVERSITY, SHIVPURI

MADHYA PRADESH - 473665

Is evaluated and approved by

Signature of Supervisor

Signature of Co-Supervisor

Signature of Researcher

Scanned with OKEN Scanner

"ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान"

(अनुभवगम्य सर्वेक्षण आधारित सुलतानपुर जनपद का सूक्ष्म अध्ययन)

ntribution of Women in Rural Development

(An empirical-based Micro-study of Distt. Sultanpur)

P.K.UNIVERSITY

SHIVPURI (M.P.)

की

पी–एच. डी. (गृहविज्ञान)

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

सत्र : 2021–22

ोध निर्देशिका

ं0 निधि अवस्थी

ो0 प्रोफेसर

विज्ञान विभाग

ी कन्या स्नातकोत्तर

ाविद्यालय,झाँसी, उ0 प्र0

सह–शोध निर्देशक

डॉ0 विक्रान्त शर्मा

विभागाध्यक्ष (कला संकाय)

पी0 के0 विश्वविद्यालय

शिवपुरी, म0 प्र0

शोधकर्त्री

सीतू मिश्रा

गृहविज्ञान

Scanned with OKEN Scanner

P. K. UNIVERSITY

University Established Under UGC Act. 2F of UGC, 1956 vide M.P. government act no 17 of 2015)

Village- Thaura The. Karera NH 27 district Shivpuri M.P.

R .... Dated: / /

CERTIFICATE OF SUPERVISOR

It is certified that this work entitled *"ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान (अनुभवगम्य सर्वेक्षण आधारित सुलतानपुर जनपद का सूक्ष्म अध्ययन)"* "is an original research work done by ***Smt. Seetu Mishra*** under my supervision for the degree of Doctor of Philosophy in Home Science to be awarded by P. K. University, Shivpuri, Madhya Pradesh, India and that the candidate has put the attendance of more than 240 days with me.

To the best of my knowledge and belief this thesis

1. embodies the work of candidate herself,
2. has duly been completed,
3. fulfils the requirements of the ordinance related to Ph.D. degree of the University and
4. It is up to the standard in respect of both content and language for being referred to the examiner.

Supervisor

Nidhi

Dr. Nidhi Awashthi

Scanned with OKEN Scanner

P. K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)
versity Established Under Section 2(f) of UGC Act 1956 Vide MP Government Act No. 17 of 2015)

Dated: / /

DECLARATION

I hereby declare that this thesis entitled "ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान" *(अनुभवगम्य सर्वेक्षण आधारित सुलतानपुर जनपद का सूक्ष्म अध्ययन)*" is my own work conducted under the supervision of ***Dr. Nidhi Awashthi*** approved by the Research Degree Committee of the University and that I have put in more than 240 days of attendance with the supervisor.

I further declare that to the best of my knowledge this thesis does not contain any part of any work which has been submitted for the award of any degree either by this university or by any other university/ deemed university without a proper citation.

SEETU MISHRA
Research Scholar (Home Science)
(Registration No **161690405683**)

Scanned with OKEN Scanner

P. K. UNIVERSITY

SHIVPURI (M.P.)

University Established Under Section 2(f) of UGC Act 1956 Vide MP Government Act No. 17 of 2015)

To: ..... Dated: / /

FORWARDING LETTER OF HEAD OF INSTITUTION

The Ph.D. thesis entitled *"ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान (अनुभवगम्य सर्वेक्षण आधारित सुलतानपुर जनपद का सूक्ष्म अध्ययन)"* submitted by **Smt. SEETU MISHRA** is forwarded to the university in six copies.

The candidate has paid the necessary fees and there are no dues outstanding against her.

Name .....Seal.....

HOD
Department of Art
P.K. University
Shivpuri (M.P.)

Date.....

Place.....

(Signature of Head of Institution where the Candidate was registered for Ph.D. Degree)

HOD
Department of Art
P.K. University
Shivpuri (M.P.)

Signature of Supervisor

Date ..... Address .....

Place ....

ADD.- VILL. THANRA,TAHSIL, KARERA,NH-27,DISTT.:SHIVPURI, M.P.-473665

Scanned with OKEN Scanner

मैं आभारी हूँ मेरे पुत्र अक्षत शाण्डिल्य के सौम्य स्वभाव एवं सहयोग का जिसने लगातार कार्य करने के लिए उर्जा प्रदान की। अन्त में उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अनुसंधान प्रबंध में सहायता प्रदान की।

और अन्त में जब मैं शोध के आभार ज्ञापन की लेखनी को अन्तिम रूप प्रदान कर रहीं हूँ तो अपने जीवन के पूर्ण अंग जिसे शास्त्रों मे तो पति नाम दिया गया है किन्तु मैं शब्द के रूप में व्यक्त नहीं कर सकती, को पूर्ण शोध ही समर्पित करती हूँ। जिनके सोच ने ही इस शोध के स्वप्न को सृजित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके स्वप्न को साकार कर पायी। आपके प्रेरक सुझाव, शोध के दौरान आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक सहयोग की आजीवन ऋणी रहना ही मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, और जन्म–जन्मान्तर इस ऋण में बंधी रहना चाहती हूँ, इसलिए आभार ज्ञापन के लिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपके आभार के लिए कोई शब्द मेरे शब्द कोष में कोषित ही न करें।

अब अन्त में जिन भी सदस्यों से मैं शोध के आशय से मिली हूँ एवं जिन्होनें मुझे शोध में किंचित मात्र भी सहयोग प्रदान किया हो, और जिनका संस्मरण मैं नहीं कर पा रहीं हूँ उन सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

सीतू मिश्रा

Scanned with OKEN Scanner

P.K. UNIVERSITY

SHIVPURI (M.P.)

Established Under UGC Act 2F 1956

PKU/27/07/2019/Art/H.Sc./02 Date: 27/3/19

To,

Seetu Mishra,

Course Work Certificate

Dear Student,

This is to certify that **Seetu Mishra,** (Reg.No. Ph.17 /art / Home Science /18) Son/daughter of Mr. /Ms. Shiva **Shanker Mishra**, student of Ph.D. (Home Science) has successfully passed the course work examination with 'A' grade from P.K University, Karera, Shivpuri.

Registrar

Scanned with OKEN Scanner

P. K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)
iversity Established Under Section 2(f) of UGC Act 1956 Vide MP Government Act No. 17 of 2015)

.... Dated: / /

PLAGIARISM REPORT FROM THE CENTRAL LIBRARY

CERTIFICATE OF PLAGIARISM REPORT

1. Name of the Research Scholar	:	SEETU MISHRA
2. Course of Study	:	Doctor of Philosophy (Ph.D)
3. Title of the Thesis	:	"ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान (अनुभवगम्य सर्वेक्षण आधारित सुलतानपुर जनपद का सूक्ष्म अध्ययन)"
4. Name of the Supervisor	:	Dr. NIDHI AWASTHI
5. Department	:	Humanities and Social Sciences
6. Subject	:	Home Science
7. Acceptable Maximum Limit	:	10% (As per UGC Norms)
8. Percentage of Similarity of Contents Identified	:	01 %
9. Software Used	:	Ouriginal (Formerly URKUND)
10. Date of Verification	:	2021-06-06

Signature of Ouriginal Coordinator
(Librarian, Central Library)
P.K.University, Shivpuri (M.P.)

ADD.- VILL. THANRA,TAHSIL, KARERA,NH-27,DISTT.:SHIVPURI, M.P.-473665

Scanned with OKEN Scanner

P. K. UNIVERSITY

SHIVPURI (M.P.)

(University Established Under Section 2(f) of UGC Act 1956 Vide MP Government Act No. 17 of 2015)

No: ....   Dated: / /

COPYRIGHT TRANSFER CERTIFICATE

Title of the Thesis : "ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान (अनुभवगम्य सर्वेक्षण आधारित सुलतानपुर जनपद का सूक्ष्म अध्ययन)"

Candidate's Name : **Smt. SEETU MISHRA**

COPYRIGHT TRANSFER

The undersigned hereby assigns to the P.K. University, Shivpuri all copyrights that exist in and for the above thesis submitted for the award of the Ph.D. degree.

Date :

Seetu Mishra

Note : However, the author may reproduce/publish or authorize others to reproduce, material extracted verbatim from the thesis or derivative of the thesis for author's personal use provided that the source and the University's copyright notice are indicated.

ADD.- VILL. THANRA,TAHSIL, KARERA,NH-27,DISTT.:SHIVPURI, M.P.-473665

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय–एक

ग्रामीण विकास

परिचय एवं चुनौतियाँ

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम अध्याय

पंचायती राज व्यवस्था का अवधारणात्मक विवेचन

''सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।''

– महात्मा गॉधी

प्रस्तावनाः–

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन–सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके।[1] लोकतात्रिंक विकेन्द्रीकरण की वृहद अवधारणा के कारण भारत को प्रजातंत्र की भूमि कहा जाता है। जिसमें मानव की गरिमा व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता, राजनीतिक निर्णयों में जन भागीदारी की व्यापकता निहित होती है, इसके लिए कुशल एवं योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जिसको पंचायती राज संस्थायें मूर्त रूप प्रदान करती है।

भारत में पंचायते अतीत की विरासत हैं। वैदिक काल में रचित वेदों में इनके व्याख्यान मिलते है किन्तु उस काल में इनका स्वरूप संगठित व लोकतांत्रिक नहीं था। धीरे–धीरे पंचायतें संगठनात्मक ढांचे का रूप लेने लगी और स्थानीय स्वशासन की प्रभावशाली संस्था के रूप

---

1 https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/panchayati-raj-system-and-philosophy-of-gandhi

में उद्‌गत होती चली गयी, आगे चलकर विकेन्द्रीकरण के स्वरूप में सामाजिक नियंत्रण की संस्था का रूप ले लिया। पूर्व में पंचायतों में उच्च वर्ग का ही वर्चस्व था। कालान्तर में इसके स्वरूप और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा गया। पंच परमेश्वर की अवधारणा को संस्थागत रूप देने का प्रयास किया जाने लगा।

वर्तमान पंचायती राज में केन्द्रीकृत व्यवस्था की शक्ति एक ऐसी व्यवस्था का रूप लेती है जिसमें सत्ता उच्च तबकों में निहित न होकर निम्न पायदान पर निहित होती है। जो लोकतंत्र की छबि और चरित्र को मजबूती प्रदान करती है। पंचायतें लोकतंत्र के जनता की जनता के द्वारा, जनता के लिए सिद्धान्त का पालन करती है। ये जन भागीदारी में निर्मित निम्नतम स्तर पर जनसत्ता का स्वरूप होती है। जिसमें लोग सत्ता से सर्वाधिक सन्निकट होते है। प्रजातंत्र की इकाई के रूप में पंचायतें अपने स्तर के अनुरूप पूरी सत्ता युक्त होती है जो समाज को स्वावलम्बी एवं अपना प्रबंध स्वयं कर लेने में सक्षम बनाती है। शासन के संचालन में जिनका सक्रिय, सतत तथा व्यापक और क्रियात्मक, योगदान जनता का होगा वह शासन उतना ही लोक तंत्र के आदर्श के अनुरूप होगा। शासन में जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक उपाय है जिसे पंचायती राज परिपूर्ण करती है।

पंचायती राज में सार्वजनिक मामलों का प्रबंध कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता वरन् जनता की स्थानीय इकाईयाँ लोकतांत्रिक विचारों व कार्यों के प्रबंध में सक्रिय भागीदारी के केन्द्र के रूप में कार्य करती है। लोकतंत्र तब तक वास्तविक नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था न हो इसलिए लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन की अवहेलना नहीं की जा सकती है। प्रभावकारी और सक्षम

स्थानीय शासन सार्वभौमिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आधुनिकीकरण के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है।

''हम लोकतांत्रिक शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक हम यह न मान ले कि सभी समस्याएँ केन्द्रीय समस्यायें नहीं हैं, और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।''[2]

– हराल्ड लास्की

हेराल्ड लास्की का उक्त कथन लोकतंत्र के उन्नयन में विकेन्द्रीकरण की सार्थकता को प्रतिपादित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।

पंचायती राज व्यवस्था का इतिहासः–

हमारे देश में पंचायतों का अस्तित्व प्राचीनकाल से ही रहा है। पंचायतों के निर्णय सभी को मान्य होते थे। भारत में 'महाभारत' और 'रामायण' काल से भी पहले पंचायत किसी क्षेत्र में चुने पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक निकाय मानी जाती थी। इसका निश्चित क्षेत्र एक बड़ा गांव हुआ करता था। गाँवों को इसलिए माना जाता था क्योंकि यह एक स्वाभाविक इकाई माना गया था। देश और राज्य की सीमायें बड़ी और छोटी होती रहती थी। भाषा और सत्ता के आधार पर देश और राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन बराबर देखने को मिलता रहा लेकिन गाँवों को आज भी एक स्थिर इकाई माना जाता है।

2 सिंह, महिपाल, पंचायती राज चुनौतिया एवं संभावनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, पृ0 स0 69 2004

यह परम्परा मुगल काल तक देखी जा सकती है। ब्रिटिश काल में पंचायतें अवश्य राज व्यवस्था के हाशिये पर चली गयी थी जिन्हें लार्ड रिपन ने पुनजीर्वित करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के पश्चात जब गाँवों की विकास की बात आयी तो गाँधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दीप प्रज्जवलित किया।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज संस्थानों ने राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र के बीज बोये है और आम लोगों को जागरूक बनाया है। सामाजिक दृष्टि से समाज में एक नया नेतृत्व उभरकर सामने आया जिससे समाज में सामाजिक परिवर्तन और सुधारों की मांग होने लगी है। ब्रिटिश काल के प्रारंभिक दौर में पंचायतों को बड़ा धक्का लगा, लेकिन 19वीं सदी के अंत में तथा देश आजाद होने के बीच ब्रिटिश काल में पंचायतों के ऊपर कुछ ध्यान दिया गया। लार्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव 1909 का विकेन्द्रीकरण पर शॅयाल आयोग आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है।

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान सभा के सदस्य पंचायतों को संविधान में रखने पर एकमत नहीं थे। 1957 में बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने सरकार द्वारा चलाये गये सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों का अध्ययन करके सिफारिश की कि विकास में लोगों की भागीदारी के लिए तीन–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए। इसके बाद 1977 में अशोक मेहता रिपोर्ट ने पंचायतों को राजनीतिक संस्थाएँ बनाने की बात कही और द्विस्तरीय पंचायती राज

व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की। 1985 में जी0के0 राव समिति ने पंचायतों को एक बनाने की सिफारिश की।

अंततः 1986 में एल0एम0 सिंधवी समिति ने पंचायतों को संविधान का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की इस प्रकार दिसम्बर 1992 में 73वां संविधान–संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जांच के बाद पारित हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अधिनियम बना। इसे संविधान की नौवीं सूची में दर्ज किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आजादी के बाद हमारे देश में पंचायती राज की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाये गये हैं।[3]

प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहासः–

प्राचीन काल के भारतीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था के रूप में स्वतंत्रता के पश्चात ही दृष्टिगोचर हुआ लेकिन इसकी परिकल्पना को स्वतंत्र भारत की उपज कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। पंचायती राज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा वर्तमान की बात नहीं अपितु इसका इतिहास वैदिक भारत से भी पूर्व का है। भारत में प्राचीन भारत के इतिहास की पृष्ठिभूमि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भी पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व था तत्कालीन राज्यों में भी पंचायतों के माध्यम से राजकीय कार्य होता रहा। उस समय ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी होता था। जो पंचायत का प्रमुख सदस्य माना जाता था। बौद्धकाल में ग्राम परिषदें थी। इन परिषदों का कार्य गांव में भूमि, कर, लगान की व्यवस्था एवं शान्ति सुरक्षा स्थापित करना था।

3 सिंघवी एल0 एम0, पंचायती राज व्यवस्था : राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, विकास प्रका"ान, नई दिल्ली, 2009, पृ0 सं0 120

स्मृति ग्रन्थों में भी पंचायत का उल्लेख किया गया है कौटिल्य ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। 'अर्थशास्त्र' का 'ग्रामिक' ग्राम का प्रमुख होता था। जिसे कितने ही अधिकार प्राप्त थे। अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों को पूरा करने में वह ग्रामवासियों की सहायता लेता था। सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों में भी ग्रामवासियों का सहयोग नहीं मिल पाता था और गाँव की एक सार्वजनिक निधि भी होती थी जिसमें जुर्माने, दण्ड आदि से धन आने का स्रोत था इस प्रकार 'ग्रामिण' और ग्राम पंचायत के अधिकार और कर्त्तव्य सम्मिलित थे जिनकी अवहेलना करना दंडनीय अपराध माना जाता था। गुप्तकाल को ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई माना जाता था एवं गांव के प्रमुख को 'ग्रामिण' कहा जाता था। वे पंचायत मंडल तथा पंचायत की सहायता से गाँव के लोगों पर अपना शासन जताया करता था जो लोग गाँव में सबसे वृद्ध होते थे वही गांव में पंचायत के सदस्य माने जाते थे।

इतिहास में हर्ष ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया था और उनके समय में राज्य 'भूक्ति' (प्रांत) 'विषय' (जिला) और 'ग्राम' में विभक्त था हर्ष के मधुवन शिलालेख में सामकुंडका ग्राम का उल्लेख है जो 'कुंडधानी' विषय और 'अहिछात्र' भुक्ति के अन्तर्गत आता था। ग्राम प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था।

प्राचीनकाल के ग्राम पंचायतों के संबंध में एस0सी0 जैन ने अपने ग्रन्थ 'कम्युनिटी डेवलपमेंट एण्ड पंचायती राज इन इंडिया'' के अन्तर्गत विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार 600 वर्ष ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल महावीर और बुद्ध जैसे धार्मिक व्यवस्था के उत्थान एवं पतन का, मौर्य तथा गुप्तों जैसे साम्राज्यों के उत्थान और पतन का साक्षी है, अर्थात् इस काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य

साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में उत्थान और पतन जैसी महत्वपूर्ण घटनायें हुई।''

इस काल में जातक कथाओं के अनुसार ग्रामों का उनके आकार तथा उनके बनावट के ढंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। ऐसा प्रमाण तब मिलता है जब कई गांव एक साथ मिलकर सार्वजनिक जलाशयों, सड़कों आदि का निर्माण किया करती थी। जैन तथा बौद्ध साहित्य में ग्राम्य जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया है। गांव के लोग अपनी सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए सामूहिक रूप से श्रमदान करते थे। बुद्ध महावीर द्वारा स्थापित धर्म संघों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण निर्णयों हेतु अत्यन्त प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रयोग किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली हेतु निश्चित विधि–विधान थे। ये अपने–अपने क्रियाकलापों के संचालन हेतु स्वतंत्र थे। इन धार्मिक संघों के आन्तरिक मामलों राज्य पंचायतों द्वारा हस्ताक्षेप की कोई घटना सामने नहीं आयी। इसी तरह व्यापारियों के संघ तथा जातीय संगठन भी अपने आन्तरिक मामलों में पूर्ण स्वायतता का उपभोग करते थे।

मध्य कालः–

नवीं और दसवीं शताब्दी के चोल और उत्तर मल्लूर शिलालेखों द्वारा पता चलता है कि दक्षिण में भी पंचायती राज व्यवस्था थी ग्राम्य स्वशासन का विकास चोल शासन की मुख्य विशेषता भी माना गया था। इन साम्य शासन इकाईयों को 'कुरूर्म' कहते थे, जिसके अन्तर्गत कई गांव शामिल थे। 'कुरूर्म' एक स्वायत्तशासी इकाई थी। शासन सत्ता एक महासभा में निहित होती थी जिसे जिले के अन्तर्गत गांव के लोग ही चुनते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से शासन का काम चलाती थी। इस प्रकार की आठ ऐसी समितियाँ थी जो जनहित के विभिन्न

कार्यों को करने के अतिरिक्त शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए उत्तरदायी थी एवं न्याय संबंधी कार्य भी करती थी गांव पूरी तरह स्वायत्तशासी था और इस प्रकार केन्द्रीय शासन अनेक दायित्वों से मुक्त रहता था। मुस्लिम एवं मराठा कालों में भी किसी न किसी प्रकार की पंचायत व्यवस्था चलती रही और प्रत्येक गांव अपने में स्वावलंबी बना रहा।

ब्रिटिशकालः–

अंग्रेजी शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे अधिक धक्का पहुँचा इस समय यह व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी। उसके बाद भी गाँवों के सामाजिक जीवन में पंचायतें बनी रही। प्रत्येक जाति अथवा वर्ग में अपनी अलग–अलग पंचायतें कार्य करती थी। इनका उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। शासन की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं था। पहले से ही अंग्रेजों की यह नीति रही कि शासन का काम यथासंभव अधिक से अधिक राज्य कर्मचारियों के हाथों में ही रहे। धीरे–धीरे फौजदारी, दीवानी, अदालतों की स्थापना, नवीन राजस्व नीति, पुलिस व्यवस्था, आवागमन के साधनों का विकास आदि कारणों से गांव की जनता स्वावलंबी जीवन और स्थानीय स्वायत्तता धीरे–धीरे समाप्त हो गयी।

आधुनिक युग में आगे चलकर अंग्रेजों ने भी यह महसूस किया कि उनकी केन्द्रीकरण की नीति से शासन का भार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन्होंने दूसरी ओर राष्ट्रीय जाग्रति के कारण स्वायत्तशासन की मांग भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए उनको विकेन्द्रीकरण की दिशा में कदम उठाने से मजबूर होना पड़ा। प्रारम्भ में जिला बोर्डो और म्युनिसिपल बोर्डो की स्थापना की गयी। 1901ई0 से 1910ई0 के दौरान भारत सचिव विस्काउंट मोदी ने बढ़ते हुए केन्द्रीकरण

पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था कि केन्द्रीकरण से सरकार और लोगों के बीच खाई बढ़ गयी है।

1907ई0 में एडवर्ड सातवें के समय में रायल कमीशन ऑन डिसेन्ट्लाइजेशन की बहाली की गयी, जिसमें विकेन्द्रीकरण संबंधी शाही कमीशन ने पंचायतों के महत्व को स्वीकार किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि किसी भी स्थायी संगठन की नींव जिससे जनता का सक्रिय सहयोग प्रशासन के साथ हो, ग्रामों में ही होनी चाहिए। कमीशन ने सिफारिश की कुछ चुने हुए ग्रामों में जो पारस्परिक दलबन्दी एवं फौजदारी से मुक्त हो, और पंचायतों की स्थापना करके ग्रामों के लोगों को सीमित अधिकार दिया जाए। उसी दौरान दिसम्बर 1901ई0 में लाहौर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार द्वारा ग्राम स्तर से ऊपर तक जन–निर्वाचित स्थानीय निकाय स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाये गये भारत सरकार ने 1915 ई0 में कमीशन की सिफारिशों को आंशिक रूप से लागू करने का विचार किया गया। परन्तु बहुत कम ग्रामों में पंचायतें बनीं, वे भी सरकार द्वारा पूरी तरह नियंत्रित थी। इसी दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि ''स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा।''

इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1917ई0 में सरकार के विभिन्न स्तरों में भारतीयों को भागीदारी देने तथा पंचायतों को कारगर एवं सशक्त बनाने का ऐलान किया। 1918ई0 में भारत सरकार ने बहुत अंश तक विकेन्द्रीकरण आयोग के सुझावों के आधार पर आधारित एक प्रस्ताव पास किया जिनमें निम्न बातों का उल्लेख किया गया।

1– स्थानीय स्थानों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और कम से कम तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित हो।

2– गैर सरकारी व्यक्ति ही स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष हो। केवल उसी दशा में सरकारी सदस्य अध्यक्ष हो जब वे बोर्ड द्वारा बहुमत से चुने जाए।

3– प्रस्ताव में कहा गया था कि खास–खास गाँवों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए।

भारत सरकार द्वारा 1919 अधिनियम के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गये और 1920 के आस–पास सभी प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गये। उत्तर प्रदेश में 1920 के पंचायत एक्ट के अधीन लगभग 4700 ग्राम पंचायतें स्थापित की गयी और सभी प्रान्तों में पंचायतों के समिति अधिकार प्रदान किये गये। जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जल, विकास, सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देखभाल पंचायतों द्वारा किया जाता था। उन्हें न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। वे अधिकतम 200 रू0 की चल संपत्ति से संबंद्ध मुकदमें ले सकती थी फौजदारी के मुकदमें में 50 रू0 तक जुर्माना कर सकती थी। वास्तविक रूप से यह कहा जा सकता है कि प्राचीन पंचायतों की तुलना में ये पंचायतें पूर्णतया प्रभावहीन थीं, क्योंकि इनके पंचों का चयन जनता द्वारा न चुने जाने के कारण सरकार द्वारा चयन किया जाता था इसमें आय का साधन न होने के कारण आर्थिक स्थिति सोचनीय थी। वही दूसरी ओर राष्ट्रीय आन्दोलन के कर्णधार यह अनुमान लगाते थे कि ग्रामों का आर्थिक और नैतिक पतन केवल पंचायतों की पुनः स्थापना द्वारा ही रोका जा सकता है। गांधी जी ने ग्रामीण जनता के लिए दस सूत्री कार्यक्रम में पंचायतों को सुदृढ़ बनाने की बात कही थी। वे पंचायतों को स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था की आधारशिला

बनाना चाहते थे। 1957 में सात प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों के सामने भी यही आदर्श था कि उत्तर प्रदेश में अनेक ग्रामों में जीवन सुधार समितियाँ (Better Life Societies) बनायी जाय जिन्हें ग्राम विकास के कार्य सौंपे गए।

पंचायती राज के संदर्भ में गाँधी दर्शन[4]:–

गांधी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे और गाँव में ही बस गये थे। गाँव की जरुरतें पूरी करने के लिये उन्होंने अनेक संस्थायें कायम की थीं और ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का भरसक प्रयत्न किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि गाँवों की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजेय बनाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गाँवों को पराश्रित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया था उसे समझकर ही वे ग्रामोत्थान को सब रोगों की दवा मानते थे। इसलिये संविधान में अनुच्छेद–40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था की गई। गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को प्रभावशील होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि प्रारंभ में ही उनके हाथों में दण्डकारी शक्ति सौंप दी गई तो उसका अनुकूल प्रभाव पडने के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिये ग्राम पंचायतों को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में सतर्कता आवश्यक है, जिसके कारण उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह न लगे। प्रारम्भ में यह आवश्यक है कि पंचायत को जुर्माना करने या किसी का सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता न दी जाए। गाँवों में सामाजिक बहिष्कार अज्ञानी या अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है और

4 https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/panchayati-raj-system-and-philosophy-of-gandhi

अपने उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। गांधी जी के इस विचार का तात्पर्य पंचायत को अधिकार विहीन बनाना नहीं बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में संयमित प्रयोग किये जाने से था। गांधी जी पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था न बनाकर सद्भाव जागृत करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यह संस्था गाँव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहासः–

पंचायती राज व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भी, 1947 ई0 तक ग्रामों में सही पंचायतों का अभाव ही रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस व्यवस्था को पुनजीर्वित करने का प्रयास किया गया और उत्तर प्रदेश में 1947 में गांधी द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। संविधान में अन्तर्गत ''राजनीति के निदेशक तत्वों'' में राज्य का यह प्रमुख कर्त्तव्य बतलाया गया कि ''ग्राम पंचायतों का गठन करने का अवसर हो'' तथा ''उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किये जाये जो स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप मे कार्य करने योग्य बनाया जाय। इस निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाए। प्रत्येक ग्राम अथवा ग्राम समूह मे पंचायत की स्थापना की गयी। पंचायतों के सदस्यों का चयन गांव के मताधिकार प्राप्त कर्त्तव्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतें अपना कार्य स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ बाजार तथा मेलों और चारागाहों की व्यवस्था करती है एवं जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा–जोखा रखने का कार्य करती है। उद्योग धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, कृषि, बीमारियों की रोकथाम, कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती है। वृक्षारोपण, पशुवंश का विकास, ग्राम सुरक्षा के लिए ग्राम का विकास, ग्राम सुरक्षा के

लिए ग्राम सेवक का गठन, सहकारिता का विकास, आकाल पीड़ितों की सहायता, पुत्रों और पुत्रियों का निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों का सुधार आदि इनके ऐच्छिक कर्त्तव्य है। ग्रामों में पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा अंग न्याय पंचायतें है। ग्रामों में मुकदमेंबाजी कम करने तथा जनता को सस्ता न्याय सुलभ बनाने की दृष्टि से न्याय पंचायतों का निर्माण किया गया है। इन्हें दीवानी फौजदारी के मामलों में कुछ अधिकार प्रदान किये गए है।

प्रत्येक राज्य में पंचायतों के अधिकार और दायित्व न्यूनाधिक रूप से समान है। विकेन्द्रीकरण व्यवस्था को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। जो कि पंचायतों के अधिकारों और कर्त्तव्यों का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायतें पुनः हमारे देश में जन–जीवन का अभिन्न अंग बन गयी है। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए जन शिक्षा, सामूहिक चेतना, गुटबंदी का अभाव, राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप बातें आवश्यक है।[5]

पंचायती राज की अवधारणा :–

पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन्' से हुई है जिसका अर्थ है पांच व्यक्तियों का समूह। अधिक स्पष्ट रूप में पंचायत शब्द पंच तथा आयत का समुच्चय है पंच का तात्पर्य पांच जन प्रतिनिधियों से होता है जबकि आयत का अर्थ विस्तार है। इस प्रकार पंचायत का शाब्दिक अर्थ जन प्रतिनिधियों का संगठन है जो गांव के लोगों द्वारा चुने व्यक्तियों की सभा होती है जो व्यापक रूप से गांव की स्थानीय व्यवस्था तथा विकास का नेतृत्व करती है। पंचायतें अपने समग्र रूप में एक ऐसी संस्था होती है जिनका मार्गदर्शन ग्रामीण अपने नित्य–

5 दत्त, डॉ0 महे"वरी, गांधी का पंचायती राज, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा–3 पृ0 स0 169

प्रतिदिन के जीवन में प्राप्त करते हैं। पंचायतों के माध्यम से ही ग्रामीण नेता अपनी समस्यायें सुलझाते हैं।

पंचायती राज एक शासन पद्धति है जो गांव पंचायतों का जाल है। जिसमें प्रशासन पंचायतों के द्वारा होता है और सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर पंचायतों में निहित होती है इस संदर्भ में मेटकाफ ने लिखा है कि ''ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है उसके पास वह सब कुछ होता है जिसकी उन्हें अन्दर आवश्यकता हो सकती है, तथा ये किसी भी प्रकार के वाह्य सम्बन्धों से लगभग स्वतंत्र होते है। जहाँ अन्य कुछ भी (कोई भी अन्य व्यवस्था) टिक नहीं सकता, वहाँ इनका अस्तित्व रहता प्रतीत होता है। राजवंश दर राजवंश आते हैं और धराशायी होते गये, क्रान्ति का स्थान क्रान्तियाँ ले लेती है, परन्तु पंचायतें अपने आपमें एक पृथक छोटे राज्य का रूप लिये हुए ग्रामीण समुदायों का संघ बनी रहती है। इस व्यवस्था का अन्य किसी भी निमित्त से अधिक योगदान भारत के लोगों की उन सभी क्रान्तियों एवं परिवर्तनों, जिनके दौरान उन्होंने कष्ट सहे उनकी रक्षा करने में रहा है इसके साथ ही यह व्यवस्था सुख, शान्ति स्वतंत्रता और स्वावलम्बन के अधिक मात्रा में उपयोग हेतु उच्च श्रेणी का प्रेरक है।''

पंचायती राज प्रशासन की परिवर्तित पद्धति है जिसमें प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होता है। इसमें प्रशासन अधिक उत्तरदायी होता है और ग्रामीण जनता को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह अपने आपमें एक ऐसी स्थानीय स्वाशासी राज व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा अपने सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का दायित्व वहन किया जाता है। इस प्रकार यह स्थानीय सार्वजनिक कार्यो से संबंधित प्रशासन में जनता की सहभागिता की एक व्यवस्था है। जिसके बारे में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा

है कि स्थानीय स्वायत्त शासन सच्ची प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार है और होना चाहिए क्योंकि हम लोग प्रजातंत्र को प्रशासन के ऊँचे स्तरों पर ही सोचते हैं नीचे के स्तर पर नहीं, जब तक प्रजातंत्र के नीचे की इस आधारशिला का निर्माण एवं विकास नहीं किया जाता तब तक वह उच्च स्तरों पर कदापि सफल नहीं हो सकता।

पंचायती राज लोकतंत्र में शक्तियों के वितरण एवं विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था है जिसमें निचले स्तरों पर लोकतंत्र का विकास इस अभिप्राय से होता है कि केवल शिखर पर ही लोगों की भागीदारी न होकर राजनीतिक व्यवस्था के आधार स्तर पर भी भागीदारी हो। सत्ता इस प्रकार संचालित हो कि स्थानीय शासन की इकाईयाँ उसी क्षेत्र के लोगों के सहयोग से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें और जनता को राजनीति व प्रशासन में अधिकाधिक भागीदार बनाया जाय।

रॉबसन का विचार इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि ''राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र स्वस्थ एवं सुदृढ़ रूप में तभी सफल हो सकता है यदि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी पूर्ण प्रोत्साहन व पूर्ण सहयोग दिया जाय।'' पंचायतें लोगों की राजनीति व प्रशासन में सहभागिता में वृद्धि की कुन्जी है जिसमें विभिन्न स्तर पर पदों को शक्तिशाली बनाया गया है जो ग्रामीण सहभागिता के वृद्धि में आवश्यक है। इस व्यवस्था से यह गाँवों के गरीब को यह अवसर प्राप्त हो कि वह राजनीतिक संरचनाओं में भागीदार बने ताकि समाज के स्रोतों पर उसका नियंत्रण हो। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत की एक बुनियादी इकाई है और इस प्राथमिक इकाई के रूप में स्थानीय शासन की आधारशिला है। जो जन सहभागिता द्वारा संचालित होती है।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 सन् 1988 में पी0के0 युगंन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की एक उपसमिति

गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सिफारिशें प्रस्तुत की जिनमें एक मुख्य थी कि पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया जाए। मई 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने संविधान (64वां संशोधन) विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। अधिनियम तो लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्य सभा में पारित नहीं हो सका। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह विधेयक राज्य सरकारों को नजरअंदाज करता है। क्योंकि केन्द्र सरकार सीधे ही पंचायतों से संबंध स्थापित करना चाहती है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत है।

दिसम्बर 1989 में चुनाव हुए जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में आई। इस विधेयक को जून, 1990 में मुख्यमंत्रियों की बैठक में रखा गया। बैठक ने संस्तुति दे दी। 7 सितम्बर 1990 को 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1990 लोकसभा में रखा। लेकिन 7 नवम्बर 1990 को लोकसभा भंग हो जाने के कारण संसद इसे पारित न कर सकी। 1991 में कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने पर मंत्री–स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर 16 सितम्बर 1991 को (73वाँ संशोधन) विधेयक पेश किया गया जो 22 दिसंबर 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के रूप में इसे अंतिम रूप मिला। इस अधिनियम में प्रावधान था कि इसके अस्तित्व में आने के एक वर्ष के अन्दर अधिनियम को ध्यान में रखकर सभी राज्य अपने पंचायती राज अधिनियमों को संशोधित करेंगे। इस प्रकार 24 अप्रैल 1994 से पहले सभी राज्यों में अपने पंचायत अधिनियम संशोधित कर लिए थे। विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम किस–किस तारीख को पारित किये गये। इसका व्यौरा अनुबंध–1 में दिया गया है। इस अनुबंध से पता

चलता है कि 12 राज्यों तथा 6 केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अपने अधिनियम अंतिम तिथियों पर ही पारित किए थे।[6]

पंचायती राज अधिनियम के उद्देश्यः–

भारत में पंचायतराज संस्थाएँ बहुत लम्बे समय से अस्तित्व में है, लेकिन इनके लगातार चुनाव न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के नाम पर अंगूठा दिखाने से कमजोर वर्ग खासकर अनुसूचित जाति–जनजाति का उचित प्रतिनिधित्व न होने से व महिलाओं की भागीदारी नहीं के बराबर होने से ये संस्थाएँ जनमानस की इच्छाओं व आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की राजनैतिक व्यवस्था पंचायतों पर आधारित नहीं थी, परन्तु राज्य में नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य पंचायतों का गठन करेंगे तथा उन्हें ऐसी शक्ति व अधिकार प्रदान करेंगे ताकि वे स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ बन सके। लेकिन पिछले वर्ष के अनुभव बताते हैं कि पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई बनाने की बात तो दूर रही उनके चुनाव भी लगातार नहीं हुए। जब कभी राज्य स्तर पर सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उस समय के राजनैतिक दल की सरकार ने लोगों को सत्ता का नारा देकर पंचायतों के चुनाव करा लिए। कुल मिलाकर पंचायतें राज्य सरकार की एजेंसी से अधिक कुछ नहीं थी। इसलिए जरूरी हो गया था कि पंचायतों को निश्चिंतता निरंतरता व सशक्त बनाने के लिए संविधान में इनसे संबंधित आधारभूत प्रावधान किये जाय। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकला कि संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए जिसमें पंचायत से संबंधित निम्न प्रावधानों का समावेश हो–

---

6 जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013 पृ0 स0 154

1– गाँव व ग्राम के समूह स्तर पर ग्राम सभा का गठन

2– पंचायतों का ग्राम पंचायत व अन्य स्तरों पर गठन

3– सभी स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव

4– अनुसूचित जाति–जनजाति के वर्गों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में सदस्य व अध्यक्ष के लिए आरक्षण।

5– महिलाओं के लिए सदस्य व अध्यक्ष पदों के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण।

6– पांच वर्ष का कार्यकाल और चुनाव 6 माह के अन्दर यदि किसी कारण से सदस्यों को निरस्त कर दिया हो।

7– राज्य विधानमंडल को अधिकृत करना कि वे पंचायतों को इतने कार्य अधिकार व शक्तियाँ प्रदान करें, जिससे कि ये स्वायत्त शासन की संस्थाएँ बन सकें और अपने स्तर पर अधिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएँ बना सके।

8– पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य विधानमण्डल इन्हें उचित निधि उपलब्ध कराये तथा इन्हें कर लगाने की शक्ति भी प्रदान करें। पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हर पांच वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाय।

9– राज्य चुनाव आयोग के निरीक्षण एवं नियंत्रण में चुनाव करना।

इन्हीं सब प्रावधानों का समावेश करते हुए 73वां संविधान पारित किया गया जिसकी विशेषताओं के बारे में इस प्रकार चर्चा की गयी है–

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम की विशेषताएँः–

संविधान संशोधन के प्रावधानों या विशेषताओं को दो भाग में अर्थात अनिवार्य प्रावधान व ऐच्छिक प्रावधानों में बांटा जा सकता है–

(क) अनिवार्य प्रावधानः–

(1) ग्रामसभा का गठनः–

ग्रामसभा स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित नामावली में दर्ज व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा का गठन आवश्यक है।

(2) पंचायतों का गठनः–

ग्राम, मध्य व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होगा। इस प्रकार देश में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। लेकिन जिन राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की जनंसख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर मध्य स्तर का गठन करना आवश्यक नहीं।

(ख) ऐच्छिक प्रावधानः–

ऐच्छिक प्रावधान वे है, जो राज्य विधान मण्डल की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। दूसरे शब्दों में उनका होना अनिवार्य नहीं है। संविधान संशोधन अधिनियम में उसके लिए उल्लेख मात्र कर दिया है–

(1) विभिन्न स्तरों के नामः–

पंचायत के तीनों स्तरों के नाम क्या–क्या होंगे यह राज्य विधान मण्डल को तय करना है यही कारण है कि पंचायतों के नाम सभी राज्यों में एक समान नहीं है। निम्न स्तर पर कहीं 'विलेज' पंचायत है तो कहीं 'ग्राम पंचायत' है। मध्य स्तर पर कही पंचायत समिति है, तो कहीं क्षेत्र पंचायत है, कहीं जनपद पंचायत है, कहीं मंडल पंचायत है, तो कहीं

तालुका पंचायत है। जिला स्तर पर कहीं जिला पंचायत है, तो कहीं जिला परिषद हैं।

(2) पंचायतों के अध्यक्षों के नामः–

इनमें भी सभी राज्यों में समानता नहीं है। कहीं पर ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का नाम 'प्रधान' है तो कहीं 'सरपंच' है। मध्य स्तर के अध्यक्ष को कहीं 'प्रमुख' कहते हैं तो कहीं 'प्रधान' से संबोधित करते हैं।

(3) पंचायतों का गठनः–

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या 'परोक्ष' यह भी विधान मण्डल पर छोड़ा हुआ है।

(ख) ग्राम पंचायत के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व मध्य स्तर पर व मध्य स्तर के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व उच्च स्तर पर हो या न हो यह भी राज्य विधान मण्डल पर छोड़ा हुआ है।

(ग) संसद या विधानसभा के सदस्य मध्य या उच्च स्तर के सदस्य हो, यह भी राज्य के विधान मण्डल पर छोड़ा हुआ है।

(4) शक्तियाँ व अधिकारः–

राज्य व विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों को वे सभी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएँ। शर्तों के अधीन पंचायत आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करेगी तथा उन्हें क्रियान्वित करेगी जिसमें विभिन्न योजनाएँ भी शामिल है। संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची संलग्न है, जिसमें 29 विषय सूचीबद्ध है उन्हें भी योजना बनाते समय शामिल किया जाना है।

तीन स्तरों के अतिरिक्त ग्रामसभा के अधिकार व शक्तियाँ कितनी हो यह भी राज्य विधानमण्डल पर छोड़ दिया गया है।

(5) वित्तः–

पंचायतों को कर, पथकर व शुल्क लगाने, करों का बंटवारा करने तथा अनुदान लेने का प्रावधान भी विधान मंडल पर छोड़ा हुआ है।

(6) लेखाः–

पंचायतों के हिसाब–किताब की जांच आदि का प्रावधान भी राज्य के विधानमंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायतों को अधिकार व शक्तियाँ देने का दायित्व पूर्ण रूप से राज्य विधानमण्डल पर छोड़ा गया है। संविधान संशोधन में वैसे 29 विषय 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों को सौंपे गए हैं।

1– विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्र

2– नागालैंड, मेघालय व मिजोरम राज्य

3– मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर पर्वतीय परिषद विद्यमान हैं।

4– पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद कार्यरत है, जिला स्तर की पंचायत व्यवस्था कारगर नहीं होगी।

5– जहाँ गोरखा पर्वतीय परिषद की प्रक्रियाएँ एवं अधिकार प्रभावित होते हैं।

(7) वर्तमान कानून एवं पंचायतों का बना रहनाः–

इस अधिनियम को ध्यान में रखकर एक वर्ष के अन्दर सभी राज्यों को अपने पंचायत अधिनियमों में संशोधन करने होंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेगी। लेकिन उन्हें उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है, उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा उस आशय का संकल्प पारित करने से पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता।

पंचायती राज की भूमिका[7]:–

भारत में पंचायत की शुरूआत एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में ही हुई थी। अतः इसके सारे कार्यकलापों की कसौटी एवं मापदण्ड का आधार यह है कि यह सामाजिक रूप में कितनी प्रासंगिक है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में पंचायत की सारी भूमिकाएँ सामाजिक हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत में पंचायतें केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संपोषित योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन पंचायतें द्वारा इतनी उलट गयी है कि उनकी भूमिकाएँ हर क्षेत्र में अलग–अलग कार्य कर रही है।

भारत एक सामाजिक क्षेत्र माना जाता है इसलिए इसकी सामाजिक भूमिका के क्षेत्र में पंचायत अवस्थित मानवीय पूंजी को संपोषित करते हुए उस क्षेत्र के सामाजिक जीवन को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने में पंचायतें अपना योगदान दे रही है साथ ही वे अपनी भूमिका इस क्षेत्र में भी अदा कर रही है। जैसेः– स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा महिला एवं बाल कल्याण, इस चार क्षेत्रों में पंचायतें अपनी प्रभावी पहल कर रही है इसी

---

7 प्रो0 चौधरी एवं डा0 वि"वंभर, भारत में पंचायती राज का उद्भव एवं विकास, मैकग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क, पृ0 सं0 364

चार क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संपोषित योजनाओं के अलावा यूनिसेफ ने भी बड़े स्तर पर पंचायतों में अपना हस्तक्षेप किया है और अपनी विभिन्न योजनाओं/स्कीमों की सफलता भी बहुत कुछ पंचायतों पर ही निर्भर करती हैं। पंचायतों को इसके लिए पर्याप्त सहयोग समर्थन देना जरूरी है। ऐसा करने के लिए पंचायतें अधिनियम द्वारा अधिकृत भी होनी चाहिए।

ग्रामीण स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पंचायतराज स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जीवन की पहली आवश्यकता है। इसके लिए कोशिश करते रहना हर व्यक्ति का कर्त्तव्य होता है। परन्तु हमारे समाज में विशेषकर ग्रामीण समाज में इसका महत्व पूजा–पाठ तक ही सिमट कर रह गयी है। इस संदर्भ में स्थिति इतनी बुरी है कि बहुत पहले गांधी जी ने इसकी ओर इशारा करते हुए लिखा है– ''ज्यादातर भारतीय गांवों में प्रवेश के समय आँख और नाक बंद कर लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की गंदगी और दुर्गन्ध को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। महात्मा गांधी के इन शब्दों से भारतीय गाँव को जो दृश्य उभरता है, उससे स्थिति आज भी बेहतर नहीं है।[8]

भारत में पंचायतें अपना कार्य एवं महत्व दोनों का स्थान एक बराबर दिया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा–22 में जहाँ ग्राम पंचायतें अपने कार्यों का जिक्र किया है वो इस प्रकार है–

1– पेयजल

2– ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण

3– लोक कल्याण एवं परिवार कल्याण

4– महिला एवं बाल विकास

8 झॉ, सिद्धार्थ कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2016, पृ0 स0 24

इस कार्यों का विशेष स्थान दिया गया है। अधिनियम की धारा–25 में जहाँ पर स्थायी समितियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है वहीं पर स्थायी समिति लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता के लिए अलग से बनाया गया है। पंचायत समिति स्तर पर भी कार्यों में अधिनियम की धारा–47 में तथा जिला परिषद स्तर भी अधिनियम की धारा–73 में उनके कार्यों में उपरोक्त तीनों कार्य विशेष रूप से वर्णित हैं भारत में पंचायतें इन्हीं कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में मदद करने के उद्देश्य से यूनिसेफ ने, राज्य सरकार के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रूचि ली है। पंचायतें लोगों के बीच इसका प्रचार–प्रसार करके सरकारी योजनाओं की तरह इसमें अपनी अहम भूमिका अदा किया है। जो इस प्रकार है–

1– सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

2– स्वधन धारा

3– जन्म–मृत्यु का पंजीकरण

4– स्वास्थ्य

पंचायतों के कार्यकर्ता सुनिश्चित करे कि एच0आई0बी0 एडस से संक्रमित लोगों के साथ भी अन्य लोगों की तरह प्यार भरा व्यवहार करे ताकि वे खुलकर आपके साथ रह सके। पंचायत के सभी सदस्य अपनी प्रत्येक बैठक में एच0आई0बी0 के कारणों एवं बचने के सुरक्षित तरीकों व्यवहारों का अवश्य चर्चा करें। ग्रामीण स्तर पर चल रहे अनेक कार्य योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति अपना विशेष योगदान समझे।

इसी तरह मलेरिया, फायलेरिया, काला बाजारी जैसे बीमारियों से स्वस्थ्य केन्द्रों के माध्यम से गांव के सभी घरों में डी0डी0टी0 का छिड़काव कराकर इन रोगों से ग्रसित लोगों के खून की जांच की व्यवस्था कराकर सही दवाओं की व्यवस्थ्ज्ञा पंचायत करें।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में पंचायतें भी अपना ग्रामीण जनता के साथ मिलकर सहयोग करे। उनका विकास करके उनको सभी सुविधाओं का लाभ दीलाने का प्रसार पंचायतें करे। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर का सुधार करके उनके आर्थिक विकास सामाजिक न्याय एवं समता का विकास करे।

इसी प्रकार सामाजिक न्याय–सुरक्षा एवं कल्याण के क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, बिहार ग्रामोद्योग रोजगार गारंटी योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, दहेज प्रथा उन्मूलन, सूचना अधिकार अधिनियम आदि के माध्यम से महिला बालिका एवं बालक गरीब एवं वंचित वर्गों कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं जिनके माध्यम से विकलांग एवं रूग्ण व्यक्तियों को समुचित सहायता पहचान में पंचायत एक अहम भूमिका निभाती है।

महत्वः–

भारत गाँवों का देश माना जाता है इसलिए महात्मा गांधी का मानना था कि भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक ग्रामवासियों को सत्ता में भागीदारी न बना लिया जाय। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद भारत की स्थिति ऐसा करने योग्य नहीं थी लेकिन भारतीय संविधान में निर्देशक तत्वों में (भाग–4) उल्लेख जरूर किया गया है। बाद में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरूआत की तथा ग्रामीण जनता को सत्ता में भागीदारी मिली।

इससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं को अपने प्रधानों के माध्यम से सरकारों तक पहुँचा सकते है व अपनी समस्याओ का निवारण करवा सकते हैं ग्रामों में स्कूल जैसी सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम होने लगी जिससे गाँवों का विकास होने लगा है–

1– पंचायती राज में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया है।

2– इससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार खड़ा किया जा सके।

3– पंचायती राज के माध्यम से शासक और जनता दोनों का संवाद सीधे रूप से होता रहे।

4– पंचायतों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास अधिक प्रभावी हुआ है।

5– पंचायतों के माध्यम से लैंगिक न्याय की स्थापना हुई है।

6– पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक लोकतंत्रों का प्रत्यक्ष खड़ा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की संरचनाः–

ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। लगभग पांच सौ की आबादी पर एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का गठन होता है और प्रत्येक वार्ड से एक ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होता है, मुखिया, उपमुखिया और सभी वार्ड सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है।

1– ग्रामसभाः–

पहले 1000 जनसंख्या वाले गांव में एक गांवसभा का संगठन हो सकता था। परन्तु पंचायत एक्ट के अनुसार, ग्रामसभा के लिए प्रत्येक गांव की जनसंख्या 250 होना आवश्यक है। यदि जनसंख्या कम है तो आस–पास के दो या तीन गाँवों को मिलाकर ग्रामसभा बनायी जाती है। इस प्रकार ग्रामसभा बनाते समय एक सावधानी रखना चाहिए। जो कि ये गांव एक दूसरे से अधिक दूर न हो और उनके बीच, नदी, नाला या इस प्रकार की कोई प्राकृतिक बाधा न हो। ग्रामसभा के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। ग्राम सभा के सदस्य वे सभी व्यक्ति हो सकते हैं जो इस क्षेत्र में रहते हो, सदस्यों की योग्यता रखते है। ग्रामसभा के सदस्य 21

वर्ष से ऊपर सभी पुरूष हो सकते हैं। परन्तु पागल, दिवालिया, सजाएआफता, कोठी तथा सरकारी नौकर ग्रामसभा के सदस्य नहीं हो सकते। ग्रामसभा के सदस्य का नाम सभा सदस्यों के रजिस्टर में, सदस्य के रूप में दर्ज होना अनिवार्य है।

कार्य एवं अधिकारः–

ग्रामसभा की एक वर्ष में दो बैठकें होनी आवश्यक है, एक रबी की फसल करने के बाद दूसरी खरीफ की फसल पर जिसमें ग्रामसभा उन्नति के बारे में विचार करती है तथा कुछ ठोस निर्णय लिये जाते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान ही ग्रामसभा का प्रधान होता है जिनके कार्य निम्न प्रकार हैः–

1– ग्राम पंचायत के सदस्यों का चयन करना।

2– ग्रामीण जनता के विकास हेतु बहुमुखी कार्यक्रम तैयार करना।

3– करो के बारे में निर्णय लेना।

4– बजट पास करना।

5– चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति खरीदनें, कब्जा करने, प्रबंध रखने एवं उनका स्थानान्तरण करने का अधिकार ग्रामसभा का ही होता है।

6– ग्रामसभा के सदस्यों द्वारा, प्रधान व उपप्रधान पर लगाये अविश्वास प्रस्ताव पर ग्रामसभा ही विचार करती है।

7– आमदनी व खर्च के मामले व प्रगति रिपोर्ट पर विचार करते हुए अग्रिम वर्षों की योजना तैयार करना।

2– ग्राम पंचायतः–

उत्तर प्रदेश राज अधिनियम 1947 पारित किया गया जो कि पंचायत राज अधिनियम के बारे में यह बताता है कि देश के हर गांव में

ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन किया जाना आवश्यक है क्योंकि इस अधिनियम में ग्रामीणों के लिए और कई अधिनियम के बारे में बनाया गया है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है इस अधिनियम में धारा–12 के अनुसार हर गाँवों में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा जो कि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही पंचायत के सदस्यों का चुनाव कराया जायेगा जिसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो वह एक बात का ध्यान रखेगा कि ग्रामसभा का हर एक सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ग्रामीणों में ग्रामसभा की कार्यकारिणी समिति को ही ग्राम पंचायत कहते हैं।

पंचायत राज के नियमावली के नियम में इस बात को समझाया गया है कि ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। जो इस प्रकार से स्पष्ट की गयी है–

जनसंख्या	**सदस्यों की संख्या**
जनसंख्या 1000 तक	नौ सदस्य
जनसंख्या 1000 से अधिक लेकिन 2000 तक	ग्यारह सदस्य
जनसंख्या 2000 से अधिक लेकिन 3000 तक	तेरह सदस्य
जनसंख्या 3000 से अधिक	पन्द्रह सदस्य

ग्राम पंचायत के द्वारा एक ग्राम प्रधान का चयन किया जाता है जिसका ग्रामीण जनता के प्रति कर्त्तव्य और अपना कार्य निष्ठापूर्वक होता है जो कार्य ग्रामसभा का प्रधान होता है वही कार्य ग्राम पंचायत का भी प्रधान होता है। ग्राम पंचायत के लिए उत्तर प्रदेश पंचायतराज विभाग

द्वारा एक सरकारी कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाती है जो कि ग्राम सेक्रेटरी के नाम से होता है जिसे लोग ग्राम पंचायत अधिकारी कहते हैं।

ग्राम पंचायत के कार्य और कर्त्तव्यः–

ग्राम पंचायत के कार्यों और कर्त्तव्यों का उल्लेख पंचायत राज अधिनियम की धारा–15 और 16 में किया गया है। जो कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तो के अधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों का पालन किया करते हैं जो इस बात पर अपने कर्त्तव्यों और कार्य के बारे में बताते रहते हैंः–

1– गांव की गली, कूचे, रास्तों की सफाई का विशेष ध्यान देकर उसका प्रबंध कराना।

2– साफ एवं स्वच्छ पीने के लिए पानी का प्रबंध कराने की व्यवस्था करना।

3– गाँव के हर घरों में बिजली एवं सौर ऊर्जा की व्यवस्था करना। जिससे ग्रामीणों को रोशनी की सुविधा मिल सके।

4– ग्रामीण में रह रहे लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।

5– प्रारम्भिक चिकित्सा और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना जिससे उन्हें गांव के पास ही व्यवस्था मिल सके।

6– शिशु कल्याण एवं प्रसूता स्त्री के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलायी गयी योजना का लाभ दिलाने का कार्य करना।

7– सार्वजनिक कुंओं, तालाबों का प्रबंध कराना।

8– ग्रामीण लोगों के लिए गांव में ही सिंचाई के लिए टयूबवेल की व्यवस्था करना।

9– चारागाहों की व्यवस्था करना।

10– ग्रामीण किसानों के लिए कृषि कार्य करने के लिए उन्हें उत्तम क्रम के बीज और खाद कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था करना।

11– उत्तम खेती करने की सुविधा के लिए ग्रामीणों के लिए कृषि यंत्रों की व्यवस्था करना।

12– खेती के कार्य में आने वाली खादों को रखने की व्यवस्था एवं उनके लिए उचित प्रबंध करना।

13– ग्रामीण जनता के घरों से निकलने वाले कूड़े–करकट को रखने के लिए एक उचित स्थान का प्रबंध करना जिससे सभी लोग एक ही जगह पर कूड़े को एकत्र कर सके।

14– ग्रामीण जनता के लोगों के मन में आदर्श का भाव एवं उनके अन्दर नागरिकता की भावना का प्रोत्साहन देना।

15– ग्रामीण लोगों को देश की शासन व्यवस्था के बारे में उन्हें उनसे परिचित करवाना।[9]

ग्राम पंचायत की शक्तियाँ एवं अधिकारः–

1– धारा–16(ए) के तहत बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति – ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र की अिकारिता बाहर के ऐसे संगठनों को उनके ऐसे कामों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशि दे सकती है, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे।

2– धारा–17 के तहत सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंध करना।

3– धारा–33 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति।

9 अग्रवाल, जी0 के0, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, रास, बी0पी0डी0 पब्लिके"ान, आगरा, पृ0 सं0 151–159

4– ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले किसी व्यक्ति से जैसे किये हैं अमीन, पुलिस, ग्राम चौकीदार, प्राइमरी अध्ययन, आदि द्वारा अपने सरकारी कर्त्तव्यों के पालन में किसी कदाचार से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, तो ग्राम पंचायत अपनी रिपोर्ट के साथ शिकायत को समुचित प्राधिकारी के पास भेजेगी। प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के बाद जो सही हो, समुचित कार्यवाही करेगी और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना भेज देगा।

अधिकारः–

(अ) जल स्रोत सड़क के संबंध मेंः–

1– सड़क एवं पुलिया का निर्माण करा सकती है। सड़क मोड़ सकती है।

2– जो पेड़–पौधे सामूहिक स्थान पर बाधा डाले उन्हें कटवा सकती है।

3– कुंआ या अन्य जल स्तरों उसकी गन्दगी होने से बचाने के लिए वस्त्र आदि धोने से रोक लगा सकती है।

(ब) **सफाई के संबंध मेंः–**

1– सफाई के लिए नाली व पेशाबघर सामूहिक स्थानों को गन्दाकर उन्हें साफ करने पर बन्द करने का आदेश दे सकती है।

2– गोबर व अन्य बदबूदार पदार्थ को गांव के बाहर डलवाने का आदेश जारी कर सकती है।

3– कर के संबंध में (टैक्स) अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निम्नदर से कर लगा सकती है।

(i) लगान पर एक आना प्रति रूपया तक

(ii) व्यापार पर छः रूपया वार्षिक तक

(iii) किराये पर चलने वाले जानवरों पर तीन रूपये सलाना तक

(iv) किराये पर चलने वाली गाड़ियों पर 6 रूपये वार्षिक तक

(v) अस्थाई सिनेमा या थियेटर पर पांच रूपये प्रतिदिन तक

(vi) ग्राम मेलों तहबाजारी वसूल कर सकती है।

(vii) गांव में बिकने वाले जानवरों पर भी कर लगा सकती है। यदि कोई बूचड़ खाना चल रहा हो तो उस पर भी ग्राम पंचायत कर लगा सकती है।

3– न्याय पंचायतः–

संगठन एवं अधिकार क्षेत्र

पांच से बारह पंचायत के लिए एक न्याय पंचायत होती है यह पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण लोगों के सभी झगड़ों का न्याय करती है। एक न्याय पंचायत में कितने ग्राम पंचायत है। इसका निर्णय जिलाधीश करता है। पांच पंच तक जिलाधीश मनोनीत करता है।

सब पंचायत से आये पंच सरपंच का चुनाव करते हैं न्याय हेतु न्याय में हो रहे मुकदमें के लिए एक बेंच बना दी जाती है बेंच के पंच निर्धारित करते समय ध्यान रखा जाता है कि कोई पंच किसी पार्टी में रूचि न लेता हो। न्याय पंचायत निम्न प्रकार के मुकदमें की सुनवाई होती है।

भारतीय दण्ड विधान की धारा–140 जो मनुष्य पुलिस या फौज की वर्दी पहनकर धोखा देता है।

धारा–160 सार्वजनिक स्थान पर झगड़े करे।

धारा–162 सम्मन लेने से इंकार करे।

धारा–174 सरकारी अधिकारी के बुलाने पर न आये।

धारा–189 सरकारी अधिकारी के प्रश्न का उत्तर न दे।

धारा–269 ऐसे काम करे जो बीमारी फैला दे।

धारा–227 जलस्रोत गन्दा करे।

धारा–283 सार्वजनिक स्थानों पर बाधा डाले।

धारा–285 अण लगाने का ऐसा काम करे जिसे किसी के जीवन पर हानि न हो।

धारा–289 पशुओं के संबंध में असावधानी बरते जिससे किसी के जीवन को हानि न हो।

धारा–294 सार्वजनिक स्थानों अस्लील गाये।

धारा–323 साधारण मारपीट करे।

धारा–334 उत्तेजना दिये जाने पर जानबूझकर चोट पहुँचाये।

धारा–341 जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखे।

धारा–374 बेगार लेता हो।

धारा–397 पांच रूपये तक की चोरी

धारा–423 किसी की वस्तु की जर्बदस्ती प्रयोग में लाये।

धारा–411 50 रूपये तक की चोरी का माल खरीदे।

धारा–428 10 रूपये से ज्यादा कीमत के पशुओं को मारना।

धारा–430 सिंचाई के लिए निर्मित वस्तुओं को नुकसान पहुँचाये।

धारा–430 जबरदस्ती किसी के घर में घुसे।

धारा–509 कोई ऐसा काम करे जिससे किसी स्त्री को लज्जा आये।

धारा–510 सार्वजनिक स्थान पर बकवास करे या गलत कार्य करे।

शोध उद्देशीय कार्यक्रम

1– पंचायत का घर बनाना।

2– पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रबंध करना।

3– रेडियो व अन्य मनोरंजन का कार्य चलाना।

4– औषधालय खोलना।

5– प्राथमिक पाठशालायें चलाना।

6– कृषि क्लब चलाना।

7– आदर्श कूप निर्माण करना।

8– सामूहिक शौचालय का निर्माण करना।

9– सड़क व पुलिया का निर्माण करना।

10– सफाई व रोशनी का प्रबंध करना।

11– वन महोत्सव।

12– कुटीर उद्योग का विकास।

13– आदर्श खाद्य का गढ्ढे बनाना।

14– पशु प्रजनन हेतु सांड रखना।

15– अच्छे पशु निवास गृह बनवाना।

16– ग्राम स्वयं सेवक शक्ति का संगठन।

प्रथम अध्याय समाप्त

– : शोध संदर्भ : –

1. अग्रवाल, जी0 के0, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, रास, बी0पी0डी0 पब्लिके"ान, आगरा
2. जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013
3. झॉ, सिद्धार्थ कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2016
4. दत्त, डॉ0 महे"वरी, गांधी का पंचायती राज, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा–3
5. प्रो0 चौधरी एवं डा0 वि"वंभर, भारत में पंचायती राज का उद्भव एवं विकास, मैकग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क
6. सिंघवी एल0 एम0, पंचायती राज व्यवस्था : राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, विकास प्रका"ान, नई दिल्ली, 2009
7. सिंह, महिपाल, पंचायती राज चुनौतिया एवं संभावनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली

ई–लिंक

1 https://www.drishtiias.com

द्वितीय अध्याय

चयनित क्षेत्र परिचय एवं अध्ययन प्रारूप

सुलतानपुर जनपद देवों के द्वारा बसायी गयी स्वर्ग के समान अयोध्या के निकट स्थित है जो अपने दामन में प्राचीनतम गौरवशाली परम्परा समेटे हुए है। जनपद आदि गंगा गोमती के तट पर बसा हुआ है यहॉ की मुख्य बोली अवधी है। जनपद उत्तर प्रदे"ा के मानचित्र के केन्द्र में अवस्थित है। जो भारत के पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा औद्योगिक दृष्टि से विशिष्ट स्थान रखता है।

जनपद का स्वत्रंतता इतिहास :[1]

सुलतानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 136 किमी0 तथा देश की राजधानी दिल्ली से 708 किमी0 दक्षिण पूर्व में 25.59^0 से 26.40^0 उत्तरीय अक्षांश और 81.32^0 से 82.41^0 से पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। तेरहवीं सदी के अन्त तक सुलतानपुर कुशपुर, कुशावती या कुशभवनपुर के नाम से जाना जाता था जिसे भगवान श्रीराम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने गोमती नदी के तट पर बसाया था। कालान्तर में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी कुशपुर के महराजा नन्द कुँवर को पराजितकर अपना शासन कायम किया और स्थल व नगर का नाम कुशपुर या कुशभवनपुर के बजाय सुलतानपुर रख दिया।

जनपद में अंग्रेजी शासन से पहले उदार नबाबों का राज था अवध के नवाब सफदरजंग ने इसकी भौगोलिक उपयुक्तता को देखते हुए इसे अवध की राजधानी बनाने का प्रयास किया, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने 13 मार्च, 1856 ई0 को अवध के नवाब वाजिद अली

---

1 सिंह, राजेश्वर, सुलतानपुर इतिहास की झलक, अर्यमा, पृ0 सं0 3 – 9

शाह को अपदस्थ करके अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजी अत्याचार से त्रस्त सुलतानपुर की मुल्की सेना के एक नौजवान सैनिक ने 9 जून, 1857 को कर्नल फिशर की गोली मारकर हत्या कर दी, और प्रथम स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। मेंहदी हसन सुलतानपुर का नाजिम था जो एक प्रतिभा सम्पन्न लड़ाकू योद्धा भी था। उसने अपनी सेना के साथ भदैंया नाले के पास किलेबंदी कर दी। दूसरी तरफ अंग्रेज कर्नल राउटन के नेतृत्व में कोइरीपुर नाले के किनारे डेरा डाल रखा था दोनों दलों के बीच चांदा में भयंकर युद्ध हुआ। अमहट गभड़िया कादूनाले पर हुए इस ऐतिहासिक युद्ध का वृतान्त उत्तर प्रदेश की आजादी (वार–इन–उत्तर प्रदेश) नामक किताब में वर्णित है। मेंहदी हसन चाँदा में पराजित होने के बावजूद भी गभड़िया नाले के किनारे पर मिलो तक अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसके सहयोगी राजा हसनपुर अमहट के बख्तावर खाँ प्रमुख रहे।

जनपद की भौगोलिक स्थिति[2,3]:–

सुलतानपुर जनपद गोमती नदी के दोनों ओर 267289 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर विस्तृत है इसे गोमती नदी लगभग दो समान भागों में उत्तर और दक्षिण विभाजित करती है गोमती नदी को आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो जनपद के एक प्रमुख सतत् वाहिनी नदी है। कहा जाता है कि नदी का प्रवाह तीव्र वक्रों के साथ है, अर्थात अत्यधिक टेड़ी–मेड़ी होकर सर्पिलाकार रूप में प्रवाहित होती है इसके इसी प्रचलन के कारण अतीत में घूमती नदी के नाम से जाना जाता था बाद में परिवर्तित होकर इसका नाम गोमती नदी हो गया। यह गंगा की सहायक नदी है जो सुलतानपुर जनपद में उत्तरी–पश्चिमी सीमा से प्रवेश करती है और इसके दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलती हुई जौनपुर

2 **सिंह, राजेश्वर, सुलतानपुर इतिहास की झलक, अर्यमा, पृ0 सं0 21 – 35**
3 सुलतानपुर साख्यिकीय पत्रिता 2015,2016,2017,2018

जिले में प्रवेश कर जाती है जनपद की एक मात्र सदानीश नदी है सुलतानपुर जनपद उत्तर से फैजाबाद जनपद पूरब से अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और जौनपुर जनपद दक्षिण से प्रतापगढ़ और अमेठी जनपद और पश्चिम से बाराबंकी जनपद घिरा हुआ है।

जनपद की अधिकांश भूमि समतल एवं उपजाऊ है। गोमती नदी के अगल–बगल इलाके बाढ़ आच्छादित भू–भाग है। उत्तरी भाग का ढाल उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर है और यह भाग अत्यधिक उपजाऊ है, इस भाग का कुछ अंश ऊसर व परती है जनपद का दक्षिणी भाग बहाव क्षेत्र है, जिस पर अनेक नाले बहते हुए गोमती नदी में मिलते है इन्हीं कारणों से इस भू–भाग पर अत्यधिक कटान की समस्या होती है गोमती नदी से कुछ दूरी तक छोड़कर इस भू–भाग की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है।

प्राकृतिक वन एवं वनस्पतियाँ[4]:–

सुलतानपुर जनपद में सुलतानपुर, जयसिंहपुर, लम्भुआ, कादीपुर, छोटे–छोटे फारेस्ट रेन्ज है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ बहुत कम मात्रा में है। जनपद में कादू के नाले के अगल–बगल स्थित वन क्षेत्र जनपद का एक मात्र वनाच्छादित भूभाग है।

जनपद की एक मात्र नदी गोमती, गंगा की सहायक नदी है। जिसमें नदी के दोनों तरफ से अनेक नाले आकर नदी में मिलते है। दक्षिण की ओर से कादू का नाला, गभड़िया नाला तथा उत्तर की ओर से जमोरिया नाला प्रमुख है। जनपद की उत्तरी सीमा पर स्थित मझुई कनावां से नाले के रूप में निकलकर सुलतानपुर, फैजाबाद की सीमा रेखा बनाते हुए आगे चलकर नदी का रूप लेकर टोंस नदी में मिल

4 दूबे,अवधेश कुमार, अग्रवाल, अनुपम, क्षेत्रीय नियोजन का ग्रामिण विकास में योगदान, डॉ0 रा0म0लो0अ0वि0वि0, फैजाबाद पृ0 सं0 45–54

जाती है। कूरेभार ड्रेन जैसे नाले मझुई में मिलकर इसे नदी का रूप दे देते हैं।

जनपद में ककरहवां सोना, महोना भटगांव, कटरा रानी जैसी उल्लेखनीय झीलें भी स्थित है। जिसका प्रक्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है।

जलवायु[5] : –

सुलतानपुर जनपद समुद्र तल से 216 मी0 ऊँचाई पर स्थित सम शीतोष्ण जलवायु वाला भू–भाग है। जनपद का औसत तापमान 25.1^0 सेग्री रहता है। मई तथा जून माह में विशेष गर्मी पड़ती है तथा अत्यन्त सूखी व गर्म पछुआ हवायें चलती है। इस मौसम में यहाँ का उच्चतम तापमान 48^0 सेग्री तक पहुँच जाता है वर्ष 2018–19 में जनपद का उच्चतम तापमान 49.6^0 सेग्री दर्ज किया गया। सर्दियों के जनवरी–फरवरी माह में जनपद का न्यूनतम तापमान $2–3^0$ सेग्री0 तक गिर जाता है। इन दिनों कई बार सुलतानपुर जनपद उत्तर प्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में रिकार्ड किया जाता है। 2009–2010 में यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.6^0 सेग्री0 रहा।

जनपद में वर्षा एक समान नहीं होती है, औसत वार्षिक वर्षा 4.11 मिमी0 होती है जिसमें उत्तरी भाग की तुलना में जनपद के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है, जुलाई अगस्त के माह में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1955 की बाढ़ के समय गोमती नदी ने अपनी धारा बदलकर मार्ग परिवर्तित कर लिया था जिससे 17.5 किमी0 दूरी तक नदी दो भागों में विभक्त हो गयी है जिसे नयी एवं पुरानी नदी कहा जाता है। वर्षा के दिनों में यह क्षेत्र विशेष बाढ़ की समस्या से ग्रस्त रहता है।

---

5 श्रीवास्तव, ले0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0, पृ0 सं0 , 58–64

भूमि एवं मिट्टी:[6]–

सुलतानपुर जनपद मुख्यतया दोमट, बलुई एवं मटियार भूमि वाला क्षेत्र है यहाँ की अधिकांश मिट्टी गोमती नदी द्वारा लायी गयी जलोढ़ जमा द्वारा निर्मित है। जनपद के उत्तरी भाग की भूमि मटियार, दोमट, भूरी है जिसमें गोमती नदी के किनारे दोमट और बलुई और दोमट भूमि है तथा नदी से दूर उत्तरी भू–भाग की भूमि मटियार मिट्टी है। जिसमें पानी रोक रखने की क्षमता अधिक होती है। यहाँ खरीफ में धान की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है इस भू–भाग के ऊँचाई वाले इलाकों में गेहूँ, दलहन एवं तिलहन की अच्छी खेती की जाती है। गोमती नदी के दक्षिण भू–भाग की भूमि बलुई एवं दोमट भूमि है, यहाँ की प्रमुख फसलों में गेहूँ, तिलहन, दलहन की खेती की जाती है।

खनिज पदार्थ[7]:–

जनपद में रेत के अलावा कोई अन्य खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है। गोमती नदी के तट पर रेत खनन कार्य किया जाता है। जिसे भवनों के निर्माण के उपयोग में लाया जाता है।

जनपद का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति:–

किसी देश प्रदेश व स्थान का विकास वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं। यहाँ के जनसंख्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक समृद्धि एवं तकनीक कुशलता के आधार पर संचालित होती है। यदि प्राकृतिक एवं मानवीय पूंजी का सुचारू रूप से विकास में उपयोग नहीं किया जाता तो उस देश प्रदेश एवं स्थान पर बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक, सामाजिक, पिछड़ापन जैसी समस्याएँ व्याप्त रहती है।

---

6 सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका 2016, 2017
7 तथैव

जनसंख्या की स्थिति[8,9]:–

2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल आबादी 24,31,490 है जो उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 1.21 प्रतिशत है। जनपद में कुल पुरूषों की जनसंख्या 12,26,560 तथा स्त्रियों की जनंसख्या 12,04,930 है, जिनका लिंगानुपात 982 प्रति/हजार पुरूष है। जनपद का जनसंख्या घनत्व 909 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की साक्षरता 69.74 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष साक्षरता 80.53 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 58.88 प्रतिशत है। जिले में जनसंख्या के विकास की दर 2001 से 2011 के दशक में 18.25 प्रतिशत रही है। जनपद की कुल जनसंख्या का 14.84 प्रतिशत भाग शिशु जनसंख्या का है। जनपद की हिन्दू की कुल आबादी का 82.16 प्रतिशत तथा मुस्लिम कुल आबादी 17.13 प्रतिशत है।

जनपद का प्रशासनिक परिदृश्य[10]:–

सुलतानपुर जनपद में प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान में चार तहसील सुलतानपुर सदर, कादीपुर, लम्भुआ एवं जयसिंहपुर तथा एक नवसृजित तहसील बल्दीराय है। यहाँ 988 ग्राम पंचायतें 1708 आबाद गांव तथा 22 गैर आबाद गांव है। नगरी प्रशासनिक दृष्टि से एक नगर पालिका परिषद सुलतानपुर तथा तीन नगर पंचायतें दोस्तपुर, कादीपुर एवं कोइरीपुर तथा एक नवघोषित नगर पंचायत लम्भुआ है।

जनपद आर्थिक विकास की दृष्टि से विकसित करने हेतु 14 विकासखण्डों में विभाजित किया गया है यथा– दूबेपुर, कुड़वार, धनपतगंज, कूरेभार, जयसिंहपुर, मोतिगरपुर, दोस्तपुर, कादीपुर, करौंदीकला, प्रतापपुर कमैंचा, लम्भुआ, भदैंया, बल्दीराय, अखण्डनगर

8 भारत 2016, 2017, भारतीय प्रकाशन विभाग
9 Indian Census Report
10 सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका 2016,2017,2018

ग्रामीण आर्थिक विकास की दृष्टि से जिले में एक जिला पंचायत ब्लाक स्तर पर 14 क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें विद्यमान है। व्यापारिक दृष्टि से सुलतानपुर में सुलतानपुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित अमहट नामक स्थान पर एक नवीन कृषि मण्डी स्थापित की गयी है जहाँ से अनाज, फल, सब्जी के व्यवसाय का संचालन होता है। औद्योगिक दृष्टि से एक मात्र औद्योगिक केन्द्र किसान सहकारी चीनी मिल सुलतानपुर है।

जनपद की व्यवसायिक संरचना[11]:–

जीविकोपार्जन एवं विकास के लिए क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना महत्वपूर्ण होती है। इसके आधार पर उपलब्ध संसाधनों एवं भूमि पर जनसंख्या के दबाव का अनुमान लगाया जाता है। सुलतानपुर जनपद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ की जनसंख्या के अधिकांश भाग की अजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं कृषि संबंधित कार्य है। यहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 94.38 प्रतिशत भाग ग्रामीण तथा 15.62 प्रतिशत भाग नगरीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों का प्रतिशत कुल आबादी का 31.94 प्रतिशत है। जिसमें से 69.9 प्रतिशत श्रमिक कृषि एवं सम्वर्गीय कार्य में लगे हुए है। जनपद के समस्त श्रमिकों का 21.56 प्रतिशत कृषक 14.39 प्रतिशत कृषि श्रमिक 3.98 प्रतिशत पारिवारिक श्रमिक एवं 17.70 प्रतिशत अन्य श्रमिक है। जनपद में कार्यशील जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण की विषमता की बाहुल्यता है। जनपद के कुल श्रमिकों की संरचना को निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है।

श्रमिक मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है– 1– मुख्य श्रमिक 2– सीमान्त श्रमिक

---

11 श्रीवास्तव, ले0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0, पृ0 सं0 , 79–84

जनपद की औद्योगिक स्थिति[12]:–

प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के कारण जनपद औद्योगिक दृष्टि से अधिक उन्नत नहीं है यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र विभाजन के बाद अमेठी जनपद में सीमांकित हो गये है। वर्तमान में जनपद में किसान सहकारी चीनी मिल सुलतानपुर, मेसर्स बैंग पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, राक्सी पेट्रो केमिकल प्रा0 लिमिटेड, बलरामपुर पेपर एवं बोर्ड प्रा0लि0, एस0लाल कम्पनी प्रा0लि0, मधुर पी0पी0सी0 प्रा0लिमिटेड एवं स्पन प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक इकाईयाँ मौजूद है। जिसमें स्थानीय तथा वाह्य व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

लघु एवं हस्तशिल्प उद्योगों की दृष्टि से जनपद में बाध उद्योग, बर्तन उद्योग प्रमुख है। मूज के बने हुए बाध पड़ोसी जनपदों को आपूर्ति की जाती है। जिसके लिए शहर के मध्य में एक बाधमण्डी स्थित है। बंधुआकला नामक स्थान पर पीतल के बर्तन बनाये जाते है इस क्षेत्र में जनपद का एक बड़ा श्रम रोजगार रत है। ग्रामीण जनता की जीविकोपार्जन कृषि के अतिरिक्त इन्हीं लघु कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों तथा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालन पर आश्रित है। दुग्ध उत्पादन एवं गन्ने से गुड़ बनाने के कारोबार में यहाँ का श्रम नियोजित है।

सेवायोजनः–

सेवायोजन की दृष्टि से इसे तीन क्षेत्रों प्राथमिक द्वितीयक, तृतीयक रूप में दर्शाया जा सकता है।

प्राथमिक क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं कृषिगत कार्य है। यहाँ मुख्य रूप से तीनों मौसमी, खरीफ, रबि, जायद फसलें उगाई जाती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, प्रमुख खाद्यान्न, अरहर,

12 श्रीवास्तव, ले0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0, पृ0 सं0 , 86–90

उड़द, प्रमुख दलहन फसलें खरीफ ऋतु में उगायी जाती हैं। गेहूँ, जौ, खाद्यान्न तथा चना मटर दलहन, रवि की प्रमुख फसलें जायद में उड़द, मूंग खीरा, ककड़ी की खेती की जाती है। लाही, सरसों, आलू एवं गन्ना यहाँ की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। खरीफ की फसल से संबंधित वर्ष 2005–06 में 200.58 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल रहा जिसमें मुख्य फसल धान के अन्तर्गत 156.1 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल रहा। इसके साथ ही वर्ष 2005–06 में रवि की फसल के अन्तर्गत 207.82 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल रहा है।

भूमि उपयोगिता की दृष्टि से राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005–06 में जिले का प्रतिवेदित क्षेत्रफल 439.60 हजार हेक्टेयर है। जिसमें वन के अन्तर्गत 1.98 हजार हेक्टेयर, भूमि कृषि अयोग्य एवं बंजर के अन्तर्गत 14.32 हेक्टेयर तथा कृषि योग्य बंजर भूमि के अन्तर्गत 10.32 हजार हेक्टेयर भूमि आती है तथा इसके अलावा वर्तमान परती भूमि 47.14 हेक्टेयर, अन्य परती भूमि 18.95 हजार हेक्टेयर, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि 52.99 हेक्टेयर तथा एक फसली क्षेत्रफल 149.50 हजार हेक्टेयर है। जनपद में भूमि की उपयोगिता निम्न सारणी से स्पष्ट किया गया है। कृषि गणना 2001 के अनुसार जनपद की समस्त जोतों की औसत आकार 0.6 हेक्टेयर है। जोतों का आकार निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

तालिका 2.1				
कृषि गणना 2001				
जोत का आकार	1 हेक्टेयर तक	1–3 हेक्टेयर तक	3–5 हेक्टेयर तक	5 हेक्टेयर के ऊपर
जोतों की	433577	57348	6651	1338

संख्या				
क्षेत्रफल	161323	87881	23770	13092
स्रोत : सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका एवं sultanpur.nic.in				

पशुपालन एवं दुग्ध विकास[13]:–

पशुपालन एवं दुग्ध विकास की दृष्टि से जनपद बहुत अग्रणी नही है। पशु गणना 2003 के अनुसार जनपद में गोवंशी पशु 562228 तथा माहित जाति के पशु 337839 है। समय–समय पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुओं के नश्ल सुधार के कार्यक्रम संचालित होते रहे अन्य प्रदेशों से उन्नत जाति के पशुओं को लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता रहा जिसके द्वारा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र उन्नत वृद्धि हुई। पहले जनपद में पशु सम्बर्धन के केन्द्र अत्यल्प थे, अब वर्तमान में उत्कृष्ट प्रजनन एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु 45 पशु चिकित्सालय 78 पशु सेवा केन्द्र 68 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं 61 उपकेन्द्र संचालित है। पशुओं को चारा उपलब्ध कराने, हरे चारे की फसलों तथा पशु आहार निर्माण केन्द्रों का विकास किया गया। गायों के विकास के लिए शंकर प्रजनन योजना समस्त जनपद में लागू की गयी है, जो पशुपालन एवं दुग्ध विकास योजना का उत्तरोत्तर विकास कर रही है। जनपद में 508 दुग्ध विकास समितियाँ स्थापित है जिनके 18730 है। दुग्ध का संकलन इन्हीं समितियों के माध्यम से करके डेरी उत्पादक संस्थानों को आपूर्ति किया जाता है।

मत्स्य विकास के लिए:–

जनपद के समस्त अविभाजित 23 विकास खण्डों में मत्स्य पालन की समीक्षा की गयी थी जिसमें वर्ष 2006–07 में 6 विभागी जलाशय (5. 3 हेक्टेयर), 643 निजी जलाशय (323 हेक्टेयर), मौजूद थे विभागीय

13 सांख्यिकीय पत्रिका 2017, 2018

जलाशयों का मत्स्य उत्पादन 54.5 कुन्तल तथा निजी जलाशयों का मत्स्य उत्पादन 1170 कुन्तल था। वर्तमान में जनपद में 21 मत्स्य सहकारी समितियाँ है, जिसके 985 सदस्य है।

द्वितीय क्षेत्र की दृष्टि से[14]:–

प्राकृतिक संसाधनों के आभाव के कारण जनपद औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। कोई भी खनिज पदार्थ यहाँ नहीं पाया जाता है। कुछ भाग में कंकड़ और रेत की उपलब्धता है। जनपद के भिन्न–भिन्न इलाको में मूज एवं कास से निर्मित बाध बनाये जाते है। जिसकी पड़ोसी जनपदों को आपूर्ति की जाती है। जनपद के बधुआंकला नामक स्थान पर पीतल के बर्तन बनाने का कारोबार संचालित होता है। इसके अतिरिक्त गाय, भेड़, बकरी पालन जनता की आय के अन्य स्रोत हैं। शहरी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन करके आय प्राप्त करते है।

तृतीय क्षेत्र में व्यापार परिवहन संचार बैकिंग, बीमा, सामाजिक सेवा आदि सम्मिलित होती है। इस क्षेत्र में जनपद स्वरोजगार की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगतिशील है जिसमें नयी–नयी सेवाओं का समावेश किया जा रहा है। जिससे यह क्षेत्र जनपद को समृद्धि प्रदान कर रहा है।

आधारभूत संसाधन[15]–

किसी क्षेत्र के उन्नति एवं विकास में आधारभूत संसाधनों का बड़ा महत्व होता है।

विद्युत/ऊर्जा :

विद्युत/ऊर्जा आधारभूत उद्योगों की स्थापना एवं आर्थिक विकास का प्रमुख अवयव है इसकी उपलब्धता से ही आर्थिक समृद्धि एवं सुविधा

14 श्रीवास्तव, ले0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0, पृ0 सं0 , 94–98
15 तथैव एवं सुलतानपुर सांख्यिकी पत्रिका 2016,2017, 2018

का संचालन संभव हो पाता है। सिंचाई तथा कृषि औद्योगिक विकास जैसे कार्यक्रमों में निरन्तर विद्युत की आपूर्ति आवश्यक होती है उपलब्धता की दृष्टि से जनपद में 2017–2018 में प्रति व्यक्ति 127.54 किलोवाट प्रति वर्ष विद्युत का उपभोग किया जाता है एवं जनपद में शत–प्रतिशत गांव विद्युतीकृत है। 400 के0वी0 का एक थरमल स्टेशन जनपद के पयागीपुर नामक स्थान पर स्थित है जिसके द्वारा विद्युत परिवर्धित करके जनपद एवं पड़ोसी जनपदों को आपूर्ति की जाती है।

संचार :

संचार व्यवस्था के संचालन हेतु जनपद में 472 ग्रामीण 14 नगरीय डाकघर एवं 8 तारघर कार्यरत है। जिसके द्वारा जनपद में कुल 1727 ग्राम तथा नगरीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्था का संचालन किया जाता है।

बैकिंग :

बैकिंग क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की 1991 की संस्तुति के अनुसार 17000 की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा खोलने का लक्ष्य रखा गया है इसके अनुपालन में जनपद में कुल 94 राष्ट्रीयकृत बैंक 74 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) तथा 73 गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें कार्यरत हैं। जनपद का लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैकिंग सुविधाएँ जनपद में पोस्टल बैकिंग, एयरटेल बैकिंग, कोटक महेन्द्रा बैंक तथा आधार कार्ड द्वारा आहरण सुविधा के माध्यम से भी संचालित होती है जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र लाभान्वित होते है।

यातायात :

यातायात की दृष्टि से जनपद में सड़क व रेलमार्ग अधिक समृद्ध है। प्रदेश तथा देश के प्रमुख शहर जनपद से सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं।

जिससे सुदूर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर तथा पड़ोसी जनपद दूरस्थ यातायात एवं अन्य शहरों का आवागमन सुगम है।

रेल मार्ग के द्वारा जनपद सुलतानपुर से दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, अजमेर, वाराणसी, आगरा, कोलकाता, पटना, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, बिहार, झांसी, जयपुर आदि शहरों में सुगमता से पहुँचा जा सकता है।

जनपद में एक हवाई पट्टी अमहट नामक स्थान पर स्थित है। जहाँ से आवश्यकतानुसार हवाई जहाज का संचालन होता है। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज के विमान पतन सुलतानपुर शहर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है।

सिंचाई :

सिंचाई सुविधाओं में जनपद प्रगतिशील है नहर, राजकीय नलकूप, पक्के कुएँ, जनपद की सिंचाई में प्रमुख स्रोत है जिससे जनपद का अधिकांश क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है।

जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल[16]:–

पर्यटन आय एवं रोजगार का एक प्रमुख साधन होता है। जिससे होटल, आवास, सड़क, छोटी दुकानों, ट्रांसपोर्ट एवं अन्य उपयोगी सेवाओं के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, तथा सांस्कृतिक विरासत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालन एवं प्रवाहरण होता है। यह आधार संभावनाओं का क्षेत्र है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गतिविधियाँ सन्निहित होती है।

सीताकुण्ड जनपद के गोमती नदी के तट पर यह मन्दिर स्थित है। अभिलेख के अनुसार यह माना जाता था कि जब राम जी बनवास

16 श्रीवास्तव, ले0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0, पृ0 सं0 , 124–138

जा रहे थे तब भगवती सीता ने राम के साथ यहाँ पर स्नान किया था इसलिए इसका नाम सीताकुण्ड के घाट के नाम से प्रसिद्ध माना गया है। इस मंदिर में प्रत्येक रविवार को शाम को 6.00 बजे आरती का आयोजन किया जाता है।

पारिजात वृक्ष जनपद के गोमती नदी के तट पर उद्योग विभाग के परिसर में स्थित एक विशालकाय में अवस्थित है। मान्यताओं के आधार पर यह वृक्ष एक देव वृक्ष माना गया है जिसका महत्व रामायण से लेकर महाभारत तक जोड़ा गया है। यह वृक्ष पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इस वृक्ष को लोग पूरी आस्था से मन्नत मांगते हैं और उनकी मान्यताएँ पूरी भी होती है। यह वृक्ष कब से जनपद में है इसका आंकलन अभी तक कोई हीं कर पाया है ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष हजारों वर्ष पुराना है।

पहलवानवीर बाबा की मजार जनपद मुख्यालय से जुड़ा हुआ पयागीपुर चौराहे के समीप इलाहाबाद रेलवे लाइन के पूर्व दिशा में है। श्रद्धालुओं की मनोकामनाएँ यहाँ पर आने पर पूरी होती है। प्रत्येक वृहस्पतिवार को हिन्दू, मुसलमान एवं अन्य सभी लोग श्रद्धाभाव से दर्शन करने आते हैं।

लोहरामऊ यह माँ भवानी मंदिर के लिए जनपद का प्रमुख सिद्ध प्राप्त मंदिर माना जाता है। यहाँ पर वैवाहिक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। जनपद के लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस धाम पर जो भी शीश झुकाता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है साथ ही इसके दर्शन के बिना विध्यांचल धाम का दर्शन अधूरा माना जाता है।

धोपाप यह जनपद का वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री रामचन्द्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तब यहाँ पर स्नान किये थे

तथा इसके उपरान्त ही उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। तभी से प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ मेले का आयोजन होने लगा है।

पाडेबाबा भी जनपद का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केन्द्र माना जाता है। यहाँ जनपद का सबसे बड़े मेले का आयोजन किया जाता है इस मेले में लोग बहुत दूर–दूर से आते हैं। यह मेला विजयादशमी (दशहरों) के दिन ही लगता है।

बिजेथुआ महाबीरन हनुमानजी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी ने कातिनेम दानव को मारा था। यहाँ प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को लोग दर्शन करने जाते हैं।

गढ़ा जनपद के पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित यह बौद्धकालीन दस गणराज्यों में से एक केशिपुत्र के भग्नावशेष के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने छः माह तक प्रवास किया था और यहाँ के शासक कलाम वंशीय क्षत्रियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।

कोइरीपुर में श्री हनुमान, भगवान शिव तथा प्रभू राम आदि माता सीता के अनेकों मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है।

हजरत डंका शहीद मजार जनपद के उत्तर दिशा में स्थित है। टेडुई नामक स्थल पर यह मजार फैजाबाद रोड पर स्थित है। यहाँ पर हर वृहस्पतिवार को लोग जाकर दर्शन करते है मन्नत पूरी होने पर चादर भी चढ़ाते हैं। इस मजार का बहुत बड़ा महत्व है।

कोटव यह एक धार्मिक स्थल है कोटव को कोटव धाम के नाम से भी जाना जाता है यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में भगवान शिव की सफेद संगमरमर से बनी खूबसूरत प्रतिमा दर्शनीय है।

बिलवाई जनपद के पश्चिमी छोर पर स्थित एक कस्बा है। यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर है। लोगों की मान्यता है कि जब भगवान श्री राम वन जा रहे थे तो इसी स्थान पर बेल के जंगल में उन्होंने भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित करके पूजा अर्चना की थी।

गौरोशंकर धाम यह धाम चाँदा के शाहपुर जंगल के बीच गोमती नदी के तट पर स्थित मनोरम शिव मंदिर के लिए नाम से प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि को यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है।

करिया बझना यह स्थल हनुमान एवं करिया बाबा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है जुलाई एवं दिसम्बर में भव्य मेलों का आयोजन होता है।

जनपद में महिलाओं की स्थिति[17] :

राष्ट्र निर्माण में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। महिलायें समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतीत में नारी सम्मान की पात्र घर की वस्तु जैसी बनकर पीछे छूट रही थी धीरे–धीरे गौड़ रूप से महिला अपनी कुशलता के बदौलत समाज के ढांचे में फिट होती चली गयी वह अपनी पारम्परिक भूमिका से निकलकर एकपक्षीय पुरूष संस्कृति का ताना–बाना तोड़कर विकास की भूमिका में अपने योगदान की तरफ अग्रसर होती गयी।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति में पुरूष शक्ति के साथ–साथ सम्भ्रान्त नारी वर्ग का उदय महत्वपूर्ण रहा। स्वतंत्रता आन्दोलन में भारतीय महिलाओं ने पुरूषों के साथ मिलकर अद्‌भुत कार्य किया। जिससे उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में याद किया जाता है। सामाजिक समता एवं

17 www.sultanpur.nic.in

न्याय, आर्थिक विकास एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन में महिलाओं की भूमिका को नया रूप देना एक सामूहिक प्रमाण है। इसके बिना ये क्षेत्र अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

वर्तमान में नारी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रबन्धन उद्योग, चिकित्सा, सुरक्षा परिवहन, लेखन, कला प्रदर्शन, राजनीति, विदेश नीति, अर्थनीति आदि समस्त क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी एवं कुशलता को स्थापित करने की भूमिका में प्रस्तुत है। नगरीय क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं को एक तरफ बराबरी का अधिकार प्राप्त है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें अपने वजूद को साबित करने के लिए उद्धत है। उन पर किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहू होने का साया दिखता नजर आता है। समय की चाल, शैक्षिक जागरूकता, कानून का संरक्षण ग्रामीण महिलाओं को घर के अन्दर की वस्तु बने रहने की विवसता को तोड़कर आगे आने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज ग्रामीण महिलायें घर की उन बन्दिशों का बांध तोड़कर बाहर निकलती दिख रही है और समाज की बहुआयामी सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक समस्याओं के समाधान में अपनी अहम भूमिका का निर्वाहन करती नजर आ रही है।

सुलतानपुर जनपद में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत है। महिलाओं की साक्षरता 58.88 प्रतिशत है जिसमें नगरीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता 79.03 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता 57.59 प्रतिशत है। शहरी विकासखण्ड दूबेपुर में सर्वाधिक 50.64 प्रतिशत महिला साक्षरता है तथा करौंदीकला विकासखण्ड में 32.98 प्रतिशत महिला साक्षरता की दर सबसे कम है। जनपद में महिलाओं के लिए माध्यमिक स्तर तक के अलग शिक्षण संस्थान उपलब्ध है। जनपद में महिलाओं के उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने वाले अलग महाविद्यालय बहुत कम उपलब्ध है। तकनीकी शिक्षा के लिए जनपद में ANM, GNM पाठ्यक्रम महिलाओं के लिए प्रशिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण संस्थान है। जिनमें सीमित सीट

तथा उच्च शुल्क के कारण सामान्य परिवार के लिए सुलभता कम है। तुलनात्मक रूप से जनपद में इण्टरमीडिएट स्तर पर छात्र–छात्राओं का अनुपात 3:2, स्नातक स्तर पर 3:1 तथा परास्नातक स्तर पर यह अनुपात 10:1 है। इसके पीछे का तथ्य यहाँ महिलाओं का औसतन विवाह की उम्र 20 से 24 वर्ष है। जिससे परिलक्षित होता है कि इण्टरमीडिएट या स्नातक स्तर पर ही महिलाओं को वैवाहिक जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता है।

सुलतानपुर जनपद में महिलाओं में केवल परम्परागत क्षेत्रों में कार्यशीलता है। महिलाओं के लिए अलग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना न होने के कारण महिलायें पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने शैक्षिक स्तर के अनुसार कार्यरत है।

जनपद में महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र आंगनबाड़ी, नर्स एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ती, मातृ एवं बाल कल्याण, शिक्षा प्रसारकर्ती, सिलाई कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षिका, ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केन्द्र, बुटीक सेन्टर, महिला पार्रल, साफ्ट टवायस, मेकिंग एवं प्रशिक्षण, महिला सौन्दर्य प्रसाधन विक्रय केन्द्र बम्बू एवं मूज बास्केट, हैण्ड फैन एवं पाट मेकिंग, आया व मेडवर्क, कृषि एवं मनरेगा, सेल्स वर्कर, शिक्षिका आहार एवं व्यवस्थापन, बेकरी शाप, महिला स्वयं सहायता समूह, डेरी फार्मिंग, फैशन डिजाइनिंग एवं प्रमोटिंग मैनेजमेन्ट सिगिंग एवं डांस ट्रेनिंग संग्रह आदि है।

महिला नेतृत्व : एक अवलोकन[18]

प्रारम्भिक काल से ही महिलाओं को नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था उन्हें सदैव पुरूष वर्चस्व के नियंत्रण में रखा गया। यदा–कदा को छोड़कर अतीत में महिला नेतृत्व के युग का विवरण कम ही मिलता है महिलायें पुरूष प्रधान समाज की पीड़ित अंग के रूप में पड़ी रही, उन्हें केवल वैवाहिक एवं प्रजनन की वस्तु समझकर व्यवहार किया गया। इनकी कोई पहचान घर–गृहस्थी की जिम्मेदारियों से इतर नहीं थी।

18 शर्मा, प्रेम नारायण, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, पृ0सं0 33–39

किन्तु आजादी के आन्दोलन से उत्तरोत्तर आगे महिलाओं के नेतृत्व में भूमिका देखने को मिलने लगी इनकी पहचान घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के चौखट को लांघकर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नेतृत्व की ओर अग्रसर है।

मध्यकाल में महिलाओं को केवल भोग की वस्तु के रूप में देखा गया, मुगलकाल में महिलायें वैवाहिक संबंध बनाकर साम्राज्य विस्तार का माध्यम बनी रही, कभी–कभार महिलें परदें के पीछे रहकर कुछ नेतृत्व की भूमिका में दिखायी दी। महिलाओं को सती–प्रथा, बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा जैसी रूढ़िवादी व्यवस्थाएँ जकड़े रही इनसे निकलकर नेतृत्व में अपनी भूमिका का अवसर इन्हें नहीं मिल पाया।

ब्रिटिशकाल आते ही महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व में भूमिका की झलक दिखने लगी इसका कारण ब्रिटेन में महारानी बिक्टोरिया का शासन स्वयं महिला प्रधान नेतृत्व का आइना था। इस काल में कुछ महिला नेत्रियों ने अपनी प्रभावशाली पहचान को स्थापित किया। जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदा देवी, नूर इनायत खाँ, कल्याणी सेन, तारा रानी, मैडम भिकाजी कांमा, कनक लता बरूआ, रानी चेन्नमा, मूलवती, अरूणा आसफ अली, लक्ष्मी सहगल, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी आदि प्रमुख थी। इसी काल में महिलाओं की नेतृत्व में भूमिका दिखायी देने लगी, जो आगे के लिए संगठित नेतृत्व का मार्गदर्शक बनी।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं को नेतृत्व में कुछ स्थान दिया जाने लगा इसकी भूमिका संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता तथा कार्य की गरिमा आदि वाक्यांशों का समावेश करके निश्चित कर दी गयी संविधान में अनुच्छेद 14,15 नारी हितों के संरक्षण व सम्बर्द्धन के स्रोत बनाये गये इतना ही नहीं देश की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रमुखता से अपनाकर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में आगे लाने की सार्वजनिक चर्चाओं को बल दिया

गया। संयोगवश घटनाक्रम के विकास में देश का नेतृत्व एक महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला। जो देश में एक प्रभावशाली महिला नेतृत्व के युग के रूप में स्थापित हुआ। इस कालखण्ड में महिला विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। 1976 में समाज कल्याण मंत्रालय में महिलाओं के लिए अलग से महिला कल्याण एवं विकास व्यूरो की स्थापना की गयी। इसी काल में स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार क्षेत्र में महिलाओं के विकास में आवश्यक मानकर योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। इसी काल में महिलाओं के स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरूआत हुई। इन्हीं स्वरोजगार कार्यक्रमों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। जिससे उनमें राजनैतिक जागरूकता जन्म लेने लगी। जिसका असर संविधान के 73वें व 74वें संशोधन में देखने को मिला। जिसके द्वारा महिलाओं को पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव में सभी श्रेणियों में सभी स्तरों पर एक तिहाई आरक्षण के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट किया गया। महिलायें पंचायत व नगर निकायों के चुनाव में एक तिहाई आरक्षण के कारण नेतृत्व में औपचारिक स्थान ग्रहण करने लगी। कमोवेश इस आरक्षण के कारण नेतृत्व में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से भी अधिक होने लगी। नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी से उन्हें राजनैतिक सशक्तिकरण के साथ स्त्री को समाज की मुख्यधारा में स्थान मिला।[19]

सुलतानपुर जनपद में वर्तमान स्थानीय नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है एक मात्र नगरपालिका परिषद सुलतानपुर के अध्यक्ष श्रीमती बबिता जायसवाल है तथा सुलतानपुर जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह है जो सामान्य सीट के बावजूद निर्वाचित हुई है तथा स्थानीय नेतृत्व इतर एक मात्र लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद श्रीमती मेनका गांधी है। जनपद में महिलाओं का नेतृत्व उनके आरक्षण के अनुपात से

19 गुप्ता, नीलम, ग्रामीण विकास एचं बाल विकास कार्यक्रम, बुण्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, पृ0सं0 90–98

अधिक होता जा रहा है। क्षेत्र पंचायतवार जनपद में क्षेत्र पंचायत प्रमुख की सूची इस प्रकार है–

तालिका 2.2

क्रं0	विकासखण्ड	आरक्षण	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	शिक्षा	प्रत्याशी का आरक्षण	लिंग
1.	दोस्तपुर	महिला	श्वेता सिंह	परास्नातक	महिला	महिला
2.	करौंदीकला	अ0पि0वर्ग	शिवनारायन	प्राइमरी	अ0पि0वर्ग	पुरूष
3.	लम्भुआ	अ0पि0वर्ग	मीना	प्राइमरी	अ0पि0वर्ग	महिला
4.	भदैंया	अनारक्षित	सरोजनी देवी	प्राइमरी	महिला	महिला
5.	अखण्डनगर	महिला	ऊर्मिला	प्राइमरी	अनारक्षित	महिला
6.	मोतिगरपुर	अनारक्षित	श्रवण कुमार यादव	स्नातक	अ0पि0वर्ग	पुरूष
7.	जयसिंहपुर	अनारक्षित	मंजू देवी	प्राइमरी	अनारक्षित	महिला
8.	धनपतगंज	अनुसूचित जाति महिला	जानकी देवी	प्राइमरी	अनुसूचित जाति	महिला
9	कादीपुर	अनारक्षित	श्रवण कुमार	स्नातक	अनारक्षित	पुरूष
10	दूबेपुर	अनुसूचित जाति	कन्हई	जू0हाई स्कूल	अनुसूचित जाति	पुरूष
11	बल्दीराय	अ0पि0वर्ग	रज्जब	प्राइमरी	अनारक्षित	पुरूष
12	कूरेभार	अनुसूचित जाति	छोटेलाल	प्राइमरी	अनुसूचित जाति	पुरूष
13	कुड़वार	अनारक्षित	फिरोज अहमद	प्राइमरी	अनारक्षित	पुरूष
14	प्रतापपुर कमैंचा	महिला	निर्मला	निरक्षर	अनारक्षित	महिला

स्त्रोत : sultanpur.nic.in

उपरोक्त तालिका से यह प्रदर्शित होता है कि महिला नेतृत्व एक तिहाई आरक्षण के बावजूद 50 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों पर नेतृत्व कर रहा है।

सुलतानपुर जनपद की ग्राम पंचायत में आरक्षण व महिला नेतृत्व की स्थिति विकासखण्डवार निम्नवत है–

तालिका 2.3

क्रं0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत की संख्या	महिलाओं के आरक्षित पद	निर्वाचित महिला प्रधान
1.	अखण्डनगर	74	25	32
2.	बल्दीराय	65	22	31
3.	भदैंया	71	24	37
4.	धनपतगंज	66	22	33
5.	दोस्तपुर	59	20	22
6.	दूबेपुर	94	32	41
7.	जयसिंहपुर	89	30	38
8.	कादीपुर	63	21	27
9.	कुड़वार	75	25	36
10.	कूरेभार	89	30	37
11	लम्भुआ	87	29	42
12	प्रतापपुर कमैंचा	65	22	25
13	मोतिगरपुर	46	16	20
14	करौंदीकला	43	15	17
	योग	**986**	**333**	**438**

स्रोत : सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका एवं sultanpur.nic.in

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनपद की 986 ग्राम पंचायत में एक तिहाई महिला आरक्षण के अनुपात में 438 (44.44 प्रतिशत) महिला ग्राम प्रधान नेतृत्व कर रही है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993[20]:–

उत्तर प्रदेश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का विचार 64वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1992 में पी0वी0 नरसिंहाराव सरकार के द्वारा पंचायतों को मूर्त रूप प्रदान किया गया। नरसिंहा राव ने राजीव गांधी द्वारा तैयार किये गये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विधेयक को संशोधित करके उसे संसद में प्रस्तुत किया। जिसे संसद द्वारा सन् 1992 में पारित तो कर दिया गया। लेकिन यह 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से विधिवत पूरे देशभर में लागू कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग– भाग–9 जोड़ दिया गया। जिसका शीर्षक उत्तर प्रदेश में 'पंचायत' रखा गया। इसके द्वारा संविधान का अनुच्छेद 243 भी पुनर्निरूपित कर दिया गया। जिसमें पंचायतों से संबंधित यह प्रावधान किया गया कि उन्हें 15 उपअनुच्छेदों में बांटा जाय। नये पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाएँ 73वें संविधान संशोधन द्वारा वह इस प्रकार से लागू की गयी है–

1– सभी राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर, एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए जिसके ऊपरी स्तर पर जिला पंचायत और निचलेस्तर पर ग्राम पंचायत होगी तथा स्तरों के बीच एक मध्यवर्ती पंचायत स्तर होगी। 20

---

20 जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013, पृ0 सं0 : 98–124

लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती पंचायत नहीं होगी। (अनुच्छेद 243बी–1)

2– अनुसूचित ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जिसमें वह सभी लोग शामिल होने चाहिए जो कि उनके नाम उस ग्राम की मतदाता सूची में शामिल हो। ग्रामसभा राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कार्यों को सम्पन्न करेगी। (अनुच्छेद–243ए)

3– राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों का गठन किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से किया जायेगा। पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जायेगा। (अनुच्छेद 243सी–1)

4– राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रमुखों का मध्यवर्ती पंचायतों में तथा मध्यवर्ती पंचायतों के न होने पर जिला स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। इसी प्रकार मध्यवर्ती पंचायतों के प्रमुखों का जिला स्तरीय में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। (अनुच्छेद 243 सी–3)।

5– ग्राम स्तरीय पंचायतों के प्रधान को राज्य के कानून के अनुसार चुना जाता है। मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष (प्रमुख) इन पंचायतों के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाएँगे। (अनुच्छेद 243 सी–5)

6– प्रत्येक पंचायतों द्वारा अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित होनी चाहिए। यह सीटे पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जायेगी। यह सीटे एक

पंचायत में चक्रानुक्रम से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित की जायेगी। (अनुच्छेद 243 सी–1)

7– अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम एक तिहाई (1/3) स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। (अनुच्छेद 243 डी–2)

8– प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से न्यूनतम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। (जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित है।) अनुच्छेद 243 डी–3)

9– इसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत की अवधि पांच वर्ष की होगी। इसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व ही नये चुनाव कराए जायेंगे। यदि पंचायत को पांच वर्ष से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व चुनाव कराये जायेंगे। (अनुच्छेद–243ई)

10– राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेंगे जो कि उन्हें स्वशासन की संख्या के रूप में कार्यरत बना सके तथा जिनसे पंचायतें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार कर सके एवं संविधान की 11 अनुसूची में समाहित विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। (अनुच्छेद 245 जी)

11– पंचायतें ऐसे कर, शुल्क पथकर व फीसें लगाने व संग्रहित करने का अधिकार रखेगी जिन्हें लगाने का अधिकार राज्य विधान मण्डल उन्हें प्रदान करें। सम्बन्धित राज्य सरकारें राज्य की

आकस्मिक निधि से पंचायतों को पर्याप्त सहायता व अनुदान देने की व्यवस्था करेगी। (अनुच्छेद 243 एच)

12– राज्यों के राज्यपाल इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर तथा इसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और समुचित सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। राज्यपाल इन सिफारिशों को इस व्याख्या के साथ लागू करने के लिए राज्य विधान मण्डल में रखवाएगा। (अनुच्छेद 243 आई)

13– पंचायतों को राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित ढंग से अपने आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना होगा जिसकी सम्परीक्षा सरकार द्वारा करवाई जा सकेगी। (अनुच्छेद 243 जे)

14– पंचायतों के मतदाताओं की नामावलियाँ बनाने तथा पंचायत चुनाव संचालित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन आयोग स्थापित किया जायेगा। जिसकी अध्यक्षता एक राज्य निर्वाचन आयुक्त करेगा (अनुच्छेद 243 के)

15– इस अधिनियम द्वारा पंचायतों का क्षेत्राधिकार बताने वाली 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गयी है, जिसमें 29 विषय सम्मिलित किए गये हैं। (अनुच्छेद 243जी)

16– इस अधिनियम द्वारा संविधान की धारा–280 को भी इस रूप में संशोधित किया गया कि राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों हेतु राज्य की संचित निधि में व्यवस्था की जा सके।

ग्राम पंचायत का गठन[21]:–

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में पारित किया गया था जो कि पंचायत राज अधिनियम के बारे में यह बताता है कि देश के हर एक गांव में ग्राम पंचायत और ग्रामसभा का गठन किया जाना आवश्यक है और इस अधिनियम में कई प्रावधान बताये गये है और इसमें अधिनियम की धारा–12 के अनुसार हर गाँवों में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, जो कि ग्रामसभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा, जिसका मतलब यह है की जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है, वही व्यक्ति ग्रामसभा का सदस्य होता है, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाता है कि ग्रामसभा का हर एक सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। गाँवों के ग्रामसभा की कार्यकारिणी समिति को ही ग्राम पंचायत कहते है।

पंचायती राज के नियमावली के नियम 3 में इस बात को बताया गया है कि ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए जिन्हें इस प्रकार से बताया गया है–

जनसंख्या

सदस्यों की संख्या–

1– जनसंख्या 1000 तक सदस्य––नौ सदस्य

2– जनसंख्या 1000 से अधिक लेकिन 2000 तक––ग्यारह सदस्य

3– जनसंख्या 2000 से अधिक लेकिन 3000 तक––तेरह सदस्य

4– जनसंख्या 3000 से अधिक––पन्द्रह सदस्य

---

21 जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013, पृ0 सं0 : 129–140

हर ग्राम पंचायत में एक प्रधान जरूर होना चाहिए जो कि गांव के प्रति कुछ कर्त्तव्य और कार्य के प्रति जागरूक होता है। जो भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान होता है वही ग्राम पंचायत के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा एक–एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति करता है जो भी ग्राम पंचायत सिक्रेटरी का चयन करता है वही सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का अधिकारी कहलाता है।

ग्राम पंचायत के कार्यों का संचालन[22]:–

ग्राम पंचायत के कार्यों का संचालन इस प्रकार से किया जाता है जो निम्न है–

1– सड़कों का निर्माण एवं सुधार करने का कार्य। ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

2– ग्राम पंचायत का कार्य होता है कि संक्रमण रोगों के विरूद्ध सहायता करके ग्रामीण लोगों को औषधि प्रदान करायी जाय।

3– ग्राम पंचायतों द्वारा लोगों के लिए जन–भवन निर्माण की व्यवस्था एवं देखभाल जैसे–पंचायत घरों की सुविधा प्रदान की जाए।

4– ग्रामीण लोगों की जन्म–मृत्यु का व्यौरा रखने का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

5– ग्राम पंचायतों का उत्तरदायित्व होता है कि सार्वजनिक स्थान पर लोगों के अधिकार करने से रोका जाय।

6– ग्राम पंचायतों का कार्य होता है कि ग्रामों में यदि किसी बदबूदार पदार्थ है तो उसे बाहर डलवाया जाय।

7– ग्राम पंचायतों के कार्य में एक यह भी है कि प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा खोलवाने का प्रबंध करवाना।

---

22 तथैव

8– चारागाह का प्रबंध करवाना।

9– जच्चा बच्चा केन्द्रों की स्थापना करवाने का कार्य करना।

10– पशु मेलों एवं जन मेलों का समय–समय पर आयोजन करवाते रहना।

11– ग्रामीण जनता यदि प्राकृतिक प्रकोप के समय परेशान है तो उसे सहायता दिलवाने का कार्य करना जैसे–बाढ़ आना, सूखा के समय आदि।

12– पंचायती राज व्यवस्था का कार्य होता है कि अवारा जानवरों को पकड़वाना और उनके बाहर भेजवाने का प्रबंध करना।

13– पंचायतों का कार्य होता है कि क्लब, पुस्तकालय, वाचनालय एवं सामाजिक मिलन केन्द्रों की स्थापना करवाना।

14– कम्पोस्ट (Compost) बनाने हेतु स्थानों की व्यवस्था करना।

15– नलकूप एवं तालाब निर्माण करना व उनकी समय–समय पर सफाई एवं देखभाल करवाते रहना।

16– ग्रामीण लोगों को देश की शासन व्यवस्था से परिचित करवाने का कार्य पंचायतों द्वारा किया जाता है।

17– ग्रामीण लोगों के मन में आदर्श नागरिकता की भावना को प्रोत्साहन देना।

18– उत्तम खेती के लिए कृषि यंत्रों की व्यवस्था करवाना।

19– ग्रामीण जनता के लिए रोशनी की व्यवस्था करना।

20– खेती की उन्नति के लिए कार्य करना जैसे उत्तम बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था करना।

अध्ययन का उद्देश्य एवं परिकल्पनाएँः–

प्रस्तावित शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व में आने वाली एवं उसके लिए निखरते महिला नेतृत्व के प्रासंगिकता का मूल्यांकन इस दृष्टि से करना है कि सशक्त महिला पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण विकास में किस सीमा तक सहायता प्रदान करती है तथा ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के साक्षरता, रोजगारपरकता, महिला सशक्तिकरण, क्षेत्रीय असमानता, जातिप्रथा, छुआ–छूत आदि के दबाव को किस सीमा तक कम कर सकती है? चयनित जिले के अनुभवगम्य अध्ययन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के योगदान का वृहद अध्ययन करने के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के योजनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए महिला नेतृत्व में रणनीति का निर्धारण करना भी इस अध्ययन का उद्देश्य है–

1 चयनित क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों के प्राथमिकताओं के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।

2 चयनित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान स्थिति एवं सामाजिक सुधार पर केन्द्रित महिलाओं की वर्तमान सहभागिता और भावी संभावनाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना।

3 चयनित क्षेत्र में महिला नेतृत्व के विभिन्न पूर्ववर्ती एवं परवर्ती घटकों की श्रृंखला का अनुभवगम्य मूल्यांकन करना।

4 चयनित क्षेत्र के सन्दर्भ में महिला नेतृत्व द्वारा आय एवं रोजगार सृजन में पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान एवं भावी संभावनाओं का मूल्यांकन करना तथा ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व को अधिक अर्थपूर्ण बनाने हेतु सुझाव देना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँः–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पंचायती राज व्यवस्था में हुए विभिन्न परिवर्तन एवं इन संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व से संबंधित विभिन्न सुधारों पर आधारित प्रस्तावित अध्ययन की निम्नांकित मुख्य परिकल्पनाएँ है–

1 पंचायती राज संस्थाओं के सफल संचालन हेतु महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता सार्थक है तथा इसका क्रियान्वयन सही तरीके से किया जा रहा है।

2 महिलाओं के शिक्षित एवं सशक्त होने से पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूती प्राप्त होगी।

3 महिलाओं के सक्रिय एवं सशक्त होने से महिला सशक्तिकरण एवं असमानताओं में कमी आयी है।

4 ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का और अधिक कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है।

5 महिलाओं के सशक्त होने से महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक स्वीकार्यता का विकास हुआ है।

6 महिलाओं को सक्रिय होना ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने में सफल रहा है तथा इससे ग्रामीण विकास अधिक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर हुआ है तथा ग्रामीण समाज को महिला नेतृत्व की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने में सफलता मिली है।

7 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व की सम्भावनाओं के प्रति युवा नेत्रियों में जागरूकता हैं जो महिलाओं के सामाजिक प्रतिभाग को बढ़ाने में सहायक होगा।

8 पंचायती राज संस्थायें ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त प्रतिभागिता का एक मात्र राजनैतिक माध्यम है।

अध्ययन की पद्धतिः–

प्रस्तुत शोध अध्ययन सुलतानपुर जनपद के पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व के अध्ययन पर आधारित है जिसमें चयनित जनपद के सभी तहसीलों से विभिन्न विकास खण्डों के उस ग्राम सभा का चयन किया गया है जिनका नेतृत्व वर्तमान समय में महिलाओं के हाथों में है। प्रस्तुत अध्ययन में जहॉ एक ओर इस तथ्य का अध्ययन किया गया है कि महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीण विकास क्या अपने सही दि"ाा में है? इसके लिए महिला पंच प्रमुखों के कार्यकाल एवं उन्हीं ग्राम सभा में पूर्व के पुरूष पंच प्रमुख के कार्यकाल का तुलनात्मक वि"लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

पंचायती राज में महिलाओं के योगदान के अनुभवगम्य अध्ययन को ही भावी प्रस्तावित रणनीति का आधार बनाया गया है। महिला नेतृत्व आधारित ग्राम पंचायतों में महिलाओं की स्थिति, महिला नेतृत्व की क्षमता, ग्राम विकास की स्थिति, गॉव विकास के कार्यक्रमों के संचालन कि स्थिति, ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व के पूर्ववर्ती एवं परावर्ती स्थिति का अध्ययन इत्यादि किया गया है। जिसके लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण प्र"नावली के आधार पर किया गया है तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एवं साक्षात्कार करके ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं का विष्लेषण किया गया है।।

प्रतिदर्श चयन :

प्रस्तुत अध्ययन के त्री–स्तरीय/बहु–स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्ष पद्धति (Three-tier Random Sampling) को आधार बनाया गया हैं और इसी पद्धति के आधार पर चयनित प्रतिदर्ष को प्राथमिक सर्वेक्षण हेतु प्रयोग किया गया है।

चार्ट – 2.1

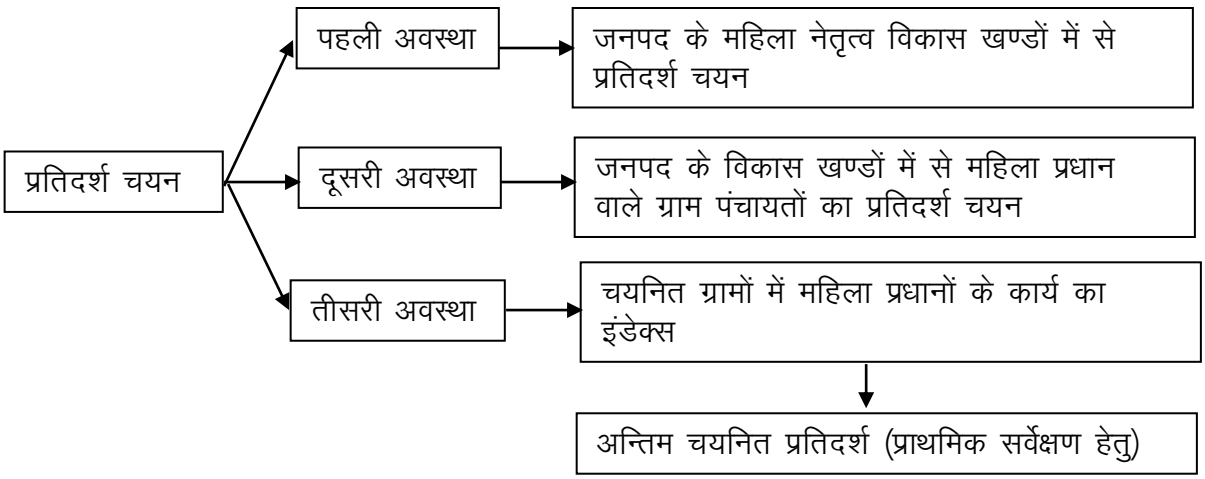

महिला नेतृत्व वाले विकास खण्डों का प्रतिदर्शचयन : (प्रतिदर्श की पहली अवस्था)

चयनित जनपद में कुल 14 विकास खण्ड में से उन्हीं विकास खण्डों का चयन किया गया है जिनका नेतृत्व महिला नेत्रियों के हाथों में है। चयनित जनपद के कुल 14 विकासखण्डों में से 7 विकास खण्डों (50 प्रति"ात, जिसका नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है।) को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए सभी को प्रथम स्तरीय प्रतिदर्श चयन में प्राथमिक सर्वेक्षण हेतु सम्मिलित किया गया है।

प्रतिदर्श चयन : पहली अवस्था

प्रतिदर्श चयन की पहली अवस्था में 07 विकास खण्ड चयनित किये गये जिनमें सभी प्रतिनिधित्व महिला हाथों में था। प्रतिदर्श के लिए चयनित विकास खण्ड का विवरण तालिका संख्या 2.4 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.4

क्र.सं.	विकास खण्ड
1	दोस्तपुर
2	लम्भुआ
3	भदैयां
4	अखण्डनगर
5	जयसिंहपुर
6	धनपतगंज
7	प्रतापपुर कमौचा

स्रोत : सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका एवं sultanpur.nic.in

महिला नेतृत्व ग्राम पंचायतों का प्रतिदर्श चयन (प्रतिद"ार्ा चयन की दूसरी अवस्था) :

प्रतिदर्श के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों में प्रतिद"ार्ा को दूसरी अवस्था में महिला नेतृत्व वालें ग्रामों का चयन किया गया हैं जिसका विवरण तालिका 2.5 में प्रदर्शित है।

विकासखण्डवार चयनित ग्राम :

तालिका 2.5		
क्र.स.	विकास खण्ड	चयति महिला नेतृत्व ग्राम
1	दोस्तपुर	मुस्तफाबाद सरैया, पलियागोलपुर, रोहनीखोजगीपरु, व्यासपुर
2	लम्भुआ	मदनपुर पनियार, सेमरी राजापुर, सरैया, जमखुरी
3	भदैयां	भदैया, पन्नाटिकरी, भपटा, कुछमुछ
4	अखण्डनगर	मुरादाबाद, उनुरखा, रूपईपुर, पतारखास
5	जयसिंहपुर	सिसौड़ा, रण्डौली, महमूदपुर सेमरी, धनरूडीह
6	धनपतगंज	धोबीभार, लोंहगी, पिपरी साईनाथपुर, सेमरौना
7	प्रतापपुर कमौचा	तमरसेपुर, सफीपुर, मल्हीपुर, गौरा
स्रोत : सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका एवं sultanpur.nic.in		

चयनित ग्रामों के महिला प्रधानों के कार्य का इंडेक्स : (प्रतिदर्श की तीसरी अवस्था)

चयनित ग्रामों में विकास कें कार्यक्रमों के आधार पर महिला प्रधानों के कार्य का उन्हीं ग्रामों में पुरूष प्रधानों के कार्य को 10 अंक पर तुलनात्मक इंडेक्स निर्माण कर तालिका 2.6 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 2.6	
क्र.स.	महिला कल्याण/ग्रामीण विकास के कार्यक्रम (विगत दो दशक में)
1	स्वाधार योजना
2	स्वयं शक्ति योजना
3	राष्ट्रीय पोषाहार योजना
4	जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना
5	कस्तुरबा गांधी वि"ोष बालिका विद्यालय योजना
6	आ"ाा योजना
7	इंदिरा गॉधी इकलौती कन्या छात्रवृत्ति योजना
8	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि"ाक्तता योजना
9	प्रियदर्शिनी योजना
10	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पें"ान योजना
11	उज्जवला योजना
12	ममता योजना
13	महामाया गरीब बालिका आ"ाीर्वाद योजना
14	निर्भया कोष
15	बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं
16	इज्जत घर
17	महिला ई–हाट
18	प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना
19	मुस्लिम विमेन (प्रोटेक"ान आफ राइट आन मैरिज) एक्ट 2019
20	अन्य ग्रामीण विकास की योजनाएँ
स्रोत : सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका एवं sultanpur.nic.in	

समंक स्रोत एवं समंक संगह :

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक समंको (Primary Data) एवं द्वितीयक समंकों (Secondary Data) दोनों का प्रयोग किया गया है।

1) प्राथमिक समंक संग्रह : प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक समंक एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण पद्धति (Survey Method) का प्रयोग किया गया।

प्रतिदर्श महिला नेतृत्व पर आधारित पंचायती राज कार्यक्रमों के मुल्यांकन पर आधारित हैं। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन में आजीविका, नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भता, महिला स्वालम्बन, पारिवारिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व, भविष्य के प्रति निर्णय लेने में सार्मथता इत्यादि विविध पहलुओं की प्रथम दृष्टया जानकारी (First Hand Information) प्राप्त की गई। इन महिला नेत्रीयों से सूचना कार्ययोजना के आधार पर प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की गईं इसके अतिरिक्त चयनित ग्राम में विभिन्न महिलाओं से भी प्र"नावली के आधार पर सूचनाओं का संकलन किया गया है। तत्पश्चात् प्राप्त समंकों को पूर्ववर्ती एवं परावर्ती घटकों (Backward & Forward Linkages) को प्राथमिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत समाहित करके उनकी गणना की गई है।

2) द्वितीयक समंक संग्रह : प्रस्तुत अध्ययन से जुड़े द्वितीयक संमक मुख्य रूप से निम्नांकित स्रोतों/ऐजेन्सियों से प्राप्त किये गये –

- जिला सांख्यिकी एवं अर्थ कार्यालय की जिला सांख्यिकीय पत्रिका ।
- जिला पंचयात कार्यालय
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA)
- विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय के अभिलेख।
- अग्रणी बैंक

➢ प्रतिदर्श गाँवों के लिए अधिकृत बैंक।

प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक आंकडों को अध्ययन का केवल पूर्व–आधार बनाया गया है और इन द्वितीयक संमकों की उपादेयता प्राथमिक संमकों की कसौटी पर परखी गई है।

प्रयुक्त समंक विश्लेषण एवं सांख्यिकीय उपकरण

प्राथमिक सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों को वर्गीकृत करके उनका उद्देश्यपूर्ण सारणीयन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित विविध पहलुओं की पारस्परिक निर्भरता ज्ञात करने के लिए विभिन्न पहलुओं (एक समय पर केवल दो चर) के बीच कार्ल पियर्सन के सह सम्बन्ध गुणांक (Correlation Coefficient of Karl Pearson) की गणना करके सम्बन्धित निष्कर्ष निकाले गये हैं :

अध्ययन में निम्नांकित कार्ल पियर्सन का सह–सम्बन्ध गुणांक सूत्र प्रयोग किया गया है –

$$r = \frac{\Sigma [(X - \bar{X}) (Y - \bar{Y})]}{\sqrt{\Sigma (X - \bar{X})^2} \sqrt{\Sigma (Y - \bar{Y})^2}}$$

जहॉ X तथा Y दो चर है।

$\bar{X}$ चर X का वास्तविक माध्य

$\bar{Y}$ चर Y का वास्तविक माध्य

इस प्रकार सह सम्बन्ध गुणांक (r) को पुनः शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) की मान्यता के साथ सार्थकता परीक्षण (Test of Significance) के अधीन लाया गया है।

शून्य परिकल्पना में यह माना गया है कि ''The Population correlation co-efficient between the specified variable is Zero''

i.e. $P = 0$

इस शून्य परिकल्पना एवं (n - 2) Degree of Freedom के साथ t-test लगाकर सार्थकता परीक्षण किया गया है।

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-(r)^2}$$

इस गणना की गई t- value (Calculated Value) को 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर t-Test के सारणी मूल्य (Tabulated Value) के साथ तुलना करके अन्तिम निष्कर्ष निकाले गये हैं।

द्वितीय अध्याय समाप्त

– : शाध संदर्भ : –

1. सिंह, राजेश्वर, सुलतानपुर इतिहास की झलक, अर्यमा
2. दूबे, अवधेश कुमार, अग्रवाल, अनुपम, क्षेत्रीय नियोजन का ग्रामिण विकास में योगदान, डॉ0 रा0म0लो0अ0वि0वि0, फैजाबाद
3. श्रीवास्तव, डा0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0
4. शर्मा, प्रेम नारायण, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ,
5. गुप्ता, नीलम, ग्रामीण विकास एचं बाल विकास कार्यक्रम, बुण्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी
6. जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013
7. सिंह, महिपाल, पंचायती राज चुनौतिया एवं संभावनाऍ, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली

रिपोर्ट

1. सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका, 2016, 2017, 2018
2. भारत 2016, 2017
3. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2011

ई–लिंक

1 https://www.sultanpur.nic.in

तृतीय अध्याय

पंचायती राज में महिला नेतृत्व की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

पंचायतों में आरक्षण की स्थिति :

सभ्य समाज की स्थापना के साथ ही साथ मानव ने समूह में रहना और सीखना प्रारम्भ कर दिया जिसने उसमें सामाजिक मूल्यों के सीखने की ललक एवं समझ दोनों में वृद्धि की। इन्हीं मूल्यों के साथ मानवीय सभ्यताओं का भी विकास हुआ जो कालान्तर में आवश्यकताओं के कारण परिवर्तित भी होते रहें। सामाजिक नेतृत्व के समेंकित विकास के लिए मानव में पंच–प्रधान की विचारधारा को सृजित किया। पहले यह विचारधारा परमेश्वर के समतूल्य मानी जाती रही किन्तु पुनः इसमें भी बदलाव किये गये। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था इन्हीं पंचायती आदर्शों, चेतनाओं एवं मूल्यों पर आधारित है। इसी व्यवस्था को विविध कालों में अलग–अलग नामों से जाना जाता रहा है। कभी वे गणराज्य कहलाए तो कभी नगर प्र"ाासन व्यवस्था। कभी ये एक दूजे के एक साथ रहने, मिलजुल कर कार्य करने तथा अपनी वर्तमान समस्याओं को अपने आप में सुलझाने के विचार पर केन्द्रित रहें तों कभी सामाजिक उत्थान पर केन्द्रित। इस प्रकार इसमें निरन्तर समयानुसार बदलाव होता रहा। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था का मुख्य आधार यहीं पंचायती राज व्यवस्था है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास :

स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने 10 मई 1948 को यह विचार व्यक्त किया कि –

"संविधान का ढांचा ग्राम पंचायतों तथा अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के अनुसार खड़ी की गयी मंजिलों पर आधरित होना

चाहिए, परंतु यह भी कहा गया कि अब इस चुनाव के अनुसार संपूण संविधान को संशोधित करने का यही अवसर है।''

22 नवम्बर 1948 को ***के. संन्थानम*** द्वारा सूचित किया गया जिसें सविधान सभा में संशोधन प्रस्ताव के तहत डा0 बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्वीकृत होकर अनुच्छेद 40 के रूप में सम्मिलत किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार –

"राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अगसर होगा तथा उनका ऐसी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा जो उनकी स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा।''

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत में एक सशक्त पंचायती राज व्यवस्था का सपना देखा था, जिसमें शासन के कार्य की प्रथम इकाई पंचायते ही थी। गांधी जी की कल्पनाओं में पंचायतों की शासन व्यवस्था ग्रामीण शासन की केन्द्रीय धुरी होने के साथ ही साथ इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर, पूर्णतया स्वायत्त एवं स्वावलंबी बनाने के निमित्त भी थी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान पंचायत की कल्पना को साकार करने का प्रयास निरन्तर चलता रहा है, कभी ग्रामीण विकास के नाम पर, तो कभी सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से पंचायतों को लोकतंत्र का मूल आधार बनाने के नाम पर। इस सम्पूर्ण प्रयास से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना एवं आम जनता के हाथ में सीधे अधिकार देने का प्रयास भारतीय संविधान के माध्यम से ही संभव हो पाया है। संविधान में वर्णित पंचायती राज व्यवस्था ने सभी को सामाजिक समानता, न्याय, आर्थिक विकास एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन को नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। इस संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का शासन द्वारा समय–समय पर निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है।

सर्वविदित है कि आज भारत में पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है उसका श्रेय बलवंत राय मेहता को जाता है, जिनकी अध्यक्षता में गठित ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा'' अध्ययन दल द्वारा के द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व का रहा है, क्योंकि मेहता समिति के प्रतिवेदन के द्वारा पंचायती राज के आधारभूत सिद्धान्त एवं संस्थाओं का कार्यात्मक स्वरूप निश्चित किया गया था, जिसका परित्याग अभी तक नही किया जा सकता है। 73 वें संविधान संशोधन के बाद स्थापित पंचायती राज का स्वरूप सामान्यतः उन्हीं आधारभूत सिद्धान्तों पर आधारित है जिन्हें मेंहता समिति ने दिया था। इन सिद्धान्तों के आधार पर भरत के विविध राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन थोड़े बहुत अंतर के साथ किया गया है। जिसमें चयनित पदाधिकारी एवं नौकरशाह/शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के माध्यम से कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाता है।

1. ग्रामस्तर पर ग्राम सभा व पंचायत सरपंच, उपसरपंच एवं पंचायत सचिव
2. खण्डस्तर पर पंचायत समिति प्रधान/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विकास खंड अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
3. जिलास्तर पर जिला परिषद, जिलाध्यक्ष, उपजिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधिकारी व अन्य कर्मचारी वर्ग।

आरक्षण और महिलाएं :

आरक्षण आदिकालीन शब्द है, जो दो शब्द आ एवं रक्षण से मिलकर बनाता हैं, जिसका अर्थ है किसी अधिकार को आरक्षित करना

या सुरक्षित करने की व्यवस्था करना। वर्तमान समय में आरक्षण की व्यापकता लगभग सभी क्षेत्रों देखी जा सकती है, चाहे किसी यात्रा, नौकरी, सिनेमा हाल की बात हो या किसी अयोजन का ही क्यों न हो। सभी में आरक्षण की व्यापकता अपने पैर फैला रही है।

बलवंत राय मेहता समिति से लेकर 73वां संविधान संशोधन तक विभिन्न समितियों के माध्यम से इन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता के बारे में कई उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है। पंचायती राज योजना से संबंधित मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 1957 में प्रस्तुत किया। इस समिति ने महिलाओं व बच्चो से संबंधित कार्यक्रमों क्रियान्वयन को देखने के लिए जिला परिषद मे दो महिलाओं के समावेश की अनुशंसा की थी। "भारत में महिलाओं की स्थिति'' विषय पर अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने भी 1974 में अनुसंशा की थी कि ऐसे पंचायतें बनाई जाय, जिसमें केवल महिलाएं ही हो। 1978 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुसंशा की गई कि जिन दो महिलाओं को सर्वाधिक मत प्राप्त हो उसे जिला परिषद का सदस्य बनाया जाए। कर्नाटक पंचायत अधिनियम में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वैसा ही हिमाचल प्रदेश के पंचायत अधिनियम में भी व्यवस्था थी। "National Perspective Plan for the Women 1988" ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की। मध्यप्रदेश में 1990 के पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत/जनपद व जिला पंचायत में 10 प्रतिशत का प्रावधान था। महाराष्ट्र पंचायत अधिनियम में 30 प्रतिशत एवं उड़ीसा पंचायत अधिनियम में 1/3 आरक्षण का प्रावधान 73 वें संविधान संशोधन से पूर्व ही था। पंचायती राज संस्थाओं को सकारात्मक संवैधानिक दर्जा

देने के उद्देश्य से 1989 में 64 वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, लेकिन राजनीतिक कारणों से यह संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।

लगभग चार दशक पूर्व स्थापित पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य जब प्रभावकारी नहीं रहे तब पुनः इसमें संशोधन के द्वारा पुनः संबल प्रदान किया गया। पी. बी. नरसिंहा राव सरकार ने राजीव गांधी सरकार द्वारा तैयार पंचायती राज संस्थाओं से संबधित विधेयक को संशोधित कर दिसंबर 1992 में 73 वां संविधान संशोधन के रूप में संसद से पारित करवाया। यह 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी है। जिसका शीर्षक 'पंचायत' है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान करता है बल्कि यह महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उनकी प्रबल सहभागिता बढाने का अवसर भी प्रदान करता है।

भारत की संसद ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रति"ात आरक्षण लागू करने के लिए नीति निर्धारित कर दी है। जिसका कई राज्य के विधानसभाओं नें अंगीकृत भी कर लिया है। इतना ही नहीं कुछ राज्य जैसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विहार, उत्तर प्रदे"ा आदि राज्यों ने आगामी पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को लागू भी कर दिया है। इस व्यवस्था को सुनतें ही पुरूषों के पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई हैं, कि अब महिलाओं को पंचायती राज में 50 से 70 प्रतिशत तक सहभागिता प्राप्त हो जायेगी, जिससे उनके सत्ता व अधिकार क्षेत्र में हस्ताक्षेप व कब्जा

होने की संभावनाएं बढ़ जायेगी, क्योंकि महिलाएं पंचायत में चुनकर भी आई है और आएगी भी। परंतु देखा जा रहा है कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव, भ्रष्टाचार, आदि के आरोपों के माध्यम से पदों से बाहर किया जा रहा है जिसकी बजह से महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनैतिक विकास एवं बदलाव नहीं हो पा रहा है।

आरक्षण से महिलाओं में बदलाव :

73 वां संविधान संशोधन से लेकर 2008 तक के महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने में पाया गया कि महिलाएं पंचायतो में चुनकर आई है। पंचायतों में चुनकर आने के बाद इनकी सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों में कई बदलाव देखा गया है जो इस प्रकार हैः

1. आरक्षण कानून के कारण महिलाओं की विकास प्रक्रिया की हिस्सेदारी में वृद्वि हुई है।
2. शिक्षा के क्षेत्र में रूचि बढ़ रही है ताकि राजनीतिक सहभागिता में सक्रिय बन सके।
3. महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक अधिकारों के क्षेत्रों में सुधार व बदलाव हो रहें है।
4. आरक्षण के कारण अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठाने के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है।
5. पुरूषों के साथ कार्य करने, बात–चीत करने में जो संकोच, डर एवं हिचकिचाहट थी वह कम हुई है।
6. स्वयं के कार्य करने में आत्मनिर्भता का विकास हुआ है।
7. सत्ता के गलियारे में पुरूषों की भांति अच्छी तरह चहलकदमी करना, जिसका एहसास पुरूषों को भी होने लगा है।

8. पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इस आरक्षण के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ।

9. पंचायती राज के तीनों स्तरों के अधिकारियों व पदाधिकारियों से महिलाओं का सम्पर्क होने लगा है।

10. घर की चहरदीवारी से बाहर आकर महिलाओं को अपने अधिकारों व विचारों को रखने की क्षमता में विकास हुआ है।

11. आरक्षण रूपी पाठशाला से महिलाओं को सक्रिय सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है।

यह कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नही वल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्व विदित है कि केन्द्र एवं राज्य स्तर पर महिलाओं को सभी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक संसाद में विचारार्थ रखा गया है, जो आज नही तो कभी न कभी पास होकर पूरे भारत में लागू हो जाएगा। तब संविधान में वर्णित समानता व न्याय की बात पूरी होगी और महिलाएं सभी क्षेत्रों में समान सहभागिता निभा पायेगी। महिलाएँ नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सहभागिता कर सकेगी जिससे एक सशक्त समाज व देश के निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा।

चयनित जनपद के पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की स्थिति :

महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सही ढंग से विश्लेषण करना अति आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति पर वातावरण एवं परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और व्यक्ति के नेतृत्व व्यवहार की व्याख्या इस वातावरण का गहन अध्ययन करके ही की जा सकती है इस लिए ही प्रस्तुत अध्याय में महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का विवरण

दिया जा रहा है। महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुलतानपुर जनपद के ग्राम पंचायतों के वर्ष 2015 में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का तैयार प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार किया गया है तथा इससे उपलब्ध आंकड़ों को यहॉ विभिन्न सारणियों के माध्यम से दर्शाया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढ़ांचे के अन्तर्गत कार्यरत महिला नेतृत्व की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विवेचन से हमें उनके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण ज्ञान तथा उनकी नेतृत्व की क्षमता का पूर्वानुमान प्राप्त होता है। अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहीं महिलाओं के अध्ययन से उनकी सामाजिक स्थिति के अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि वे मतदाताओं द्वारा सौंपें गयें उत्तरदायित्वों को कितनी सहजता एवं सफलता से निभा रही हैं? महिलाओं के शैक्षणिक स्तर के अध्ययन से उनकी अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के प्रति उनकी जागरूकता तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता का बोध होता है। इसी प्रकार प्रस्तुत अध्याय में आयु, वर्ग, शैक्षणिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, परिवारिक स्थिति व्यवसायिक पृष्ठभूमि, परिवारिक निर्णय लेनें में भूमिका, व्यक्तिगत आर्थिक कार्यो के लिए प्रोत्साहन, मकान, जमीन आदि जैसे कारकों को सम्मिलित करके पंचायती राज व्यवस्थाओं की तीनों स्तरों की चयनित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ सुलतानपुर जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला नेतृत्व की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विवेचन की संक्षिप्त व्याख्या की जा रही है।

ववाहिक स्थिति–

सामाजिक स्थिति के निर्धारण तथा नेतृत्व के दृष्टिकोण से व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ग्राम पंचायतों में चली आ रही परम्परागत सोच के कारण वैवाहिक महिलाओं के नेतृत्व को ही स्वीकार किया जाता है। जिसका चयनित जनपद से सम्बन्धित विवरण तालिका संख्या 3. 1 में द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त सारणी जनपद के पंचायती राज में

महिला प्रतिनिधत्व के व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं राज्य के पंचायती राज्य संस्था के आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर निर्मित है।

सारणी 3.1 वैवाहिक स्थिति क आधार पर वगीकरण

क्र0 सं0	वैवाहिक स्थिति	महिला नतत्व	
		आवत्ति	प्रतिशत
1	विवाहित	380	92.01
2	अविवाहित	00	00
3	विधवा / परित्यक्ता	33	7.99
4	अन्य	00	00
कुल		413	100

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

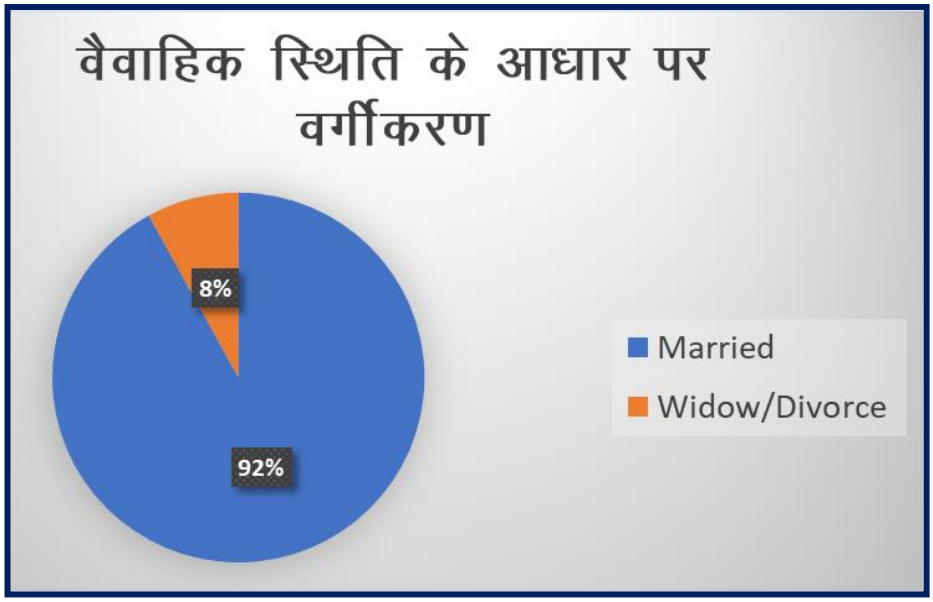

जनपद के पंचायती राज संस्थाओं में कुल महिला नेतृत्व की संख्या 413 हैं। जिसमें से 380 महिलाएँ विवाहित है, जिनका कुल प्रतिभाग 92.01 प्रतिशत है, जबकि विधवा अथवा परित्यक्ताओं की संख्या मात्र 33 है जो कुल समंक का केवल 7.99 प्रति"ात है। उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जनपद में विवाहित महिलाओं का प्रतिभाग अधिक है जो इस तथ्य पर प्रका"ा डालता है कि

विवाहिताओं पर सामाजिक विश्वास इस कारण भी अधिक होता है क्योंकि उन्हें सामाजिक रूप से सक्रिय एवं गंभीर माना जाता है।

परिवार का स्वरूप –

आधुनिक काल में परम्परागत संयुक्त परिवार की व्यवस्था, रचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं में औद्योगीकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में होने वाले बदलावों इत्यादि के फलस्वरूप परिवर्तन हो रहे हैं। जहॉ पहले संयुक्त परिवार को अधिक सबल तथा उपयुक्त माना जाता था। सामाजिक परिवर्तन के कारण एकल परिवार की स्वीकार्यता बढ़ी है। किन्तु अब भी संयुक्त परिवार में सक्रिय सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण तथा सामाजिक स्वीकार्यता का बोध अधिक होने के कारण ऐसे परिवारों को पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वीकार्यता प्राप्त होती है। उक्त आशय से संबंधित जनपदीय समंकों का संकलन प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है। जिससे प्राप्त सूचनाओं को तालिका संख्या 3.2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3.2 परिवार के स्वरूप क आधार पर वगीकरण

क्र0 सं0	परिवार के स्वरूप	महिला नेतृत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	एकल परिवार	124	30.02
2	संयुक्त परिवार	289	69.98
कुल		413	100.00

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

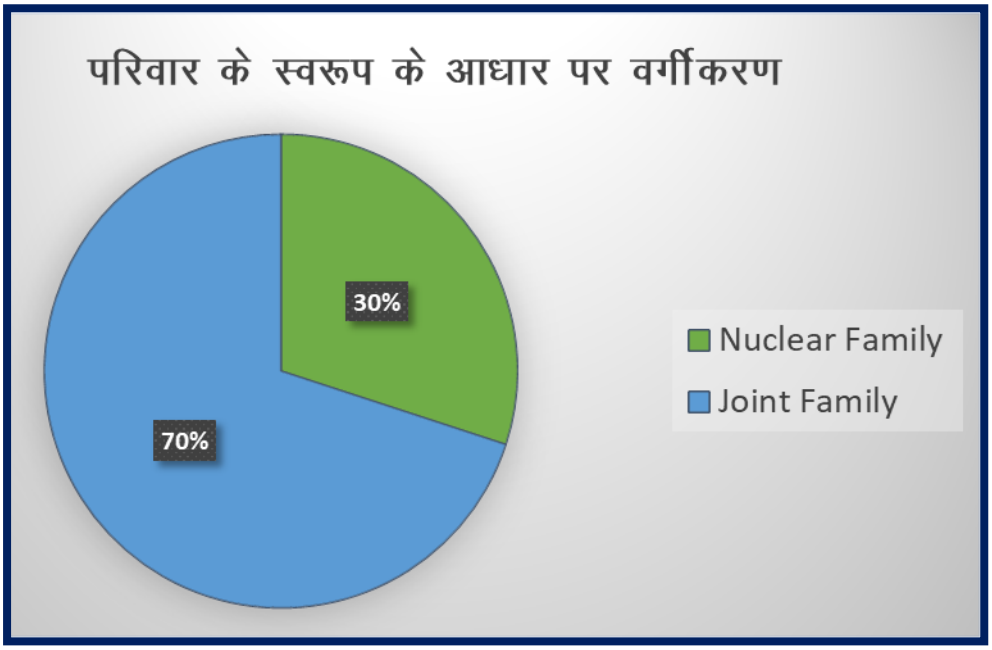

जनपद के पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिलाओं के परिवार के स्वरूप के आधार पर किये गये वर्गीकरण में यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार के प्रति पंचायती राज संस्थाओं में स्वीकार्यता अधिक है। जनपद में कुल 289 ऐसी महिला नेत्रियों को चयनित किया गया है जो संयुक्त परिवार से संबंधित है इनका अनुपात कुल समंक का 69.98 प्रति"ात है, जबकि एकल परिवार से सम्बन्धित 124 महिलाओं को ही चयनित किया गया है, जिनका प्रतिभाग केवल 30.02 प्रति"ात है। सर्वेक्षण में इस तथ्य पर महिला नेतृत्वों का स्वीकृत्ति प्राप्त हुयी कि जो महिलाओं एकल परिवार में निवास करती है उन्हें भी उनके संयुक्त परिवार का सहयोग प्राप्त हुयी है। उक्त सूचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार के प्रति पंचायती राज संस्थाओं की स्वीकार्यता अधिक है।

पारिवारिक निर्णय लेन मं भ्मिका–

नेतृत्त्व के सन्दर्भ में महिला प्रतिनिधियों की घर व परिवार के निर्णयों में हिस्सेदारी तथा उनकी ग्राम पंचायत या उच्च स्तर की पंचायतों में भागीदारी में सीधा संबंध होता है। जिससे सम्बन्धित चयनित जनपद में व्यक्तिगत सर्वेक्षण

से प्राप्त सूचनाओं को सारणी 3.3 में परिवार में निर्णय में भूमिका सम्बन्धी विवरण के आधार पर प्रदर्”ात किया गया है।

सारणी 3.3

परिवारिक निर्णय लेने में भूमिका क आधार पर वगीकरण

क्र0 सं0	परिवारिक निर्णय लेने में भूमिका	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	निर्णय घर के बड़े सदस्य	62	15.01
2	कुछ विषय में राय	112	27.12
3	समान भागीदारी	180	43.58
4	परिवार की मुखिया	59	14.29
कुल		413	100.00

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित संमकों से स्पष्ट है कि परिवार में महिलाओं के पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिभाग के कारण निर्णय देने एवं पारिवारिक तथा सामाजिक विषयों पर निर्णय लेने के भूमिका में परिवर्तन हुआ है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 27.12 प्रति”ात महिलाओं से राय लिया जाता है। जब की 43.58 प्रतिशत महिलाओं कों हर निर्णयों में समान अधिकार प्राप्त है। वहीं 15.01 प्रति”ात परिवारों में उनसें बड़े और मात्र 14.29 प्रति”ात परिवारों में अब भी परिवार के मुखिया द्वारा निर्णय लिया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान लगभग सभी महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया कि उनकें निर्णय देने की आवृत्तियों में सुधार हुआ है।

मकान का निमाण –

आवास या निवास स्थान के माध्यम से व्यक्ति जीवन की उपलब्धियों, धन सम्पदा एवं ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति करके अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण परिचय जगजाहिर करने का प्रयास करता है। जो परिवार कच्चें मकानों में निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्वीकार्यता कम पायी जाती

है। लोग उन्हें गरीब अथवा पिछड़े की दृष्टि से देखते हैं, वहीं पक्के एवं सुविधा सम्पन्न मकानों को सम्पन्नता के दृष्टि से भी देखा जाता है।

सारणी 3.4 सुविधा के साथ मकान निमार्ण क आधार पर वगीकरण

क्र0 सं0	मकान का निमाण	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	कच्चा मकान	36	8.72
2	पक्का मकान	96	23.24
3	सुविधा पूर्ण मकान	222	53.75
4	आलीशान मकान	59	14.29
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रस्तुत सारणी में भी यह स्पष्ट प्रदर्षित होता है। केवल 8.72 प्रतिशत परिवार ही कच्चे मकानों में निवास करता है। जिसका प्रतिभाग भी बहुत कम है जबकि सर्वाधिक 53.75 परिवार सुविधा युक्त मकानों में निवास करता है। यह एक बड़ा प्रतिशत है। कुछ बड़े परिवारों की महिलाओं कों भी पंचायती राज संस्थाओं में चयनित किया गया है। जिसका प्रति 14.29 प्रति"ात है। शेष 23.24 प्रतिशत परिवार भी पक्के मकानों में ही निवास करता है। अर्थात् कुल 91.28 प्रति"ात परिवार पक्के/सुविध युक्त अथव आलीशान मकान में निवास करता है। जिनका प्रतिनिधित्व पंचायती राज संस्थाओं में है। यह इस तथ्य पर स्पष्ट प्रकाश डालता है सुविधायुक्त परिवारों को ही नेतृत्व के लिए उपयुक्त माना जाता है।

सामाजिक कुरीतियां स कायां मं बाधा –

महिला प्रतिनिधियों के कार्यों में अशिक्षा, पर्दा प्रथा, पुरुष वर्चस्वता, पति का हस्तक्षेप, जातीय भेदभाव एवं अन्य कई बाधाएँ अवरोध उत्पन्न करती हैं। अशिक्षित महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है जिसके कारण वे सामाजिक बंधनों से जकड़ी रहती है, और अपनी क्षमताओं का उपयोग नही कर पाती हैं, जिसके कारण उनका विकास अवरूद्ध रहता है। उक्त आशय से ही

प्रस्तुत समंक माला का चयन किया गया है कि महिलाओं द्वारा सामाजिक कुरीतियों को अपने विकास में कहा तक बाधा मानती है।

सारणी 3.5 सामाजिक कुरीतियों से कार्यों में बाधा के आधार पर वर्गीकरण

क्र0 सं0	कार्यों में बाधक सामाजिक कुरीतियाँ	महिला नेतृत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षा	64	15.50
2	पर्दा प्रथा	53	12.83
3	पुरूष वर्चस्वता	89	21.55
4	पति का हस्तक्षेप	71	17.19
5	जातीय भेदभाव	112	27.12
6	अन्य बाधांए	24	5.81
कुल		413	100

स्रोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

उक्त आशय से संकलित समंकों में लगभग सभी महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया कि सामाजिक कुरीतियॉ उनके विकास में बाधक है। सर्वाधिक जातीय भेदभाव (27.12 प्रतिशत) को इन महिलाओं द्वारा बाधक माना जबकि पुरूष वर्चस्वता को भी बहुत अधिक महिलाओं ने (21.55 प्रतिशत) बाधक माना है। उनका मानना है कि आज भी उन्हें अपने परिवार के पुरूष प्रमुखों के दबाव का सामाना करना पड़ता है जिस कारण वे अपने क्षमता का प्रयोग नही कर पाती है। कई ऐसे भी निर्णय है जिसमें उनकी सहमति नहीं होती, फिर भी उन्हें उसके लिए बाध्य होना पड़ता है। जिससे उन पर दबाव का प्रभाव पड़ता है। इस दबाव में पति का हस्तक्षेप (17.19 प्रतिशत) भी सम्मिलित है जो एक बड़ा प्रतिशत है। कुछ महिलाओं ने पर्दा प्रथा (12.83 प्रति"ात), अशिक्षा (15.50 प्रतिशत) को भी बाधक माना है, जबकि कुछ ने आर्थिक समस्या, राजनैतिक पहुॅच, सामाजिक संरचना इत्यादि को बाधक माना है किन्तु इनका प्रतिशत बहुत कम केवल 5.81 प्रतिशत ही है।

राजनीति में प्रवेश स परिवार व समाज में संबंधा पर प्रभाव–

पितृसत्तात्मक परम्परागत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा खराब रही है परन्तु पंचायती राज के संवैधानीकरण के तहत पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। जिससे महिलाएँ भी चुनी जाने लगी हैं। इस प्र"न में यही जानने का प्रयास किया गया है कि राजनीति में प्रवे"ा के कारण परिवार व समाज में उनके सम्बन्ध किस तरह प्रभावित हुए है ? इसके प्रत्युतर में प्राप्त आंकड़ों को ही नीचे सारणी 3.6 में द"ार्ाया गया है।

सारणी 3.6 राजनीति मं प्रवेश से परिवार व समाज में संबंधा पर प्रभाव

क्र0 सं0	राजनीति में प्रवेश से संबंधा पर प्रभाव	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	पहले के जैसा ही है	179	43.34
2	पुरूषों के समान दर्जा	23	5.57
3	राय में हिस्सेदारी	76	18.40
4	सकारात्मक प्रभाव	128	31.00
5	नकारात्मक प्रभाव	07	1.69
कुल		413	100

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

उपरोक्त प्रत्युत्तर में महिलाओं से प्राप्त सूचनाओं में एक बड़ा वर्ग (43.34 प्रति"ात) इस तथ्य से सहमत है कि राजनीति में प्रवे"ा के बाद उनकी परिवारों में स्थिति पहले जैसी ही रही है, किन्तु वही लगभग 31 प्रति"ात महिलाओं का यह भी मानना है कि अब उन्हें परिवार में पहले से अधिक महत्व दिया जाने लगा है। अब उनकी सहभागिता पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यो में बढ़ी है। कुछ महिलाओं (5.57 प्रति"ात) का यह भी मानना है कि राजनीति में प्रवेश करने के बाद अब वे पुरूषों के समान आधिकार को प्राप्त कर सकी है। जबकि 18.40

प्रतिशत आज भी यह मानती है कि केवल उनसे राय लिए जाते है, निर्णय लेने के लिए अब भी पुरूषों को अधिक महत्व दिया जाता है। उक्त आशय से लिये गये साक्षात्कार में एक नया विचार यह भी देखने को मिला जो परिकल्पनाओं से अलग था कि राजनीति में प्रवेश करने से महिलाओं के पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध तनावयुक्त हुए है। इनका प्रतिशत यद्पि केवल 1.69 प्रतिशत है किन्तु फिर भी एक नये तथ्य के रूप में इसका अध्ययन अवश्यक किया जाना अपेक्षित है।

शिक्षा स महिलाआं में आत्मविश्वास –

महिलाओं में आत्मवि"वास बढ़ाने बाबत शिक्षा आज अत्यन्त ही आवश्यक है। शिक्षित महिलाओं एक तरफ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है तो वहीं दूसरी तरफ समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका को भी निभाने में सफल रहती है। प्रस्तुत सारणी 3.7 में इसी से सम्बन्धित सर्वेक्षण के समंकों को प्रदर्शित किया गया है। –

सारणी 3.7 शिक्षा स महिलाआं में आत्मविश्वास के आधार पर

क्र0 सं0	शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	411	99.52
2	नहीं	02	0.48
	कुल	413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

उक्त सारणी से प्राप्त निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है कि पंचायतरी राज संस्थाओं में लगभग 99.52 प्रतिशत महिलाएॅ साक्षर है। केवल 02 महिलाएॅ (0.48 प्रतिशत) ही निरक्षर है। जो इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि पंचायत राज संस्थाओं में जागरूक महिलाओं का ही चयन हुआ है।

निर्णय प्रक्रिया में, चयनित महिलाआं के साथ परिवार क सदस्यों का व्यवहार –

महिलाओं की स्थिति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, परम्परागत रूप से ही पिछड़ी हुई है परन्तु चुनाव जीतने के बाद निर्णय प्रक्रिया में, उनके साथ परिवार के सदस्यों का व्यवहार, बदल जाता है। जिसका प्रभाव महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले प्रवेश पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। इसी आशय से प्रश्नावली का निर्माण कर साक्षात्कार द्वारा सूचनाओं का संकलन किया गया है जिसे तालिका संख्या 3.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.8 निर्णय प्रक्रिया में, परिवार के सदस्यों का व्यवहार–

क्र0 सं0	परिवार के सदस्यों का व्यवहार	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	सहयोग	243	58.84
2	हतोत्साहित	18	4.36
3	वार्तालाप	101	24.46
4	प्रोत्साहित	51	12.34
	कुल	413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रश्नावली के प्रतिउत्तर से प्राप्त सूचनायें सकारात्मक प्रभाव से सम्बन्धित रही है। लगभग 95.64 प्रतिशत महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया कि परिवार के सदस्य निर्णय लेने में उनका सहयोग किसी न किसी रूप से अवश्य करते है। लगभग 58.84 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि परिवार के सदस्य निर्णय लेने में प्रत्यक्ष सहयोग करते है तो वहीं 24.46 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि निर्णय से सम्बन्धित विचार में परिवार के सदस्य उनके वार्तालाप करते है। कुछ महिलाओं ने लगभग 12.34 प्रतिशत नें यह भी स्वीकार किया कि परिवार के सदस्या उन्हें ही निर्णय लेने के लिए कहते है अथवा प्रोत्साहित करते है जिससे उनके आत्मविश्वास में अवश्य वृद्धि होती है और वे पंचायत राज से सम्बन्धित अपने दायित्वों के निर्वहन में सफल हो रही हैं।

परिवार में पंचायत से जुड सदस्य–

महिला प्रतिनिधियों के परिवार से अधिकतर पति, सास–ससुर या कोई महिला ही पंचायतों से जुड़े हुए होते हैं तथा बदल–बदल कर प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। जिस कारण उन्हें एक संरक्षणात्मक वातावरण की प्राप्ति होती है तथा उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य में भी सलाह प्राप्त होतें है। जनपद के वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति के लिए साक्षात्कार से प्राप्त समंकों को सारणी संख्या 3.9 में इसी आशय से प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 3.9 परिवार में पंचायत स जुड़े सदस्य

क्र0 सं0	परिवार में पंचायातों से जुड़े सदस्य	महिला नेतृत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	पति	109	26.39
2	सास/ससुर	213	51.57
3	महिला	21	5.09
4	अन्य	70	16.95
कुल		413	100

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

उपरोक्त सारणी में लगभग 83.05 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग पंचायत राज संस्थाओं से जुड़े है। जिसमें सर्वाधिक सास/ससुर 51.57 प्रतिशत तथा पति 26.39 प्रतिशत है। कुछ महिलाएँ ऐसी भी है जिनके परिवार की अन्य महिला सदस्य पंचायत संस्थानों से जुड़े है। यदपि इनका प्रतिशत केवल 5.09 प्रतिशत है। उक्त सर्वेक्षण में 16.95 प्रतिशत ऐसी मी महिलाएँ है जिनका प्रत्यक्ष कोई परिवारिक अनुभव पंचायत राज संस्थाओं से नहीं है किन्तु उनके मायके पक्ष अथवा दोस्त अथवा रिश्तेदारों के सदस्य इनसे सम्बन्धित है जिनका उनकों लाभ मिलता रहा है। जिससे प्रभावित होकर उनमें पंचायती राज के प्रति लगाव में भी निरन्तर वृद्धि हुई है।

घर स बाहर निकलने की छूट –

महिलाओं को कई प्रकार के सामाजिक बन्धनों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उन्हे कई प्रकार की पाबन्दियों में जकडन का अहसास होता है जिसमें घर से बाहर निकलने के छूट भी सम्मिलित है। घर से बाहर निकलने की छूट से यहॉ आशय सामाजिक बन्धनों के प्रति उदार होती सोच से है। जिसका उद्देश्य महिलाओं को नये अधिकार की प्राप्ति हुई है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करने से है। प्रस्तुत स्थिति से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए महिलाओं से साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को सारणी संख्या 3.10 में प्रदर्षित किया गया है।

सारणी 3.10 घर से बाहर निकलने की छूट

क्र0 सं0	घर से बाहर निकलने की छूट	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	286	69.25
2	नहीं	43	10.41
3	कभी–कभी	84	20.34
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

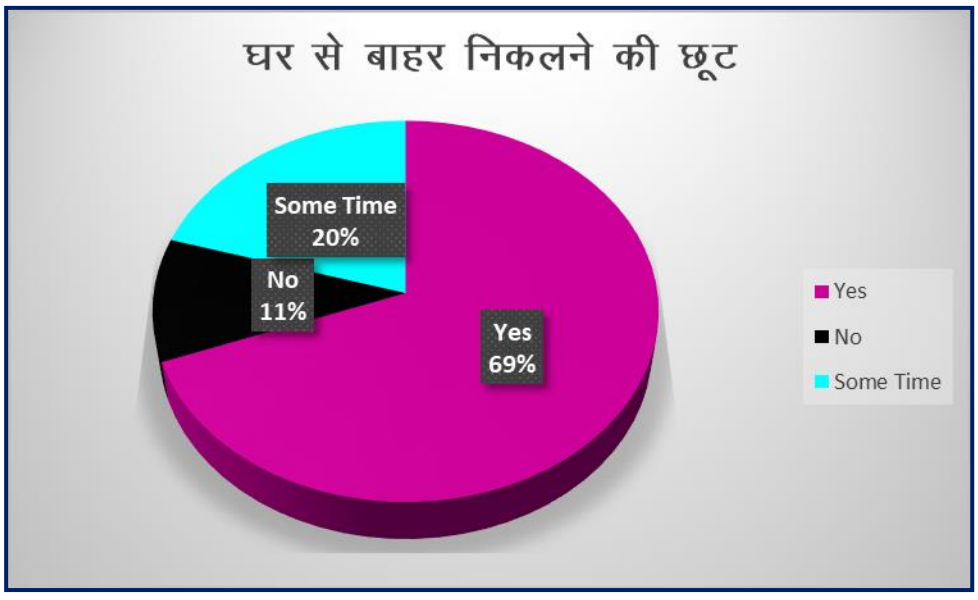

उपरोक्त सारणी से प्राप्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि बहुताय महिलाओं (69.25 प्रतिशत) को पंचायती राज में नेतृत्व के कारण घर से बाहर निकलने के अवसर अब अधिक प्राप्त हुये तो कुछ महिलाओं (20.34 प्रतिशत) को कभी–कभी इसके लिए छूट प्राप्त हुये है। केवल 10.41 प्रतिशत महिलाओं ने ही यह स्वीकार किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं प्राप्त हुई है। इन महिलाओं में मुख्यतः वे महिलायें सम्मिलित है जो या तो नवविवाहिता थी अथवा संयुक्त परिवार की सदस्या थी। इनका मानना था कि परिवार में अब भी उन्हे पूर्व जैसा ही अनुभव (पाबंदियों) का सामना करना पड़ता है।

घर स बाहर निकलने का कारण (कार्य)–

हमारे यहाँ अधिकत्तर महिलाएँ ज्यादातर बाजार, मनोरंजन, अस्पताल, बैंक तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए घर से बाहर निकलती हैं। यह कार्य उनके व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक दायित्वों से सम्बन्धित होते है। इसी से संबंधित सवाल के उत्तर में प्राप्त जानकारी को नीचे सारणी 3.11 में द"ार्या गया है एवं आगे उनका विवेचन किया गया है।

सारणी 3.11 घर से बाहर निकलने की छूट

क्र0 सं0	घर से बाहर निकलने का कारण (काम)	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	बाजार	202	48.91
2	मनोरंजन	23	5.57
3	अस्पताल	86	20.82
4	बैंक	56	13.56
5	अन्य कार्य	46	11.14
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

वर्तमान सारणी के स्पष्ट है कि महिलाओं को बाजार के उद्देश्य से 48.91 प्रतिशत बाहर निकलने के अवसरों की प्राप्ति होती है जो लगभग 1/2 से

अधिक है। जबकि अस्पताल अथवा चिकित्सीय आवश्यकता के लिए 20.82 प्रतिशत अवसर प्राप्त होते है। पंचायत राज संस्थाओ में सहभागिता के कारण तथा अन्य वित्तीय आवश्यकता के कारण बैंक में जाने को 13.58 प्रतिशत महिलाओं ने बाहर निकलने का कारण माना है जबकि मनोंरजन के लिए सर्वाधिक कम 5.57 प्रतिशत महिलाओं ने ही बाहर निकलने के कारण माना है। इसका एक कारण जनपद में उपयुक्त मनोरंजन के सुविधाओं का अभाव भी माना जा सकता है। शेष 11.14 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि किसी आवश्यकता के कारण आवागमन के लिए उन्हे बाहर निकलने के अवसर की प्राप्ति होती है।

चुनाव जीतन क बाद पदा प्रथा मं कमी –

पर्दा प्रथा सामाजिक बन्धनों का एक और कारण है। चुनाव जीतने के बाद इस बन्धनों में होने वाली कमी, महिलाओं के बदलते अधिकारों को प्रदर्शित करती है। इसी आशय से सुलतानपुर जनपद में महिलाओं की स्थिति के आकलन के लिए सारणी 3.12 से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन किया गया है जो निम्नवत् है :

सारणी 3.12 चुनाव जीतने के बाद पर्दा प्रथा में कमी के आधार पर

क्र0 सं0	चुनाव जोतने के बाद पर्दा प्रथा मं कमी	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	256	61.99
2	नहीं	13	3.15
3	कभी–कभी	144	34.87
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

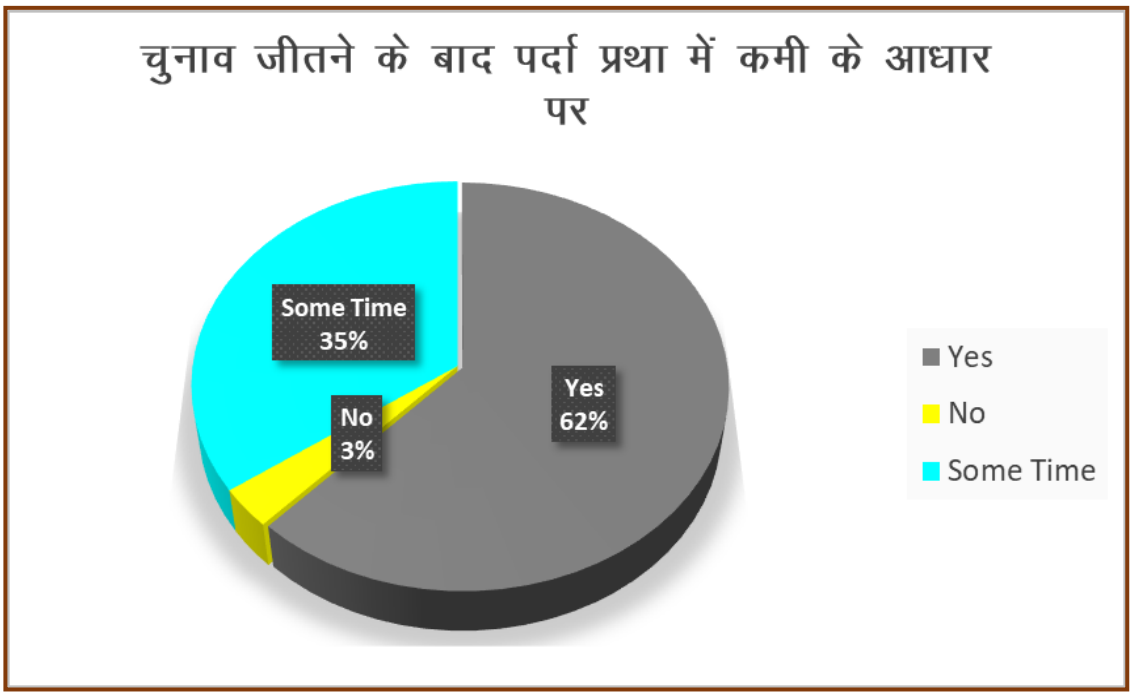

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि लगभग 61.99 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें पर्दा प्रथा की बन्धनों में छूट की प्राप्ति हुई है। जबकि 34.87 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि अब भी उन्हें कभी–कभी पारिवारिक सदस्यों से सामने पर्दा प्रथा का सामना करना पड़ता है। जबकि केवल 3.15 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नही प्राप्त हुई है।

जिला–पंचायतों में सदस्यों को आरक्षित स्थिति –

महिला नेतृत्त्व की राजनीतिक एवं प्र"ाासनिक स्थिति को जानने के लिए चुनाव, आरक्षण सम्बन्धी जानकारी, एवं पंचायती कार्यों के बारे में प्रशिक्षण, पंचायत बैठकों की जानकारी, बैठकों में भागीदारी, निर्णय–प्रक्रिया में योगदान, सरकारी अधिकारियों से मुलाकात, अवरोधक तत्वों, महिला स"ाक्तिकरण के लिए कार्य, पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियमों की जानकारी आदि कई प्रश्नों के आधार पर एकत्रित तथ्यों को सारणियों के रूप में वर्गीकृत करके बिन्दुवार वि"लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में इन सभी बातों को जानने के लिए सुलतानपुर जनपद के पंचायती राज के तीनों स्तरों पर 2015 में हुए चुनावों

में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार किया गया है तथा इससे प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित शीर्षकों के द्वारा विश्लेषित किया गया है।

राजनीति मं प्रवेश का कारण या प्ररक तत्व –

महिला प्रतिनिधियों की राजनीति में उपस्थिति एवं पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों और प्रेरक तत्त्वों को इस प्र"न के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी 3.13 राजनीति में प्रवेश का कारण या प्ररक तत्व

क्र0 सं0	राजनीति में प्रवेश का कारण या प्रेरक तत्व	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं की रूचि	79	19.13
2	पारिवारिक दबाव	21	5.08
3	महिला आरक्षण	171	41.40
4	समाज सेवा में रूचि	134	32.45
5	आर्थिक प्रलोभन	00	00
6	अन्य कारण	8	1.94
कुल		413	100.00

स्रोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रस्तुत प्रश्नावली द्वारा यह ज्ञात होता है कि अधिकतर महिलाओं 41.40 प्रतिशत को राजनीति में प्रवेश महिला आरक्षण के कारण ही प्राप्त होता है। जब कि 32.45 प्रतिशत महिलाएँ जो बड़े परिवारों से सम्बन्धित थी उनका मानना है कि वे राजनीति में समाज की सेवा के उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रवेश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न होने के कारण उनका प्रयास इसे दूर करना है यही उनकी राजनीति में प्रवेश का कारण है। 19.13 महिलाएँ ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके परिवार में राजनीतिक चर्चाओं के कारण उनका आकर्षण राजनीति में रहा है जो राजनीति में प्रवेश का कारण रहा

है। साक्षातकार में 5.08 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी स्वीकार किया कि वे राजनीति में स्वेच्छा से नहीं आना चाहती थी किन्तु पारिवारिक दवाब के कारण उन्हें राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। बहुत कम महिलाओं ने अन्य कारण जैसे किसी के द्वारा सुझाव देकर या आर्थिक आकर्षण इत्यादि के कारण उन्होनें राजनीति में प्रवेश किया है।

पंचायती राज व्यवस्था म पद :

पंचायती राज के तीनों स्तरों पर 2015 में हुए चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से सामान्य पद एवं आरक्षित पद से चुनाव जीतने वाली महिलाओं का विवरण नीचे सारणी के रूप में द"र्ाया जा रहा है।

सारणी 3.14 पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार के पद से निर्वाचित हैं

क्र0 सं0	किस प्रकार के पद से निर्वाचित	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामान्य पद से	189	45.76
2	आरक्षित पद से	224	54.24
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

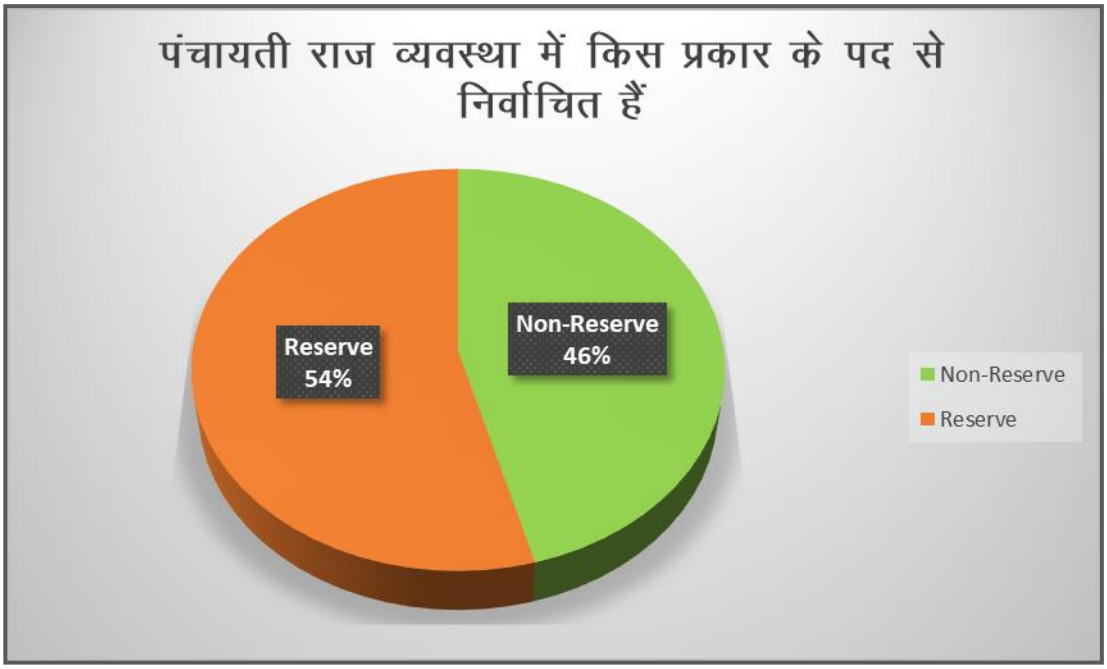

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि 45.76 प्रतिशत महिलाएँ जो सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हैं, पंचायती राज संस्थाओं में चयनित हुई है जबकि 54.24 प्रतिशत महिलाओं का चयन आरक्षित (अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक जाति) पदों के अन्तर्गत हुआ है।

चुनाव लड़न का स्वरूप –

जनपद में पंचायती राज के तीनों स्तरों पर चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ने संबंधी विवरण सारणी 3.15 में प्रदर्शित है। 2015 तक ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा टिकट नहीं दिये जाते रहे है इस कारण उक्त समंक सारणी में केवल ग्राम पंचायत को छोड कर शेष दोनों इकाईयों से सम्बन्धित संमंक ही सम्मिलित है।

सारणी 3.15 चुनाव लड़ने का स्वरूप ––

क्र0 सं0	किस प्रकार से चुनाव लड़ा	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	पार्टी के टिकट पर	00	00
2	पार्टी के सर्मथन पर	37	8.96
3	निर्दलीय	376	91.04
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

उपरोक्त समंक सारणी में पार्टी के स्तर पर किसी ने भी चुनाव नहीं लडॉ है क्योंकि पंचायत राज चुनावों में राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय पार्टियों का सर्मथन तो प्राप्त होता है किन्तु वे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में प्रतिभाग नहीं करती है इसी कारण पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ा है जबकि केवल 37 उम्मीदवार कुल का 8.96 प्रतिशत पार्टी के समर्थन पर चुनाव लड़े एवं विजयी रही है। शेष ने यह माना की वे बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन के चुनाव लड़ी एवं विजयी रहीं है।

पंचायती राज व्यवस्था का पूव अनुभव–

पंचायती राज व्यवस्था के पूर्व अनुभव से संबंधित विवरण को नीचे सारणी में द"ार्ाकर यह बताया गया है कि महिला प्रतिनिधियों को कितने वर्ष का पूर्व अनुभव है।

सारणी 3.16 पंचायती राज व्यवस्था का पूर्व अनुभव (वर्षो में) ––

क्र0 सं0	पंचायती राज का पूर्व अनुभव (वर्षो में)	महिला नतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	शून्य वर्ष	23	5.57
2	1 से 5 वर्ष	146	35.35
3	5 से 10 वर्ष	135	32.69
4	10 से अधिक वर्ष	109	26.39
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रस्तुत सारणी में लगभग 94.43 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उनका राजनीति में पूर्व अनुभव रहा है। केवल 5.57 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। सारणी इस तथ्य को भी स्पष्ट कर रही है कि सर्वाधिक 35.35 प्रतिशत महिलाओं को 5 वर्ष से कम का अनुभव था जो पंचायती राज में चयनित हुई है जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि नयी पीढी का पंचायती राज में प्रवेश अब अधिक हो रहा है। वहीं 26.39 प्रतिशत महिलाओं का 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रहा है। जिससे यह भी स्पष्ट है कि अब भी अनुभवशील महिलाओं पर पंचायती राज संस्थाओं में विश्वास किया जा रहा है।

चुनाव लड़ने की प्रेरणा

राजनीति में प्रवेश के लिए प्रेरणा एवं समर्थन का होना अति–आवश्यक होता है। प्रस्तुत सारणी 3.17 को इसी आशय से संकलित किया गया है कि महिलाओं को चुनाव लड़ने की प्रेरणा का आधार क्या रहा है।

सारणी 3.17 चुनाव लड़ने की प्रेरणा ––

क्र0 सं0	चुनाव लड़ने की प्रेरणा	महिला नेतृत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	पति से	213	51.57
2	परिवार से	109	26.39
3	महिला साथियों से	32	7.75
4	अन्य सें	59	14.29
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रस्तुत सारणी में सर्वाधिक महिलाओं 51.57 प्रतिशत ने यह माना कि उन्हें चुनाव लड़ने की प्रेरणा उनके पति से प्राप्त हुई है। जबकि 26.39 प्रतिशत ने यह माना कि उन्हें प्रेरणा परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से प्राप्त हुई है। केवल 7.75 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि उन्हें प्रेरणा महिला साथियों ने प्राप्त हुई है जो उनके निकट रहीं है। कुछ ऐसी भी महिलाएँ (14.29 प्रतिशत) है जिन्होंने यह स्वीकार किया कि यद्पि पारिवारिक प्रेरणा नहीं होने के बावजूद भी अन्य सम्बन्धियों से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है।

चुनाव लड़ने का विराध

महिलाओं के चुनाव लड़ने का विरोध परिवार, गांव या जाति द्वारा होता है। जनपद में पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिलाओं से इसी आशय को ज्ञात करने के लिए किये गये प्रश्नों के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर सारणी 3.18 को निर्मित किया गया है।

सारणी 3.18 चुनाव लड़ने का विरोध ——			
क्र0 सं0	चुनाव लड़ने का विराध	महिला नेतृत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	परिवार	0	0
2	गॉव	59	14.29
3	जाति	39	9.44
4	कोई नहीं	315	76.27
कुल		413	100.00
सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)			

प्रस्तुत सारणी में महिलाओं से प्राप्त सूचनाओं को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें 14.29 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्हें गॉव के लोगों से जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वन्दी थे से चुनाव लड़ने में विरोध का सामना करना पड़ा। जबकि 9.44 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्हें आरक्षण के कारण उन्हीं की जातियों द्वारा चुनाव लड़ने में विरोध का सामना करना पड़ा। एक बड़ा वर्ग 76.27 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रकार के विरोध का सामना नही करना पड़ा। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं की सहभागिता को लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। ऐसी कोई भी महिला नेत्री नहीं प्राप्त हुई जिन्होनें यह स्वीकार किया कि उन्हें पारिवारिक स्तर पर चुनाव सम्बन्धी विरोध का सामना करना पड़ा। जो परिवार में महिलाओं की स्थिति के प्रति सकरात्मक पहल को स्पष्ट करता है।

चुनाव की जानकारी का स्रात –

चुनाव संबन्धी जानकारी पंचायती राज नेतृत्व में बहुत ही महत्व रखती है। सुलतानपुर जनपद ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्धित है जिस कारण सूंचनाओं के माध्यमों का अभाव भी देखा जाता है। चुनाव सम्बन्धित सूचनाओं के स्रोत सम्बन्धित जानकारी को सारणी संख्या 3.19 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 3.19 चुनाव की जानकारी का स्रोत——			
क्र0 सं0	चुनाव लड़ने का जानकारी	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	परिवार	129	31.23
2	पति	154	37.29
3	अखबार	21	5.09
4	टी0बी0 / नेट माध्यम	39	9.44
5	सरकारी कर्मचारी	6	1.45
6	अन्य	64	15.50
कुल		413	100.00
स्रोत : पश्नावलो के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)			

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 37.29 प्रतिशत महिलाओं को चुनाव सम्बन्धित सूचनाएँ अपने पति से प्राप्त होती है जबकि 31.23 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि उन्हें अधिकतर सूचनाएँ परिवार के सदस्यों से प्राप्त होती है। अर्थात् कुल 68.52 प्रतिशत महिलाओं को चुनाव संबंधित सूचनाएँ घर के सदस्यों से ही प्राप्त होती है। जनपद ग्रामीण बाहुल्यता सम्बन्धित होने के कारण अखबारों की पहुँच गाँवों तक कम है और अधिकतर ग्रामीण घरों में अखबार नहीं आते इस कारण केवल 5.09 प्रतिशत महिलाओं ने ही माना कि उन्हें सुचनाएँ अखबारों से प्राप्त होती है जबकि 9.44 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि उन्हें चुनाव सम्बन्धित सूचनाएँ टी0बी0 / नेट माध्यम से प्राप्त हुई है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों के आवागमन के अभाव के कारण केवल 1.45 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि उन्हें चुनाव सम्बधित सूचनाएँ सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त होती है। 15.50 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी माना कि चुनाव में अभिरूचि के कारण वे कई अन्य स्रोतों से भी चुनाव संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करती रहती है। जैसे बाजार के आवागमन के दौरान, मित्रों एवं सम्बन्धियों से वार्तालाप के दौरान इत्यादि।

चुनाव में वाट किसक साथ जाकर मागे –

चुनाव भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जहॉ पंचायती व्यवस्था में चुनाव गोपनीयता एवं वर्चस्वता का प्रतीक होता है इस कारण महिलाएँ चुनाव में वोट किससे साथ मांगती है। इससे सम्बन्धित प्रश्नों के लिए प्रस्तुत सारणी 3.20 तैयार की गयी है जिसमें महिलाएँ पति, परिवार या किसी महिला के साथ जाकर ही वोट मांगती हैं, से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर सम्मीलित है।

सारणी 3.20 चुनाव मं वोट किसके साथ जाकर मांग–

क्र0 सं0	चुनाव में वोट किसके साथ जाकर मांगे	महिला नेतृत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	पति	46	11.14
2	परिवार	276	66.83
3	महिला	40	9.69
4	अन्य	51	12.34
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

उपरोक्त प्रश्न के प्रतिउत्तर में लगभग 77.97 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि वे वोट मॉगने के लिए पति (11.14 प्रतिशत) तथा परिवार के सदस्य (66.83 प्रतिशत) के साथ जाकर वोट मॉगती है। पति के साथ वोट मॉगने का प्रतिशत इस कारण कम है क्यों कि चुनाव को एक पारिवारिक प्रयास के द्वारा ही जीता जा सकता है ऐसा उनका मानना है। केवल 9.69 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि वे परिवार के महिला सदस्य अथवा गॉव के महिला सदस्य के साथ वोट मॉगने जाती है। 12.34 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी माना कि वे चुनाव में प्रचार के लिए किसी के भी साथ वोट मॉगने जाती है। क्योंकि यह एक सामुहिक स्वीकार्यता का प्रश्न होता है।

चुनाव में वाट डालना –

सभी तरह के चुनावों का मुख्य पहलू होता है वोट डालना। इसके बारे में पूछने पर महिलाओं ने निम्न आव"यक एवं महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। जिसे सारणी 3.21 में संकलित किया गया है।

सारणी 3.21 चुनाव में वोट डालतो हैं–

क्र0 सं0	प्रत्येक चुनाव में वोट डालतो हैं	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	410	99.27
2	नहीं	00	00.00
3	कभी–कभी	3	0.73
कुल		413	100.00

सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर में कि ''क्या वे प्रत्येक चुनाव में वोट डालती है?'' लगभग 99.27 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे सभी चुनावों में वोट डालती है। किन्तु केवल 3 महिला अर्थात् कुल का 0.73 प्रतिशत यह मानती है कि वे कभी–कभी चुनाव में वोट नहीं डालती है।

पंचायत राज व्यवस्था में निर्वाचित महिलाओं की आयु वर्ग, शक्षणिक व व्यावसायिक पृष्ठभूमि के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन

पंचायती राज व्यवस्था में किस आयु वर्ग, शैक्षणिक क्षमता अथवा व्यावसायिक पृष्ठभूमि का नेतृत्व है यह इसके भविष्य एवं क्रियाशीलता को स्पष्ट करता है। उक्त आशय संबिधित सूचनाओं का संकलन निम्नवत् है।

आयु संरचना –

भारतीय सन्दर्भों में अधिक आयु के लोगों को कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक अनुभवी एवं ज्ञानी समझा जाता है। सामाजिक परिवेश में निश्चित सामाजिक स्थिति और भूमिका उम्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। परन्तु सार्वजनिक

वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन की न्यूनत्तम आयु के निर्धारण के कारण धीरे–धीरे स्थितियों में परिवर्तन आने से ग्रामीण स्तर पर भी युवा नेतृत्त्व उभरा है। महिला सदस्यों की आयु को जानने के बाद यह ज्ञात होगा कि जनता ने प्रतिनिधित्व किस आयु वर्ग की महिलाओं को सौंपा है। सारणी 3.22 में जनपद के ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला नेतृत्व की आयु के वर्गीकरण को तीन वर्गो में बांटकर दर्शाया गया है।

1. युवा आयु वर्ग (21 से 35 वर्ष तक)
2. परिपक्व/मध्यम आयु वर्ग (36 से 50 वर्ष तक)
3. बुजुर्ग वर्ग (50 वर्ष से अधिक)

सारणी 3.22 आयु क आधार पर वर्गीकरण

क्र0 सं0	आयु वर्ग	महिला नेतृत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	21–35 वर्ष	136	32.93
2	36–50 वर्ष	152	36.80
3	50 से अधिक	125	30.27
कुल		413	100.00

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

18 वर्ष की उर्म को यद्पि वोट डालने के अधिकार के रूप में माना जाता है किन्तु चुनाव लड़ने की पात्रता 21 वर्ष के कारण प्रस्तुत सारणी में 21 वर्ष से ही श्रेणीकरण किया गया है। जिसमें 32.93 प्रतिशत महिला युवा आयु वर्ग में जिनकी आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष की है, के अन्तर्गत आती है। जो इस तथ्य को इंगित करता है कि पंचायती राज चुनावों में युवा नेतृत्व के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी है। वहीं 36 से 50 वर्ष के उर्म के महिलाओं को परिपक्य आयु के रूप में चिन्हित किया गया है क्योंकि इन्हें योजनाओं की समझ एवं चुनाव सम्बन्धित रणनीति की जानकारी अधिक होती है। इनका प्रतिशत सर्वाधिक 36.80 रहा है जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अब भी परिपक्य उम्र को पंचायती राज

व्यवस्था में अधिक स्वीकार्यता प्राप्त है। जबकि 50 से अधिक उम्र में महिलाओं का भी प्रभाव अवश्य दिखायी पड़ता है। जिनका प्रतिभाग 30.27 प्रतिशत है। उक्त सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में सभी उम्र वर्ग के लोगों की सहभागिता समान रूप से है। यद्पि परिपक्य उम्र को अधिक स्वीकार किया गया है किन्तु यह अन्तर बहुत अधिक नहीं है। युवाओं का प्रतिभाग भी सराहनीय रहा है।

वर्ग स सम्बन्ध–

पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों का चुनाव प्रभुत्व प्राप्त वर्गों या आरक्षित वर्गों के आधार पर ही होता आया है। वर्तमान अध्ययन में भी यही बात सामने आयी है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वे मुख्यतः इन्ही वर्गों से संबंधित हैं। ग्रामीण विचारधारा में पुरूष प्रधान मानसिकता के कारण चुनाव लड़ने में महिलाओं के बदले पुरूषों की अभिरूचि अधिक रहती है। क्या चयनित जनपद में भी ऐसी ही स्थिति है या सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का यहॉ कोई प्रभाव पड़ा है। इसी आशय से सर्वेक्षण के लिए निर्मित की गयी प्रश्नावली में चयनित महिला नेतृत्व के वर्ग के सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन किया गया है। जिसे नीचे दी गई सारणी 3.23 में स्पष्टतः देखा जा सकता है। उपरोक्त सारणी में आरक्षण के स्थिति एवं चयनित महिलओं के वर्ग को आधार बनाया गया है।

सारणी 3.23 वर्ग स्थिति क आधार पर वर्गीकरण			
क्र0 सं0	वर्ग स्थिति	महिला नेतृत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामान्य	163	39.47
2	पिछड़ा वर्ग	153	37.05
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	97	23.48
4	अन्य	00	00.00
कुल		413	100.00

स्रोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रस्तुत सारणी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 39.47 प्रतिशत महिलाओं का चयन सामान्य वर्ग से हुआ है जबकि 37.05 प्रतिशत महिलाएँ पिछडी जाति से सम्बन्धित है। 23.48 प्रतिशत महिलाएँ अनुसूचित जाति से है।

शैक्षणिक स्थिति–

अशिक्षा महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है। खासकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक अयोग्यता, शोषण, सामाजिक अधीनता का मुख्य कारण अशिक्षा ही है। लोकतान्त्रिक राजनीति में नेतृत्व के स्वरूप निर्धारण में ि"ाक्षा की प्रमुख भूमिका है। महिला नेतृत्त्व में सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं एवं मुद्दों को समझने एवं उनको हल करने की क्षमता शिक्षा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों एवं कुरीतियों के अन्तर को समझने में सक्षम होती है तथा उसके निराकरण के लिए उचित नेतृत्व को भी प्रदान करने में सहायक होती है। एक शिक्षित महिला ही शिक्षित समाज की स्थापना कर सकती है। इसी आशय से यह भी कहा जाता है कि 'महिला परिवार की प्रथम पाठशाला होती है। प्रस्तुत सारणी 3.24 में जनपद में पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिलाओं के शैक्षणिक स्थिति सम्बन्धित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3.24 शक्षणिक स्थिति क आधार पर वर्गीकरण			
क्र0 सं0	शैक्षणिक स्थिति	महिला नेतत्व	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	अनपढ़	00	00.00
2	केवल साक्षर	2	0.49
3	प्राइमरी तक	9	2.18
4	आठवीं तक	21	5.09
5	मैट्रिक / 12वीं	119	28.81
6	स्नातक	165	39.95
7	स्नातकोत्तर	53	12.83
8	तकनीकि अथवा अन्य शिक्षा	44	10.65
कुल		413	100.00
सोत : पश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)			

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में पंचायती राज संस्थाओं में सभी साक्षर महिला नेतृत्व है। उक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि 10.65 प्रतिशत महिलाएँ उच्च एवं तकनीकि ज्ञान सम्पन्न है जो पंचायती राज संस्थाओं के भविष्य के लिए प्रमुख है। वहीं 53 महिलाएँ (12.83 प्रतिशत) स्नातकोत्तर उपाधि ग्रहण करने के बाद उक्त कार्य को सम्पादित कर रहीं है जो इस बात का सूचक है कि पंचायती राज संस्थानों में कुशल एवं शिक्षित महिलाओं की भी अभिरूचि में वृद्धि हो रही है। सर्वाधिक 165 महिलाएँ (39.95 प्रतिशत) स्नातक उपाधि धारक है। यह भी इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि पंचायती राज में युवाओं की अभिरूचि बढ़ रही है। प्राप्त सुचनाओं में कुल 119 महिला प्रतिनिधि (28.81 प्रतिशत) जो मैट्रिक अथवा बारहवीं पास है भी जनपद के पंचायती राज संस्थाओं में चयनित हुई है। कम पढी–लिख महिला का कुल प्रतिभाग बहुत कम केवल 7.76 प्रतिशत है। जो इस तथ्य को मजबूती प्रदान करता है कि पंचायती राज में कार्य करने वालों का शिक्षा के प्रति लगाव लगातार बढ रहा है। जो

महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रभावी क्रियान्यवन को इंगित करता है।

उपरोक्त अध्ययन से जनपद में महिलाओं के नेतृत्व के आकलन का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है। जो इस निष्कर्ष की तरफ इंगित कर रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के कारण जनपद में महिलाओं की स्थिति में निरन्तर सुधार देखा जा रहा है।

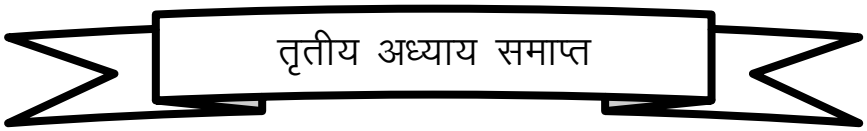

: शोध संदर्भ : –

1. सिंह, राजेश्वर, सुलतानपुर इतिहास की झलक, अर्यमा
2. दूबे, अवधेश कुमार, अग्रवाल, अनुपम, क्षेत्रीय नियोजन का ग्रामिण विकास में योगदान, डॉ0 रा0म0लो0अ0वि0वि0, फैजाबाद
3. श्रीवास्तव, डा0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0
4. शर्मा, प्रेम नारायण, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ,
5. गुप्ता, नीलम, ग्रामीण विकास एचं बाल विकास कार्यक्रम, बुण्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी
6. जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013
7. सिंह, महिपाल, पंचायती राज चुनौतिया एवं संभावनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली

रिपोर्ट

1. सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका, 2016, 2017, 2018
2. भारत 2016, 2017
3. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2011

ई–लिंक

1 https://www.sultanpur.nic.in

चतुर्थ अध्याय

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका

किसी भी देश में उपलब्ध समस्त जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं के रूप में होता है, जिस कारण देश के समग्र अथवा पूर्ण विकास की परिकल्पना महिलाओं की भागीदारी के बगैर सम्भव ही नहीं हो सकती। भारत में अनादि काल से जीवन के हर मोड़ पर महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। भारतीय महिलाएं घर–गृहस्थी के दायित्वों को पूरी तरह से निर्वहन करने के साथ–साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में जैसे खेतों, खलिहानों, कल–कारखानों, दफ्तरों, अस्पतालों में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करती आई हैं। चाहे गांवों में शिक्षा के बढावे के लिए साक्षरता के प्रसार का अभियान हो, या गांव के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सर्वेक्षण का कार्य रहा हों, गांव में पीने के पानी की समस्या अथवा फसलों को बीमारियों से बचाना हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से ही सम्भव होता है। ग्रामीण विकास के कार्यों में भी इनकी सहभागिता आवश्यक होती है। इतना ही नहीं बढती आबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा, बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने और इन सबसे बढकर स्थानीय संसाधनों के अधिकाधिक उत्कृष्ट दोहन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में भी महिलाएं अपना योगदान और नेतृत्व को प्रदान कर रहीं है। महिलाओं के उक्त प्रयासों के कारण ही इन्हें पंचायती राज संस्थाओं की अहम कड़ी के रूप में देखा जाता है।

भारत में महिलाओं की प्रतिभागिता सदैव से ही महत्वपूर्ण रहीं है किन्तु इन्हें उचित पहचान कभी भी प्राप्त नहीं हुई है। यद्पि कुछ उदाहरण अवश्य प्राप्त होते जो इनके सबल नेतृत्व को स्वीकार करते है किन्तु वे केवल नाम मात्र के ही है। वृहद अध्ययन में इनकी स्थिति चुनौतीपूर्ण ही रहीं है। चाहे वह वैदिक काल रहा हो या मुगल काल। ब्रिटिश काल मे ंतो इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के भी उचित अवसर नहीं प्राप्त होते थे। मुगलकाल से चली आ रही कुरीतिया इस काल में अपने चरम अवस्था में थी। इन्हें केवल उपभोग की वस्तु ही माना जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था के प्रादुर्भाव के बाद से इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पंचायती राज का प्रयत्न सही दिशा में महिलाओं में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने तथा उन्हें नया जीवन प्रदान करने में भी सफल रहा है जिस कारण आज उनकी ग्रामीण इकाईयों में एक विशेष स्थिति बन सकी है। इसके लिए महिलाओं को ग्रामीण विकास में सहायक बनाने हेतु अनेक प्रयास किए गए।

भारत में पंचायती राज के लिए यद्पि एक लम्बे समय से योजनाओं का संचालन होता आया है किन्तु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गयी। जिसका प्रमुख उद्देश्य पंचायतों के विकास पर ही केन्द्रित है। केन्द्र सरकार के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और आर्थिक स्थिति में समृद्धि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने का कार्य पंचायती राज मंत्रालय को इसकी स्थापना के समय से ही सौंपा गया है। इस मंत्रालय का गठन मूलतः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (सीएए) द्वारा जोड़े गए संविधान के खंड 9 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया है। वर्तमान समय में पंचायती राज मंत्रालय 243944 ग्राम पंचायत, 6097 मध्यवर्ती पंचायत, 537 जिला पंचायत एवं 241310 कुल पंचायत संस्थाओं का नेतृत्व करता है। इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है –

क्र0सं0	**पंचायतों का प्रकार**	**महिला प्रतिनिधियों की संख्या** (प्रतिशत में)
1	जिला पंचायत	41 प्रतिशत
2	मध्यवर्ती पंचायत	43 प्रतिशत
3	ग्राम पंचायत	40 प्रतिशत

स्रोत : पंचायती राज मंत्रालय आधिकारिक वेवसाइट

उपरोक्त सूचनाओं का संकलन पंचायती राज मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट से संकलित किया गया है। जो 2005 के सूचनाओं के आधार पर है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की सूचना है, किन्तु इससे सम्बन्धित अभी आधिकारिक वेबसाईट पर सूचनाएँ नहीं होने के कारण पूर्व सूचना के आधार पर ही अध्ययन किया जा रहा है।

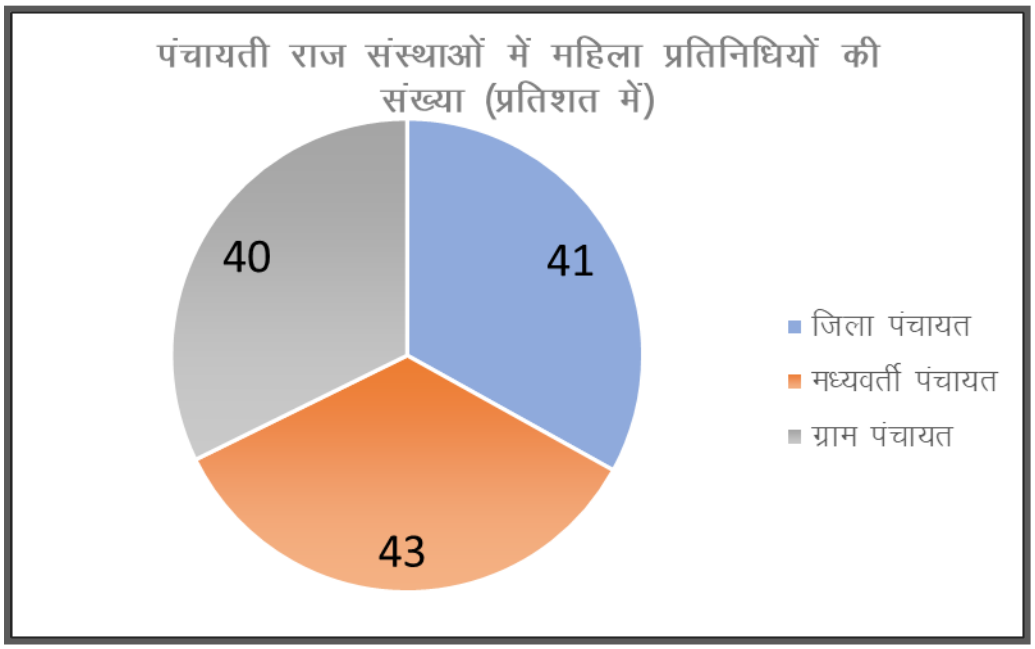

इन पंचायतों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। देश में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएं हैं। तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज देश में 2. 5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख से भी अधिक महिलाएं है जो कुल निर्वाचित सदस्यों का 46.14 प्रतिशत है। पंचायती राज के माध्यम से अब लाखों महिलाएं राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। जिस कारण महिलाओं की स्थिति में निम्नलिखित बदलाव देखने को प्राप्त हो रहें है।

- बालिका शिक्षा के प्रति सोच सकारात्मक हुई है और इसके प्रति लोगों की रूचि बढ़ रही है।
- आरक्षण के कारण महिलाएं अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठा रही है।

- भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार व बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
- पुरूषों के साथ कदम के कदम मिलाकर विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ रही है।
- महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्म–सम्मान का विकास हुआ है। SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के कारण राजनैतिक क्षेत्रों में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है।

अतः कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी भारत के संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण भी प्राप्त नहीं हो पाया है लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं। अधिकांश राज्यों में इस आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इन राज्यों में पंचायतों में प्रत्येक दूसरा पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने से उनकी सहभागिता भी बढ़ रही है, जिस कारण आज उन्हें पुरूष समाज सम्मान के साथ उनके मुद्दों और समस्याओं को पंचायतों में अधिक महत्व प्रदान करने लगा है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। सही अर्थो में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बना दिया है।

भारतीय समाज में महिलाओं को अभी और आगे आने की जरूरत हैं। विभिन्न अधिकार और आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद, आज पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति, पुत्र, पिता या रिश्तेदार उनकी भूमिका निभाते नजर आते हैं। अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। ग्राम सभा की बैठकों में वे मूकदर्शक बनी रहती है, और उनके रिश्तेदार ही पंचायत के कामों का संचालन करते हैं। महिलाऐं वही करती हैं जो उनके पति और रिश्तेदार कहते हैं। अगर उनसे पंचायतों के बारे में कुछ

पूछा जाता है तो वह एक ही वाक्य में अपनी बात समाप्त कर देती हैं। अब भी कुछ परिवार महिलाओं को पंचायतों में काम करने की स्वीकृति नहीं देते हैं, क्योंकि वे महिला का स्थान घर में समझते हैं, पंचायत में नहीं। भारत के कई राज्यों में अब भी महिला सरपंचों के पति ही उनके काम संभालते दिख जाएंगे। इस कारण उन्हें 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। यहाँ तक कि सभाओं में या अन्य जगहों पर अपने आपको प्रधान पति कहने में अपनी साख समझते हैं। उनका काम तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। पुरूष ही चुनावों में वोट माँगते हैं और प्रचार भी करते हैं। चुनाव में एजेंट बनने से मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते हैं। चुनाव से पहले और जीतने के बाद महिला प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती नजर आती हैं। उनकी तरफ से सारे वायदे और योजनाएं उनके पति ही जनता के सामने पेश करते हैं। इसके फलस्वरूप स्वस्थ जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता है। शिक्षा और जन–जागरूकता के आभाव में महिला प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। इस प्रकार महिला प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने वाली कठपुतली बन कर रह जाती हैं।

यद्पि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार तो आया है। परन्तु अभी भी वह महिलाऐं इतनी सशक्त नहीं हुई हैं कि इस व्यवस्था में अपनी जोरदार भूमिका निभा सके। इसके लिए महिलाओं को भी निडर होकर आगे आना होगा।

पंचायती राज में सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का अवलोकन

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्राालय द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के नेतृत्व में कई योजनाओं का संचालन किया गया है। जिनमें से कुछ का विवरण चयनित जनपद के आधार पर निम्नवत् है : –

✓ महिला स्वाधार योजना :

इस योजना को 2001–02 में शुरू किया गया था। इस योजना को 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, दहेज उत्पीड़न से मुक्त महिला, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं एवं मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और आश्रय, तलाक शुदा महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। केंद्र सरकार द्वारा सम्पोषित इस योजना के अंतर्गत निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा एवं प्रवासी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग की व्यवस्था इस प्रकार है:

1. पुनर्वास के लिए जमीन क्रय हेतु वित्तीय सहायता
2. भवन निर्माण हेतु सहायता
3. भोजन, आश्रय, वस्त्र आदि के लिए सहायता

✓ समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम :

यह कार्यक्रम जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

इस योजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार सेवाएं समन्वित रूप से दी जाती है :

1. पूरक पोषण आहार –

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में कम से कम तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता हैं। वर्तमान में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को 4.00 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 12–15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान है। गंभीर कुपोषित बच्चों को 6.00 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 20–25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार तथा गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को 5.00 रूपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से 18–20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान है।

2. स्वास्थ्य जांच –

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह में किसी एक मंगलवार या शुक्रवार के दिन ए.एन.एम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है। स्वास्थ्य जाँच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।

3. संदर्भ सेवाएँ –

स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड जिलास्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है।

4. टीकाकरण –

प्रति आंगनबाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह का मंगलवार एवं शुक्रवार टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम

द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है।

5. पाषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा –

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृहभेंट के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य एवं संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी व सलाह दी जाती है।

6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा –

आंगनबाड़ी केन्द्रों का मुख्य उददेश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है जिससे वह प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती हैं। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे –जल, जंगल, जानवर, इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है।

✓ महिला कल्याण बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत 10 से 75 वर्ष के आयु वाली महिलाओं के बीमा का प्रावधान है। इसका उद्देश्य घरेलू गृहिणी छात्रायें, घरेलू श्रमिक एवं अकुशल महिला मजदूरों को लाभाविन्त करना है।

इसके तहत व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर महिलाएं बीमा का लाभ उठा सकती है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले समस्त परिवार की गर्भवती महिलाओं को लाभांवित किया जाना है।

1. प्रसव पूर्व जॉच की पूरी सुविधा।
2. प्रसव के दौरान आने वाले व्यय के पूर्व भुगतान की सुविधा
3. महिलों के चिकित्सकीय आवश्यकता के लिए आवश्यक दवा एवं अन्य खर्च की व्यवस्था

4. चिकित्सालय के डिस्चार्ज के दौरान 1000/– रू0 प्रति–महिला भुगतान करने की सुविधा।
5. मासिक रूप से चिकित्सीय लाभ प्रदान करने की सुविधा।

✓ भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी

यह पॉलिसी 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत माता/पिता की मृत्यु के पश्चात बालिका को 17 वर्ष की उम्र तक एक निर्धारित राशि देने की व्यवस्था है।

योजना की विशेषता :

- कन्या के माता/पिता की मृत्यु होने पर उसकी सहायता के लिए ।
- अनाथ बालिका की देखभाल एवं शिक्षा में सहायता ।
- 18 वर्ष पूर्ण होने पर शेष बकाया राशि कन्या को मिलेगी

एक वंचित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिए पंचायत निम्नलिखित के सन्दर्भ में पहल कर सकती है–

- शिक्षा की व्यवस्था
- स्वास्थ्य की देख–रेख
- जीविकोपार्जन के समान–अवसर
- स्वयं सहायता समूह निर्माण एवं सशक्तिकरण
- रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जीविकोपार्जन के लिए वैसी महिलाएं जिनके पति बाहर गये हो, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम प्रदान करना।
- निर्माण योजना के तहत काम करने का समान अवसर प्रदान किया जायेगा।

✓ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम :

बेटी बचाओं, बेटी पढाओं भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण महिला कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में से प्रमुख योजना है। बालिकाओं

के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 को इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है, जो महिलाओं के संख्या का पुरूषों के अनुपात की तुलना में कम होने के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थिति को दूर करने के लिए लक्षित की गयी है। भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 0–6 वर्ष की आयु वर्ग में 1000 पुरूषों के अनुपात में 918 महिलाएं थी। यह गिरावट देश में बड़े पैमाने पर है और ग्रामीण क्षेत्राों में भी फैल चुकी है तथा कन्या भ्रूण हत्या बड़े पैमाने पर प्रचलन में है। भारत सरकार ने देश भर में एक जन–अभियान के माध्यम से असंतुलित शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या का समाधन करने के लिए ''बेटी बचाओ बेटी पढाओं'' योजना लागू की है एवं 100 जिले जिनमें लिंग अनुपात असंतुलित है, में हस्तक्षेप करना व बहुक्षेत्रीय कार्यवाही पर ध्यान केन्द्रित किया है। बेटी बचाओं – बेटी पढ़ाओं के तहत बालिका के जन्म लेने पर हर्ष मानने और उसे आत्म निर्भर बनाने के लिए उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए निर्मित है।

योजना का उद्देश्य :

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

- ☛ पक्षपाती लिंग जांच को रोकना।
- ☛ बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- ☛ बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

कार्यवाही के लिए दिशा–निर्देश

उपरोक्त लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना निर्मित की गयी है।

- जिला स्तर पर संबंधित विभाग जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा, पंचायती राज/ग्रामीण विकास एवं पुलिस विभाग के

प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला कार्य दल का गठन।

- खण्ड स्तर पर उप मण्डल अध्किारी/खण्ड अध्किारी/खण्ड विकास एवं पंचायत अध्किारी द्वारा खण्ड स्तरीय कार्य दल का गठन एवं खण्ड स्तरीय कार्य दल की नियमित त्रौमासिक बैठक व समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्ति करना ।
- ग्राम स्तर पर समन्वय, कार्यान्वयन और कार्ययोजना की निगरानी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषाहार समिति जो कि ग्राम पंचायत की उप समिति है, की जिम्मेदारी होगी।

✓ किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) :

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की शुरूआत 1 अप्रैल, 2011 को की गई थी। इस कार्यक्रम को 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' की देख–रेख में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 11–18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल 'समेकित बाल विकास परियोजना' के अंतर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11–15 और 15–18 साल के दो समूहों में विभाजित किया गया है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को दो समूहों में विभाजित किया गया है :

(a) : पोषण (11–15 वर्ष तक की लड़कियों को पका हुआ खाना दिया जाता है)

(b) : गैर पोषण (15–18 वर्ष तक की लड़कियों को आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाइयां मिलती हैं)।

✓ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना :

यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर, 2010 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिए दो किस्तों में 6000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा चलाया जा रहा है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) के अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्व लाभ पहुंचाए जाते हैं जिनका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है ताकि दूध पिलाने वाली और गर्भवती स्त्रियों के माहौल में सुधार किया जा सके और इसके लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन राशि दी जा सके। इसे समन्वित बाल विकास सेवाओं की योजना के मंच से लागू किया जा रहा है। इस योजना की शुरूआत अक्तूबर 2010 में प्रायोगिक आधार पर पर की गई थी और अब यह 53 चुनिंदा जिलों में चल रही हैं। फिलहाल लाभार्थियों को दो किश्तों में 6,000 रुपए बैंक अथवा डाकघर खातों के जरिए दिए जाते हैं। पहली किश्त गर्भावस्था के 7–9 महीनों के दौरान दी जाती है और दूसरी किश्त की रकम कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने बाद दी जाती है। सभी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम (केन्द्रीय तथा राज्य) के कार्य योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें वेतन सहित मातृत्व अवकाश दिया जाता है। यह योजना देश के 53 जिलों में प्रायोगिक आधार पर लागू की जा रही हैं। इस योजना का वर्तमान सरकार ने नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) कर दिया है। और 13 सितंबर, 2018 तक इस योजना के तहत 48.11 लाख महिलाओं ने नामांकन कराया था, जिनमें से 37.30 लाख महिलाओं को मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया है।

PMMVY की आवश्यकता

- भारत में बहुसंख्यक महिलाओं पर कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला एनीमिक है। एक कमजोर मां लगभग अनिवार्य रूप से कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है।
- जब अल्प पोषण–गर्भाशय में शुरू होता है, तो यह पूरे जीवन चक्र में फैलता है और ये कुपोषण अगली पीढ़ी को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- आर्थिक और सामाजिक संकट के चलते कई महिलाएं अपने गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए काम करना जारी रखती हैं। इसके अलावा, वे प्रसव के तुरंत बाद काम करना शुरू कर देती हैं, भले ही उनका शरीर इसकी अनुमति नहीं देती हो।
- इस प्रकार पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो पातीं है। वहीं दूसरी तरफ अपने नवजात शिशु को प्रथम 6 माह तक सही तरीके से स्तनपान नहीं करा पाती हैं, जिसके चलते बच्चे के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

✓ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना :

बालिका शिक्षा की दर भारत में हमेशा से कम रही है। विशेषतः लड़कियों की पढ़ाई को बीच में ही रोक दी जाती है। इसके पीछे सामजिक, आर्थिक और घरेलू कई तरह के कारण कार्य करते हैं। इस पर भी यह दर पिछड़े वर्ग में तो बहुत ही ज्यादा है। इन्ही समस्याओं को देखते हुए गहन विचार विमर्श के बाद बाद सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) की शुरुआत की।

इस योजना का शुभारम्भ 2004 में प्रायोगिक तौर पर किया गया था। जिसे वर्ष 2006–07 में भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली आवसीय विद्यालयों की एक श्रृंखला के तहत प्रारंभ किया गया,

जिसके तहत देश में कुल 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) खेलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत बच्चियों को 12वीं तक की हॉस्टल सुविधा युक्त शिक्षा प्रदान किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) के तहत केंद्र और राज्य सरकारें 75 : 25 के अनुपात में खर्च का वहन करती हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य :

- लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल में शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना।
- पिछड़े वर्ग के बच्चियों को भी पढने लिखने का समान अवसर प्रदान करना।
- BPL परिवारों की जो बच्चियां बीच में पढाई छोड़ देती हैं, उनके लिए ये विदयालय आगे पढने में सहायक होते हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) योजना के लिए विद्यालय खोलने के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है, जहां पर पिछड़े और गरीब परिवारों की बच्चियां भी आसानी से पहुंच सके।
- बालिका शिक्षा दर को बढ़ाना इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को विशेषताएँ :

- इस योजना को सर्वशिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
- इस योजना में सभी बालिकाओं को शिक्षा के साथ–साथ ठहरने और भोजन की व्यवस्था प्रदान की जाती है।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) में सर्व शिक्षा अभियान, रास्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम और महिला समाख्या कार्यक्रमों के तहत तैयार किया गया है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढने वाली लडकियों में 75% SC/ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह से आती हैं, जबकि 25% सीटें BPL परिवारों के लड़कियों के लिए आरक्षित है।
- योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है।

✓ प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना

इस योजना की शुरुआत प्रधामंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिये जातें हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहती है। वर्तमान समय तक भारत सरकार में करीब 7 करोड़ से अधिक महिलाओं कों प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है और वर्ष 2021–22 में करीब 1 करोड़ अतिरिक्त महिलाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

✓ महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) :

इस योजना की शुरुआत 1986–87 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में की गयी थी। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्येश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्व–रोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16

वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों/महिलाओं का कौशल विकास करना है। इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को न देकर संस्था/संगठन यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन को सीधे ही पहुँचाया जाता है।

✓ स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (TRYSEM) :

केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को 15 अगस्त, 1979 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 18–35 आयु वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था। 1 अप्रैल, 1999 को इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया है। इस योजना का आशय ग्रामीण युवाओं में रोजगार के प्रति जागरूकता प्रदान करना तथा युवाओं को कुशल रोजगार अवसर उपलब्ध करना है।

✓ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :

यह योजना 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करती है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर घटकर 4% पर आ जाती है।

✓ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत 12 अप्रैल, 2005 को हुई थी, यह योजना अब "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अंतर्गत आ गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त

सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना (आशा) शुरू की गई है। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।

- **कुटीर ज्योति कार्यक्रम :**

इस कार्यक्रम को 1988–89 में शुरू किया गया था। इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट (Single Point) वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रूपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

- **राशनी : आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना :**

7 जून 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक नयी कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का नाम "रोशनी" है, जिसके तहत 10–35 आयु वर्ग के लगभग 5000 युवाओं को तीन साल तक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 50 प्रतिशत केवल महिलाएं होंगी। यह योजना "हिमायल परियोजना मॉडल" पर आधारित है, जो जम्मू–कश्मीर में शुरू किया गया था और पिछले 18 महीनों में सुकमा (छत्तीसगढ़) और पश्चिम सिंहभूम (झारखंड) जिले में शुरूआती तौर पर लागू किया गया है।

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) :**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, को 2 फरवरी, 2006 से शुरू किया गया था। अब इस योजना का नया नाम ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (या मनरेगा) है। यह योजना एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका

उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को 'काम करने का अधिकार' प्रदान करना है। यह योजना गांव के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के लाभार्थियों में 50% श्रमिक महिलाएं होती है। इस योजना का 90% वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

- **ग्राम अनाज बंक योजना :**

इस योजना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान या खराब मौसम के दौरान जब खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें भुखमरी से बचाना है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोग गांव के अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकते हैं और जब उनके पास प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो जाय तो वे अनाज वापस कर सकते हैं।

- **स्टैंड–अप इंडिया योजना :**

स्टैंड–अप इंडिया स्कीम की शुरुआत 2016 में हुई थी. इसका मकसद देश में कारोबार को बढ़ावा देना है. इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. यह लोन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी को मिलता है. माना जाता है कि ये इतना सक्षम नही होते हैं कि अपना कारोबार खुद बढ़ा सकें. लिहाजा, केंद्र सरकार इन्हें अपना कारोबार खड़ा करने के लिए यह कर्ज देती है।

- **अटल पेंशन योजना :**

सभी ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता के अंशदान का 50 प्रतिशत या 1000 रूपये प्रति वर्ष जो भी कम हो 5 साल के लिए देगी।

उपभोक्ता को निश्चित राशि 1000 रूपये प्रति माह, 2000 रूपये प्रति माह, 3000 रूपये प्रति माह, 4000 रूपये प्रति माह, 5000 रूपये प्रति माह की पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद उसके अंशदान और उसकी इस योजना से जुडने की आयु, बैंको की योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए तैयार की गयी तालिका के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

➢ स्वर्णजयन्ती महा ग्राम विकास योजना

स्वर्णजयन्ती महा ग्राम विकास योजना वर्ष 2016–17 से आरम्भ की जा रही है। इस योजना के तहत उन गावों को जिनकी जनसंख्या 10000 या उससे अध्कि है शहरी तर्ज पर सुविधएं प्रदान की जाएंगी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10000 से अधिक आबादी के 116 गांव हैं। इस योजना के तहत शहरों की तरह पक्की गलियां, सीवरेज तथा अन्य सामुदायिक सुविधएं पैदा की जाएंगी। इसका उद्देश्य गावों की आबादी का शहरों की तरफ पलायन को रोकना है। इस योजना के तहत ऐसे गावों को विकास का केन्द्र बिन्दु (Hub) बनाना है तथा संसाधन मानचित्रीकरण (Resource Mapping) तथा भेद–विश्लेषण (Gap Analysis) द्वारा सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से इन्हें विकास के माडल के रूप में विकसित करना है। यह ग्रामीण विकास को नगरीय विकास के रूप में स्थापित करने के लिए लक्षित योजना है। सामान्यतः ग्रामीण इकाईयॉ संसाधनों के अभाव के कारण आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या से ग्रसित रहती है। यह योजना इसी समस्या को दूर कर सक्षम ग्रामों को विकसित करने के उद्देश्य से निर्मित की गयी है।

➢ ई – पंचायत :

विकास और पंचायत विभाग पंचायती राज संस्थाओं के लिए ई–पंचायत शुरू की है, जो राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अंतर्गत मिशन मोड़ प्रोजेक्ट में से एक है। ई–पंचायत परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है ताकि वह अपनी अन्य विस्तृत

जिम्मेदारियों के अलावा, नागरिकों, सरकारी विभागों और व्यावसायिक संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से सेवाएं प्रदान कर सकें । ई–पंचायत आधुनिकता और दक्षता के प्रतीक के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में क्रांतिकारी बदलाव और बड़े पैमाने पर सूचना और संचार प्रौद्योगिक संस्कृति को प्रेरित करने की क्षमता रखता है।

- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र योजना**

इस योजना के तहत स्वैच्छिक संस्थाएं/अर्ध सरकारी संस्थाओं/कल्याण एवं अनुस ंधन संस्थाओं द्वारा महिलाओं, बच्चों व किशोरियों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओ ं की कम साक्षरता दर व महिलाओं के प्रति हिंसा आदि के समाप्त करने के लिए सामाजिक एकजुटता अथवा अभियान चलाती है,। उनको सहायक अनुदान प्रदान किया जाता हैं।

महिलाओं के आर्थिक क्षेत्रों के सुधार के प्रयास

किसी भी समुदाय, वर्ग का सशक्तीकरण एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक परिवर्तन है जिसे प्रकट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। महिलाएं परिवारों के सशक्तीकरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इससे उनकी पीढ़ी में तो बदलाव आता ही है, समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए प्रयासों के साथ उन उपायों पर नजर रखना जरूरी है जिनसे कहीं जल्द सार्थक नतीजे सामने आते हों। अगर हम बदलाव की बड़ी पहल करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता लाना महत्वपूर्ण होगा।

महिलाओं के लिए कमाई के अवसर पैदा करने वाली सामुदायिक पहल संशय के माहौल को दूर करने में मददगार बनती है। आमतौर पर ग्रामीण भारत की महिलाएं चुनौतियों के दो व्यापक स्तरों पर जूझती हैं। पहला, आत्मविश्वास की कमी को लेकर और दूसरे, धारणाओं से लड़ने का दबाव, लेकिन जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करने वाली योजनाओं के जरिये इन दबावों से अच्छी तरह निपटा जा सकता है।

भारत में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। कुछ वर्ष पहले मैकिंजी ग्लोबल ने अपने एक अध्ययन में दावा किया था कि अगर भारत अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के लिए समान अवसर पैदा कर सके तो वह साल 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकता है।

इस अध्ययन में यह भी कहा गया था कि दुनिया भर में लिंगभेद की समस्या को समाप्त करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 28 ट्रिलियन डॉलर की भारी वृद्धि हो सकती है। जब एक गृहिणी आत्मनिर्भर हो जाती है तो उसका लाभ बढ़ी हुई पारिवारिक आय तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसके द्वारा परिवार में लाए गए परिवर्तन पीढ़ियों की सोच में दिखने लगते हैं। इसीलिए अपने माता–पिता की तुलना में नई पीढ़ी शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास के प्रति ज्यादा जागरूक है। महिलाओं में वित्तीय स्वतंत्रता देश में सांस्कृतिक परिवर्तन प्रारंभ करने की क्षमता रखती है। स्किल इंडिया अभियान यानी कौशल प्रशिक्षण के जरिये करीब 17.72 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षित 10 में से लगभग 8 महिलाओं को या तो आजीविका के अवसर मिले हैं या उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा करने के तुरंत बाद स्व–रोजगार शुरू किया है। इनमें से अधिकांश परिधान, ब्यूटी एंड वेलनेस और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में शामिल हुई हैं। इन आंकड़ों से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। अपनी भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद आज महिलाएं घूंघट से परे जीवन को देखने के लिए उत्सुक हैं। इसका यह भी अर्थ है कि रोजगार का एक बाजार मौजूद है जो इस अप्रयुक्त कार्य बल का उपयोग करना चाहता है।

हालांकि किसी क्षेत्र विशेष में निपुणता आवश्यक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। आज महिलाओं के भीतर अपनी पहचान को सामने लाने और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए गहरी उत्सुकता है। चूंकि भारत को दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में माना जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध

होंगे। हमें इस मौके का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा करने की राह आसान करनी चाहिए।

महिलाओं के लिए स्वतंत्र वातावरण बनाने के अलावा वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए उन्हें शिक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। समावेशी विकास को लेकर सरकारी सुधारों के माध्यम से बचत बैंक खाता खोलने के प्रति पहले ही व्यापक जागरूकता आ चुकी है। अब खाते में न्यूनतम धन रखने की आवश्यकता, बीमा योजनाओं और संपत्ति में निवेश करने की पेशकश सहित कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं वित्तीय रूप से सुरक्षित हों।उदाहरण के लिए मुद्रा ऋण के 10 लाभार्थियों में से लगभग 8 लाभार्थी महिलाएं हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष श्वाब क्लॉज के अनुसार, भविष्य की नौकरियां शीर्ष कंपनियों द्वारा नहीं, बल्कि युवा उद्यमियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। हम देख सकते हैं कि भारत में महिलाओं की एक नई पीढ़ी युवा उद्यमी के रूप में तैयार होने की कगार पर है। निश्चित रूप से यह आगे चलकर दूसरी महिलाओं के लिए नौकरियों का महत्वपूर्ण श्रोत बन जाएगी।

जनपद में महिलाओं की आर्थिक स्थिति

पूर्व में वर्णित योजनाओं से भारत के विभिन्न राज्यों में मंहिलाओं के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। जहॉ एक तरह केन्द्र सरकार महिलाओं समाज में समान रूप से स्थापित करने के लिए योजनाओं का निर्माण कर उसे अमली रूप प्रदान कर रही है तो वहीं पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं की बढ़ती प्रतिभागिता उक्त प्रयास को सबलता प्रदान कर रहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी महिलाओं को उक्त योजना के द्वारा लाभ प्रदान करने के लिए निरन्तर उदार योजनाओं के लिए कटिबद्ध है। सरकार के महिला प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश जनपद में कार्य दलों का गठन कर उसे विशिष्ट अधिकार भी प्रदान किये है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पंचायती राज चुनाव में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। जिसका भी लाभ महिलाओं को अवश्य प्राप्त हो रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन के इस कड़ी में उक्त केन्द्रिय एवं राज्य स्तरीयों योजनाओं के कारण सुलतानपुर जनपद में महिलाओं की आर्थिक स्थिति के अध्ययन को प्रस्तुत किया गया। है। जिसके लिए प्रश्नावली का निर्माण कर महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया गया है और तत्पश्चात सारणी के द्वारा उसे विश्लेषित किया गया है। प्रश्नावली से प्राप्त सूचनाएँ निम्निवत् रूप से शीर्षकवद्ध की गयी है।

महिलाआं की स्थिति में सुधार –

परिवार में महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए उनकी शैक्षणिक स्थिति, स्वयं के अधिकारों के प्रति अभिरूचि अथवा जागरूकता, परिवार में विचार–विमर्श की स्थिति, उनके रोजगार की स्थिति, राजनीतिक निर्णयों में उनकी सहभागिता का आकलन आवश्यक है। प्रस्तुत तथ्यों से संबन्धित सूचानाओं के लिए निर्मित प्रश्नावली में महिला प्रतिनिधियों से यह सूचना ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि उनके मत के अनुसार शैक्षणिक स्थिति, स्वंय के प्रति अभिरूचि/जागरूकता, परिवार में विचार विमर्श करने की स्थिति, रोजगार की स्थिति, राजनीतिक सहभागिता की स्थिति इत्यादी में से क्या महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रभावी है। प्रश्नावली के दौरान यह भी ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि वे अपने पंचायतों में महिलाओं के विकास के लिए उक्त में से किसे अधिक प्रभावी मानती है। और उस पर रणनीतिक रूप से अधिक महत्व प्रदान करती है। उनके साक्षात्कार के पश्चात प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर तालिका संख्या 4.2 में प्रस्तुत किया गया है।

महिलाआं की स्थिति सुधारन क लिए आवश्यक कार्य –

तालिका सख्या 4.2			
क्र0 सं0	महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक कार्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1	शिक्षा	98	23.73
2	स्व–रूचि व जागरूकता	6	1.45

3	विचार विमर्श	6	1.45
4	रोजगार	14	3.39
5	राजनीतिक सहभागिता	21	5.09
6	उपरोक्त सभी	268	64.89
कुल		**413**	**100**

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सुचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

तालिका संख्या 4.2 से स्पष्ट है कि महिलाओं ने शिक्षा को अपनी स्थिति के सुधारने के लिए अधिक प्रभावी माना। 23.73 प्रतिशत ने शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की जब की 5.09 प्रतिशत महिलाओं ने राजनीतिक सहभागिता को प्राथमिकता प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं में विचार विमर्श, रोजगार एवं जागरूकता के अभाव के कारण इन स्रोतों को बहुत कम महिलाओं ने अपनी स्थिति के लिए प्रभावी माना जिनका प्रतिशत क्रमशः 1.45% , 3.39% , एवं 1.45% है। सर्वाधिक महिलाओं ने सभी घटकों को प्रभावी माना जिनका प्रतिशत कुल 64.89% रहा।

महिलाओं के आय की स्थिति :

महिलाओं की आय की स्थिति से उनके सामाजिक स्तर का आकलन होता है। सामान्यतः गृहणी के रूप में महिलाएँ समस्त पारिवारिक कार्यो को सम्पादित करती है, किन्तु इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें किसी भी प्रकार के प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी आशय से उनके व्यवसाय (जिससे वे कुछ आय का अर्जन करती है।) से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन प्रस्तुत सारणी संख्या 4.3 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका सख्या 4.3			
क्र0 सं0	व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	खेती	198	47.94
2	नौकरी	23	5.57
3	मजदूरी	43	10.41
4	व्यापार	3	0.73
5	गृहणी	133	32.20
6	अन्य	13	3.15
कुल		413	100

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सुचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

चयनित जनपद ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्धित होने के कारण एवं कृषि आय का प्रमुख्य स्रोत होने के कारण खेती (कृषि आय) को सर्वाधिक महिलाओं के आय का स्रोत कृषि है। जिससे उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के द्वारा उनकों आय की प्राप्ति होती है। ऐसी महिलाओं का प्रतिभाग 47.94% है। वहीं 32.20% महिला गृहणी है। चयनित जनपद में श्रमिकों का प्रतिभाग की आरक्षित वर्ग के रूप में होने के कारण 10.41% महिलाओं के आय का स्रोत मजदूरीं है। कुछ महिलाएँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं तो कुछ शिक्षामित्र या अन्य छोटे–मोटे नौकरियों से आय प्राप्त करती है, इनका प्रतिभाग कुल 5.57% है। जनपद में कुछ महिलाएँ कुटीर उद्योग में भी संलग्न है जिससे वे आय अर्जन करती है। इस उद्योगों में पापड़–आचार, महिला प्रसांधन केन्द्र इत्यादि सम्मिलित है। ऐसी महिलाओं का प्रतिभाग सबसे कम 0.73% है। शेष 3.15% प्रतिशत महिलाओं अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करती है।

पति की आय का श्रात–

महिलाओं की आर्थिक स्थिति के आंकलन के लिए उनकी उनके पति के आय के श्रोत का आंकलन भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। संयुक्त परिवार की प्रणाली में जिन

महिलाओं के पति के आय निम्न होते है उनकी सामाजिक स्थिति भी विशेष उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसी आशय से प्रस्तुत समंक माला का निर्माण किया गया है। जिसमें जनपद के महिला प्रतिनिधियों से उनके जनपद के महिलाओं के पति के आय के आकलन से संदर्भित सूचनाओं को संकलित किया गया है कर उसका विश्लेषण तालिका संख्या 4.4 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका सख्या 4.4

क्र0 सं0	व्यवयाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	खेती	208	50.36
2	नौकरी/सरकारी नौकरी	68	16.46
3	मजदूरी	60	14.53
4	व्यापार	46	11.14
6	अन्य	31	7.51
कुल		413	100

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सुचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

चयनित जनपद कृषि बाहुल्य होने के कारण यहॉ कृषि कार्यो पर आश्रितता एक प्रमुख कारण है। जिस कारण प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि चयनित जनपद के 50.36% महिलाओं के पतियों के आय का प्रमुख स्रोत कृषि अथवा खेती है। सरकार की बढ़ती योजनाओं के कारण उपलब्ध हो रहे रोजगार के अवसरों का प्रभाव भी चयनित जनपद में देखा गया है इस कारण 16.46% के पतियों का आय स्रोत नौकरी/सरकारी नौकरी है। वहीं मजदूरी में संभी 14.53 प्रतिशत के पति संलग्न है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण केवल 11.14% के पति व्यवसाय से जुड़े है। बहुत कम पतियों की आय (7.51%) अन्य स्रोत से होती है।

परिवार की वार्षिक आय –

परिवार के वार्षिक आय का से भी परिवार में महिलाओं की स्थिति का आकंलन लगाया जा सकता है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार की अवधारणा

आज भी प्रभावी है जिस कारण परिवार की आय को महिलाओं की स्थिति का आधार माना जाता है। जिस परिवार की आय अधिक होती है उस परिवार की महिला अधिक सशक्त होती है वहीं दूसरी तरफ जिस परिवार की आय कम होती है उस महिला को कम सशक्त माना जाता है। इसी आशय से परिवार की आय का आकलन कर तालिका संख्या 4.5 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका सख्या 4.5

क्र0 सं0	वार्षिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	50 हजार तक	36	8.72
2	50 हजार से 5 लाख तक	137	33.17
3	5 लाख से दस लाख तक	198	47.94
4	10 लाख से अधिक	42	10.17
कुल		**413**	**100**

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सुचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

परिवार के आय से सम्बन्धित सूचनाओं के संदर्भ में प्राप्त आकंड़ों के अनुसार केवल 8.72% परिवार की वार्षिक आय 50,000/– से कम है। यह इस तथ्य को स्पस्ट करता है कि शेष 91.28% परिवार सामान्य अथवा उच्च आय वर्ग से सम्बन्धित है। जिसमें सर्वाधिक 5 लाख से 10 लाख तक आय प्राप्त करने वाले परिवार का योगदान सर्वाधिक 47.94% है, जबकि 33.17% परिवार 50 हजार से 5 लाख तक आय प्राप्त करता है। जनपद में महिला नेतृत्व से प्राप्त सूचनाओं से यह भी ज्ञात होता है कि 10.17% परिवार उच्च आय वर्ग से भी सम्बन्धित है।

व्यक्तिगत आर्थिक कार्यो क लिए प्रात्साहन :

आर्थिक कार्यो को सम्पादित करने की स्वत्रंता विकासशील देशों में व्यक्ति के पारिवारिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। विकासशील देशों में परिवार की आय सीमित होने के कारण आर्थिक निर्णयों के लिए बहुत ही सावधानी रही जाती है। जिसका एक कारण जोखिम क्षमता का अभाव भी है। यदि कोई महिला व्यक्तिगत

आर्थिक कार्यो को करने में सक्षम है या पारिवारिक आर्थिक कार्यो को सम्पादित करने में प्रतिभाग करती है तो यह उसकी सशक्त स्थिति का सूचक होता है। इसी आशय से प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.6 का निर्माण महिला प्रतिनिधियों के साक्षात्कार से प्राप्त आकड़ों के आधार पर निर्मित किया गया है।

तालिका सख्या 4.6

क्र0 सं0	आर्थिक कार्यो की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	व्यक्तिगत आर्थिक कार्यों हेतु प्रोत्साहन	310	75.06
2	आवश्यकता पर अनुमति	58	14.04
3	कोई अवसर नहीं	45	10.90
कुल		**413**	**100**

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सुचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

जनपद में पंचायत राज संस्थाओं में नेतृत्व प्रदान कर रही 75.06% महिलाओं ने यह माना कि उनके परिवारों नें व्यक्तिगत आर्थिक कार्यो के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया है। लगभग उक्त आकड़ों से सम्बन्धित सभी महिलाओं का मानना है कि यह परिवर्तन पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्व के बाद ही उनकी यह स्थिति हुई है। जबकि 14.04% महिलाओं का मानना है कि जब वे किसी कार्यवश आर्थिक क्रियाओं में रूचि प्रदर्शित करती है तभी उन्हें इसके अनुमति प्राप्त होती है। उन्हें इसके लिए परिवार से अपनी आवश्यकता को साक्षा करना होता है। तो वहीं अब भी 10.90% महिलाओं का मानना है कि उन्हें कोई आर्थिक कार्यो के लिए प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता है। आज भी उनकी स्थिति पूर्ववत् ही बनी हुई है।

स्वयं पर खर्च में प्राथमिकता –

स्वयं पर खर्च करने की प्राथमिकता व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के अध्ययन को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जिस परिवार में स्वास्थ्य पर अधिक खर्च

होते है उसे सामान्य परिवार के श्रेणी में रखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जिस परिवार में स्वास्थ्य के अलावा अन्य मदों पर खर्च जैसे अपनी इच्छा की आपूर्ति, पसन्द इत्यादि पर अधिक खर्च किया जाय तो सबल स्थिति मानी जाती है। महिलाओं में उक्त मदों पर खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। इसी कारण उक्त से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन कर इसे तालिका संख्या 4.7 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका सख्या 4.7

क्र0 सं0	स्वय पर खच म प्राथमिकता	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वास्थ्य पर	133	32.20
2	सौन्दर्य प्रसाधन पर	83	20.10
3	गहने पर	94	22.76
4	कपड़े पर	87	21.07
5	अन्य कार्य पर	16	3.87
कुल		413	100

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सुचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रस्तुत तालिका संख्या 4.7 से प्राप्त सूचनाएँ स्पष्ट करती हैं कि सर्वाधिक 32.20% महिलाएँ स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करती है। जबकि 20.10% महिलाओं का मानना है कि वे अपने लिए सौन्दर्य प्रसाधन की आश्यकताओं पर अधिक खर्च करती है। 22.76% महिलाओं का मानना है कि वे आभूषण पर अधिक खर्च करती है। जबकि 21.07% महिलाओं ने कपड़ों पर खर्च की प्राथमिकता को स्वीकार किया है। शेष 3.87% प्रतिशत महिलाएँ अन्य कार्यो पर व्यय करती है। यदि आंकड़ो का समेकित अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि लगभग 63.93% महिलाएँ अपने व्यक्तिगत खर्च को चिकित्सा के अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान करती है।

बचत की प्रवृति–

बचत करने की प्रवृत्ति आर्थिक स्रोतों की स्थिति को प्रदर्शित करती है। जिस परिवार में बचत करने की प्रवृत्ति अधिक होती है अथवा अधिक प्रभावी होती है उसकी स्थिति को उतना ही सबल माना जाता है। चयनित जनपद में महिलाओं में बचत की स्थिति का आंकलन इसी आशय से किया गया है कि उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? उक्त से सम्बन्धित प्रश्न साक्षात्कार में सम्मिलित किया गया है। जिससे प्राप्त सूचनाओं को तालिका संख्या 4.8 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका सख्या 4.8

क्र0 सं0	बचत प्रवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	164	39.71
2	नहीं	80	19.37
3	कभी–कभी	169	40.92
कुल		**413**	**100**

स्रोत : प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सुचनाओं पर आधारित। (प्राथमिक सूचना)

प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 39.71% प्रतिशत महिलाएँ बचत को महत्व देती है तथा 40.92% महिलाएँ कभी–कभी बचत को महत्व प्रदान करती है। कभी–कभी बचत करने वाली महिलाओं का मानना है कि आय की सीमितता के कारण बचत करने के लिए कम वित्त प्राप्त होते है जिस कारण वे नियमित बचत करने में असमर्थ है जिस कारण वे कभी–कभी बचत ही कर पाती है। केवल 19.37% महिलाओं बचत करने में रूचि नहीं रखती। इनमें से बहुतायत महिलाओं का मानना है कि बचत के लिए उनके परिवार के अन्य सदस्य स्वयं सोचते है इस कारण उनकों बचत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस प्रश्न के प्रतिउत्तर में कुद महिलाओं का यह भी मानना था कि ग्रामीण जीवन चुनौतियों से

भरा होने के कारण बचत करना सम्भव ही नहीं हो पाता जिस कारण वे बचत नही ंकर पाती है।

चतुर्थ अध्याय समाप्त

– : शोध संदर्भ : –

1. सिंह, राजेश्वर, सुलतानपुर इतिहास की झलक, अर्यमा
2. दूबे, अवधेश कुमार, अग्रवाल, अनुपम, क्षेत्रीय नियोजन का ग्रामिण विकास में योगदान, डॉ0 रा0म0लो0अ0वि0वि0, फैजाबाद
3. श्रीवास्तव, डा0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0
4. शर्मा, प्रेम नारायण, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ,
5. गुप्ता, नीलम, ग्रामीण विकास एचं बाल विकास कार्यक्रम, बुण्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी
6. जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013
7. सिंह, महिपाल, पंचायती राज चुनौतिया एवं संभावनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली

रिपोर्ट

1. सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका, 2016, 2017, 2018
2. भारत 2016, 2017
3. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2011

ई–लिंक

1 https://www.sultanpur.nic.in

पंचम अध्याय

ग्रामीण विकास कार्यक्रम : महिला भूमिका के संदर्भ में

ग्रामीण महिलाएं विकास की प्रमुख अभिकर्ता हैं। वे सतत विकास के लिए आवश्यक परिवर्तनकारी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तनों की उपलब्धि की दिशा में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्रेडिट, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक सीमित पहुंच उनके सामने कई चुनौतियों में से एक है। ये वैश्विक खाद्य एवं आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन से और बढ़ गए हैं। दुनिया भर में कृषि कार्यबल में महिलाओं की बड़ी उपस्थिति को देखते हुए, न केवल व्यक्तियों, परिवारों और ग्रामीण समुदायों की भलाई के लिए, बल्कि समग्र आर्थिक उत्पादकता के लिए भी उन्हें सशक्त बनाना आवश्यक है। किसी भी देश के समेंकित विकास मुख्यतः वर्तमान परिवेश को देखते हुए जहॉ ग्रामीण क्षेत्र का विकास अतिआवश्यक है, सभी मुद्दों पर कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व और प्रतिभागिता द्वारा महिलाओं के विकास को बढ़ावा देना अतिआवश्ययक है जो उनके जीवन को ही प्रभावित नहीं करेगा बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के लिए एक सकरात्मक पहल होगी। इस प्रयास में बेहतर खाद्य और पोषण सुरक्षा और बेहतर ग्रामीण आजीविका शामिल है। क्षेत्रीय उद्यमिता से सम्बन्धित प्रशिक्षण उन्हें नई आजीविका का पीछा करने और उनकी जरूरतों के लिए प्रौद्योगिकी को अनुकूलित करने के लिए कौशल से लैस करेगा, क्यों कि महिलाएं सम्पूर्ण विश्व में खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और विश्व स्तर पर कृषि कार्य बल का एक बड़ा हिस्सा भी हैं।

अतः इस लिए किसी राष्ट्र में महिलाओं के स्थिति को ज्ञात करने के लिए उनके द्वारा प्रदान किये जा रहे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक नेतृत्त्व का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। यदि महिलाओं द्वारा इन इकाईयों में अभिरूचि प्रदान की जा रही है और साथ ही साथ सकरात्मक आधार पर भूमिका का निर्वाहन भी किया जा रहा है तो यह उनकी सामाजिक सबलता का परिचायक होता है। वर्तमान अध्याय में चयनित जनपद सुलतानपुर में महिलाओं का

प्र"ाासनिक तंत्र एवं राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कितना ज्ञान एवं प्रतिभाग है, यही जानने का प्रयास किया गया है। अध्ययन की परिकल्पना के आधार पर यह सम्भव है कि कुछ महिला प्रतिनिधियों को अपनी राजनीतिक प्रणाली एवं प्र"ाासनिक तंत्र का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो और कुछ महिला प्रतिनिधियों को केवल प्रत्यक्ष रुप से उनके जीवन से सम्बद्ध तथ्यों का ही ज्ञान हो। इसी प्रकार कुछ महिला प्रतिनिधियों को प्र"ाासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं हो। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्र"ाासनिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना अत्यन्त आव"यक है क्योंकि इसी स्थिति पर उनकी राजनीतिक भागीदारी का स्तर निर्भर करता है। महिला नेतृत्त्व की उचित राजनीतिक सहभागिता से समाज में स्थिरता आती है, समानता उत्पन्न होती है तथा समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। अतः प्रत्येक समाज में महिलाओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से राजनीति में सहभागिता होना अत्यन्त आव"यक है। पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य होकर महिलाएँ राजनीतिक गतिविधियों से सम्पर्क बनाए रखती हैं, तथा जनता के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हुए जनता के प्रति उतरदायी बनती हैं। अतः स्थानीय स्तर के चुनावों में एक तिहाई स्थानों पर जन प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित हुई महिला नेतृत्त्व की राजनीतिक सहभागिता के स्तर को जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही महिला नेतृत्त्व की संस्थाओं में उनकी सक्रिय भूमिका निर्वहन में सफलता एवं इनकी कार्य"ौली को जानने का प्रयास किया गया है।

इन सभी बातों की जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत अध्याय में महिला नेतृत्त्व की राजनीतिक एवं प्र"ाासनिक स्थिति को जानने के लिए चुनाव, आरक्षण सम्बन्धी जानकारी, एवं पंचायती कार्यों के बारे में प्रशिक्षण, पंचायत बैठकों की जानकारी, बैठकों में भागीदारी, निर्णय–प्रक्रिया में योगदान, सरकारी अधिकारियों से मुलाकात, बाधक तत्वों, महिला स"ाक्तिकरण के लिए कार्य, पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियमों की जानकारी आदि कई प्रश्नों के आधार पर एकत्रित तथ्यों को सारणियों के रूप में वर्गीकृत करके बिन्दुवार

वि"लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में इन सभी बातों को जानने के लिए सुलतानपुर जनपद के पंचायती राज के तीनों स्तरों पर 2010 में हुए चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार किया गया है तथा इससे प्राप्त आंकड़ों को प्रस्तुत अध्याय में निम्नलिखित सारणियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

राजनीति में प्रवेश का कारण या प्ररक तत्व

महिला प्रतिनिधियों की राजनीति में उपस्थिति एवं पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों और प्रेरक तत्त्वों को प्रश्नावली के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। जिसमें प्राप्त प्रति–उत्तर को तालिका संख्या 5.1 द्वारा में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या 5.1

राजनीति मं प्रवेश का कारण या प्ररक तत्व

क्र. सं.	राजनीति में प्रवेश का प्ररक तत्व	आवत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं की रूचि	72	17.43
2	पारिवारिक दबाव	9	2.18
3	महिला आरक्षण	121	29.30
4	समाज सेवा में रूचि	206	49.88
5	आर्थिक प्रलोभन	00	00.00
6	अन्य कारण	5	01.21
कुल		413	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

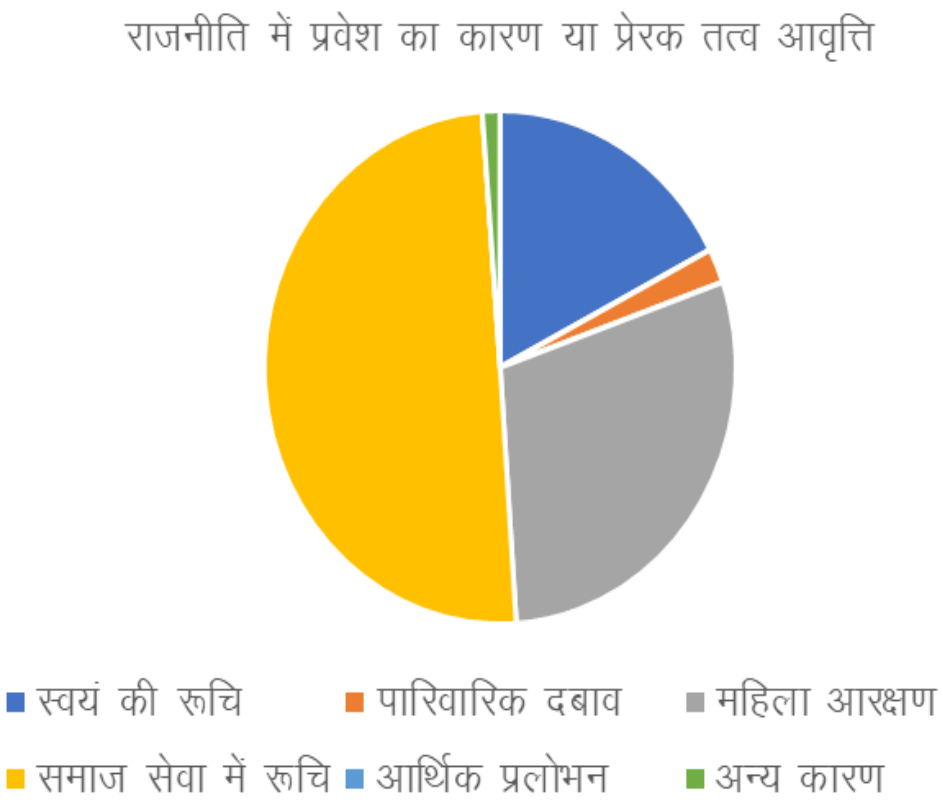

तालिका 5.1 के अनुसार सुलतानपुर जिले की 72 (17.43 प्रति"ात) महिला प्रतिनिधियों के राजनीति में प्रवे"ा का कारण उनकी स्वयं की रूचि ही है, 9 (2.18 प्रति"ात) पारिवारिक दबाव, 121 (29.30 प्रति"ात) महिला आरक्षण, 206 (49.88 प्रति"ात) समाज सेवा में रूचि के कारण प्रविष्ट हुई है। इसके अतिरिक्त 05 महिलाएँ (1.21 प्रति"ात) अन्य कारण से राजनीति में प्रवेश किया है, जबकि किसी भी महिला ने आर्थिक प्रलोभन के कारण राजनीति में प्रवेश को कारण नहीं माना है। इनमें महिला आरक्षण एवं समाज सेवा के कारण राजनीति में आने वाली महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति सर्वाधिक है जो कि कुल उत्तरदात्रियों का 79.18 प्रतिशत है।

पंचायती राज व्यवस्था मं पद–

पंचायती राज के तीनों स्तरों पर 2015 में हुए चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से सामान्य पद से एवं आरक्षित पद से चुनाव जीतने वाली महिलाओं का विवरण नीचे तालिका संख्या 5.2 द्वारा द"ार्या जा रहा है।

तालिका संख्या 5.2			
पंचायती राज व्यवस्था मं किस प्रकार क पद से निर्वाचित ह			
क्र.स.	**किस प्रकार के पद से निर्वाचित**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	सामान्य पद से	189	45.76
2	आरक्षित पद से	224	54.24
कुल		**413**	**100**
स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित			

पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार के पद से निर्वाचित है

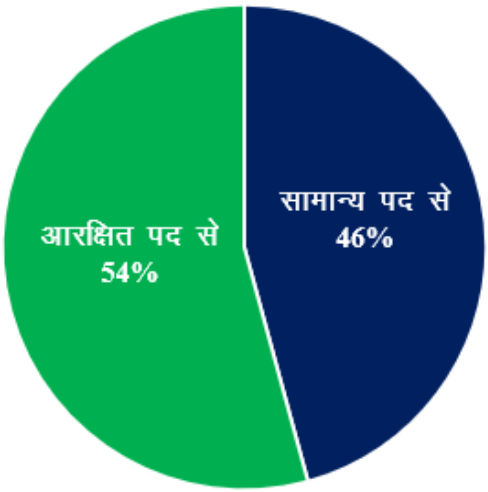

सारणी 5.2 के अनुसार सुलतानपुर जनपद की महिला प्रतिनिधियों में से 189 (45.76 प्रति"ात) सामान्य पद से तथा 224 (54.24 प्रति"ात) आरक्षित पद से निर्वाचित हैं। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को केवल आरक्षण के कारण नहीं बल्कि सामान्य सोच के कारण भी राजनीति में प्रवेश की स्वीकार्यता को बल मिला है।

चुनाव लड़न का स्वरूप –

जनपद में पंचायती राज के तीनों स्तरों पर चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ने संबंधी विवरण तालिका संख्या 5.3 में प्रदर्शित है। 2015 तक ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा टिकट

नहीं दिये जाते रहें है इस कारण उक्त समंक सारणी में केवल ग्राम पंचायत को छोड़ कर शेष दोनों इकाईयों से सम्बन्धित संमंक ही सम्मिलित है।

तालिका संख्या 5.3

चुनाव लडने का स्वरूप

क्र.सं.	किस तरह चुनाव लड़ा	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पार्टी के टिकट पर	00	00
2	पार्टी के समर्थन पर	37	8.96
3	निर्दलीय	376	91.04
कुल		**413**	**100**

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

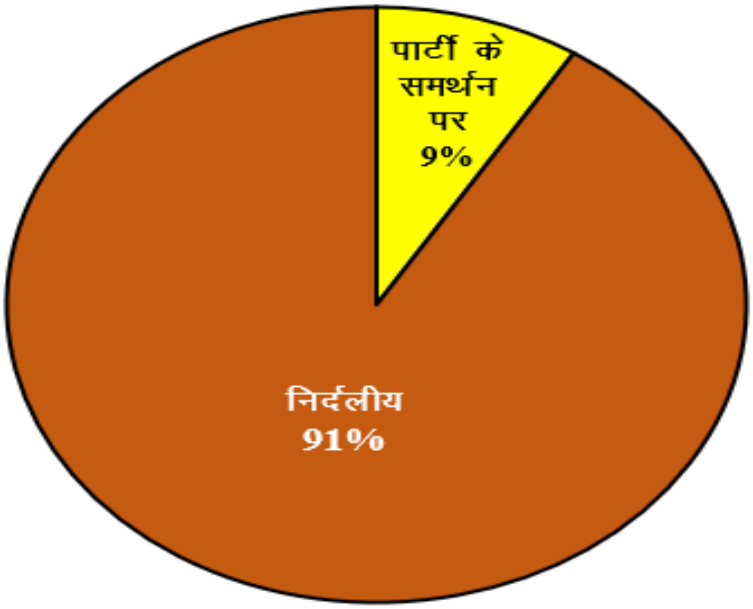

तालिका 5.3 से स्पष्ट होता है कि सुलतानपुर जनपद में 37 (8.96 प्रति"ात) महिला प्रतिनिधियों ने पार्टी के समर्थन पर तथा शेष 376 (91.04 प्रति"ात) ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। पंचायती राज व्यवस्था में राजनैतिक पार्टियों की उपस्थिति न के बराबर होने के कारण पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली महिला की आवृत्ति शून्य (0.00 प्रतिशत) है।

चयनित जनपद में महिला नेतृत्व की स्थिति

सुलतानपुर जनपद की महिला सरपंचों से उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति के बारे में जो साक्षात्कार लिया गया उसमें उत्तरदात्रियों ने जो जबाव दिया उसका उल्लेख किया गया है।

शैक्षणिक स्थिति –

शिक्षा का बहुमुखी और गहरा प्रभाव व्यक्ति पर पडता हैं। इससे व्यक्तित्व में एक तरफ नवीन उन्मेषों के प्रति जागरूकता पैदा होती हैं, वही व्यक्ति में वैचारिक दृढ़ता, प्रखर चिन्तन, महत्वाकांक्षा इत्यादि गुणों का समावेश होता हैं। महिलाओं की सामाजिक अयोग्यता, शोषण, सामाजिक अधीनता का मुख्य कारण अशिक्षा थी। जनपद के प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि महिलाओं की उक्त स्थिति में अब सुधार हुआ है। अशिक्षा के कारण उन पर आरोपित धार्मिक और सामाजिक बाध्यता पहले की तुलना में अब कमी आयी है। प्रस्तुत अध्ययन में निदर्शन में केवल महिला सरपंच सम्मिलित हैं। सुलतानपुर जनपद की महिला सरंपचों का बिना क्रम के शैक्षणिक साक्षात्कार लिया गया जो तालिका 5.4 द्वारा निम्नवत् प्रदर्शित है –

तालिका संख्या 5.4
महिला सरपंच की शैक्षणिक स्थिति

महिला सरपंच की शैक्षणिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
साक्षर	413	100
निरक्षर	00	00
कुल	413	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

महिला सरपंच की शैक्षणिक स्थिति

उपरोक्त तालिकाओं के द्वारा संकलित समंकों सें जनपद में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया और यह ज्ञात हुआ कि शत–प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है। यह उनके शैक्षणिक स्थिति में वर्तमान सुदृढता को स्पष्ट करता है। उक्त समंक की आवश्यकता इस हेतु भी आवश्यक थी क्योकि इसकें उपरान्त साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रतिउत्तर तथ्यपूर्ण सिद्ध हो सकें। उक्त अध्ययन के औचित्य के अनुरूप महिलाओं में पंचायत राज संस्थाओं के कार्य प्रणाली से जुड़े प्रश्न भी पूछे गये, जिसका उद्देश्य उनके ज्ञान अथवा वौद्धिक स्थिति को आकलन करना था। उक्त के संदर्भ में प्रश्नावली के प्रश्नों के आधार पर पूछें गये प्रश्नों के प्रतिउत्तर में प्राप्त सूचनाएँ अग्रविश्लेषित हैं।

महिलाओं में ज्ञान की स्थिति –

पंचायती राज संस्थाओं के स्तर संबंधी प्रश्न पूछनें पर महिलाओं द्वारा प्रदान किये गये उत्तर तालिका संख्या 5.5 द्वारा स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या 5.5			
पंचायत राज संस्थाओं में कितन स्तर हैं?			
क्र.सं.	पंचायती राज संस्थाओं में स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	दो	6	1.45
2	तीन	389	94.19
3	चार	5	1.21
4	पॉच	13	3.15
कुल		413	100
स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित			

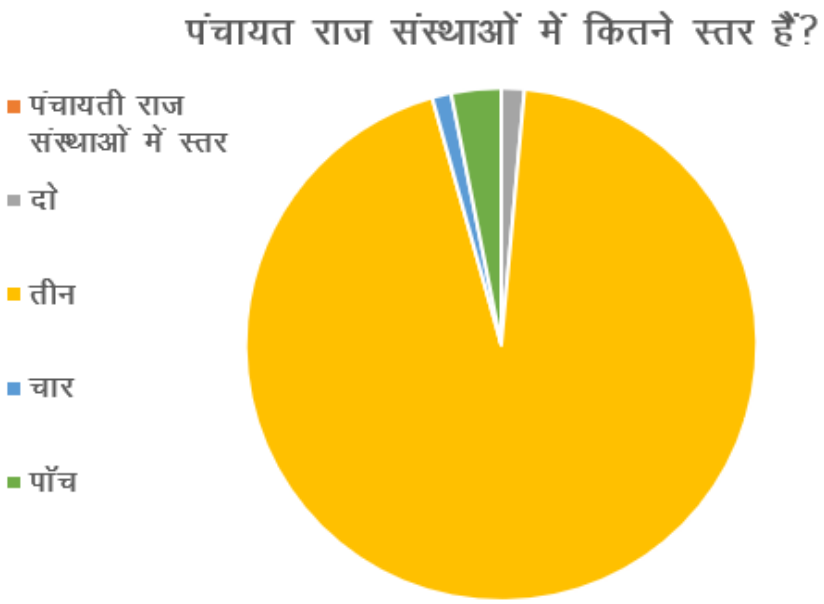

उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं में कितने स्तर होते हैं? प्रश्न के प्रतिउत्तर में महिला सरपंचों के समंकों को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें लगभग 389 महिलाओं ने (94.19 प्रतिशत) महिलाओं ने तीन स्तर को प्रतिउत्तर दिया जों उक्त प्रश्न का सही उत्तर था। इसके यह ज्ञात होता है कि पंचायत राज संस्थाओं के स्तर से सम्बन्धित सूचनाओं के बारे में महिलाओं को सार्थक ज्ञान है।

पंचायतां क चुनाव की विधि–

चुनाओं की मुख्यता विधियों सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाने पर महिलाअें को दो विकल्प उलब्ध करायें गये थें – 1. स्वयं जनता चुनाव करती है।

2. अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है।

इस प्रश्न के उत्तर में महिलाओं से प्राप्त उत्तर को निम्नवत् तालिका 5.6 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका संख्या 5.6

पंचायतों का चुनाव किस विधि से होता है?

क्र.सं.	पंचायतों के चुनाव की विधि?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	स्वयं जनता चुनाव करती है।	395	95.64
2.	अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है।	18	04.36
कुल		413	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

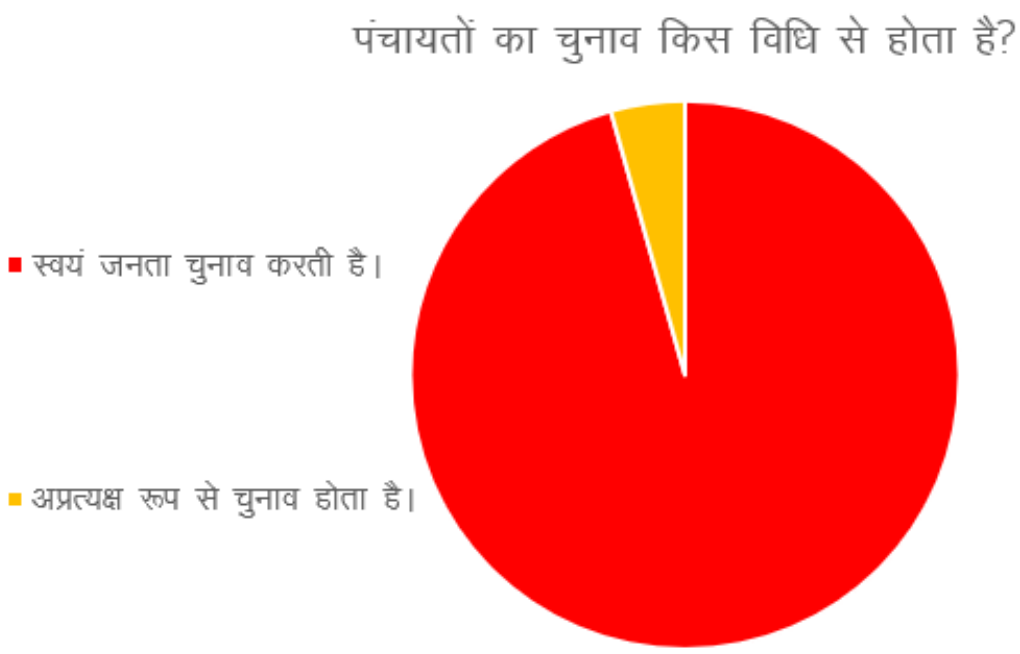

उपरोक्त तालिकाओं के पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव की विधि क्या है? प्रश्न के प्रतिउत्तर में महिला सरपंचों के समंकों को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें लगभग 395 महिलाओं ने (95.64 प्रतिशत) महिलाओं ने स्वंय जनता चुनाव करती है को प्रतिउत्तर दिया जों उक्त प्रश्न का सही उत्तर था। इसके यह ज्ञात होता है कि पंचायत राज संस्थाओं के स्तर से सम्बन्धित सूचनाओं के बारे में महिलाओं का ज्ञान सार्थक है।

पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल –

जनपद में पंचायत संस्थाओं का नेतृत्व कर रही महिलाओं से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल से संदर्भित प्रश्न पूछे जाने का उद्देश्य यह था कि महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं के कार्य–प्रणाली के बारे में कितना जानकारी है? उक्त के लिए उन्हें चार विकल्प प्रदान किये गये थे –

क) 2 वर्ष

ख) 3 वर्ष

ग) 4 वर्ष

घ) 5 वर्ष

उक्त के संदर्भ में महिलाओं से प्राप्त सूचनाओं को तालिका संख्या 5.7 द्वारा प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या 5.7

पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल

क्र.सं.	पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल	आवृत्ति	प्रतिशत
1	2 वर्ष	00.00	00.00
2	3 वर्ष	00.00	00.00
3	4 वर्ष	12	2.91
4	5 वर्ष	401	97.09
कुल		413	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

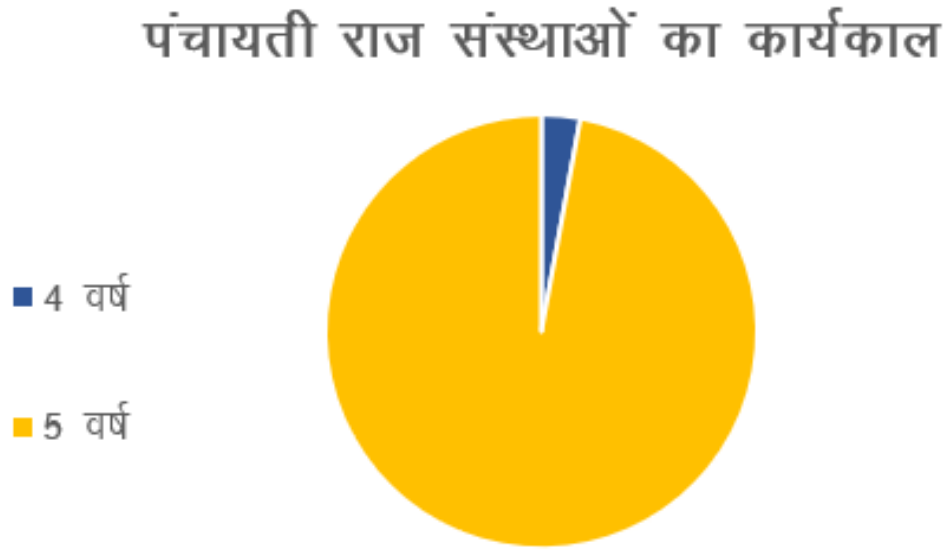

उपरोक्त तालिका के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? प्रश्न के प्रतिउत्तर में महिला सरपंचों के समंकों को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें लगभग 401 महिलाओं ने (97.09 प्रतिशत) 05 वर्ष को प्रतिउत्तर दिया, जो उक्त प्रश्न का सही उत्तर था। इसके यह ज्ञात होता है कि पंचायत राज संस्थाओं के स्तर से सम्बन्धित सूचनाओं के बारे में महिलाओं को सार्थक ज्ञान है।

संविधान का 73वां संशोधन –

प्रश्न, 73वां. संविधान संसोधन किससे सम्बन्धित है? उत्तर के तथ्य तालिका संख्या 5.8 द्वारा प्रदर्शित किया गया हैं।

तालिका संख्या 5.8

संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे सम्बन्धित है?

क्र.सं.	73वां संविधान संशोधन सम्बन्धित है।	आवृत्ति	प्रतिशत
1	ग्रामीण राज व्यवस्था	34	8.23
2	नगरपालिका व्यवस्था	15	3.63
3	पंचायती राज व्यवस्था	354	85.72
4	जानकारी नहीं है	10	2.42
कुल		413	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

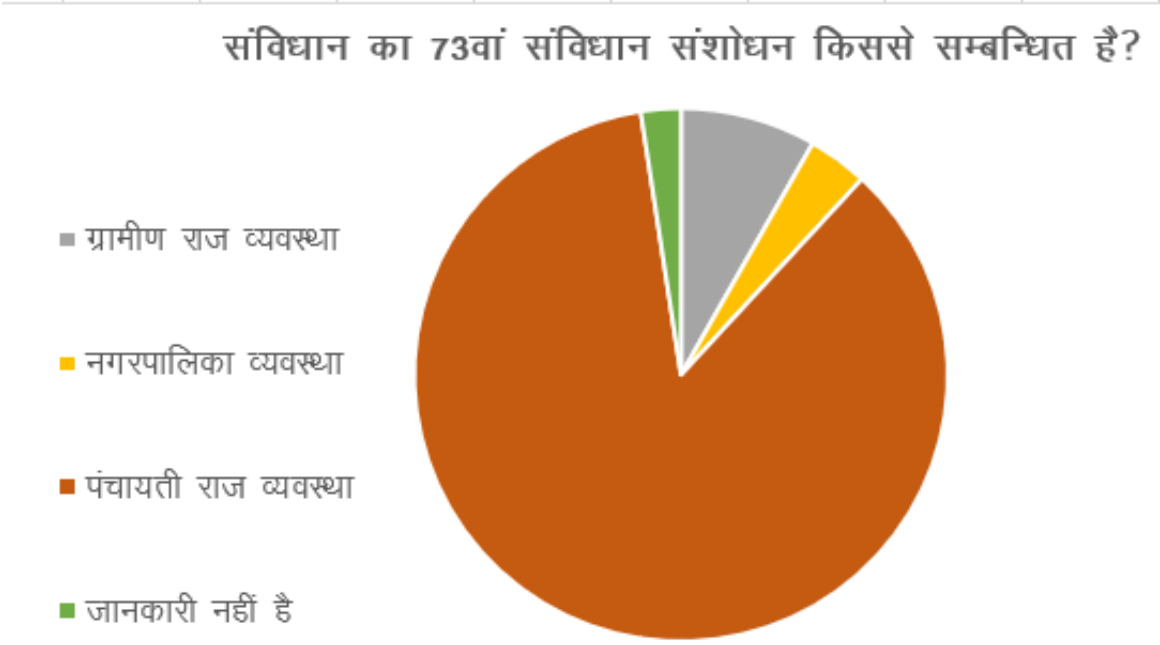

उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार 73वां. संविधान संसोधन किससे सम्बन्धित है? उक्त प्रश्न से आशय महिलाओं के पंचायती राज से सम्बन्धित शैक्षणिक ज्ञान के स्तर की जानकारी प्राप्त करना था। जिसके प्रतिउत्तर में महिला सरपंचों के समंकों को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें लगभग 354 महिलाओं ने (85.72 प्रतिशत) पंचायती राज व्यवस्था को प्रतिउत्तर दिया जो उक्त प्रश्न का सही उत्तर था। इससे यह ज्ञात होता है कि पंचायत राज संस्थाओं के स्तर से सम्बन्धित सूचनाओं के बारे में महिलाओं को सार्थक ज्ञान है।

पंचायती राज अधिनियम 1994 क बारे मं जानकारी –

पंचायती राज अधिनियम से सम्बन्धित कई नीतियों से सम्बन्धित तथा वर्तमान पंचायती राज अधिनियम 1944 ये जुडी जानकारी के बारे में मंहिला सरपंचों से प्रश्न इस आशय से पूछे गये कि वे अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक है। उक्त आशय से पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में जानकारी से संदर्भित प्र"न पूछने पर महिलाओं के द्वारा प्रदान किये गये प्रतिउत्तर को तालिका संख्या 5.9 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या 5.9			
पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में जानकारी			
क्र.सं.	पंचायती राज अधिनियम 1994 की जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पूर्ण	34	8.23
2	आंशिक	289	69.98
3	नहीं	90	21.79
कुल		413	100
स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित			

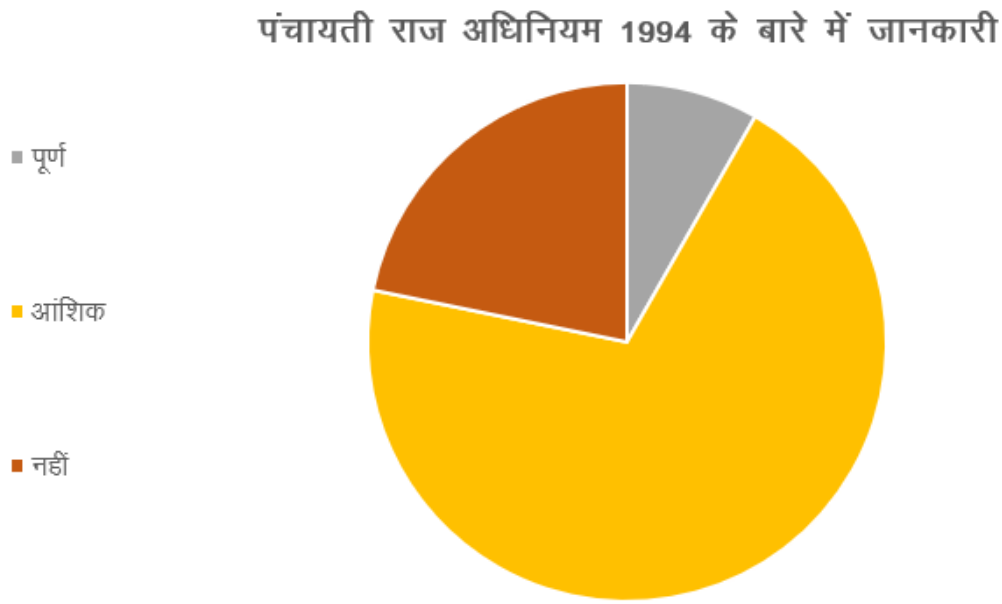

उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में जानकारी से संदर्भित प्रश्न पूछें गयें। प्रश्न के प्रतिउत्तर में बड़ी मात्रा में महिला सरपंचों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में आंशिक जानकारी है। उक्त प्रश्न के

प्रतिउत्तर में लगभग 289 महिलाओं ने (69.82 प्रतिशत) आंशिक जानकारी तथा कुल 34 महिलाओं (8.23 प्रतिशत) में पूर्ण जानकारी को स्वीकार किया। 90 महिला सरपंचों (21.79 प्रतिशत) ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें पंचायती राज अधिनियम 1994 में बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त तालिका से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग आधे से अधिक महिलाओं को पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में जानकारी है।

पंचायतो राज संस्थानां क नियमां के बार मं जानकारी –

किसी भी व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए उसकी नियमावली की सही जानकारी होना अति–आवश्यक होता है। इसी आशय से पंचायती राज व्यवस्था के संचालन हेतु बने नियमों की जानकारी से सम्बन्धित प्र"न महिला सरपंचों से साक्षात्कार के क्रम में पूछे गये। जिसके उत्तर में प्राप्त विवरण तालिका संख्या 5.10 में प्रदर्शित है।

तालिका 5.10

पंचायती राज संस्थानां के नियमों की जानकारी

क्र.सं.	पंचायती राज नियमों की जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	85	20.58
2	नहीं	105	25.42
3	कुछ–कुछ	223	54.00
कुल		413	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

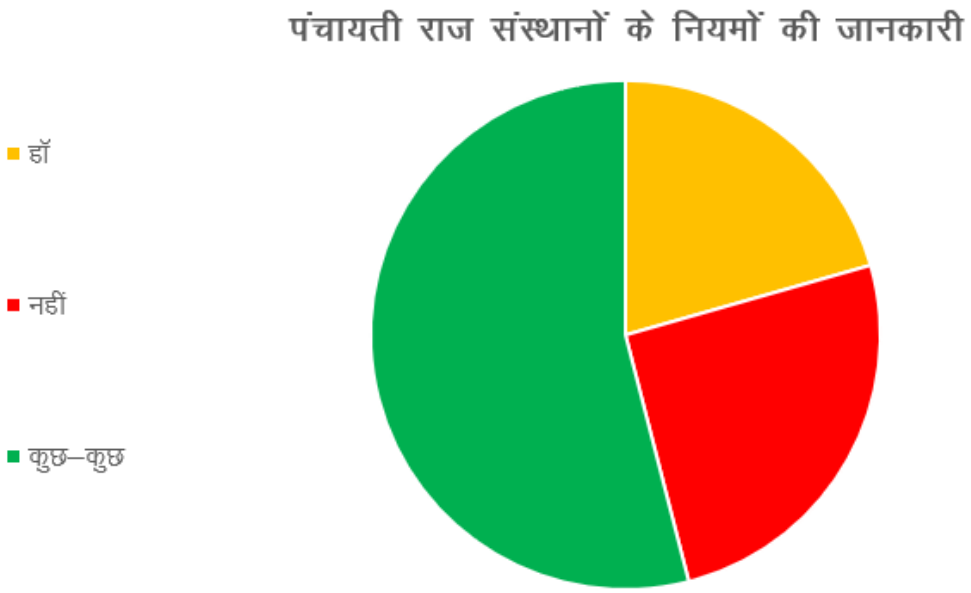

उपरोक्त तालिका में पंचायती राज व्यवस्था के संचालन हेतु बने नियमों की जानकारी सम्बन्धित प्र"न के उत्तर से संदर्भित प्रश्न पूछें गयें। प्रश्न के प्रतिउत्तर में बड़ी मात्रा में महिला सरपंचों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था के संचालन हेतु बने नियमों की कुछ–कुछ जानकारी है। उक्त प्रश्न के प्रतिउत्तर में लगभग 223 महिलाओं ने (54. 00 प्रतिशत) कुछ–कुछ जानकारी तथा कुल 85 महिलाओं (20.58 प्रतिशत) नें पूर्ण जानकारी को स्वीकार किया। 105 महिला सरपंचों (25. 42 प्रतिशत) ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें पंचायती राज अधिनियम 1994 में बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त तालिका से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग आधे से अधिक महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के संचालन हेतु बने नियमों की जानकारी सम्बन्धित प्र"न के उत्तर से संदर्भित जानकारी है।

पंचायती राज व्यवस्था मं महिला आरक्षण –

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण से सम्बन्धित जानकारी से संदर्भित प्र"न पूछने पर महिलाओं के द्वारा प्रदान किये गये प्रतिउत्तर को तालिका संख्या 5.11 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या 5.11			
पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाआं क लिए कितना प्रतिशत आरक्षण			
क्र.सं.	पंचायती राज में महिला आरक्षण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	20 प्रतिशत	42	10.17
2	33 प्रतिशत	198	47.94
3	50 प्रतिशत	102	24.70
4	50 प्रतिशत से अधिक	71	17.19
कुल		413	100
स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित			

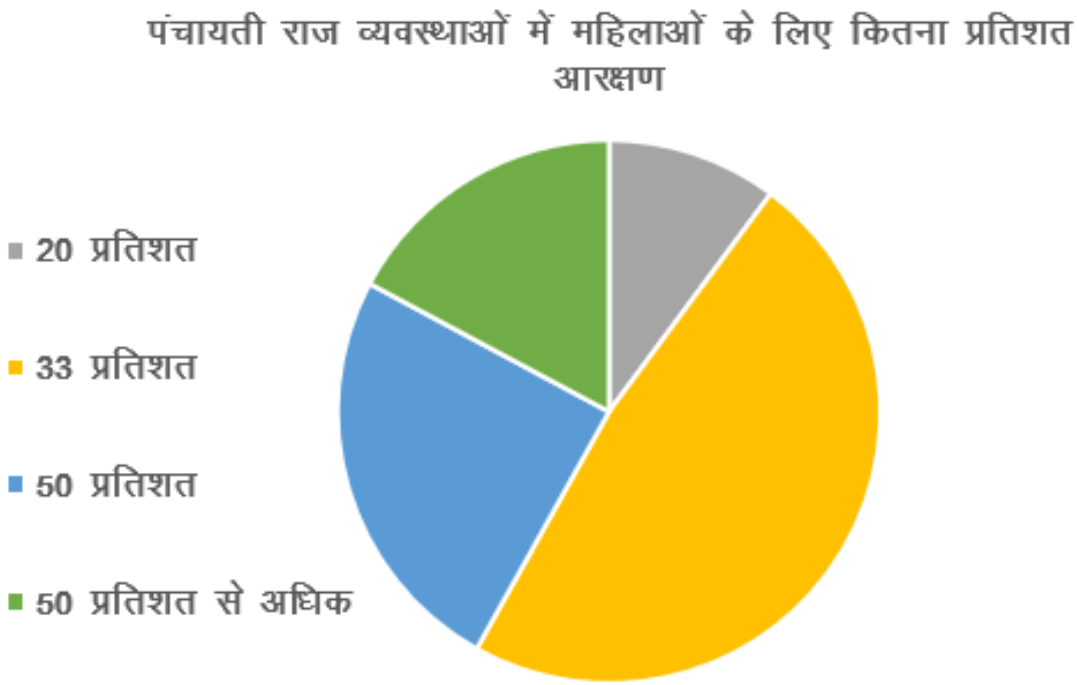

उपरोक्त तालिका में पंचायती राज व्यवस्था के महिलाओं के आरक्षण से सम्बन्धित प्र"न के उत्तर से संदर्भित प्रश्न पूछे गयें। प्रश्न के प्रतिउत्तर में बड़ी मात्रा में 198 महिला सरपंचों (कुल का 47.94 प्रतिशत) ने 33 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकार किया जो सही प्रतिउत्तर है, जबकि 102 महिला सरपंचों (कुल का 24.70 प्रतिशत) ने 50 प्रतिशत आरक्षण को प्रतिउत्तर के रूप में चयन किया। जो 2015 के बाद से निरन्तर मॉग के रूप में बना है। इस प्रकार लगभग 72.64 प्रतिशत सरपंचों ने सही उत्तर के निकट प्रतिउत्तर दिया। उक्त तालिका से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग आधे से अधिक महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण से सम्बन्धित सहीं जानकारी है।

महिला आरक्षण पर विचार –

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण से सम्बन्धित महिला सरपंचों के विचार से संदर्भित प्र"न पूछने पर महिलाओं के द्वारा प्रदान किये गये प्रतिउत्तर को तालिका संख्या 5.12 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5.12

महिलाओं के आरक्षण की उचितता

क्र.स.	महिलाओं के आरक्षण को उचित मानती है?	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	389	94.19
2	नहीं	24	05.81
कुल		**413**	**100**

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

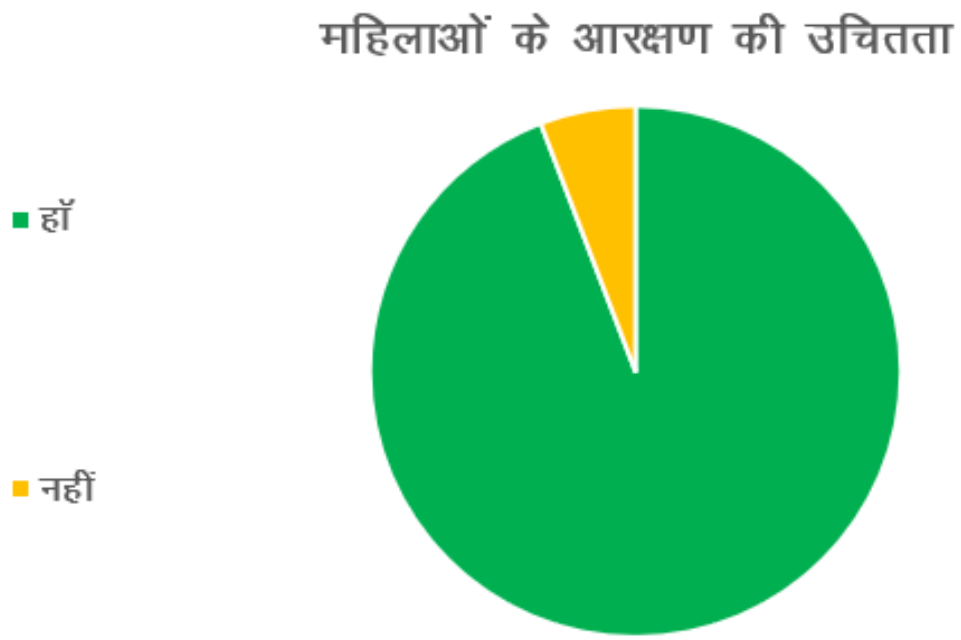

उपरोक्त तालिका में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण से सम्बन्धित महिला सरपंचों के विचार से सम्बन्धित प्र"न के उत्तर से संदर्भित प्रश्न पूछे गयें। प्रश्न के प्रतिउत्तर में बड़ी मात्रा में 389 महिला सरपंचों (कुल का 94.19 प्रतिशत) ने महिलाओं के आरक्षण को उचित माना है। उनका मत था कि वर्तमान पंचायती राज में पुरूष नेतृत्वों की वर्चस्वता की स्थिति में महिलाओं को आरक्षण द्वारा ही प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हो सकता है जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

केवल 24 महिला सरपंचों (05.81 प्रतिशत) ने आरक्षण को उचित नहीं माना। इन महिला सरपंचों का मत था कि आरक्षण से सामाजिक आरक्षण, सामाजिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि पुरूषों द्वारा इसमें भी पुरानी व्यवस्था को प्रधानपति के नाम पर अपनाया जाता है। उनका मानना है कि आरक्षण के स्थान पर कोई नयी व्यवस्था अपनानी चाहिए, जिससे महिलाओं की स्थिति को सीधा लाभ मिल सके।

महिलाआं क लिए पुरूषां के समान राजनीतिक अवसर –

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को क्या पुरूषों के समान राजनीतिक अवसर प्राप्त है? से संदर्भित प्र"न पूछने पर महिलाओं के द्वारा प्रदान किये गये प्रतिउत्तर को तालिका संख्या 5.13 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या 5.13

महिलाओं के लिए पुरूषों के समान राजनीतिक अवसर

क्र.सं.	समान राजनीतिक अवसर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	159	38.50
2	नहीं	254	61.50
कुल		413	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

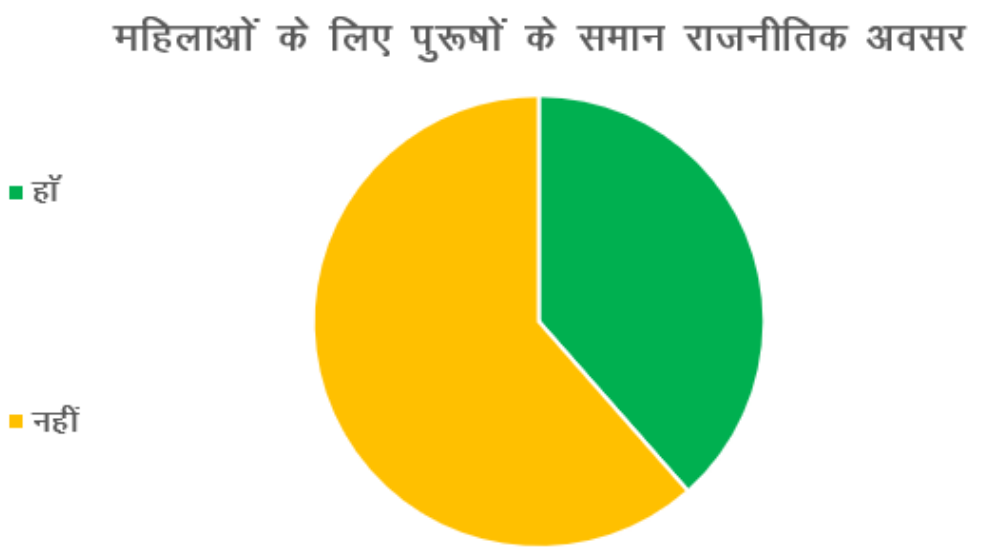

उपरोक्त तालिका में पंचायती राज व्यवस्था की महिलाओं के लिए पुरूषों के समान राजनीतिक अवसर प्राप्त है? से संदर्भित प्रश्न पूछे गयें। प्रश्न के प्रतिउत्तर में बड़ी मात्रा में 254 महिला सरपंचों (कुल का 61.50 प्रतिशत) ने यह माना कि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को पुरूषों के समान राजनीतिक अवसर नहीं प्राप्त है। जबकि कुल 159 महिला सरपंचों (38.50 प्रतिशत) ने यह माना कि तमान सरकारी प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को समान राजनीतिक अवसर की प्राप्त नहीं होता है।

उक्त प्रश्न के हॉ अर्थात् राजनीति में समान अवसर प्रदान है, के सम्बन्धों में प्रतिउत्तर देने वाली महिला सरपंचों में मुख्यतः 50 वर्ष आयु से अधिक उर्म की महिला सरपंच शामिल है। जिससे यह ज्ञात होता है युवा महिला सरपंच आज भी राजनीति में महिलाओं की स्थिति को चुनौतीपूर्ण माननी है। आज भी उनका मानना है कि महिलाओं कों और अधिक अधिकार एवं स्वतंत्रता पारिवारिक एवं सरकारी स्तर पर प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनकी स्थिति एवं प्रतिभागिता में सुधार हो सके।

साक्षात्कार के दौरान सरपंचो से हुए मौखिक प्रतिवाद एवं प्रश्नावली के प्रतिउत्तर से सम्बन्धित अनुभव

साक्षात्कार के दौरान कुछ युवा महिला सरपंचों ने बताया कि भारत में प्राचीन काल से पंचायत शब्द प्रचलित रहा है, चाहे वह जातीय पंचायत रही हों, चाहे न्याय प्रदान करने की संस्था रही हो। सभी के लिए पंचायत शब्द को बहुतायत रूप से प्रयोग में लाया गया है। पंचायती राज का अर्थ स्थानीय स्वशासन से है। जिसमें स्थानीय नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं के द्वारा ही करते हैं। अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। आज लोकतंत्र को भले ही हम पश्चिम के अनुगामी बनकर अपनाये, लेकिन प्राचीन भारत में भी गणराज्यों के उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेदिक युग, गुप्त काल, महाजनपद काल में गणराज्यों के उदाहरण मिलते है।

ब्रिटिश आधिपत्य में भारत के पंचायतों या स्थानीय संस्थाओं को अधिक महत्व नहीं दिया गया। तत्पश्चात् स्वतंत्रता आन्दोलन के समय भी स्थानीय संस्थाओं की ओर ध्यान नही ं दिया जा सका। भारत के आजाद होने के साथ लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को तो अपनाया लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को विरोध के कारण संविधान में स्थान नहीं मिल पाया। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का विरोध किया था। केवल अनुच्छेद 40 में ही पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। दूबेपर ब्लाक की एक महिला सरपंच ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जनपद में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं का आगाज 1959 में किया गया जो औसतन प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान है और 73वें संविधान संशोधन के बाद सही मायने में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार मिला। अब पंचायती राज संस्थाऐं सशक्त हुई और उन्हें काम करने का अधिकार मिला। स्थानीय नागरिकों को अपनी समस्याऐं सुलझाने का स्थानीय स्तर पर मौका मिला।

उत्तर–प्रदेश में 1994, 1996 और सन् 2000 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के प्रावधान किये गये। 2021 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया। जिसके बाद पंचायती राज संस्थाऐं न केवल शक्ति"ाली हुई बल्कि आधी आबादी को पंचायती राज संस्थाओं में पचास फीसदी सहभागिता निभाने का अवसर मिला। प्रस्तुत शोध में इस आधी आबादी के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया गया है।

महिला सरपंचों से प्रशासन सरकारी योजनाओं, चुनाव प्रक्रिया, राजनीति मे ं भाग लेने की प्रेरणा एवं उनके व्यक्तिगत विवरण से सम्बन्धित सवाल किये गये, जिनका उत्तरदात्रियों ने सहजता से जबाव दिया। महिला सरपंचों ने अपने कार्यकाल में आने वाली समस्याऐं एवं उपलब्धियों का भी बखान किया, साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में काम करने के अपने अनुभव को प्रमुख खोज कर्ता के साथ साझा किया।

ग्राम पंचायत सरैया महमूद की सरपंच ने ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में कहा कि मैंने अभी तक 50 लाख रूपये के कार्य करवा दिये है, लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सहयोग नहीं करते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि "हम कर भी क्या सकते है, सरकारी योजनाएँ बिना घूस दिये कागज आगे बढता नहीं, हर काम पर सरकारी कमीशन खोरी की समस्या है।'' मगरसन कला की पूर्व बी0डी0सी0 सरपंच सरोजा देवी का कहना है कि मैंने ग्राम पंचायत में अनेक विकास कार्य करवाये है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पें"ान योजना लागू करवाई। ग्राम पंचायत उतुरी की सरपंच ने सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि वे पति के सहयोग से राजनीति में आई हैं। उन्होंने कहा कि "पूर्व में ग्राम पंचायत में विकास नहीं था। उनके सरपंच बनने के बाद ही ग्राम पंचायत में विकास हुआ है। उन्होने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अहिमाने पंचायत समिति से जनपद सुलतानपुर की दूरी 08 किमी होने के कारण गॉव में ही अपने प्रयासों से ग्रामीण बैंक खुलवाया। कई सरपंच धार्मिक विचार धारा की होने के कारण अपने धार्मिक संस्मरण से सम्बन्धित अनुभव साझा किये। लगभग सभी महिला सरपंचों ने यह सुझाव दियें कि ग्राम पंचायत में बालिका ि"ाक्षा पर जोर दिये जाने की आव"यकता बताई। ''बेटी पढाओं, बेटी बचाओं'',''उज्जवला योजना'',''ग्रामीण स्वच्छता मिशन'' जैसे योजनाअें की पहुंच और अधिक व्यापक करने पर लगभग सभी ने जोर दिया। पानी की समस्या को दूर करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गॉव में ही व्यवस्था करना ताकि गॉव से पलायन रोका जा सके, आदि पर भी महिला सरपंचों ने खुले मन से चर्चा की।

चयनित जनपद सुलतानपुर के उघड़पुर पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत वार्ड पंच जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, ने ग्राम स्तर पर महिला रोजगार के लिए भी कई कार्यक्रम जैसे, सिलाई–कढाई, बुनाई, पेंटिंग, व्युटिशियन, डेयरी, बेकरी, जैसे कार्यक्रम में भी पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया। बल्कि उनका कहना था कि हर ग्राम पंचायत में मनरेगा की ही तरह इस प्रकार की योजनाओं को संचालित करना चाहिए,

तथा इनसे उत्पादित वस्तु के लिए ग्रामीण स्तर पर विक्रय समितियों का गठन कर उन्हीं के द्वारा विपणन की भी व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। जिससें महिलाओं की प्रतिभागिता को अनिवार्य अथवा प्रमुखता से करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इससे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।

चयनित जनपद में महिला प्रतिनिधियों की समस्या :

राष्ट्रीय प्रणेता स्वामी विवेकानन्द ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को आव"यक बताते हुए कहा था कि "जिस प्रकार एक पंख से चिडिया उडान नहीं भर सकती है, उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता"। निःसंदेह रूप से, महिलाऐं समाज की अभिन्न अंग है। अतः महिलाओं की भागीदारी के बिना सामाजिक–आर्थिक विकास की अवधारणा अधूरी है।

हमारे दे"ा में स्वतन्त्रता से पूर्व महिलाऐं उपेक्षा, भेदभाव एवं शोषण का दं"ा झेल रही थी। पुरूष वर्ग ने पुरूष प्रधान सत्ता में अपना वर्चस्व यथावत बनाए रखने के लिए महिलाओं को निर्णयाधिकार से वंचित रखते हुए उनका कार्यक्षेत्र चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया। निर्णयाधिकारों से अछूती महिलाऐं संसाधनों के असमान वितरण, अपने हितों की उपेक्षा एवं शोषण व अत्याचारों को मूक द"ार्क बनकर सहती रही। इन विविध सामाजिक दं"ाों व आर्थिक पराधीनता के कारण महिलाऐं सामाजिक–आर्थिक विकास की दौड में पिछड गई तथा राजनैतिक क्षेत्र में उनकी भूमिका नगण्य रही। राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण ही वे लैंगिक आधार पर एक समतामूलक समाज की स्थापना में सफलता नहीं मिली।

जितनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की है उतनी बडी वि"व के किसी भी दे"ा में नहीं है। लोकतंत्र मुख्य रूप से विकेन्द्रीयकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। शासन के ऊपरी स्तरों (केन्द्र एवं राज्य) पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की निचले स्तर पर

लोकतांत्रिक मान्यताऐं तथा मूल्य शक्तिशाली न हो। यदि लोकतंत्र का तात्पर्य जनता की समस्याऐं दूर करना उनके समाधान की प्रक्रिया में जनता की समग्र तथा प्रत्यक्ष भागीदारी है। तो प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं वि"ाष्ट लोकतंत्र का प्रमाण उतना सटीक अन्य जगह देखने को नहीं मिलेगा, जितना स्थानीय स्तर पर। इसकी बजह यह है कि वहाँ जनता एवं उसके प्रतिनिधियों मध्य शासक तथा शासितों के सम्पर्क तुलन्तात्मक रूप से लगातार सतर्कतापूर्ण एवं ज्यादा नियत्रंणपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र की सबसे श्रेष्ठ पाठ"ाला और उसकी सफलता की सबसे ज्यादा गारण्टी स्थानीय स्वायत्त शासन का संचालन है।

पंचायती राज लोक व्यवस्था भी एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके द्वारा जनता और प्र"ाासन के बीच की दूरी कम होती है और दोनों में नजदीकी सम्बन्ध बनाता है। भारत जैसे बड़ी आबादी, विविधता, क्षेत्रीय विभिन्नता वाले बड़े दे"ा में लोकतंत्र को सार्थक और कल्याणोन्मुखी बनाने हेतु विकेन्द्रीकरण अन्तर्निहित जरूरत है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ शक्ति का अन्तरण होना लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में अति आवष्यक तथा वांछित प्रक्रिया है। लोकतंत्र में सम्प्रभुता का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ और निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ होना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज के माध्यम से ही प्र"ाासन को साधारण लोगों के पास तक पंहुचाया जा सकता है। लोकतंत्र की संकल्पना को ज्यादा यथार्थ में अस्तित्व देने की दि"ाा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यो में सतत् रूचि बनी रहती है क्योंकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय प्रणाली से हल कर सकते हैं। ये लोग अपने स्थानीय स्तर पर नियामकीय तथा वैकल्पिक कार्यों का सम्पादन करने में सहायक साबित होते हैं। अतः इस अर्थ में पंचायती राज संस्थाऐं स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदारी की प्रक्रिया के जरिए लोगों को प्रत्यक्षतः एवं परोक्ष रूप से शासन एवं प्र"ाासन का प्र"िाक्षण स्वयं ही प्रदान करती रहती है। स्थानीय

स्तर पर प्रशिक्षण लेकर ये स्थानीय पुरूष एवं महिला जन प्रतिनिधि कालान्तर में विधानसभा एवं संसद का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात् दे"ा में महिलाओं की स्थिति सुधारने, स"ाक्त व सुदृढ करने हेतु अनेक नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया गया। किन्तु इन सबके बावजूद राजनीति में महिलाओं की सहभागिता न्यून दर्ज की गई। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए महिलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि" संख्या की दृष्टि से महिलाऐं अल्पसंख्यक नहीं मानी जा सकती, परन्तु स्थिति व राजनीतिक शक्ति में असम्भावना के कारण उनमें अल्पसंख्यकों के लक्षण ब जहाँ तक स्त्रियों के अधिकारों का प्र"न है, संविधान द्वारा घोषित नई सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों और समकालीन भारतीय समाज की वास्तविकताओं के मध्य जो खाई है, वह आज भी उतनी ही गहरी और चौडी है, जितनी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय थी।" इस समिति ने अपनी स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनि"चत करने तथा उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की अनु"ांसा की। इन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए ही महिलाओं की आधिकारिक परिस्थिति के संवर्धन, उनके सामाजिक व पारिवारिक जीवन स्तर को सुधारने तथा राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि करने हेतु सरकार ने अप्रैल 1993 में 73वें संविधान सं"ाोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया।

गौरतलब है कि केवल सदस्य स्तर पर ही नहीं अपितु अध्यक्ष जैसे सर्वोच्च पद के लिए भी सरकार ने आरक्षण व्यवस्था सुनि"चत करते हुए पुरूष प्रधान राजनीतिक वातावरण में महिलाओं को समान वर्चस्व व भागीदारी स्थापित करने का संकल्प अभिव्यक्त किया है। निःसंदेह रूप से वर्ष 1993 को पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में "विभाजक वर्ष" कहा जाए तो कोई अति"योक्ति नही ं होगी।

वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि दे"ा के संविधान के अनुच्छेद 243 में सं"ाोधान हेतु विधेयक पारित करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को न्यूनतम 50 प्रति"ात आरक्षण दिया जाएगा। निःसंदेह रूप से यह विधेयक महिला स"ाक्तीकरण एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनि"चित करने की दि"ाा में मील का पत्थर साबित होगा। इस सं"ाोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नियुक्त होने वाले पदों पर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

यह सभी जानते है कि दे"ा का समग्र एवं सन्तुलित विकास महिलाओं की सक्रिय भागीदारी व स"ाक्तीकरण के बिना सम्भव नहीं है। महिला स"ाक्तीकरण की दि"ाा में बढनें हेतु यह नितान्त आव"यक है कि महिलाओं से सम्बन्धित नीतियों, योजनाओं व विविध कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में उनकी सक्रिय सहभागिता व उपस्थिति को सुनि"चित किया जाए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो निःसंदेह रूप से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था महिला स"ाक्तीकरण एवं राजनीतिक शक्ति संरचना में उनकी भागीदारी हासिल करने की दि"ाा में उठाया गया एक साहसिक स"ाक्त कदम है।

हर्ष का विषय है कि इसी कारण से लगभग 15 लाख महिलाओं को घर की देहरी से बाहर कदम रखकर ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हो सका है। इतना ही नहीं, इन पंचायतों में निर्वाचित महिला पंचों की संख्या लक्षित 33 प्रति"ात से अधिक करीब 40 प्रति"ात रही है।

पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण रूपी कवच की प्रगति होने के कारण ही महिलाओं में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृति एवं राजनैतिक सहभागिता का सूत्रपात हुआ हैं। इसके साथ ही महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के कारण बढोत्तरी दर्ज की गई है। पुरूष वर्ग भी महिलाओं की योग्यता, क्षमता व अनुभव का लोहा मानने लगा है। पुरूष वर्ग की संकीर्ण मानसिकता में

परिवर्तन आने के कारण भी महिला ि"ाक्षा, बालिका ि"ाक्षा व लैंगिक समानता जैसे उदार विचारों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देते हुए महिला स"ाक्तीकरण की राह को आसान बना रहे है। इन सब सकारात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप महिलाओं में नई चेतना, नई सामर्थ्य व आत्म वि"वास की किरणों का संचार हो रहा है, जिससे महिला स"ाक्तीकरण की प्रक्रिया स"ाक्त व मजबूत होती जा रही है।

नि"चित रूप से पंचायतों के माध्यम से महिलाओं को स"ाक्त व सक्षम बनाया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिये बिना एक तरफ तो उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में लोकतांत्रिक संरचना पर प्र"नचिन्ह लग जाता है तो दूसरी तरफ महिलाओं के स"ाक्तीकरण के बिना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती हैं। राजनीतिक धरातल पर महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पंचायतों के माध्यम से पर्दा प्रथा, अन्धवि"वास, रूढियों एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में भी महिला पंच एवं सरपंच प्रभावी भूमिका निभा रही है। अब यह तथ्य स्वीकारा जाने लगा है कि महिलाओं में भी योग्यता, दक्षता, कौ"ाल व क्षमता है तथा पर्याप्त व समान अवसर उपलब्ध होने पर वे अपनी क्षमताओं व योग्यताओं का पूर्ण व सार्थक उपयोग करके दे"ा के विकास की गति को तीव्र कर सकती हैं।

इस सकारात्मक प्रभाव के बावजूद विभिन्न राजनैतिक प्रभुत्व वाले व्यक्ति एवं ग्रामीण समाज के प्रतिष्ठित वर्ग येन–केन प्रकारेण प्रताड़ित करके डरा धमकाकर उनकी इज्जत पर अंगुली उठाकर महिला प्रतिनिधियों को गैर कानूनी व असामाजिक कृत्यों के लिए बाध्य कर देते हैं। निरक्षरता व राजनैतिक जागरूकता का अभाव होने के कारण निर्वाचित महिला पुरूष वर्ग के दि"ाा–निर्दे"ाानुसार विभिन्न प्रस्तावों पर अंगूठा लगाकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है। जिसकी वजह से इन महिला प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार, हेराफेरी व गबन जैसे मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रहीं है।

समाज की तुच्छ सोच व संकीर्ण मानसिकता के कारण महिलाऐं आरक्षण व्यवस्था का समुचित लाभ उठाने से वंचित हो रही है। प्रस्तुत शोध में यह तथ्य रेखांकित किया है कि पुरूष प्रधान समाज में निर्वाचित महिलाऐं पुरूषों के हाथों में कठपुतली मात्र बनकर रह गयी है। महिलाऐं दब्बू, संकोच"ाील व राजनीतिक कार्य प्रणाली से अनभिज्ञ होने के कारण पुरूष वर्ग के निर्दे"ाों व मार्गद"ार्न के अनुरूप मूकद"ार्क की भांति कार्य करने को विव"ा है।

जातिगत बन्धन व जातिगत प्रथाऐं भी महिलाओं की स्वतन्त्र भूमिका में व्यवधान है। प्रस्तुत शोध में यह भी तथ्य सामने आया है कि पंचायत के पुरूष सदस्य महिला सदस्यों को बैठकों में आमंत्रित ही नहीं करते हैं। अतः बैठकों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता का तो प्र"न ही नहीं उठता है। अभी भी अधिकां"ा महिला पंच व सरपंच निर्णयाधिकारों से कोसों दूर हैं। घर पर ही रजिस्टर भेजकर महिलाओं की उपस्थिति दर्ज करवाने से महिलाओं की सार्थक भूमिका पर सवालिया नि"ाान लग जाता है।

महिला प्रतिनिधियां की उपलब्धियां –

1. स्थिति में सुधार :– पंचायती राज व्यवस्था से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। यह भी सच है, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना है।
2. राजनीतिक चेतना जगी है :– पंचायत मे ं महिला प्रतिनिधित्व के आ जाने से ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है। जब महिला ही महिलाओं का चुनाव करेंगी तो नि"चित रूप से उनमें इस भावना का संचार होगा कि एक दिन वह भी चुनी जा सकती हैं जब इनमें चुनाव के सम्बन्ध में चेतना उत्पन्न होगी तो निःसंदेह वो इस बात पर ध्यान देगी कि कौन सी महिला उनका सही प्रतिनिधित्व करेगी। अतः प्रतिनिधित्व वास्तविक और सही होगा।
3. आत्म सम्मान बढ़ा है – भारतीय संविधान में सं"ाोधन करके परम्परावादी भारतीय समाज में बहुत बडा परिवर्तन कर दिया है। इस आधी आबादी को पूरी आजादी देने का सही रास्ता संसद से होकर

ही गुजरा और 73वें सं"ोधन के रूप में परिणाम सामने हैं। अब महिलाओं को पंचायती राज में 50 फीसदी आरक्षण मिलने के बाद अधिक संख्या में चुनाव जीतकर आने लगी है। महिला आरक्षित सीटों पर चुनावो में पुरूष अधिक संख्या में प्रचार करते हैं, और उनके हाथों में महिलाओं के पोस्टर होते है। जिससे महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा है।

4. शोषण के विरूद्ध जागृति :– भारतीय समाज में प्राचीनकाल से महिलाओं ने शोषण का दं"ा झेला हैं। रामराज्य में सीता को भी वनवास जाना पड़ा था। राजा महाराजाओं द्वारा किये जाने वाले बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जैसे अन्ध वि"वासों ने वर्षों तक महिलाओं के शोषण में पुरूषों की मदद की थी। पुरूष महिलाओं को सार्वजनिक कार्यों से दूर रखने का ही प्रयास करता रहा है, पंचायतो ं को केवल पुरूषों के लिए बनाई गई संस्था ही मानते थें। 73वें सं"ोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला और कुछ हद तक शोषण के विरूद्व महिलाओं मे जागृति भी आई है।
5. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ रही है – इन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, इससे पर्दा प्रथा थमी हैं।
6. निर्णय क्षमता में इजाफा :– पुरूष प्रधान समाज की सामाजिकता के तमाम दबावों के बाबजूद उत्तर प्रदेश के सुलतानुपर जनपद के निमनों गॉव की सरपंच कोमल देवी ने अपने ही पति और ससुर को अधिसूचना जारी कर पूछा कि पंचायत की जमीन हडपने की वजह से उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों न की जाए।
7. कार्य पद्धति में खुलापन :– महिला प्रतिनिधित्व के कारण सार्वजनिक विषयों तथा निर्णयों पर विचार–विम"ा का दायरा रसोईघर तक पहुॅच गया है, जबकि पहले ये चौपालों तक ही सीमित था। सार्वजनिक मामलों में पुरूषों की जोड–तोड को महिलाऐं समझ नहीं पा रही है,

और वे उसे गोपनीय भी नहीं रख पाती हैं। फलस्वरूप कार्यप्रणाली में स्पष्टवादिता तथा खुलापन पहले की तुलना में अधिक है। इससे भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो रहे हैं।

महिला प्रतिनिधियों की समस्या का निदान

समाधान :– पंचायती राज की सफलता के लिए जागरूकता एक महत्वपूर्ण शर्त है। महिलाओं को उनके अधिकार शक्तियॉ और कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। महिला जन प्रतिनिधियों के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रषिक्षण केन्द्र लगाकर इन्हें विकास के विभिन्न पहलुओं से भी परिचित कराया जाना चाहिए, उन्हें उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिससे महिलाऐं जल्दी समझ सकें, प्रशिक्षण छोटे–छोटे समूहों में देना चाहिए जिससे प्रत्येक महिला पर प्रशिक्षक उचित समय दे सकें।

- चूँकि पंचायत प्रतिनिधि पढने–लिखने की सामान्य अवस्था पास कर चुके हैं। अतः उनके स्तर पर ही शिक्षण–प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके लिए स्थानीय महिला प्रशिक्षिका आवश्यक है।
- पंचायत प्रतिनिधि अधिकतर काम करने वाले है, अतः प्रशिक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस प्रशिक्षण से उनके जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान न आए।
- बाल विवाह पर रोक हो, जिससे बालिकाओं को पूर्ण व्यक्तित्व विकास का अवसर मिल सके।
- हाई स्कूल से ऊपर की बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- निर्धनता निवारण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढाई जाये।
- महिला विकास कोष पंचायत स्तर पर बनाया जाय
- राष्ट्रीय महिला कोष का प्रचार–प्रसार किया जाये।

- ऐसे परिवारों की पहचान की जाए जिनकी मुखिया महिला हों तथा जिनके पास रोजगार, आवास और स्वच्छ जल के स्त्रोत नहीं है, उन्हें आवास दिया जाए तथा वयस्क महिलाओं को रोजगार पर लगाया जाए।
- गॉव के उद्यम"ाीलता को प्रोत्साहन दिया जाए।
- महिला पंचायत प्रतिनिधि बड़ी संख्या में राजनैतिक रूप से अ"िाक्षित है वे केवल साक्षर है, उनके चुनाव लड़ने के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक रही है। यहीं राजनीतिक बैठकों में उनकी प्रबल सहभागिता में बाधक तत्व के रूप में परिलक्षित हुई। अतः महिलाओं के राजनीतिक साक्षरता पर वि"ोष ध्यान देना होगा। महिला ि"ाक्षा को अनिवार्य करना होगा। ि"ाक्षा के आधुनिक तरीकों, फिल्म, कम्प्यूटर आदि से उन्हें इस प्रकार से ि"ाक्षा उपलब्ध करानी होगी। जिससे उनके पढ़ने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। गॉव की महिला ि"ाक्षिका द्वारा स्थानीय तरीके से ि"ाक्षा का प्रबन्ध करना होगा।
- महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योगों में लगाना चाहिए, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ पारिवारिक रोजगार एवं आय में वृद्धि की जा सकती है।
- वानिकी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- महिलाओं को संगठित होकर पुरूष प्रधान मानसिक व्यवस्था को बदलना होगा, जिसके लिए महिला प्रतिनिधि संगठन बनाना होगा।
- महिलाओं को समझौतावादी नीति छोडकर अपनी राय को महत्व देना होगा।

पंचम अध्याय समाप्त

– : शोध संदर्भ : –

1. श्रीवास्तव, डा0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0
2. शर्मा, प्रेम नारायण, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ,
3. गुप्ता, नीलम, ग्रामीण विकास एचं बाल विकास कार्यक्रम, बुण्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी
4. जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013
5. सिंह, महिपाल, पंचायती राज चुनौतिया एवं संभावनाऍं, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली

रिपोर्ट

1. सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका, 2016, 2017, 2018
2. भारत 2016, 2017
3. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2011

ई–लिंक

1 https://www.sultanpur.nic.in

षष्टम अध्याय

सुलतानपुर जनपद में ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्य : अनुभवगम्य सर्वेक्षण से प्राप्त समंकों का विश्लेष्ण

इस अध्ययन का एक उद्देश्य समकालीन प्रासंगिकता के कुछ मुद्दों पर महिला नेताओं के विचारों एवं मानसिकताओं को समझना और साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में काम करने के उनके अनुभवों को समझना था। यह अध्याय उत्तरदाताओं द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों का विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए समर्पित है। इस अध्याय को तीन उपखण्डों में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम उपखंड समकालीन प्रासंगिकता के कुछ मुद्दों पर वर्तमान अध्ययन के तहत शामिल उत्तरदाताओं के विचार और राय प्रस्तुत करता है। दूसरा उप–खंड पंचायत राज संस्थाओं में काम करने के उत्तरदाताओं के अपने अनुभवों से संबंधित है। इस उप–खंड में कुछ केस स्टडी भी प्रस्तुत की गई हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभवों और सामान्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं में काम करने के दौरान महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालती हैं। तीसरे उपखंड में उत्तरदाताओं और फिर से निर्वाचित महिला नेताओं के जानबूझकर चयनित नमूने के बारे में उल्लेखनीय निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

साक्षात्कार के दारान महिला नेताओं के विचार –

यह उपखंड वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत शामिल उत्तरदाताओं के विचारों और मानसिकताओं से संबंधित है। समकालीन प्रासंगिकता के कुछ मुद्दों जैसे महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की नीति, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका और समकालीन राजनीतिक स्थिति और महिलाओं के प्रवेश और राजनीति में उनकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, कुछ प्रश्न उत्तरदाताओं के विचारों को जानने के लिए तैयार किए गए थे। इन मुद्दों पर मध्य राय के लिए

सभी प्रश्न ओपन एंडेड थे। अतः उत्तरों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया है।

महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर विचार –

महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर मास मीडिया और अकादमिक हलकों में व्यापक रूप से बहस हो रही है। राजनीतिक ढांचे में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने कुछ पुरुष राजनेताओं को भी परेशान किया है। उन्हें लगता है कि महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के कारण, राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने और विभिन्न स्तरों पर अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने के उनके अवसरों को अवरुद्ध किया जा रहा है। राजनीति में महिलाओं के लिए जगह बनाने के लिए महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की नीति भी उन विषयों में से एक है जिस पर महिला आंदोलन में नारीवादी विद्वानों और कार्यकर्ताओं के बीच बहस होती है।[1] इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, इस मुद्दे पर उत्तरदाताओं के विचार जानना रूचिप्रद था।

☞ **स्थानीय स्व–सरकारी निकायों में सीटों का आरक्षण –**

स्थानीय स्वशासन निकायों में 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के बारे में उत्तरदाताओं की राय और विचारों को समझने के लिए, एक प्रश्न पूछा गया था – ***"स्थानीय स्व–सरकारी निकायों में 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये ज़रूरी हैं?***

जिसके प्रतिउत्तर में अधिकांश उत्तरदाताओं का मत था कि पंचायती राज संस्थाओं में सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर है। वर्तमान समय में महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम होना बहुत जरूरी है।

कुछ महिलाओं को जिला पंचायत स्तर ने यह भी विचार व्यक्त किया कि, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान वर्तमान आरक्षण नीति की सबसे मौलिक विशेषता

---

1 शाह और गांधी, 1997 : 121–142; बलसारा शिराज, 1997 : 143–147)

है। यह सरकार द्वारा उठाया गया सबसे क्रांतिकारी कदम है। कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण के ऐसे प्रावधान के अभाव में उनके लिए पंचायती राज संस्थाओं में प्रवेश करना संभव नहीं होता।

अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जिला पंचायत सदस्य गीता ने न केवल आरक्षण नीति पर संतोष व्यक्त किया, बल्कि यह भी कहा, *''तैंतीस प्रतिशत आरक्षण पर्याप्त नहीं है। चूंकि महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा हैं, इसलिए देश के सभी राजनीतिक ढांचे में महिलाओं के लिए लोकसभा से जिला पंचायत स्तर तक 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।''*

☞ **क्या आरक्षण नीति वास्तव में महिलाओं की मदद कर रही है?**

एक सवाल पूछा गया, ***'क्या आरक्षण नीति वास्तव में महिलाओं की मदद कर रही है? कैसे?***

इस प्रश्न को ग्राम पंचायतों में महिला उत्तरदाताओं से बहुत खराब प्रतिक्रिया मिली। उनमें से कई ने केवल 'हां' कहा। हालांकि, जब शोधकर्ता ने गहराई से जांच की और उनसे यह समझाने के लिए कहा कि यह नीति वास्तव में कैसे मदद कर रही है, तो कई उत्तरदाता समझाने की स्थिति में नहीं थे। वास्तव में, उनमें से कई को स्वयं नीति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी, शोधकर्ता ने महसूस किया।

हालांकि, जिला पंचायत स्तर के दो उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त राय, अच्छी शैक्षिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला स्तर उल्लेखनीय है। वे इस मुद्दे पर अधिक आलोचनात्मक, मुखर और सटीक थे। उन्होंने टिप्पणी की कि, नीति केवल 33 प्रतिशत महिलाओं को स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल करने में सफल रही है। वे शारीरिक रूप से वहां हैं। लेकिन वे अपनी शक्ति का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। प्रारंभिक अवस्था में सभी महिलाओं के राजनीतिक सक्रिय और प्रभावशाली होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

☞ **आरक्षित वार्डों को ठीक करने की वर्तमान विधि –**

वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन बारी–बारी से लॉटरी पद्धति से किया जा रहा है।

सवाल पूछा गया था, *'महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के लिए वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की वर्तमान पद्धति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसे बदला जाना चाहिए?'*

अधिकांश उत्तरदाता चुप थे और कुछ अन्य इस प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दे सके। हालांकि, कुछ उत्तरदाताओं ने अपनी राय व्यक्त की। उनकी राय में विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं के लिए वार्ड फिक्सिंग के लिए रोटेशन सिस्टम अपनाने के बजाय उन्हें स्थायी रूप से आरक्षित किया जाना चाहिए। यह महिलाओं को अपने वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। धम्मौर ग्राम पंचायत की प्रधान अनीता ने एक घटना को बताते हुए कहा, "जब उसने अपने गाँव की सभी शराब की दुकान को बंद करने का फैसला किया और इस मुद्दे को बैठक के एजेंडे में रखा, तो कई पुरुष सदस्यों ने अपना विरोध व्यक्त किया। पुरुष सदस्यों में से एक ने कहा, ''आप कब तक प्रधान रहेंगी? आपके विचार को ग्राम पंचायत में कितने परिवार समर्थन करेंगें? पांच साल बाद आप यहॉ नहीं रहेगीं?' उन्होंने टिप्पणी की कि, 'यदि वार्ड स्थायी रूप से तय हो गए हैं, तो सक्षम महिलाएं उसी वार्ड से चुनाव लड़ेंगी और ऊपर व्यक्त की गई प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी।'

अल्पसंख्यक श्रेणी वर्ग की एक अन्य प्रधान जुलेखा बानों ने बताया कि, "मैं प्रधान बन सकी क्योंकि यह वार्ड पिछड़े जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया था। मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले पुरुष सदस्य और उच्च जाति से संबंधित अच्छी वित्तीय स्थिति वास्तव में मेरे कार्यकाल के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगली बार यह वार्ड किसी ऐसी सीट पर जाएगा जिसके लिए ओपन कैटेगरी का कोई पुरुष सदस्य चुनाव लड़ सकता है. शायद इसी वजह से पुरुष सदस्यों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है।"

एक अन्य प्रतिवादी, जिला पंचायत सदस्य गीता ने टिप्पणी की कि, 'महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों को ठीक करने की वर्तमान पद्धति सुशिक्षित महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा है जो राजनीतिक करियर बनाना चाहती हैं। कई पुरुष राजनेता राजनीति के क्षेत्र में अच्छी तरह से शिक्षित, ईमानदार, मेहनती, सक्रिय महिलाओं को नहीं चाहते हैं। वे उन्हें अपने राजनीतिक करियर के लिए

खतरा मानते हैं। बेशक, उन महिलाओं के मामले में सवाल ही नहीं उठता जो शक्तिशाली राजनीतिक नेताओं के हाथों की कठपुतली हैं और जो उनकी राय के अनुसार काम करती हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि वार्डों को स्थायी रूप से तय किया जाना चाहिए।'

उपरोक्त राय और टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि, कम से कम कुछ महिलाएं सीटों के आरक्षण के कारण पंचायती राज व्यवस्था में शामिल होने के बाद, भविष्य में भी राजनीतिक करियर बनाना चाहती हैं। टिप्पणियों से यह भी संकेत मिलता है कि उनके राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

☞ आरक्षण नीति का अधिकतम लाभ : सुझाए गए उपाय

एक प्रश्न पूछा गया, ***'आरक्षण नीति के अधिकतम लाभ के लिए आप क्या उपाय सुझाएगीं?'***

ग्राम पंचायतों की अधिकांश महिला सदस्य, विशेषकर वे जो प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थीं, इस प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे सकीं। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में उच्च शिक्षित महिला सदस्यों ने आरक्षण नीति के अधिकतम लाभ के लिए कुछ उपाय सुझाए। इनमें शामिल हैं–

- ✓ महिला समितियों, महिला मेलों और जनसंचार माध्यमों के माध्यम से महिलाओं में आरक्षण नीति के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए,
- ✓ महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,
- ✓ महिला संस्थाओं को सभी राजनीतिक क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए कड़ा संघर्ष करना चाहिए।
- ✓ राजनीतिक दलों को सुशिक्षित महिला उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए।

☞ **पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता –**

एक प्रश्न यह भी पूछा गया, ***'क्या आपको लगता है कि महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे पंचायती राज संस्थाओं में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें?'***

अधिकांश उत्तरदाताओं ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर सभी महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महिला नेताओं की राय में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत महिलाओं के लिए ऐसा प्रशिक्षण अधिक आवश्यक है। जब शोधकर्ता ने एक पूरक प्रश्न पूछा, 'महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए?'

कुछ महिलाओं ने विशेषकर जिला पंचायत स्तर ने स्पष्ट किया कि, 'ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में, पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों की संरचना और कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धन की उपलब्धता, पंचायती राज संस्थाओं को दी गई वित्तीय शक्तियों, पंचायती राज संस्थाओं में सदस्यों के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।'

शोधकर्ता ने यह भी पूछा, ***'क्या उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया था'***। नगर के निकट के गांवों के कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि, कुछ स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। इनमें बसौढ़ी, कादीपुर खुर्द, धम्मौर, महमूदपुर, हरीपुर आदि सम्मिलित थे। इनमें से,

बरौसा ग्राम पंचायत की एक सदस्य ने जोर देकर कहा कि, "उन ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि प्रशिक्षण शिविर ब्लाक स्थानों पर या जिला ' मुख्यालय में आयोजित किए जाते हैं, तो कई महिलाएं प्रशिक्षण परिसर में भाग लेने की स्थिति में नहीं होती हैं। इसके अलावा, यदि प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था दूर–दराज के स्थानों पर की जाती है तो महिलाओं के लिए रात्रि विश्राम संभव नहीं है। परिवार के सदस्य, पति और ससुराल वाले, महिलाओं को गांवों से बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हैं।'' पंचायत समितियों और जिला पंचायत की महिलाओं ने यह भी बताया कि, उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिया गया था, उन्हें भी लगा कि प्रशिक्षण उपयोगी था। हालांकि, शोधकर्ता ने देखा कि ग्राम पंचायतों में अधिकांश महिला सदस्यों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

☞ **क्या सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए –**

एक प्रश्न पूछा गया था –

'क्या सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए?'

इस प्रश्न पर केवल कुछ उत्तरदाता मुखर थे। आश्चर्यजनक रूप से, एक ग्राम पंचायत, उर्मिला (प्रधान) के ने टिप्पणी की, 'हम गृहिणियां भोजन बनाती हैं और परिवार के सभी सदस्यों के बीच उनकी जरूरतों के अनुसार वितरित करती हैं, इसी तरह समाज में लाभ पुरुषों और महिलाओं के सदस्यों के बीच उनकी क्षमता के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए और इसी की जरूरत है। पुरुषों को सभी क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है, महिलाएं हमेशा लाभों

से वंचित रहती हैं। इसलिए महिलाओं को लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए।

गीता, एक उच्च शिक्षित (स्नातक) सदस्य, जिला पंचायत, कादीपुर एंव करौदी कलॉ ने विचार व्यक्त किया कि, 'जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच वर्तमान असमानता हमारे समाज के लिए वास्तव में शर्मनाक है। हमारा उद्देश्य सभी के लिए समानता और सामाजिक न्याय है। दुर्भाग्य से, हम जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के संबंध में असमानताओं और अन्याय का अनुभव करते हैं। इसलिए सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए।'

पंचायत राज संस्थानों में महिलाओं की भूमिका पर विचार –

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका के बारे में उत्तरदाताओं की धारणा को समझने के लिए दो प्रश्न पूछे गए थे। इन सवालों के जवाब नीचे दिए गए हैं –

पहला सवाल पूछा गया था –

''क्या आपको लगता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए काम करने का अवसर है?''

जिला पंचायत स्तर की कुछ महिला नेताओं ने 'हाँ' में उत्तर दिया, 73वें संशोधन अधिनियम ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में काम करने का अवसर प्रदान किया है। वे पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं।

सुन्दरी गोयल, जो धर्मापुर में ग्राम पंचायत की प्रधान है, ने कहा कि, "बहुत लंबे समय के बाद सरकार ने गरीब महिलाओं को बहुत बड़ा उत्थान दिया है। अब, वे अपने लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर देने की स्थिति में हैं।"

धर्मापुर ग्राम पंचायत की एक सम्मानित महिला सदस्य ने कहा कि, 'महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीति के क्षेत्र में भाग लेने का अवसर दिया है, हालांकि, वर्तमान में इसका अनुवाद नहीं किया जा रहा है। राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों के प्रभुत्व के कारण, निरक्षरता और अज्ञानता के कारण वे नहीं जानती कि वे पंचायती राज संस्थाओं में क्या कर सकती हैं। यदि महिलाओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे निर्णय लेने में भाग लेकर समग्र रूप से ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए काम कर सकती हैं।

एक और सवाल पूछा गया था,

''पंचायती राज संस्था में महिलाएं क्या भूमिका निभा सकती हैं?''

इस सवाल पर तरह–तरह की प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को उद्धृत किया गया है जबकि अन्य सभी प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत और नीचे प्रस्तुत किया गया है।

- ✓ पंचायत समिति की सदस्य बबिता देवी ने टिप्पणी की कि, ''पंचायती राज संस्थानों में महिलाएं भ्रष्टाचार और अवैध प्रथाओं को जड़ से खत्म कर सकती हैं।'
- ✓ ग्राम प्रधान महिला अनीता ने व्यक्त किया कि, '73वें संशोधन अधिनियम ने इस शक्ति का उपयोग करके महिलाओं को राजनीतिक शक्ति दी है, महिलाएं कम से कम महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने की स्थिति में होंगी।'

उत्तरदाताओं के बहुमत की राय में महिलाएं 'दहेज की समस्या', 'पारिवारिक विवादों को सुलझाने', 'ग्राम स्कूलों के कामकाज की निगरानी', 'शराब की दुकानों पर कब्जा' जैसे मुद्दों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उक्त के अलावा 'स्वच्छता', 'पीने की वेफर

व्यवस्था', 'स्ट्रीट लाइटिंग', 'स्वास्थ्य केंद्र', 'डेयरी और बागवानी', 'महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा', 'कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना', 'ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन' आदि मुद्दों पर भी सकरात्मक भूमिका निभा सकती है।

उपरोक्त प्रतिक्रियाओं की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि महिलाएं, नेता पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भूमिका से अवगत हैं। हालांकि, वे सभी इस स्तर पर पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं, लेकिन निकट भविष्य में स्थिति में सुधार होने की संभावना है। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कुछ नेताओं ने इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने अभी–अभी पंचायती राज व्यवस्था में प्रवेश किया है, उन सीमाओं से भी अवगत हैं जो इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में बाधा डालती हैं। प्रतिक्रियाओं से यह भी संकेत मिलता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेता स्वयं को 'समुदाय नेता' के रूप में देखती हैं न कि केवल 'महिला प्रतिनिधि' के रूप में। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं के साथ–साथ संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के समग्र विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया है।

☞ **समकालीन राजनीतिक स्थिति और राजनीति में महिलाओं के प्रवेश पर राय और विचार –**

आज सबसे चर्चित विषयों में से एक समकालीन राजनीतिक स्थिति और राजनीति में महिलाओं का प्रवेश है। इसे देखते हुए, समकालीन राजनीतिक स्थिति, राजनीति में प्रवेश करने की महिलाओं की इच्छा, राजनीति में प्रवेश करने के लिए आवश्यक गुण, चुनाव लड़ने और चुनाव में सफलता प्राप्त करने, चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के लिए राजनीतिक दलों के समर्थन की आवश्यकता जैसे विषयों से संबंधित कुछ

प्रश्न, उत्तरदाताओं से ग्रामीण राजनीति में गुटबाजी के बारे में पूछा गया। उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को नीचे प्रस्तुत किया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है –

''समकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी सामान्य राय क्या है?''

ग्राम पंचायतों के अधिकांश उत्तरदाता इस स्थिति में नहीं थे कि वे इस प्रश्न पर अपने उत्तर पर्याप्त रूप से व्यक्त कर सकें। हालांकि, उनकी प्रतिक्रियाओं ने संकेत दिया कि, वे महसूस कर रहे थे कि, वास्तव में पुरुष सदस्य राजनीति के क्षेत्र में प्रमुख थे और वर्तमान राजनीतिक स्थिति अच्छी और उत्साहजनक नहीं थी। उनकी सोच काफी हद तक उनके तत्काल स्थानीय संदर्भ तक ही सीमित थी। हालांकि, कुछ उत्तरदाताओं ने जिला पंचायत स्तर ने भारत में समकालीन राजनीतिक स्थिति पर आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए। उनकी राय में, बहुत भ्रष्टाचार है, चुनाव के समय बूथ कैप्चरिंग, पार्टी की वफादारी में बदलाव, अवसरवाद, धन और बाहुबल का उपयोग, राजनीति का अपराधीकरण वर्तमान राजनीति के माहौल को दूषित कर रहीं है।

☞ समसामयिक राजनीतिक स्थिति और राजनीति में महिलाओं का प्रवेश –

एक अन्य प्रश्न पूछा गया ***''क्या आपको लगता है कि समकालीन राजनीतिक स्थिति राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के लिए अनुकूल है?''***

समकालीन स्थिति में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में उत्तरदाताओं के अलग–अलग विचार थे। कुछ उत्तरदाताओं का मत था कि महिलाओं के लिए राजनीति में भाग लेना वास्तव में अनुकूल नहीं है। यदि ईमानदार महिलाएं राजनीति में प्रवेश करती हैं, तो उनके

समकक्ष पुरूष उनका सहयोग नहीं करते हैं। कुछ अन्य उत्तरदाताओं ने अपना विचार व्यक्त किया कि राजनीति में भाग लेने की कठिनाइयों के बावजूद, महिलाओं को भाग लेना चाहिए। उन्हें केवल कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक प्रतिवादी ने जोर दिया ***''महिलाओं को भी राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों द्वारा उपयोग की जाने वाली कठोर और कठिन भाषा सीखने की जरूरत है।''*** कई उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि केवल आरक्षण नीति के कारण ही महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में धकेला गया है।

☞ क्या महिलाएं राजनीति में प्रवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं?

कई अध्ययनों से पता चला है कि राजनीति में महिलाओं का प्रवेश और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के कारण बाधित होती है। यह भी देखा गया है कि राजनीति में महिलाओं का प्रवेश अस्मिता की राजनीति के प्रचलित राजनीतिक माहौल, हिंसा, अपराधीकरण[2], जाति जैसे कारकों से कम हो गया है, और लिंग पूर्वाग्रह और भेदभाव[3], पारंपरिक सामाजिक–सांस्कृतिक ताकतें, राजनैतिक निरक्षरता और अज्ञानता[4] और जोखिम की कमी आदि इसे और जटिल बना रही है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, एक सवाल पूछा गया, ***'क्या आपको लगता है कि महिलाएं आमतौर पर राजनीति में प्रवेश करने से हिचकती है?'***

उपरोक्त प्रश्न के उत्तरों के विश्लेषण से पता चला कि, उत्तरदाताओं को इस मुद्दे पर विभाजित किया गया था और उन्होंने

---

2 वरदे, 1991 : 35–43, ठक्कर और गावंकर – 1997, 87–100)

3 कौशिक, 1993 : 5 और शाह और गांधी 1997 – 109–120)

4 कृष्ण, 1997 – 651–662

एकदम विपरीत राय व्यक्त की थी। कुछ उत्तरदाताओं ने कहा कि महिलाएं राजनीति में प्रवेश करने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हैं। जबकि, कुछ अन्य उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि महिलाएं राजनीति में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। कुछ उत्तरदाताओं की राय में, सीटों के आरक्षण के कारण योग्य महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बेहतर अवसर होंगे।

एक पूरक प्रश्न भी पूछा गया था;

''राजनीति में आने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?''

कई उत्तरदाताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि,

- ✓ जो वास्तव में अपने दम पर शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें बिना किसी झिझक और भय के राजनीति में प्रवेश करना चाहिए।
- ✓ सभी इच्छुक महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, उन्हें नए कानून द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग करना चाहिए और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अपनी भूमिका को मंच देना चाहिए।
- ✓ जो महिलाएं राजनीति में शामिल होने की इच्छुक हैं, उन्हें संचार कौशल सीखना चाहिए।
- ✓ उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ✓ उन्हें शीघ्र और सीधे आगे होना चाहिए।
- ✓ उनके पास एक अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि होनी चाहिए।

✓ उनमें आत्म विश्वास होना चाहिए।

कुछ अनुभवी उत्तरदाताओं ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया। इन उपायों में शामिल हैं,

✓ 'महिलाओं के प्रति पारंपरिक पुरुष दृष्टिकोण में बदलाव',

✓ 'लिंग पूर्वाग्रह को हटाना',

✓ 'महिलाओं को ि"ाक्षा प्रदान करना',

✓ 'प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्रदान करना'।

☞ **राजनीति मे महिलाओं का प्रवेश : आवश्यक गुण –**

एक सवाल पूछा गया, ***'राजनीति में आने के लिए महिलाओं में क्या गुण होने चाहिए?'***

प्रतिउत्तर दाताओं के अक्सर रिपोर्ट किए गए गुणों में शामिल हैं –

✓ अच्छी शिक्षा होना,

✓ राजनीति में रुचि,

✓ सामाजिक संपर्कों का नेटवर्क,

✓ सामाजिक कार्यों में रुचि,

✓ राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रिया के बारे में ज्ञान,

✓ मंच पर साहस और साहस।

उत्तरदाताओं की राय में, ये सबसे आवश्यक गुण हैं जो महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए होने चाहिए।

☞ **चुनाव लड़ना और चुनाव में सफलता प्राप्त करना –**

एक अन्य प्रश्न पूछा गया, **'चुनाव लड़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से कारक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं?'**

कई उत्तरदाताओं ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खुद को रखने के लिए व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे, किसी के लिए उच्च शिक्षा, राजनीति में रुचि, साहस बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, इस प्रश्न के कुछ जीवंत उत्तर नीचे दिए गए हैं –

ग्राम पंचायत धम्मौर की प्रधान अनीता ने कहा, ''चुनाव लड़ने और सफलता पाने के लिए, जाति अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वोट अभी भी जाति के आधार पर जुटाए जाते हैं।''

उर्मिला, प्रधान, बरौसा ग्राम पंचायत, उन्होंने कहा कि, 'कुछ राजनीतिक गॉड फादर' और 'मान्यता प्राप्त पार्टी का समर्थन' चुनाव लड़ने और चुनाव में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं।

धर्मापुर, ग्राम पंचायत की संरपच, सुन्दरी गोयल ने कहा कि, 'खासकर ग्राम स्तर पर, धन शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चुनाव के समय उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने डिनर पार्टियों के लिए बहुत पैसा खर्च किया। कभी–कभी शराब, उपहार और यहां तक कि नकदी भी मतदाताओं के बीच बांट दी जाती है।'

इसलिए, चुनाव लड़ने और जीतने के लिए अच्छी वित्तीय पृष्ठभूमि होना एक पूर्वापेक्षा है। इस मत का समर्थन कुछ अन्य उत्तरदाताओं ने भी किया।

बबिता देवी, जिला पंचायत की एक सदस्य 'बहिर्मुखी व्यक्तित्व', 'राजनीतिक समर्थन' और 'समाज में अच्छी छवि' जैसे कारकों को महत्व दिया है।

☞ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को जीतने के लिए राजनीतिक दल का समर्थन –

एक सवाल पूछा गया, ***'क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को जीतने के लिए राजनीतिक दल का समर्थन जरूरी है?'***

उत्तरदाताओं के भारी बहुमत की राय में, महिलाओं के लिए राजनीतिक दल का समर्थन आवश्यक है। राजनीतिक दल के संरक्षण से चुनाव जीतना बहुत आसान है। क्योंकि राजनीतिक दल उम्मीदवारों को धन और जनशक्ति प्रदान करता है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के समर्थन के बिना महिला उम्मीदवारों के लिए जिला स्तर पर चुनाव में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है।

कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी रेखांकित किया कि, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के समर्थन से चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। राजनीतिक दल के समर्थन के पक्ष में औचित्य मुख्य रूप से जिला पंचायत में सुशिक्षित, सक्रिय महिलाओं द्वारा दिया गया था।

☞ ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति में गुटबाजी पर विचार –

एक सवाल पूछा गया, ***'गांव, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर गुटबाजी के बारे में आपकी क्या राय है?'***

बहुत कम उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर दे सके। उनमें से कुछ ने कहा कि, राजनीति में सभी स्तरों पर प्रकार्यवाद मौजूद है। उन्होंने राजनीति में प्रकार्यवाद के नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला है। उनके मत के अनुसार किसी भी स्तर पर प्रकार्यवाद नेतृत्व के विकास में बाधक है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधाएँ भी पैदा करता है और निर्णय लेने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को कम करता है।

बंदना सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत के एक सुशिक्षित सदस्य ने कहा, 'निर्णय लेने की प्रक्रिया में गुटबाजी एक बड़ी बाधा है। जब दो अलग–अलग कार्यों से संबंधित सदस्य बैठक में उपस्थित होते हैं, तो कोई दृढ़ निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इससे विकास कार्यों में भी बाधा आती है।

एक अन्य प्रतिवादी, ग्राम पंचायत की प्रधान जुलेखा बानो ने कहा, 'हमारी ग्राम पंचायत में 'सवर्ण' और 'अति–पिछड़ा वर्ग' दोनों समूहों के सदस्य हैं। प्रत्येक समूह दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थितियों में महिला सदस्यों के लिए चर्चा में भाग लेना संभव नहीं है। इसलिए राजनीति में कार्यात्मकता नहीं होनी चाहिए।

☞ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी –

एक सामान्य प्रश्न पूछा गया था, ***'राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है?'*** यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जिला पंचायत के बहुत कम उत्तरदाताओं और ग्राम पंचायत समितियों के कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी शिक्षित थे और पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले थे। इन उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सारांश विवरण नीचे दिया गया है –

- ✓ वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत कम है।
- ✓ यद्यपि महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिला है, वे मुख्य रूप से अपनी राजनीतिक निरक्षरता के कारण प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, वर्तमान में उन सभी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में प्रवेश लिया है।

- ✓ जिन महिलाओं ने अभी–अभी एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। वे अभी तक अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित नहीं हैं। इसलिए इस प्रारंभिक चरण के दौरान उनसे पूर्ण भागीदारी की अपेक्षा करना उचित होगा। धीरे–धीरे स्थिति में सुधार होगा।
- ✓ महिलाओं को अब राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और तकनीक सीखनी चाहिए। महिलाओं को यह दिखाना होगा कि वे राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकती हैं।
- ✓ राजनीतिक दलों को केवल उन्हीं महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो राजनीति और सामाजिक कार्यों में रुचि रखती हैं। उम्मीदवारों का चयन करते समय उन्हें केवल अपनी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक पृष्ठभूमि को नहीं देखना चाहिए।
- ✓ इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पति या रिश्तेदारों के 'डमी' या 'प्रॉक्सी' उम्मीदवारों के रूप में राजनीति में भाग लेने वाली महिलाओं को चुनाव लड़ने का विरोध करना चाहिए।
- ✓ सभी स्तरों पर सभी राजनीतिक निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

☞ पंचायती राज संस्थानों में काम करना : उत्तरदाताओं के अनुभव

यह उपखंड उत्तरदाताओं के पंचायती राज संस्थाओं में काम करने के अपने अनुभव प्रस्तुत करता है। अपने स्वयं के अनुभवों को जानने के लिए, 'सबसे सुखद', 'सबसे अप्रिय' अनुभवों और 'पंचायत राज संस्थाओं में काम करते समय उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा' से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इन सवालों के जवाब नीचे प्रस्तुत किए गए

हैं। इस खंड में कुछ केस स्टडी भी शामिल हैं, जो कुछ व्यक्तिगत महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभवों को उजागर करती हैं।

सबसे सुखद अनुभव –

एक प्रश्न पूछा गया, ***'क्या आप कृपया अपने राजनीतिक कार्यकाल का सबसे सुखद अनुभव बताएंगे'***, यदि कोई हो?

इस प्रश्न को विशिष्ट प्रतिक्रियाएं मिलनी चाहिए थीं। हालाँकि, हमारी अपेक्षाओं के विपरीत, इस प्रश्न ने कुछ उत्तरदाताओं से सामान्य शब्दों में प्रतिक्रियाएँ प्राप्त कीं। उन्होंने कहा कि 'कोई भी उपलब्धि बहुत सुखद अनुभव देती है। अधिकांश उत्तरदाता चुप रहे।

हालाँकि, बहुत कम उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के लिए बहुत विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ दी हैं। उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए कुछ उल्लेखनीय अनुभव नीचे दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत प्रधान विद्यावती ने बताया, "जब मैं विधवाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी देना चाहती थी, तो अन्य सदस्यों, विशेषकर पुरुषों ने इसका विरोध किया था। यह बहुत अजीब था। लेकिन, मैंने राजनीतिक दल और उच्च अधिकारियों के समर्थन और सिफारिश से योजनाओं को मंजूरी दी। मुझे लगता है कि यह मेरी अवधि के दौरान एक उपलब्धि है।'

जिला पंचायत की एक सदस्य रेनू शुक्ला ने व्यक्त किया कि,

'यह मेरा अनुभव है कि जब एक महिला उच्च स्तर (अर्थात जिला पंचायत) पर पद धारण करती है, तो कमजोर वर्ग की अन्य महिलाएं ऐसी महिला से अधिक उम्मीद कर रही हैं। मैंने 50 से 60 गरीब परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करके उनकी मदद की है और उन्हें स्वीकृत बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद की है। यह काम मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव था। फिर, मैंने विभिन्न जातियों के 10 जोड़ों

के एक सामान्य विवाह समारोह के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भी मेरे जीवन के सुखद अनुभवों में से एक था।'

जिला पंचायत के एक बहुत सक्रिय सदस्य लक्ष्मी ने कहा, 'जब मैंने पहली बार दोस्तपुर जिला पंचायत में महिला समिति के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा, तो योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और यह मेरे लिए सबसे संतोषजनक उपलब्धि थी।'

'सुखद अनुभव' के रूप में रिपोर्ट की गई घटनाएं निर्णय लेने में भाग लेने और विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने के माध्यम से फाइल लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए उत्तरदाताओं की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। वे खुद को अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल करना चाहते हैं।

सबसे अप्रिय अनुभव –

एक प्रश्न पूछा गया, "क्या आप कृपया अपने कार्यकाल का सबसे अप्रिय अनुभव, यदि कोई हो, बताएंगे?''

अधिकांश जिला पंचायत और ग्राम पंचायत महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि कोई उल्लेखनीय अप्रिय अनुभव नहीं था। हालांकि, ग्राम पंचायतों के कुछ उत्तरदाताओं ने कुछ अप्रिय अनुभवों की सूचना दी है।

अखण्डनगर जिला पंचायत की सदस्य शारदा देवी ने कहा, ''मैं एक बैठक में चर्चा में भाग लेते हुए गांव में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार मांग कर रही थी। अन्य महिला सदस्यों ने भी इस विचार का समर्थन किया। हालांकि, पुरुष सदस्यों में से एक ने टिप्पणी की कि, ''अरे मैडम, पहले आप अपने शराबी पति को नियंत्रित करती, फिर आप शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखती हैं। मेरी अवधि के दौरान यह टिप्पणी सबसे अप्रिय अनुभव थी। मुझे उस समय अपमानित महसूस हुआ।''

कल्याणपुर ग्राम पंचायत प्रधान अनीता ने बताया, 'जब मैंने ब्लाक प्रमुख से पूछा कि मुझे बैठक के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, तो एक पुरुष सदस्य ने कहा, ''मैडम, आप एक अनपढ़ महिला हैं, आप नहीं जानते कि बैठक में क्या होता है। यह आपकी समझ के स्तर से परे है। बेहतर होगा कि आप बीच–बीच में घर के कामकाज की जिम्मेदारी संभाल लें।''

अन्य सभी सदस्य मुझ पर हँसे। यह अपमानजनक घटना अन्य पुरुष, महिला सदस्यों और प्रधान के सामने हुई।"

विद्यावती, रायपुर ग्राम पंचायत की प्रधान जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, ने कहा। ''ग्राम स्तर पर, आरक्षित वर्ग की महिलाओं को उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा उचित सम्मान नहीं दिया जाता है।''

कल्याणपुर ग्राम पंचायत की प्रधान अनीता ने स्पष्ट रूप से कहा कि, "मैंने चुनाव इसलिए लड़ा था क्योंकि मेरे पति और ससुर ने ऐसा करने के लिए जोर दिया था। लेकिन जब मैंने तीन दिनों के लिए प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की अनुमति मांगी, तो मुझे घर पर रहने के लिए कहा गया, मुझे अनुमति नहीं दी गई। मेरे ससुर ने सवाल किया कि *''घर के साथ–साथ बच्चों की भी देखभाल कौन करेगा?''*

बेहराभारी ग्राम पंचायती की प्रधान नीलम ने बताया कि, 'जब मैंने कदाचार का कड़ा विरोध किया और अन्य ग्राम पंचायत सदस्यों के दबाव में उन योजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दबाव नहीं डाला, जो ठीक से लागू नहीं हुई थीं। इसके बाद ग्राम पंचायत सदस्यों ने मेरे ही खिलाफ वोट डाला और मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, जबकि मैंने उनके दबाव में ही यह कार्य किया था। प्रधान के रूप में मेरे कार्यकाल का यह सबसे अप्रिय अनुभव है।"

'सबसे अप्रिय अनुभव' के रूप में रिपोर्ट की गई घटनाएं उन कठिनाइयों की ओर इशारा करती हैं जिनका सामना अनपढ़ अनुभवहीन महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में काम करने के दौरान करना पड़ता है। यह स्पष्ट है कि, पुरुष सदस्य अभी भी सोचते हैं कि महिलाओं का काम घर में है और राजनीति उनका उचित क्षेत्र नहीं है।

ये अनुभव इस बात को भी उजागर करते हैं कि निचली जातियों की महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है और उन्हें उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा नीचा दिखाया जाता है।

पंचायतो राज संस्थाओं में कार्य करना – अनुभव की गई कठिनाइयाँ

जब एक पूछताछ की गई, **'एक नेता के रूप में काम करते हुए, आपने किन प्रमुख कठिनाइयों का अनुभव किया है?'**

अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने कार्यकाल के दौरान पंचायती राज संस्थानों में काम करने के दौरान विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है। इसलिए उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई कठिनाइयों को सुविधाजनक रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है

- ☞ 'प्रशासनिक कठिनाइयाँ'
- ☞ अन्य कठिनाइयाँ'

प्रशासनिक कठिनाइयों में, अधिकांश सक्रिय उत्तरदाताओं ने कहा कि, 'उन्हें विभिन्न विकास योजनाओं के लिए नियमित रूप से धनराशि जारी नहीं हो रही थी'। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि 'उच्च कार्यालयों ने धन जारी करने से संबंधित अपनी फाइलों को जानबूझकर विलंबित किया'। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि, वे सभी नियमों को नहीं जानते हैं।

कुछ उत्तरदाताओं ने कहा कि, 'अन्य पुरुष सदस्य सहयोग और सही जानकारी नहीं दे रहे थे',

'अन्य कठिनाइयों' में 'लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार', 'दबाव डालना', 'जाति आधारित बात' और 'अन्य पुरुष सदस्यों की उपस्थिति में अपमान' आदि शामिल हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से शिकायत की कि महिलाओं के सुझावों, विचारों को पुरुष सदस्यों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। सभाओं में पुरुष जोर–जोर से बोलते हैं। कई बार महिलाएं बात करते समय हतोत्साहित हो जाती हैं।

ये उत्तरदाताओं के सामने आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ हैं।

चयनित केस स्टडीज

इस उपखंड में कुछ चुनिंदा केस स्टडीज को प्रस्तुत किया गया है। ये केस स्टडी विशेष रूप से व्यक्तिगत महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभवों और सामान्य रूप से पीआरएलएस में काम करते समय महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालती हैं।

केस स्टडी (01)

अनीता, प्रधान, ग्राम पंचायत धमौर, विकास खण्ड, दबेपुर

अनीता एक 39 वर्षीय विवाहित 'सामान्य' महिला है। उसने 21 साल की उम्र में अपनी ही जाति में शादी कर ली। उसने अपने शैक्षिक क्रेडिट के लिए मैट्रिक पास किया है। उनका परिवार एकल परिवार है। उनके पति और उनके दो बच्चे, दोनों बेटे, एक साथ रहते हैं। उनके पति ने इण्टर मिडिएट तक की शिक्षा हासिल की है। बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।

अनीता एक गृहिणी हैं। उसका पति खेतिहर कृषक है और केवल कृषि कार्य करता है। वह पारिवारिक आय के पूरक के लिए कृषि पर पूर्णरूपेण आश्रृत है। परिवार दो दुधारू पशु पालता है। इस प्रकार अनीता का परिवार उसके गाँव के आर्थिक रूप से सामान्य परिवारों में से एक है। दिलचस्प है,

अनीता के परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। उनके ससुर 1980 में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए चुने गए और उन्होंने प्रधान के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। वह कांग्रेस के सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता थे। वह अब नहीं रहे।

2015 में, ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद, पूर्व के राजनैतिक सहयोगियों से संपर्क किया और उन्हें अपने पति के माध्यम से

चुनाव लड़ने के लिए राजी किया। वह जिस ग्राम पंचायत से हैं वह खुले वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित था। '

अपने पति और अपने दो पढ़े–लिखे भाइयों से चर्चा के बाद, उन्होंने नामांकन फॉर्म दाखिल करने की सहमति दी। वह चुनी गई। वे ग्राम पंचायत की प्रधान भी बनीं। चुनाव जीतने और प्रधान अनीता बनने का पूरा श्रेय मतदाताओं और राजनीतिक सहयोगियों को देती है।

प्रधान के रूप में उनके करियर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,

"मैं सिर्फ नाम के लिए प्रधान हूं। बैठक और अन्य सभी मामलों के संबंध में सभी निर्णय ग्राम पंचायत के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा लिए जा रहे हैं। वे मुझसे केवल रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं और मुझे चुप रहने की सलाह देते हैं। मैं प्रक्रियाओं, कानूनों और नियमों से अनभिज्ञ हूं। बैठकों में चर्चा के लिए किसी भी मामले में कोई मुझे विश्वास में नहीं लेता है। मैं भी बैठकों के समय चर्चा में खुद को शामिल नहीं करती। कई बार मुझे यह भी समझ नहीं आता कि वे बैठकों में क्या चर्चा कर रहे हैं। अपनी अज्ञानता के कारण, मैं अन्य सदस्यों के सामने बहुत दोषी महसूस करता हूँ।"

यह पूछे जाने पर कि क्या बैठकों में अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा महिलाओं के विचारों और विचारों को सुना और सम्मान दिया जा रहा है, उन्होंने टिप्पणी की,

'कोई भी वास्तव में महिलाओं के विचारों और विचारों के बारे में चिंतित नहीं है। केवल पुरुष सदस्य ही आपस में चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर चुप रहती हैं। वे पुरुष सदस्यों की अभद्र और कठोर भाषा से भी डरती हैं।"

उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'अच्छी आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली शिक्षित महिलाएं पंचायतों में काम कर सकेंगी। महिलाओं को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें पंचायत राज संस्थाओं के नियमों और विनियमों और कामकाज को जानना चाहिए।'

उसने महसूस किया कि प्रधान के रूप में काम करते हुए उसके दिवंगत ससुर कई मौकों पर उसकी मदद और मार्गदर्शन कर सकते थे। लेकिन वह और नहीं है। 'मैं असहाय महसूस करती हूँ' उन्होंने अपने अनुभव इस प्रकार से अभिव्यक्त किये।

केस स्टडी (02)

सुन्दरी गोयल, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मापुर, विकास खण्ड अखण्डनगर

सुन्दरी गोयल, एक 58 वर्षीय विवाहित, साक्षर महिला है, जिसने 5वीं कक्षा को छुआ है। जाति से, वह 'महार' (एससी) है। उसने 15 साल की उम्र में शादी कर ली। वह एक गृहिणी है। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है। वह अपने पति के साथ अपने दो बच्चों के साथ रह रही है। उनके पति ने प्राथमिक शिक्षा के कुछ वर्षों का श्रेय उन्हें दिया है। बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।

सुन्दरी गोयल के परिवार के पास कोई कृषि भूमि नहीं है। उसका पति आजीविका कमाने के लिए खेतिहर मजदूर का काम करता है। उर्मिला पारिवारिक आय के पूरक के लिए एक खेतिहर मजदूर के रूप में भी काम करता है। परिवार की औसत वार्षिक आय लगभग 20,000/– है। सुन्दरी गोयल के परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है।

इस गांव में प्रधान का पद अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित था। जब भारतीय जनता पार्टी के एक सबल नेता ने इस परिवार से संपर्क किया, तो पति–पत्नी दोनों ने निकट संबंधियों के परामर्श से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकतों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया।

चुनाव में उन्हें सफलता मिली और वे प्रधान बनीं। गांव की प्रधान के तौर पर काम करते हुए उनका बेहद कड़वा राजनीतिक अनुभव रहा। उनकी राय में, उन्हें जिस तरह के अनुभव का सामना करना पड़ा, उसका कारण अनुसूचित महिला के रूप में उनकी स्थिति थी। इसके अलावा, वह एक खेतिहर मजदूर है। उनका मानना है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत कम है। इसलिए ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य उन्हें प्रधान मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। जब वह अपने अनुभवों के बारे में बता रही थीं, तो उन्होंने बताया,

"मैं सिर्फ 5 से 6 बैठकों की अध्यक्षता कर सकी हूँ। इन मुलाकातों का अनुभव मेरे लिए बहुत हतोत्साहित करने वाला था। मेरे लिए प्रधान पद पर बने रहना असंभव हो गया। अन्य सदस्य, उच्च जाति के पुरुष और महिलाएं, सभाओं के समय मेरी और उनकी कुर्सी के बीच शारीरिक दूरी बनाए हुए थे। "

उन्होंने बताया कि,

"वे असहयोगी थे। वास्तव में, यह असहयोग वास्तव में मेरे प्रधान की सीट पर कब्जा करने से पहले शुरू हुआ था। जब स्थानीय राजनीतिक नेताओं और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को पता चला कि मैं एससी महिला होने के नाते प्रधान के पद पर आसीन होने जा रही हूं। उनमें अनिच्छा की प्रबल भावना थी। दरअसल, उन्होंने मुझे

प्रधान नहीं बनने देने का फैसला किया था। लेकिन आरक्षण के नियमों के कारण वे कुछ नहीं कर सके।''

सुन्दरी गोयल ने प्रधान की सीट पर कब्जा करने के संदर्भ में ग्रामीण पंचायत के सदस्यों के बीच झगड़े की एक घटना को भी बताया। उस समय एक सदस्य ने कहा,

''महारिन प्रधान के रूप में काम नहीं कर पाएगी, इसलिए, हमें उसे प्रधान बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।''

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'महारिन' शब्द अपमानजनक है और जाति को दर्शाता है। चूंकि कानून इस तरह के शब्दों को बोलने से रोकता है, कुछ अन्य ग्राम पंचायत सदस्यों ने उसे पुलिस स्टेशन जाने और शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया। उसने वास्तव में शिकायत दर्ज की है और इस घटना के बारे में जिला पंचायत अधिकारियों को सूचित किया है। इस बीच, ग्राम पंचायत के सदस्यों ने दबाव बनाकर सुन्दरी गोयल को प्रधान के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। किन्तु भारतीय जनता पार्टी के नेता के संरक्षण के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया।

केस स्टडी (03)

उर्मिला, प्रधान, ग्राम पंचायत बरसा, विकास खण्ड जयसिंहपुर

उर्मिला एक 33 वर्षीय विवाहित उच्च शिक्षित महिला है। उसने 24 साल की उम्र में अपने ही समुदाय में शादी कर ली। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है जिसमें 10 सदस्य हैं। उसका पति, पति के भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ। परिवार के सभी सदस्य साक्षर हैं। इस परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वह सामान्य परिवार से हैं। कुछ साल पहले उर्मिला के

परिवार के पास 4 एकड़ जमीन थी। आजीविका चलाने के लिए परिवार के सदस्य कृषि गतिविधियों के साथ–साथ जनपद के निकट व्यवसाय भी किया करते है। उर्मिला के परिवार का अपना एक सुविधा सम्पन्न पक्का मकान है।

2015 में, ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद, स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने उनके परिवार से संपर्क किया और उन्हें और परिवार के सदस्यों को मना लिया कि उर्मिला को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने उर्मिला और उनके पति को बताया कि ग्राम पंचायत के प्रधान की सीट सामान्य श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उर्मिला प्रधान पद के लिए एकमात्र उपयुक्त उम्मीदवार हैं। अगर वह प्रधान बन जाती है, तो परिवार एक समृद्ध परिवार बन जाएगा। उनका खुद का लाभ होगा। पांच साल के कार्यकाल के भीतर, वह बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करने में सक्षम होगी। साथ ही उन्होंने उर्मिला और उनके परिवार के सदस्यों से यह भी कहा कि प्रधान बनने और भविष्य की समृद्धि के लिए उन्हें कुछ पैसे लगाने होंगे। यह पैसा चुनाव में खर्च करना होगा। भविष्य की समृद्धि को देखते हुए, उर्मिला के परिवार ने 2 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। उन्होंने वास्तव में जमीन बेच दी और स्थानीय राजनीतिक नेताओं को पैसा सौंप दिया।

उर्मिला और उनका पूरा परिवार ग्राम पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने पर बहुत खुश था। वह गांव की प्रधान बनने का सपना देख रही थी। हालांकि, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वास्तव में उसके साथ धोखा हुआ है। दरअसल, प्रधान का पद महिला श्रेणी के लिए आरक्षित था। इस पद पर महिला सदस्य को चुना जाना था। जबकि उर्मिला सामान्य श्रेणी

में सम्मिलित है। गांव के.साक्षात्कार के दौरान, उर्मिला ने पूरे प्रकरण को तीव्र क्रोध के साथ सुनाया और लगातार राजनीति को कोस रही थी।

जब वर्तमान शोधकर्ता ने पूछा, 'धोखाधड़ी के संदर्भ में आपने और आपके परिवार के सदस्यों ने क्या कार्रवाई की?'

उसने फिर से क्रोध और भय की भावना के साथ कहा कि, उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने संबंधित लोगों से पैसे और धोखाधड़ी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसे और परिवार के सदस्यों को इस संबंध में किसी भी प्राधिकरण से संपर्क न करने की चेतावनी दी। स्थानीय नेताओं ने उन्हें चेतावनी दी कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं तो उनका घर उजड़ जाएगा और परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा।

उर्मिला ने कहा कि '***इसलिए, हम चुप हैं, हम बदला लेने की स्थिति में नहीं हैं***'

केस स्टडी (04)

जुलेखा बानों, प्रधान, ग्राम पंचायत सारांव, विकास खण्ड बल्दोराय

जुलेखा बानों एक 39 वर्षीय विवाहित, प्राइमरी स्तर तक शिक्षित महिला है। जाति से वह 'मुस्लिम' (ओबीसी) है। उसने 17 साल की उम्र में अपनी ही जाति में शादी कर ली। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है। वह सिर्फ एक गृहिणी है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है। उसका पति भवन निर्माण का ठेकेदार है। वे पंचायत समिति के पूर्व सदस्य हैं। इस प्रकार जुलेखा बानों की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है।

जुलेखा का साक्षात्कार पंचायत समिति कार्यालय में उनके केबिन में आयोजित किया गया था। चुनाव लड़ने के संबंध में उनके निर्णय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि –

"2015 के चुनाव में, मैंने जिस सीट पर चुनाव लड़ा था, वह सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित थी। मेरे पति ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए राजी किया। मैं चुनाव प्रचार में भी शामिल नहीं था। मेरे पति और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने मेरी ओर से वह काम किया है।"

उन्होंने यह भी बताया कि, ***'कई महिलाएं, सामान्य तौर पर, राजनीति में भाग लेने को तैयार नहीं होती हैं'।***

जब वर्तमान शोधकर्ता ने एक प्रश्न पूछा, 'राजनीति में प्रवेश करने के लिए महिलाओं में क्या गुण होने चाहिए। उसने टिप्पणी की –

जुलेखा बानो, ''मेरी राय में, बुद्धिमान महिलाओं को इस गंदी राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। इसमें सिर्फ पुरुष ही हिस्सा ले सकते हैं। जो महिलाएं राजनीति में भाग लेती हैं, वे ज्यादातर मामलों में 'गंदी' और 'चरित्रहीन' होती हैं।' उन्होंने फिर से कहा कि, 'वे महिलाएं जो राजनेताओं में भाग लेती हैं, वे असभ्य भाषा का उपयोग करती हैं और वे पुरुष राजनेताओं की तरह व्यवहार करती हैं। यह महिलाओं के लिए वास्तविक क्षेत्र नहीं है।'

जब शोधकर्ता ने पूछा, 'आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किया है? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा,

"मैं काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ करते हैं। मैं सभी बैठकों में भी शामिल नहीं हुई हूं।'

इस समय, उनके पति ने केबिन में प्रवेश किया और जुलेखा के पास बैठ गए। वह तुरन्त मेरी ओर मुड़ी और बोली,

'आप जो कुछ भी पूछना चाहें, आप मेरे पति से पूछ सकते हैं। वह आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए सबसे सक्षम व्यक्ति हैं।'

केस स्टडी (05)

वंदना सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भदैया, विकास खण्ड भदैया

वंदना सिंह एक 40 वर्षीय राजपूत महिला हैं। वह भदैया पंचायत समिति की प्रधान हैं। उनका जन्म और पालन–पोषण एक शहरी क्षेत्र, में हुआ था। उसने 24 साल की उम्र में अपनी ही जाति में शादी कर ली। उसके तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियां। वह एक गृहिणी है। वह 15 सदस्यों वाले संयुक्त और काफी बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है।

वंदना सिंह की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी है। उसके पास इंटरमीडिएट स्तर तक स्कूली शिक्षा है। पूरा परिवार शिक्षित है। उनके पति स्नातक हैं और उनके दो भाई भी स्नातक हैं। उनकी पत्नियां भी परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं को छोड़कर, सभी वयस्क लाभकारी आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं। परिवार के पास सौ एकड़ से ज्यादा जमीन है। कृषि के अलावा, वयस्क भी भवन निर्माण में शामिल हैं। इस प्रकार, वंदना सिंह की एक अच्छी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है।

वंदना सिंह की एक अच्छी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। ऐसा उसके माता–पिता और उसके अपने वर्तमान परिवार दोनों के मामले में है। वंदना सिंह के पिता दो कार्यकाल तक उनके पैतृक गांव के प्रधान थे। उनके ससुर भी ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। वंदना सिंह के पिता और उसके ससुर के सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता हैं।

2015 में जब पंचायत समिति का चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ और जब परिवार के सदस्यों को पता चला कि यह सीट खुले वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उन्होंने उम्मीदवार के रूप में वंदना को खड़ा करने का फैसला किया। राजनैतिक सहयोगियों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया, उन्होंने सीट जीती और पंचायत समिति की सदस्य बनीं। चुनाव लड़ने का फैसला पारिवारिक फैसला था। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, निर्णय वंदना सिंह पर थोपा नहीं गया था, वह खुद भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी।

अच्छी आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मी वंदना सिंह के राजनीतिक समाजीकरण ने उन्हें अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाने में मदद की है। जिस तरह से वह सवालों के जवाब दे रही थी, उससे यह आभास हुआ कि उसने संचार में कौशल सीखा है जिसकी एक राजनेता को जरूरत होती है। उसने यह बताया।

मैं अपने क्षेत्र की सभी राजनीतिक घटनाओं से खुद को अवगत रखता हूं।"

पंचायत समिति की बैठकों में निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,

'मैंने सभी बैठकों में भाग लिया है, और मैं चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता हूं। इतना ही नहीं, मैं अपने विचारों को व्यक्त करती हूं और दूसरों को समझाती हूं कि मेरे विचारों पर क्यों विचार किया जाना चाहिए। मैं हमेशा गैर–भ्रष्ट प्रथाओं पर जोर देता हूं। अन्य सदस्य भी मेरे सुझावों और विचारों को स्वीकार करते हैं।

पंचायत समिति में अपने काम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,

"मैं मुख्य रूप से गरीब परिवारों के लिए काम करता हूं। मैंने विभिन्न सरकारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब परिवारों की मदद करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है। मैंने उनके बैंक ऋण स्वीकृत कराने में उनकी मदद की है। इस तरह, मैं ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों के परिवारों की मदद करने की कोशिश करती हूं।"

केस स्टडी (06)

गीता, सदस्य, जिला पंचायत, कादीपुर और करौदी कलॉ

गीता जिला पंचायत, कादीपुर और करौदी कलॉ के 43 वर्षीय सदस्य हैं। वह अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उसने 22 साल की उम्र में अपनी ही जाती के परिवार के एक व्यक्ति के साथ शादी कर ली। गीता एक उच्च शिक्षित महिला है, जिसने बी.ए. और बी.एड. डिग्री धारक है। शिक्षा के बाद उन्होंने अध्यापन का पेशा अपनाया। उनके परिवार को 'शिक्षक परिवार' के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि उनके पति एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और उनका इकलौता बेटा भी शिक्षण पेशे में है। उनका परिवार संयुक्त परिवार है जिसमें उनके पति के साथ

उनका विवाहित पुत्र भी अपनी पत्नी और अपने इकलौते पुत्र के साथ रह रहा है। गीता का परिवार कादीपुर के एक अर्ध–शहरी गाँव में रहता है।

गीता का परिवार इस क्षेत्र के वर्षा प्रभावित परिवारों में से एक है। उनका घर ढह गया था और उन्हें सरकार द्वारा नवनिर्मित घर आवंटित कर दिया गया है। गीता के परिवार के पास 9 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उनके सेवानिवृत्त पति कृषि गतिविधियों को देख रहे हैं। इस प्रकार गीता का परिवार सुशिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार है।

गीता की कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। हालांकि, वह ग्रामीण राजनीति में सक्रिय रही हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में एक कार्यकाल के लिए नामांकित सदस्य के रूप में और दो कार्यकाल के लिए निर्वाचित सदस्य के रूप में काम किया है। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि, उन्होंने राजनीति और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में काम करने में सक्षम होने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, वह 13 विभिन्न संस्थानों की अध्यक्ष हैं। वह व्यपारी महिला संगठन की सचिव भी हैं। उन्होंने आपदा के बाद पुनर्वास कार्य में शामिल एक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है।

2010 में, गीता ने ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुईं। ग्राम पंचायत स्तर पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, जब 2015 में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, तो उन्होंने अपने दम पर जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का फैसला किया। ओर जिला स्तर पर भी निर्वाचित हुई। जैसा कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में हुआ,

उनके पति ने उनका समर्थन किया। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि, वह पिछले 15 वर्षों से बहुजन समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने टिप्पणी की, 'राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश के लिए राजनीतिक समर्थन बहुत आवश्यक है।'

अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में बताते हुए, उन्होंने बताया कि, उन्होंने खुद चुनाव प्रचार में भाग लिया, बैठकें आयोजित कीं, प्रभावशाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और उनकी मदद से वोट के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि 'आरक्षण नीति ने महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है, महिलाओं को अब निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलेगा।'

गीता ने यह भी बताया कि, वह जिला पंचायत में चर्चा में सक्रिय भाग लेती हैं। विधवाओं, बाल श्रमिकों की समस्याओं के समाधान तथा ग्राम स्तर की समस्याओं जैसे बिजली, पेयजल, जल निकासी आदि की व्यवस्था के लिए कार्य किया है।

उनकी राय के अनुसार, महिलाओं के चुनाव लड़ने और सफलता पाने के लिए 'धन बल' और 'पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि' की तुलना में 'स्वयं का सामाजिक कार्य' और 'समाज में अच्छी छवि' सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। उसने गर्व से अपने सामाजिक कार्यों का जिक्र किया और काम के बारे में बताया। वह बिना माता–पिता, अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है। उन्होंने

महिलाओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिन्होंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि, 'जो महिलाएं राजनीति में प्रवेश करना चाहती हैं, उनकी राजनीति में अपनी रुचि होनी चाहिए। उन्हें शिक्षित होना चाहिए, नहीं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।'

इस बारे में पूछे जाने पर, 'ऐसी कौन–सी बाधाएँ हैं जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं?' उन्होंने बताया

'समस्याएं पंचायती राज संस्थाओं में पुरुष सदस्यों से असहयोग के रूप में आती हैं, महिलाओं को बैठकों में बात करने की अनुमति नहीं देना, महिलाओं की क्षमता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया' उन्होंने टिप्पणी की 'ये प्रमुख बाधाएं हैं'।

केस स्टडी (07)

बबीता देवी, सदस्य, जिला पंचायत, कुड़वार प्रथम

बबीता देवी, 40 वर्ष की आयु के अनुसार, सभापति, कृषि विभाग, कुडवार की हैं। उन नगरीय एक गाँव में पली–बढ़ी उसने 12 साल की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। फिलहाल वह सुलतानपुर जनपद में रह रही है। वह जाति से 'राजपूत' सवर्ण है और 21 साल की उम्र में शादी कर ली। उनके पति स्नातक हैं। वह संयुक्त परिवार की सदस्य हैं, जिसमें 15 सदस्य हैं। बबीता के तीन बच्चे हैं, एक लड़का और दो बेटियाँ। एक ही छत के नीचे पति और बच्चों के अलावा पति के दो भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे रह रहे हैं।

बबीता की आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। बबिता के परिवार के पास 150 एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिसमें से करीब आधी सिंचित है। परिवार के सभी वयस्क सदस्य कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं। परिवार के पास आधुनिक कृषि उपकरण हैं।

उनके माता–पिता के साथ–साथ उनके वर्तमान परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। अपने माता–पिता के परिवार से, उनके भाई ने तीन कार्यकाल के लिए ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य के रूप में काम किया है। अपने वर्तमान परिवार से, उनके पति के भाई की पत्नी ने 25 से अधिक वर्षों से पंचायत समिति के एक मनोनीत सदस्य के रूप में काम किया है। उनके पति के दूसरे भाई की पत्नी ने भी ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ा और जीता था, जब उनका वार्ड कुडवार वर्ष 2015 में सामान्य श्रेणी की महिलाएं के लिए आरक्षित था। उनके पति और उनके भाई भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता हैं। 2015 में, जब चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला खुद किया था। उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों और राजनैतिक सहयोगियों का भी समर्थन मिला। एक अनुभवी राजनीतिक नेता की तरह, वह चुनाव में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों के साथ मतदाताओं को पहला श्रेय देती हैं।

चुनाव लड़ने के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,

"यह मेरे लिए कमजोर वर्गों की महिलाओं के लाभ के लिए अपने ज्ञान, शिक्षा और मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि का उपयोग करने का एक अवसर है। मैं उनकी गरीबी दूर करना चाहता हूं।

राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने टिप्पणी की कि, 'राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के लिए परिवार का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण कारक है।' साथ ही 'राजनीति में प्रवेश करने की इच्छुक महिलाओं को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।'

आरक्षण नीति पर टिप्पणी करते हुए बबिता ने कहा, 'यह महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में भाग लेने का एक बहुत अच्छा अवसर है। वे गरीब और हाशिए के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए आरक्षण नीति को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि, ष्महिलाओं के लिए आरक्षण नीति को सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए।'

अपनी भागीदारी के बारे में उन्होंने बताया,

"मैंने सभी बैठकों में भाग लिया है, मैंने सभापति के रूप में भी जिला स्तर कार्य किया है। मैं हमेशा चर्चाओं में सक्रिय भाग लेता हूं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का भी प्रयास करता हूं।

उनका साक्षात्कार जिला पंचायत में उनके अपने केबिन में आयोजित किया गया था। बबिता अपने साक्षात्कार में सभी बयानों के संबंध में काफी आश्वस्त दिख रही थीं। इंटरव्यू के दौरान वह

फोन कॉल्स अटेंड कर रही थी। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी थी।

ऊपर प्रस्तुत केस स्टडी स्वयं व्याख्यात्मक हैं। वे न केवल व्यक्तिगत महिलाओं के अपने व्यक्तिगत अनुभव स्पष्ट करते हैं, बल्कि उन समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं जिनका सामना पंचायती राज संस्थाओं में काम करते समय महिलाओं को करना पड़ता है। कुछ केस स्टडीज ने समाज के कमजोर वर्गों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी से संबंधित महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला है। जिला पंचायत में कुछ महिलाओं के केस स्टडीज से पता चलता है कि ईमानदार, मेहनती और कुशल महिलाओं ने भी महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के कारण पंचायती राज संस्थाओं में प्रवेश किया है।

उद्देश्य पूर्ण चयनित उत्तरदाताओं का अध्ययन : उल्लेखनीय निष्कर्ष

अब तक हमने सभी 413 उत्तरदाताओं का समग्र प्रोफाइल प्रस्तुत किया है। जैसा कि अनुसंधान पद्धति पर अध्याय में उल्लेख किया गया है, वर्तमान अध्ययन के लिए चुने गए 413 उत्तरदाताओं के कुल नमूने में, 26 जानबूझकर चयनित उत्तरदाताओं ने वर्ष 2010–11 में आयोजित पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने के बाद अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया था। एक बार फिर ध्यान दिया कि, 2010 में हुए चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए पहले चुनाव थे जिसमें 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं।

इन 26 उत्तरदाताओं को चुनने के पीछे तर्क यह था कि, इन उत्तरदाताओं का अध्ययन इन पहली बार निर्वाचित महिला नेताओं के अनुभवों को उजागर करेगा। दूसरे, यह भी सोचा गया था कि उन

कारणों को जानना संभव होगा कि ये उत्तरदाता पंचायती राज संस्थाओं में अपनी रुचि बनाए रखने में असमर्थ क्यों थे।

शोध के दौरान 26 उद्देश्यपुर्ण चुने गए उत्तरदाताओं के उप–नमूने के संबंध में डेटा के अलग–अलग विश्लेषण से निकाले गए प्रमुख निष्कर्षों अग्रलिखित है –

पृष्ठभूमि सम्बन्धित विशेषताएं –

सभी 26 उत्तरदाता विवाहित थे। उत्तरदाताओं में से अधिकांश (15 या 57.7 प्रतिशत) 'मध्यम आयु' (अर्थात 36 से 50 वर्ष) की श्रेणी के थे। उनमें से आधे 13 (50 प्रतिशत) अल्प शिक्षित थे। उच्च शिक्षित (50 प्रतिशत) में से अधिकांश (34.7 प्रतिशत) ने स्नातक स्तर की डिग्रियों प्राप्त की थी। केवल एक उत्तरदाता के पास स्नातकोत्तर उपाधि थी। अधिकांश उत्तरदाता केवल 'हिन्दी' बोलने में सक्षम थे। भारी बहुमत (19 या 77.0 प्रतिशत) केवल गृहिणियां थीं और घर के बाहर के जीवन से उनका कोई संपर्क नहीं था। 2 को छोड़कर, अन्य सभी की पारिवारिक पृष्ठभूमि एकल थी।

फिर से उनमें से एक भारी बहुमत (69.2 प्रतिशत) खुली जाति वर्ग के थे, उसके बाद अनुसूचित जाति (13.6 प्रतिशत), ओबीसी और मुस्लिम (प्रत्येक 9.7 प्रतिशत) के थे।

इन उत्तरदाताओं की औसत मासिक पारिवारिक आय की जांच से पता चला कि उनमें से अधिकांश 15 (57.7 प्रतिशत) की पारिवारिक आय 5,000/– रुपये से लेकर रु. 10,000/– मासिक है। इसके बाद 15,000/– रुपये तक मासिक आय सीमा के परिवार थें जिनकी संख्या मात्र 3 थी। शेष 6 महिलाओं कि पारिवारिक मासिक आय 15,000/– रूपययें से अधिक थी। केवल 6 महिलाअें (23 प्रतिशत) को छोड़कर,

अन्य सभी उत्तरदाताओं की सक्रिय पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

चुनाव प्रक्रिया और निर्णय लेने में भागीदारी –

इन महिलाओं के बहुमत (50 प्रतिशत) के मामले में, उनके पतियों ने उन्हें चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। अन्य 38.5 प्रतिशत के मामले में, उन्हें स्थानीय, नेताओं (38.5 प्रतिशत) और निकट संबंधियों ने भी मना लिया। दिलचस्प बात यह है कि भारी बहुमत (73.1 प्रतिशत) के मामले में, चुनाव लड़ने का अंतिम निर्णय उनके पतियों, पुत्रों अथवा परिवार के अन्य पुरूष सदस्यों ने लिया था। फिर से, निकट संबंधियों (7.7 प्रतिशत) और स्थानीय नेताओं (3.8 प्रतिशत) ने भी उत्तरदाताओं पर अपना निर्णय थोपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल 4 उत्तरदाताओं ने बताया कि अंतिम निर्णय स्वयं और उनके पतियों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चुनाव लड़ना उनकी अपनी निजी पसंद नहीं थी। बल्कि 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मामले में उन्हें रिश्तेदारों, पतियों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा पीआरआई में धकेल दिया गया। आंकड़ों से यह भी पता चला कि, उत्तरदाता स्वयं चुनाव प्रचार में बहुत सक्रिय नहीं थे क्योंकि उनके पति, रिश्तेदार और स्थानीय राजनीतिक नेता उनकी ओर से चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल थे।

बैठकों में भाग लेने में उत्तरदाताओं की नियमितता के संबंध में डेटा की एक परीक्षा से पता चला कि, उत्तरदाताओं में सें बड़ी मात्रा में महिलाओं (61.5 प्रतिशत) नें बैठकों में अधिकतम भाग लेने की नियमितता या तो 'खराब' थी अथवा लगभग नगण्य थी। कुल 23.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं की उपस्थिति 0.25 प्रतिशत या उससे भी कम थी। केवल 38.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं की उपस्थिति 26 से 50 प्रतिशत थी।

उनमें से अधिकांश (लगभग 57.7 प्रतिशत) ने बताया कि वे नियमित बैठकों में शामिल होती हैं और चर्चा में भी भाग लेती है। समंकों के विश्लेषण ये यह तथ्य भी ज्ञात हुआ कि लगभग 42.3 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों की चर्चा में भाग नहीं ले रही थी।

पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव –

इन सभी उत्तरदाताओं को अपने कार्यकाल के दौरान 'सबसे सुखद' और 'सबसे अप्रिय' अनुभव बताने के लिए कहा गया था। यह ध्यान रखना आश्चर्यजनक है कि, 4 उत्तरदाताओं को छोड़कर, अन्य सभी ने 'सुखद' या 'अप्रिय' अनुभव का उल्लेख नहीं किया। वास्तव में उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। जहां तक पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करते समय आने वाली कठिनाइयों का संबंध है, उन्होंने उल्लेख किया कि पुरुष सदस्य उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। जब वे सभाओं में बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा था।

जैसा कि कार्यप्रणाली पर अध्याय में उल्लेख किया गया है, इन 26 उत्तरदाताओं के चयन के पीछे तर्क उनके अनुभवों के बारे में सीखना था क्योंकि उन्होंने पंचायती राज संस्थानों में पूर्ण कार्यकाल पूरा कर लिया था। हालांकि, ऐसा लगता है कि, उन्हें पंचायती राज संस्थानों में प्रवेश करने के लिए कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं थी, उन्हें उनके पतियों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा केवल महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान के कारण पंचायती राज संस्थानों में धकेल दिया गया था।

ये प्रतिवादी अगला चुनाव लड़ने में अपनी रुचि क्यों नहीं बनाए रख सके ?

इन सभी 26 उत्तरदाताओं से हमेशा एक प्रश्न पूछा गया, 'आपने 2015 में हुआ चुनाव क्यों नहीं लड़ा? प्रतिक्रियाओं से पता चला कि उनमें से एक भारी बहुमत व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता था। चूंकि महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान था, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। यह उनके पतियों, रिश्तेदारों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं के अनुनय–विनय के कारण है कि उन्होंने 2015 में चुनाव लड़ा था। उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं में से एक ने भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि, उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने उनका नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, उपरोक्त प्रतिक्रियाओं से जो उभर कर आता है, वह यह है कि यदि महिलाएं राजनीतिक करियर बनाना चाहती हैं, तो राजनीति में व्यक्तिगत रुचि एक महत्वपूर्ण कारक है। दोबारा चुनी गई महिला नेताओं के एक अध्ययन ने भी इस बात को रेखांकित किया है।

पंचायती राज संस्थाओं में पुनः निर्वाचित महिलाओं का अध्ययन –

शोध में सम्मिलित 413 उत्तरदाताओं के नमूने में, 4 उत्तरदाता थे जो लगातार दो बार पंचायती राज संस्थाओं में थे। इन चारों महिला नेताओं ने वर्ष 2010 में हुआ चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक चुनी गईं। पुनः वर्ष 2015 में जब चुनाव हुए तो वे उम्मीदवार थे और इस चुनाव में भी उन्हें सफलता मिली। इस प्रकार, ये उत्तरदाता लगातार 2 बार पंचायती राज संस्थाओं में थे। यह सोचा गया था कि इन 4 पुनर्निर्वाचित महिला नेताओं के आंकड़ों का एक अलग विश्लेषण उन कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान

करेगा जो महिलाओं को अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए, हमने उनकी पृष्ठभूमि विशेषताओं पर अलग से ध्यान केंद्रित किया है। प्रमुख निष्कर्ष नीचे उल्लेखित किए गए हैं –

पंचायती राज संस्थाओं में पुनः निर्वाचित महिलाएँ : पृष्ठभूमि की विशेषताएँ

4 उत्तरदाताओं में से दो पंचायत समिति के सदस्य और शेष दो जिला पंचायत सदस्य थे। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि की एक परीक्षा से पता चला कि, वे सभी शिक्षित थे, एक ने 8 वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी, दूसरे ने 10 वीं तक, तीसरे के पास कॉलेज का कुछ वर्ष था, जबकि शेष के पास स्नातकोत्तर की डिग्री थी। . ये सभी 'मध्य आयु' (अर्थात 26 से 50 वर्ष) के थे। ये सभी संयुक्त परिवार से सम्बन्ध रखते थे। उनकी जाति–पृष्ठभूमि के एक अध्ययन से पता चला कि उनमें से 2 राजपूत और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं मुस्लिम वर्ग से एक–एक थे। सभी चार उत्तरदाता 15 से 30 एकड़ भूमि के स्वामित्व वाले भूमि मालिक परिवारों के थे। ये सभी गृहिणियां थीं। ये सभी परिवार आर्थिक रूप से मजबूत थे। सभी चार उत्तरदाताओं की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। इन उत्तरदाताओं की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि की जांच से पता चला कि तीन (75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के वर्तमान परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। इन तीनों उत्तरदाताओं के मामले में, उनके ससुर और पतियों ने जिला पंचायत और पंचायत समितियों में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। शेष उत्तरदाताओं के माता–पिता के परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। इस

उत्तरदाताओं ने आगे सफलतापूर्वक जिला परिषद का चुनाव जीता था।

चुनाव प्रक्रिया और निर्णय लेने में भागीदारी –

चुनाव लड़ने के उनके निर्णय के बारे में पूछे जाने पर, सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पति, ससुराल वालों ने उन्हें चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने भी दोनों चुनावों के समय अपनी उम्मीदवारी डालने का सुझाव दिया। हालांकि, अंतिम निर्णय उन्होंने अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के परामर्श से संयुक्त रूप से लिया। वे अपने परिवार के सदस्यों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में भी शामिल थे। इन सभी उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था।

यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि, वे खुद भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे।

बैठकों में भाग लेने में उनकी नियमितता से संबंधित आँकड़ों की जाँच से पता चला कि वे अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में शामिल हुए थे। ये सभी उत्तरदाता भी पंचायत राज संस्थाओं के बैठकों में चर्चा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, उनकी प्रतिक्रियाओं से पता चला। इस प्रकार इन पुर्ननिर्वाचित महिलाओं को केवल 'प्रॉक्सी' उम्मीदवार के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

इन सभी चार उत्तरदाताओं के बारे में शोधकर्ता की व्यक्तिगत धारणा यह है कि वे राजनीति में रुचि रखते थे, वे अपने

साक्षात्कार के दौरान कई अन्य उत्तरदाताओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मुखर थे।

इन चार उत्तरदाताओं से संबंधित डेटा के अलग–अलग विश्लेषण के पीछे मुख्य उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना था जिन्होंने इन उत्तरदाताओं को सफलतापूर्वक फिर से निर्वाचित होने में मदद की। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिला राजनीतिक नेताओं के रूप में उनकी निरंतरता के लिए कुछ कारकों का एक समूह जिम्मेदार है। यह कहा जा सकता है कि, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, उनकी शैक्षिक स्थिति, उनकी मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि और पंचायती राज संस्थाओं में प्रवेश करने और रहने के लिए उनकी अपनी रुचि, परिवार का समर्थन, स्थानीय राजनीतिक नेताओं का समर्थन और राजनीतिक दल– इन सभी कारकों ने संयुक्त रूप से उन्हें लगातार दूसरी बार पंचायती राज संस्थाओं में बने रहने में मदद की है।

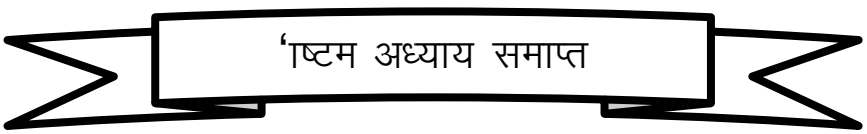

– : शोध संदर्भ : –

1. श्रीवास्तव, डा0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0
2. शर्मा, प्रेम नारायण, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ,
3. गुप्ता, नीलम, ग्रामीण विकास एचं बाल विकास कार्यक्रम, बुण्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी
4. जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013
5. सिंह, महिपाल, पंचायती राज चुनौतिया एवं संभावनाऍं, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली

रिपोर्ट

1. सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका, 2016, 2017, 2018
2. भारत 2016, 2017
3. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2011

ई–लिंक

1 https://www.sultanpur.nic.in

सप्तम अध्याय

शोध निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्याय पहले के अध्यायों से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और वर्तमान अध्ययन के आधार पर कुछ व्यापक निष्कर्षों को उजागर करने के लिए तैयार किया गया है। कुछ परिकल्पनाएँ भी सामने रखी गई हैं जिनका परीक्षण अन्य शोधकर्ता भविष्य के अध्ययनों में कर सकते हैं।

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिला नेताओं की पृष्ठभूमि विशेषताओं, चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने और उनके वास्तविक अनुभवों पर ध्यान देने के साथ पंचायती राज संस्थाओं में उभरते महिला नेतृत्व को समझना है।

- ✓ पहले परिचयात्मक अध्याय में 'नेता', 'नेतृत्व', 'सशक्तिकरण', 'महिलाओं का सशक्तिकरण' और 'महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण' जैसी कुछ प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा की गई है। यह उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के विकास, संरचना और प्रमुख विशेषताओं, औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी और 73 वें संवैधानिक संशोधन से पहले पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी और 73 वें संवैधानिक संशोधन के बाद महिला नेतृत्व के उद्भव से संबंधित है। इस अध्याय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राजनीति काफी हद तक पुरुषों का क्षेत्र रही है और औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी कम रही है। लगभग सभी राजनीतिक संरचनाओं में महिलाओं को बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तथापि, 73वें

संविधान संशोधन के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में शामिल किया जा रहा है।

- ✓ सुलतानपुर जनपद : एक संक्षिप्त रूपरेखा, अध्ययन क्षेत्र, सुलतानपुर जनपद का एक संक्षिप्त विवरण दूसरे अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। यह सुलतानपुर जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थान और क्षेत्र, भूगोल और भौतिक विशेषताओं से संबंधित है। यह पुरुष–महिला, ग्रामीण–शहरी, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और लिंग–अनुपात जैसी जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर भी प्रकाश डालता है। साक्षरता–निरक्षरता की स्थिति, शैक्षणिक संस्थानों और नामांकन पैटर्न, कामकाजी आबादी के व्यावसायिक वितरण से संबंधित डेटा भी प्रस्तुत किया गया है और संक्षेप में विश्लेषण किया गया है। यह जिले में सहकारी समितियों, उद्योगों, कृषि और सिंचाई सुविधाओं को भी छूता है। अंत में, सुलतानपुर जनपद में राजनीतिक स्थिति और स्थानीय शासन के प्रशासनिक संस्थानों की संरचना और संख्या के बारे में संक्षेप में बताया गया है, क्योंकि यह वर्तमान अध्ययन के लिए अति प्रासंगिक है।
- ✓ द्वितीय अध्याय के अन्तिम भाग में वर्तमान अध्ययन की पद्धति संबंधी प्रक्रियाओं से संबंधित है। वर्तमान अध्ययन के लिए नमूना (413 महिला नेता) उन महिलाओं से लिया गया है जिन्होंने सुलतानपुर जनपद में पंचायती राज के तीनों स्तरों के पदों के लिए वर्ष 2005, 2010 और 2015 में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। वर्तमान अध्ययन के लिए मिश्रित प्रतिदर्श अभिकल्पना को अपनाया गया है। कुल 413 उत्तरदाताओं में से 113 उत्तरदाताओं को जानबूझकर चुना गया था जिन्होंने वर्ष 2005 में हुए चुनाव में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। शेष 300 उत्तरदाताओं में जिला पंचायत की सभी 19 महिला नेता शामिल हैं। (जनगणना अध्ययन), सभी 7 पंचायत समितियों की सभी

38 महिला नेत्रियों (जनगणना अध्ययन), और 42 ग्राम पंचायतों से 92 महिला नेत्रियों का एक नमूना यादृच्छिक शुरुआत के साथ आनुपातिक स्तरीकृत व्यवस्थित नमूना तकनीक का उपयोग करके चुना गया, जिनमें से सभी 2010 के चुनाव में भी चुने गए थे। वर्तमान अध्ययन के लिए डेटा संरचित अनुसूची के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार की मदद से जुलाई और अगस्त, 2021 के महीनों के दौरान एकत्र किए गए थे।

बाद के अध्याय अर्थात अध्याय तृतीय, चतुर्थ, पंचम और इस शोध अध्ययन के मूल हैं। इन अध्यायों में प्रस्तुत प्रमुख निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है –

- ✓ सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि : महिला नेत्रियों की भारी बहुमत विवाहित (96 प्रतिशत), 'मध्यम आयु' की थीं, अर्थात 36 से 50 वर्ष (60 प्रतिशत) अपेक्षाकृत कम उम्र (71.8 प्रतिशत) में वैवाहिक जिम्मेदारियों से बंधी थीं, और 2 या अधिक बच्चों (69.6 प्रतिशत) की माताएँ थीं।
- ✓ जनपद में सभी महिला सरपंच साक्षर (100 प्रतिशत) थी। साक्षर लोगों में, 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बहुमत (82.2 प्रतिशत) थी। बहुत कम उत्तरदाताओं (14 या 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं) ने अपने क्रेडिट के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त की थी।
- ✓ प्राप्त समंक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तरदाताओं के बहुमत (49.7 प्रतिशत) के पास 'अंग्रेजी' में लिखने का कौशल नहीं था और उनमें से केवल 3 प्रतिशत ही दोनों भाषाओं अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम थे। फिर से, भारी बहुमत (90 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों से और शेष शहरी/अर्ध–शहरी क्षेत्रों से थे।

- ✓ उत्तरदाताओं की व्यावसायिक पृष्ठभूमि की एक परीक्षा से पता चला है कि, उनमें से भारी बहुमत (371 या 89.83 प्रतिशत) मुख्य रूप से बिना किसी लाभकारी नौकरी और घर के बाहर की दुनिया के संपर्क के बिना गृहिणियां थीं। बहुत कम (42 या 10.17 प्रतिशत) उत्तरदाता, घर के काम के अलावा, अपने परिवार के बाहर काम कर रहे थे। हालांकि, उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत कम आय और कम सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यवसायों में शामिल थे।
- ✓ उत्तरदाताओं के धर्म–वार बारंबारता वितरण से पता चला कि, भारी बहुमत (356 या 86.2 प्रतिशत) हिंदू थे, उसके बाद मुस्लिम (45 या 10.9 प्रतिशत) और बौद्ध (12 या 2.9 प्रतिशत) थे।
- ✓ उत्तरदाताओं की जातिगत पृष्ठभूमि की जांच से कुछ महत्वपूर्ण रुझान सामने आए हैं –

  - ☞ 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के कारण, सभी जाति–श्रेणियों जैसे कि सामान्य, ओबीसी, एससी से संबंधित महिलाएं।
  - ☞ सामान्य श्रेणी (47.4 प्रतिशत) से संबंधित महिलाओं की संख्यात्मक प्रधानता है, जबकि ओबीसी संख्यात्मक रूप से दूसरे स्थान (29.3 प्रतिशत) पर हैं, इसके बाद एससी (23.3 प्रतिशत),
  - ☞ उत्तरदाताओं में, सामान्य वर्ग जाति की महिलाएं संख्यात्मक रूप से प्रमुख (50.9 प्रतिशत) थीं, उसके बाद पिछड़ा वर्ग (24.9 प्रतिशत) और एस0सी0 (19.2 प्रतिशत)। नमूने में अन्य सभी का प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से कम था।
  - ☞ उत्तरदाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच से पता चला कि उत्तरदाताओं के भारी बहुमत के पास एकल पारिवारिक

पृष्ठभूमि थी। इस प्रकार, डेटा यह सुझाव देते हैं कि महिला नेतृत्व के उद्‌भव के लिए एकल परिवार संरचना अधिक प्रभावशील है। उत्तरदाताओं में से अधिकांश (14.6 प्रतिशत) 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों के थे, यह सुझाव देते हुए कि छोटे परिवार महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं।

☞ उत्तरदाताओं के अपने परिवारों की शैक्षिक स्थिति की जांच से पता चला कि अधिकांश उत्तरदाताओं (216 या 52.3 प्रतिशत) 'उच्च' शैक्षिक स्थिति वाले परिवारों से थे। (परिवार के सभी सदस्य साक्षर थे) उसके बाद (33.0 प्रतिशत) 'मध्यम' शैक्षिक स्थिति वाले थे। (परिवार के कुछ सदस्य साक्षर हैं और कुछ अनपढ़ हैं) और शेष 14.7 प्रतिशत 'निम्न' शैक्षिक स्थिति वाले हैं (परिवार के कुछ सदस्य निरक्षर हैं)।

☞ तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं का भारी बहुमत (72 प्रतिशत) भूमि के मालिक परिवारों से था (हालांकि उनमें से आधे से अधिक के पास 10 एकड़ तक की जमीन थी)। यह सुझाव देता है कि, भूमि पर अधिकार अभी भी उन कारकों में से एक है जो ग्रामीण राजनीतिक संरचनाओं में सत्ता के अधिग्रहण में मदद करता है। यहां यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, 'भूमिहीन' परिवारों के कम से कम 19 से 8 प्रतिशत उत्तरदाता थे। इससे यह संकेत मिलता है कि महिलाओं के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण के कारण, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रवेश के लिए भूमि स्वामित्व की स्थिति अपेक्षाकृत महत्वहीन होती जा रही है। उत्तरदाताओं का पांचवां हिस्सा (38 या 21.7 प्रतिशत) ऐसे

परिवारों से आया है जो मुख्य रूप से निजी रोजगार से अपना निर्वाह करते हैं।

- ☞ पारिवारिक व्यावसायिक स्थिति की जाँच से पता चला कि उत्तरदाताओं के परिवारों में से अधिकांश (61.1 प्रतिशत) कृषि व्यवसाय में शामिल हैं। जिन परिवारों में कृषक अधिक हैं वे एकल सबसे बड़ी श्रेणी (179 या 43.4 प्रतिशत) का गठन करते हैं। 06 उत्तरदाताओं को छोड़कर, जिन्होंने मकान किराए पर लिया था, अन्य सभी के पास अपना घर था।
- ☞ उत्तरदाताओं की पारिवारिक आय की जांच से पता चला है कि 50,001 से 75.000 की औसत वार्षिक आय वाले परिवार एकल सबसे बड़ी आय श्रेणी का गठन करते हैं। फिर से भारी बहुमत (271 या 65.7 प्रतिशत) परिवारों की आय 25,001 से 1,00,000 के बीच थी। यहां यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश उत्तरदाता ग्रामीण समुदाय के आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग से संबंधित हैं।
- ☞ उत्तरदाताओं की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के संबंध में उनके माता–पिता और उनके अपने परिवारों दोनों के संबंध में पूछताछ की गई। यह पता चला कि, उत्तरदाताओं का भारी बहुमत (83.3 प्रतिशत) राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से था, जबकि केवल 29 उत्तरदाताओं के पास सक्रिय पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। हालांकि, इन परिवारों से मुख्य रूप से पुरुष सदस्यों ने चुनाव लड़ा था।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका –

- ✓ चतुर्थ अध्याय के पहले खंड में हमने चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी की सीमा की जांच की है। सामान्य निष्कर्ष यह निकाला जा

सकता है कि अधिकांश महिला नेत्रियों के मामले में, चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी न्यूनतम थी, भले ही वे स्वयं उम्मीदवार थीं। उत्तरदाताओं के पति स्थानीय राजनीतिक नेता और अन्य निकट संबंधी मुख्य रूप से उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राजी करने में सहायक थे। जाहिर है, चुनाव लड़ना उनकी अपनी निजी पसंद नहीं थी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के मामले में चुनाव लड़ने का अंतिम निर्णय उन पर उनके पतियों या स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा लगाया गया था। उनमें से कई ने बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्य के चुनाव लड़ा था। महिला नेताओं को भी उनके पतियों और स्थानीय नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल करने में सहायता की और ये वे पुरुष थे जो महिला नेत्रियों की ओर से चुनाव प्रचार में शामिल थे। उत्तरदाताओं के भारी बहुमत के मामले में, उनकी उम्मीदवारी को विभिन्न राजनीतिक दलों, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित किया गया था।

- ✓ दूसरा खंड पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय लेने में महिला नेताओं की भागीदारी को समझने के लिए समर्पित है। पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को इस खंड में पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में भाग लेने की नियमितता के रूप में समझा जाता है।
- ✓ उत्तरदाताओं की समग्र बैठक में उपस्थिति को देखते हुए, यह देखा गया कि लगभग 3/5 उत्तरदाताओं के मामले में, बैठक में भाग लेने की उनकी नियमितता या तो 'खराब' (0 से 25 प्रतिशत उपस्थिति) या 'कम' थी (50 प्रतिशत उपस्थिति)। लिंग और पारंपरिक पर आधारित श्रम विभाजन के सामाजिक–संरचनात्मक तंत्र के कारण अधिकांश उत्तरदाता बैठकों में भाग लेने में नियमितता बनाए रखने की स्थिति में नहीं थे।

✓ महिलाओं की जागरूकता, गतिशीलता को विनियमित करने वाले सांस्कृतिक मानदंड –

- हमने कुछ अन्य चर जैसे कि उम्र, परिवार का प्रकार, परिवार का आकार, शिक्षा, व्यवसाय, औसत वार्षिक पारिवारिक आय, जाति / सामुदायिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीच बैठकों में भाग लेने में उत्तरदाताओं की नियमितता के बीच संबंधों का भी पता लगाया है। यह देखा गया है कि –

  ☞ 'युवा' आयु वर्ग से संबंधित उत्तरदाता 'मध्यम आयु' से संबंधित उत्तरदाताओं की तुलना में पंचायती राज संस्थाओं के बैठकों में अधिक नियमित रूप से भाग लेते हैं,

  ☞ एकल परिवार संरचना महिला उत्तरदाताओं को बैठकों में अधिक नियमित रूप से भाग लेने की अनुमति देती है,

  ☞ उच्च शैक्षिक स्तर सकारात्मक रूप से बैठकों में भाग लेने की नियमितता से जुड़ा है,

  ☞ उन लोगों की तुलना में जो केवल गृहिणियां थीं और इसलिए बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं थी, उत्तरदाताओं जो 'पेशेवर', 'स्व–रोजगार' 'व्यवसाय' में शामिल थे, बैंठकों में भाग लेने में बेहतर नियमितता प्रदर्शित करते देखा गया था।

  ☞ सबसे गरीब आय वर्ग के अधिकांश उत्तरदाताओं ने पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में भाग लेने में 'खराब' या 'निम्न' नियमितता प्रदर्शित की है।

- ☞ सामान्य श्रेणी के अधिकांश उत्तरदाता, पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में भाग लेने में सबसे अधिक नियमित थे।
- ☞ विभिन्न जनजातीय श्रेणियों जैसे एसटी से संबंधित उत्तरदाताओं के मामले में बैठकों में भाग लेने में सबसे कम नियमितता देखी गई।

✓ यह भी देखा गया कि पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले उत्तरदाताओं के मामले में बैठकों में भाग लेने की नियमितता अधिक थी।

✓ तीसरे खंड में पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय लेने में महिला नेत्रियों की भागीदारी के बारे में बताया गया है। निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों की चर्चा में उनकी भागीदारी के संदर्भ में समझकर और व्याख्या की गयी है। समंक से पता चला है कि, उत्तरदाताओं के बहुमत (61.7 प्रतिशत) ने बताया है कि जब वे इन बैठकों में भाग लेते हैं तो वे बैठकों की चर्चा में भाग लेते हैं। 1/3 (34.9 प्रतिशत) से थोड़ा अधिक ने बताया है कि वे बैठकों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, जबकि कुछ (3.4 प्रतिशत) प्रश्न पूछे जाने पर 'चुप' रहे। प्रतिक्रियाओं से यह भी पाया गया कि जो लोग बैठकों के समय निष्क्रिय रहते हैं, वे ऐसा अपनी निरक्षरता, अज्ञानता, अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से पहली मुलाकात, स्त्री पहचान को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और मूल्यों के कारण आंतरिक अवरोधों, साहस की कमी और हतोत्साहित करने वाले अनुभवों के कारण करते हैं।

✓ प्रतिक्रियाओं से यह भी ज्ञात हुआ कि एक ओर आयु, शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक आय, जाति/सामुदायिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि जैसे कुछ चरों के बीच संबंधों की खोज और

दूसरी ओर पीआरआई बैठकों में चर्चा में उत्तरदाताओं की भागीदारी से पता चला –

1. 'वृद्ध' आयु से संबंधित उत्तरदाताओं का भारी बहुमत 'युवा' आयु से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
2. यह देखा गया कि शिक्षा के उच्च स्तर और चर्चा में सक्रिय भागीदारी के बीच सकारात्मक संबंध है। पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में चर्चा में सक्रिय भाग लेने वाले उत्तरदाताओं की भागीदारी उनके उच्च शैक्षिक स्तर के साथ बढ़ जाती है। शैक्षिक स्तर जितना अधिक होगा, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात उतना ही अधिक होगा। अधिकांश निरक्षर पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में चर्चा में भाग नहीं ले रहे है।
3. श्रमिक वर्ग से संबंधित अधिकांश उत्तरदाता चर्चाओं में सक्रिय भाग नहीं लेते हैं।
4. घर के बाहर की दुनिया (यानी वेतनभोगी नौकरियों, स्वरोजगार, पेशे में शामिल सभी) के संपर्क में आने वाले उत्तरदाता सक्रिय रूप से चर्चा में भाग ले रहे थे।
5. पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में चर्चा में भाग नहीं लेने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात आय के स्तर में वृद्धि के साथ घटता है और पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में चर्चा में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात पारिवारिक आय के बढ़ते स्तर के साथ बढ़ता है।
6. अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित उत्तरदाताओं के भारी बहुमत ने पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में चर्चा में सक्रिय भागीदारी की सूचना दी है।

7. सामान्य श्रेणी की जातियों में से, ब्राह्मण और राजपूत जाति के शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी की सूचना दी है। जबकि यादव और मुस्लिम महिला नेता क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर पाई गई, जैसा कि आवृत्ति वितरण में परिलक्षित होता है।
8. अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित विभिन्न जातियों में से, हरिजन जाति के उत्तरदाताओं के भारी बहुमत ने पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में चर्चा में सक्रिय भागीदारी की सूचना दी है।
9. अधिकांश उत्तरदाताओं, जिनकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, ने पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में चर्चा में सक्रिय भागीदारी की सूचना दी।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम में महिलाओं का भूमिका के संदर्भ में

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेत्रियों के विचार, राय और अनुभव पंचम अध्याय का विषय हैं। उत्तरदाताओं के विचारों और विचारों का सारांश –

- ☞ महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की नीति,
- ☞ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका और
- ☞ समकालीन राजनीतिक स्थिति और महिलाओं का प्रवेश और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी, नीचे प्रस्तुत की गई है –

    - ✓ अधिकांश उत्तरदाताओं का मत था कि 33 प्रतिशत सीटों में आरक्षण ने महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना आवश्यक है।

- ✓ कुछ उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि, अनुसूचित जाति जैसे कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, आरक्षण नीति की सबसे मौलिक विशेषता है।
- ✓ कुछ उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि सभी राजनीतिक संरचनाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। जिला पंचायत स्तर पर कुछ मुखर उत्तरदाताओं ने यह भी टिप्पणी की कि, आरक्षण नीति के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में शामिल करने में सफलता मिली है, किन्तु वर्तमान में वे अपनी शक्ति का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं हैं।
- ✓ कुछ उत्तरदाताओं का यह भी मत था कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के लिए वार्ड तय करने के लिए रोटेशन प्रणाली अपनाने के बजाय, सक्षम महिलाओं को राजनीतिक करियर बनाने के लिए सक्षम करने के लिए वार्डों को स्थायी रूप से आरक्षित किया जाना चाहिए।
- ✓ कुछ शिक्षित और सक्रिय उत्तरदाताओं ने भी आरक्षण नीति के अधिकतम लाभ के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है जिसमें शामिल हैं –

    - आरक्षण नीति के बारे में जागरूकता बढ़ाना,
    - महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना,
    - अच्छी तरह से शिक्षित महिलाओं के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करना और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करना।

- ✓ अधिकांश उत्तरदाताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि पंचायती राज के तीनों स्तरों पर महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कुछ उत्तरदाताओं का यह भी मत था कि सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।
- ✓ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका पर विचारों के संबंध में, उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि इन जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की काम करने की गुंजाइश है। यह भी बताया गया कि यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने की गुंजाइश है, लेकिन वर्तमान में पंचायती राज के कार्यो के प्रति अज्ञानता के कारण महिलाएं यह नहीं जानती हैं कि वे पंचायती राज संस्थाओं में क्या कर सकती हैं।
- ✓ इस सवाल के जवाब में, 'पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं क्या भूमिका निभा सकती हैं?', उत्तरदाताओं ने विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें महिलाएं काम कर सकती हैं। इन क्षेत्रों में शामिल हैं –

    - महिला एवं बाल कल्याण,
    - दहेज उन्मूलन,
    - गांवों में स्कूलों के कामकाज का पर्यवेक्षण,
    - पेयजल उपलब्ध कराना,
    - स्ट्रीट लाइटिंग,
    - स्वास्थ्य देखभाल,
    - स्वच्छता,
    - कल्याणकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और

- गरीबी उन्मूलन।

✓ इन प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि, पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेता खुद को 'समुदाय के नेता' के रूप में देखती हैं, न कि केवल 'महिला प्रतिनिधियों' के रूप में। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने समग्र रूप से संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया है।

✓ केवल कुछ स्पष्ट उत्तरदाताओं ने समकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचार में राजनीति के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अवसरवाद, धन और बाहुबल का प्रयोग और पुरुष प्रधानता बहुत अधिक है। इसलिए, एक भावना है कि समकालीन राजनीतिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे।

✓ हालांकि, कुछ अन्य उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए और उन्हें केवल कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

✓ कुछ उत्तरदाताओं का मत था कि महिलाएं राजनीति में प्रवेश करने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हैं,

✓ जबकि कुछ अन्य ने कहा कि महिलाएं राजनीति में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं और यह भी कहा कि सभी इच्छुक महिलाओं को बिना किसी झिझक और भय के राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। हालाँकि, उन्हें संचार कौशल सीखना चाहिए, शीघ्र और सीधे–सीधे होना चाहिए, अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए, सामाजिक

कार्यों में रुचि होनी चाहिए और उन्हें आत्मविश्वासी होना चाहिए।

✓ कुछ अनुभवी उत्तरदाताओं ने भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है। इन उपायों में शामिल हैं,

- महिलाओं के प्रति पारंपरिक पुरुष दृष्टिकोण में बदलाव, '
- लिंग पूर्वाग्रह को हटाना',
- 'महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना',
- 'प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्रदान करना'।

✓ महिलाओं के राजनीति में प्रवेश करने के लिए आवश्यक गुणों के संबंध में, उत्तरदाताओं का मत है कि, महिलाओं को 'उनके श्रेय के लिए अच्छी शिक्षा', 'राजनीति में रुचि', 'सामाजिक संपर्कों का नेटवर्क', 'सामाजिक कार्यों में रुचि', 'राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रिया के बारे में ज्ञान', 'साहस और साहसी राज्य'। कई उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त गुण भी आवश्यक हैं। इन गुणों के अलावा, कुछ उत्तरदाता यह भी सोचते हैं कि कुछ 'राजनीतिक गॉड फादर' होना और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, धन शक्ति का समर्थन हासिल करना भी महिलाओं के लिए चुनाव में सफलता पाने के लिए आवश्यक चीजें हैं। उत्तरदाताओं ने राजनीति में गुटबाजी के नकारात्मक परिणामों पर भी प्रकाश डाला है – यह नेतृत्व के विकास

में बाधा डालता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को कम करता है।

- ✓ कुछ उत्तरदाताओं ने जिला पंचायत स्तर और पंचायत समितियों ने भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में अपने आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए हैं। उनकी राय में, वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। अपनी अशिक्षा और अज्ञानता के कारण वे प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पा रही हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रारंभिक चरण के दौरान महिलाओं से पूर्ण भागीदारी की उम्मीद करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है और अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक कौशल से अभी तक सुसज्जित नहीं हैं इस स्थिति में धीरे–धीरे सुधार होगा।
- ✓ उत्तरदाताओं की राय में, राजनीतिक दलों को केवल महिला उम्मीदवारों की आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें केवल उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो उम्मीदवारों का चयन और समर्थन करते समय राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में रुचि रखती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, उनमें से कुछ ने जबरदस्ती यह राय दी है कि महिलाओं को चुनाव लड़ने का विरोध करना चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं में अपने पति या निकट संबंधियों के 'डमी' या 'प्रॉक्सी' उम्मीदवारों के रूप में भाग लेना चाहिए। उनमें से कुछ इस बात पर भी जोर देती हैं कि सभी स्तरों पर सभी राजनीतिक निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

- ✓ उत्तरदाताओं के पंचायत राज में काम करने के व्यक्तिगत अनुभवों को समझने के लिए, 'सबसे सुखद अनुभव' और 'सबसे अप्रिय अनुभव' से संबंधित प्रश्न और पंचायती राज संस्थाओं में काम करते समय उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनसे पूछा गया। वे सभी जिन्होंने 'सुखद अनुभव' की सूचना दी है, उन्होंने विभिन्न कार्यों की सफलता की कहानियों की सूचना दी है जिन्हें वे अपने कार्यकाल के दौरान पूरा कर सकते थे। सुखद अनुभव के रूप में रिपोर्ट की गई घटनाएं उत्तरदाताओं की निर्णय लेने में भाग लेने और विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- ✓ जिला पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर से अधिकांश उत्तरदाताओं ने अप्रिय अनुभव नहीं बताए। हालांकि, ग्राम पंचायतों के कुछ उत्तरदाताओं ने कुछ अप्रिय अनुभवों की सूचना दी है। सबसे अप्रिय अनुभव के रूप में रिपोर्ट की गई घटनाएं उन कठिनाइयों की ओर इशारा करती हैं जो अनपढ़, अनुभवहीन महिलाओं को पीआरआई में काम करते समय सामना करना पड़ता है। वे पुरुष सदस्यों के असहयोग और निचली जातियों की महिला नेत्रियों के साथ दुर्व्यवहार की ओर भी इशारा करते हैं।
- ✓ अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना किया है। 'प्रशासनिक कठिनाइयों' में शामिल हैं, 'विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धन जारी नहीं करना', 'फाइलों में उद्देश्यपूर्ण देरी', 'नियमों और विनियमों के बारे में ज्ञान

की कमी', 'सही सूचनाओं के प्रदान करने के प्रति उदासीनता' और 'पुरुष सदस्यों से असहयोग' शामिल हैं।

- ✓ कुछ उत्तरदाताओं ने जिन 'अन्य कठिनाइयों' की ओर इशारा किया उनमें 'लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार', 'दबाव डालना', 'जाति आधारित बात' और 'अन्य पुरुष सदस्यों की उपस्थिति में अपमान' शामिल हैं।
- ✓ कुछ उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से शिकायत की कि महिला सदस्यों के सुझावों, विचारों और विचारों को पुरुष सदस्यों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। पुरुष सदस्य भी सभाओं में जोर से बोलते हैं और बात करते समय महिलाएं हतोत्साहित होती हैं।

प्रस्तुत शोध ने विशेष रूप से व्यक्तिगत महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभवों और सामान्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं में काम करने के दौरान महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। प्रस्तुत शोध अध्ययन ने समाज के पिछड़े / कमजोर वर्गों जैसे, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित महिलाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिला परिषद में कुछ महिलाओं के शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के कारण ईमानदार, मेहनती और कुशल महिलाओं ने भी पंचायत राज संस्थाओं में प्रवेश किया है। इन महिलाओं की राजनीति में व्यक्तिगत रुचि है और वे पंचायती राज संस्थाओं में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही हैं।

षष्टम अध्याय में, हमने जानबूझकर चयनित 26 उत्तरदाताओं के अध्ययन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को भी नोट किया है जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया था।

जब सभी 413 उत्तरदाताओं के सामूहिक प्रोफाइल के साथ तुलना की गई, तो जानबूझकर चुने गए 26 उत्तरदाताओं के आंकड़ों के अलग–अलग विश्लेषण से पता चला कि व्यक्तिगत विशेषताओं और सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमिक विशेषताओं के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं थे।

पहली बार चुनी गई इन महिला नेताओं में से अधिकांश ने अपने पतियों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं के कहने पर चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ना उनकी व्यक्तिगत पसंद नहीं थी। ये उत्तरदाता चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं थे और उनके पति, रिश्तेदार और स्थानीय राजनीतिक नेता उनकी ओर से चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनमें से बहुमत के मामले में, बैठकों में भाग लेने की उनकी नियमितता या तो 'खराब' या 'निम्न' थी। कम से कम 42.3 प्रतिशत उत्तरदाता पीआरआई–बैठकों में चर्चा में भाग नहीं ले रहे थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, जब उनके कार्यकाल के दौरान 'सबसे सुखद' और 'सबसे अप्रिय' अनुभव बताने के लिए कहा गया, तो 4 उत्तरदाताओं को छोड़कर, अन्य सभी ने 'सुखद' या 'अप्रिय' अनुभव का उल्लेख नहीं किया। वास्तव में उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। वर्तमान शोधकर्ताओं की धारणा यह है कि, इन उत्तरदाताओं की पंचायती राज संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं थी। शोधकर्ता ने इस कारण की भी जांच की कि उन्होंने 2010 में हुए चुनाव क्यों नहीं लड़ा। प्रतिक्रियाओं से पता चला कि, इन 26 उत्तरदाताओं में से एक बड़ा समूह व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने में रुचि नहीं रखता था। उनमें से कुछ ने यह भी बताया कि, उनके पतियों, रिश्तेदारों और स्थानीय नेताओं के अनुनय–विनय के कारण ही उन्होंने 2010–11 का चुनाव लड़ा था।

2010–11 में पहला चुनाव लड़ने वाले अधिकांश उत्तरदाताओं के बारे में शोधकर्ताओं की समग्र धारणा यह है कि, उनमें राजनीति में प्रवेश करने

के लिए व्यक्तिगत रुचि की कमी थी और केवल महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में धकेल दिया गया था।

4 पुर्ननिर्वाचित महिला नेताओं के आंकड़ों के अलग–अलग विश्लेषण के अध्ययन से पता चला कि इन सभी 4 उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि बेहतर थी। उनमें से दो 'राजपूत' की और एक–एक ब्राम्हण और पिछड़े वर्ग श्रेणी की महिलाएं थीं। ये सभी पढी–लिखी थी। सभी जमींदार परिवारों से ताल्लुक रखते थे। इन सभी 4 उत्तरदाताओं की सक्रिय पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी और वे अपने परिवार के सदस्यों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में भी शामिल थे। उनकी उम्मीदवारी को समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, ये सभी 4 उत्तरदाता व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने और राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक थे। वे अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी पंचायती राज संस्थाओं के बैठकों में शामिल हुए थे और वे पंचायती राज संस्थाओं के बैठकों में चर्चा में भी भाग ले रहे थे, उनकी प्रतिक्रियाओं से पता चला।

इस प्रकार, इन पुर्ननिर्वाचित महिलाओं को केवल 'प्रॉक्सी' उम्मीदवार के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, ऐसा शोधकर्ता का व्यक्तिगत मत है।

महिला नेतृत्व का उद्भव – निर्धारक और बाधाएं

इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना था जो पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व के उदय को सुगम बनाते हैं और साथ ही उन कारकों की पहचान करना जो इन जमीनी स्तर के संस्थाओं में उनकी भागीदारी को बाधित करते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के निर्धारकों की पहचान करने में रुचि रखते हूँ।

इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रथम खंड में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे को भारतीय सामाजिक व्यवस्था के व्यापक नियामक/संस्थागत ढांचे में संदर्भ देने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने में, मैने चुनिंदा रूप से भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कुछ संरचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो सामान्य रूप से महिलाओं के जीवन के लगभग सभी पहलुओं और विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को विनियमित करते रहे हैं। मैने भारत में महिलाओं की विरोधाभासी छवियों से निपटा है जैसा कि पवित्र ग्रंथों, धार्मिक लेखन और लोककथाओं में दर्शाया गया है। एक महिला की उच्च छवि है जो उसे 'शक्ति' (सशक्ति) के रूप में दर्शाती है और दूसरी उनकी नकारात्मक प्रोफ़ाइल। हमने पितृसत्तात्मक मानदंडों और मूल्यों से भी निपटा है जो अभी भी महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। पितृसत्तात्मक मानदंडों, मूल्यों के अलावा, जाति, विवाह और परिवार जैसी सामाजिक संस्थाएं भी महिलाओं के व्यवहार और लिंग संबंधों को नियंत्रित करती हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के पारंपरिक नियामक/संस्थागत ढांचे की ऐसी पृष्ठभूमि के खिलाफ, मैने इस बात पर जोर दिया है कि, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेता के रूप में उभरने को प्रभावित करने वाले कारक और जो उन्हें इन संस्थाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए बाध्य करते हैं,

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के व्यापक ढांचे के संदर्भ में उन्हें समझने और उनकी सराहना करने की आवश्यकता है।

'ाष्टम अध्याय का दूसरा खंड महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के निर्धारकों से संबंधित है। वर्तमान अध्ययन के आधार पर, वे कारक जो महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने में मदद करते हैं और उन्हें निर्णय लेने में भाग लेने में मदद करते हैं, और जो उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करते हैं, उन्हें सूचीबद्ध और वर्णित किया गया है।

इस अध्ययन से बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है कि पंचायती राज संस्थाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं के प्रवेश को आरक्षण नीति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अन्य कारकों के संबंध में जो महिलाओं को पीआरआई में नेताओं के रूप में प्रवेश करने में मदद करते हैं, यह देखा गया है कि विवाहित महिलाओं के राजनीतिक ढांचे में प्रवेश करने की संभावना अविवाहित महिलाओं की तुलना में अधिक है। मध्यम आयु (35 से 50 वर्ष) की महिलाओं को नेताओं के रूप में आने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की अधिक संभावना है। महिलाओं के लिए अपने पति के समर्थन के बिना पंचायती राज संस्थाओं में प्रवेश करना संभव नहीं है। न केवल राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के लिए बल्कि पंचायती राज संस्थाओं में उनकी बेहतर भागीदारी के लिए भी पूरे परिवार का समर्थन उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्षों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एकल परिवार संरचना और छोटे आकार वाले परिवार महिला नेतृत्व के उद्भव को प्रोत्साहित करते हैं और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करते हैं।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि शिक्षा न केवल महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं में प्रवेश करने में मदद करती है बल्कि

उच्च शिक्षा स्तर उन्हें पंचायत राज संरचनाओं के भीतर उच्च पदों पर कब्जा करने में मदद करती है और निर्णय लेने में उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। वर्तमान अध्ययन के आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि, सार्वजनिक जीवन के बेहतर प्रदर्शन से महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया और निर्णय लेने में भाग लेने में मदद मिलती है।

जैसा कि अतीत में कई विद्वानों द्वारा देखा गया है, वर्तमान अध्ययन में यह भी प्रकाश डाला गया है कि, सबल आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमि और सक्रिय पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि जैसे कारक ऐसे परिवारों से संबंधित महिलाओं को नेताओं के रूप में उभरने और यहां तक कि राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं।

अध्ययन से यह भी पता चला है कि, प्रमुख जाति से संबंधित महिलाओं और स्थानीय समुदाय के बीच अपेक्षाकृत बेहतर सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक स्थिति वाली जातियों की भी पीआरएल में अधिक प्रतिनिधित्व हासिल करने की बेहतर संभावना है।

अध्ययन से स्पष्ट रूप से सामने आया है कि स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक दलों के समर्थन ने भी महिलाओं के बीच नेतृत्व के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शोध परिकल्पना का परोक्षण

आम तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि आगे के शोध अध्ययनों में परीक्षण के लिए कुछ परिकल्पनाओं के साथ एक खोजपूर्ण अध्ययन सामने आना चाहिए। वर्तमान खोजपूर्ण अध्ययन के आधार पर नीचे कुछ अनुभवजन्य सामान्यीकरणों का उल्लेख किया गया है जिनका परीक्षण अन्य शोधकर्ता आगे के शोध अध्ययनों में परिकल्पना के रूप में कर सकते हैं।

- ☞ मध्य आयु (35 से 50 वर्ष) महिला नेतृत्व के उद्‌भव के लिए अधिक अनुकूल है।
- ☞ एकल परिवार महिला नेतृत्व के उद्‌भव के लिए अधिक अनुकूल हैं।
- ☞ निरक्षर और निम्न स्तर की शिक्षा वाले निर्णय लेने में निम्न स्तर की भागीदारी प्रदर्शित करते हैं।
- ☞ शिक्षा के उच्च स्तर और निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी के बीच सकारात्मक सह–संबंध है।
- ☞ प्रमुख जाति की महिलाओं को पंचायती राज में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
- ☞ भूमि स्वामी परिवारों की महिलाओं को पंचायती राज में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
- ☞ मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों की महिला नेता निर्णय लेने में अधिक भागीदारी प्रदर्शित करती हैं।
- ☞ सक्रिय पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं निर्णय लेने में अधिक भागीदारी प्रदर्शित करती हैं।
- ☞ अपने घर से बाहर की दुनिया में बेहतर अनुभव रखने वाली महिला नेता निर्णय लेने में बेहतर भागीदारी प्रदर्शित करती हैं।

- ☞ महिला नेत्रिओं के बीच सापेक्ष अभाव के बारे में जागरूकता से निर्णय लेने में उनकी सक्रिय भागीदारी होती है।
- ☞ हाशिए के समुदाय से संबंधित महिलाएं निर्णय लेने में कम भागीदारी प्रदर्शित करती हैं।

शोध निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन ने पंचायती राज में उभरती महिला नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकाश में लाया है –

- ☞ पंचायती राज में महिला नेतृत्व अपने आप विकसित नहीं हुआ है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक रणनीति के रूप में पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के रूप में सरकार की सकारात्मक कार्रवाई के लिए नेताओं के रूप में बड़ी संख्या में महिलाओं के उद्‌भव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रारंभिक चरण में पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व के उद्‌भव को 'स्थितिजन्य नेतृत्व' के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- ☞ पंचायती राज निकायों में महिलाओं को धकेलने में पति, निकट संबंधियों और स्थानीय राजनीतिक नेत्रिओं की मुख्य भूमिका थी। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के स्तर पर अधिकांश महिला नेत्रिओं के मामले में यह अधिक सच है।
- ☞ राजनीति में प्रवेश करने के लिए बिना किसी प्रेरणा, उद्देश्य और अपने व्यक्तिगत हित के बिना महिला नेत्रिओं के भारी बहुमत ने पंचायती राज निकायों में प्रवेश किया है। सभी प्रमुख जाति/सामुदायिक श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाएं, सामान्य, अनुसूचित जाति और ओबीसी, को पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिला है।
- ☞ उभरती हुई महिला नेतृत्व, सामान्य रूप से, निरक्षरता और निम्न स्तर की शिक्षा और पंचायती राज के कामकाजी ज्ञान की कमी की विशेषता है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के मामले में यह विशेष रूप से सच है। यद्यपि बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायती

राज संस्थाओं में नेता के रूप में सामने आई हैं, उनमें से अधिकांश के पास औपचारिक चुनाव प्रक्रिया और निर्णय लेने में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता का अभाव है।

- ☞ आम धारणा के विपरीत कि सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से बड़ी संख्या में महिलाएं सीटों के आरक्षण के कारण पंचायती राज में नेत्री के रूप में उभरेंगी, इस अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश महिला नेत्रियों का राजनीति में सक्रिय परिवार नहीं था और न ही राजनीतिक पृष्ठभूमि ही थी। स्थानीय समुदाय में उच्च सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति वाली प्रमुख जाति (सामान्य श्रेणी) और अन्य जातियों से संबंधित महिला नेत्रिओं की संख्यात्मक प्रधानता है।
- ☞ महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं के राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। यह उनके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र है। इस स्तर पर उनसे ज्यादा उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं होगा। भले ही महिला नेता निर्णय लेने में भाग लेने की कोशिश करती हैं, फिर भी, वे अभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया को वास्तविक अर्थों में प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं।
- ☞ पंचायती राज संस्थाओं में अपनी भूमिका निभाने के दौरान महिलाओं को जिन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे सामाजिक–संरचनात्मक पहलुओं जैसे श्रम के सांस्कृतिक रूप से निर्धारित विभाजन और पंचायत निकायों में पुरुष और महिला दोनों सदस्यों द्वारा आंतरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों और मूल्यों के साथ–साथ उनके परिवारों के सदस्य सामाजिक–संरचनात्मक पहलुओं से उत्पन्न होती हैं।

- ☞ कुछ महिला नेताओं में यह धारणा बढ़ती जा रही है कि महिलाओं को अपने पुरुष रिश्तेदारों के 'डमी' या 'प्रॉक्सी' उम्मीदवारों के रूप में राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
- ☞ मजबूत आर्थिक और सक्रिय पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय लेने में बेहतर भागीदारी का प्रदर्शन कर रही थीं। उच्च शिक्षा स्तर और महिला नेताओं की बैठक में भाग लेने की नियमितता और इन बैठकों में चर्चा में उनकी भागीदारी के बीच मजबूत संबंध है।
- ☞ ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के स्तर पर महिला नेताओं की तुलना में, जिला परिषद में महिला नेता अधिक सक्रिय, मुखर और मुखर पाई गईं। पंचायती राज में 'सरपंच' और 'सभापति' जैसे प्रमुख पदों पर महिलाओं को इन पदों पर रहने के इच्छुक पुरुष राजनेताओं द्वारा इन पदों पर महिलाओं की गैर–स्वीकृति के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- ☞ अनुसूचित जाति और विभिन्न आदिवासी समुदायों से संबंधित महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण एक वास्तविक चुनौती है। महिलाओं का वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण अभी भी एक दूर का लक्ष्य है।

– सुझाव –

वर्तमान अध्ययन ने बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाया है कि पंचायत राज में महिलाओं का प्रवेश निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को स्वचालित रूप से सुनिश्चित नहीं करता है। कुछ ऐसे कारक हैं जो निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को सीमित/बाधित करते हैं। कुछ ऐसे कारक जिन पर वर्तमान अध्ययन में प्रकाश डाला गया है, वे नीचे दिए गए हैं –

- ☞ पारंपरिक मानदंड और मूल्य, कई तरह से, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए विवश करते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों और मूल्यों का आंतरिककरण सूक्ष्म तरीकों से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को जन्म देता है, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करता है।
- ☞ अध्ययन में बताया गया है कि, लिंग के आधार पर श्रम का पारंपरिक विभाजन पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिभागिता पर सीमाएं लगाता है।
- ☞ निरक्षरता और निम्न स्तर की शिक्षा बैठकों में भाग लेने में अनियमितता और निर्णय लेने में निम्न स्तर की भागीदारी से जुड़ी पाई जाती है। इस प्रकार, ये कारक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करते हैं।
- ☞ यह भी देखा गया है कि ज्ञान की कमी, पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज के बारे में अनभिज्ञता और नियम विनियमों के संबंध में प्रशिक्षण की कमी और पंचायत राज के कामकाज ने पंचायती राज संस्थाओं में निरक्षर महिलाओं की भागीदारी में बाधा उत्पन्न की है।
- ☞ महिला नेतृत्व के उद्‌भव को सुगम बनाने वाले कारक और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को बाधित करने वाले कारकों को केवल

विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए चुना गया है। वास्तव में, ये कारक अकेले काम नहीं करते हैं, बल्कि, वे संयुक्त रूप से या तो महिलाओं को नेत्रिओं के रूप में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम करते हैं या पंचायती राज संस्थानों में उनकी भागीदारी को बाधित करते हैं।

- ☞ महिलाओं को बाधित करने वाले और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करने वाले कारकों की पहचान करने के बाद, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। सर्वेक्षण में महिलाओं के द्वारा सुझाए गए कुछ सामान्य उपायों में शामिल हैं –

  - ☞ सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव को दूर करना।
  - ☞ महिलाओं का शैक्षिक सशक्तिकरण।
  - ☞ जाति–आधारित भेदभाव और पूर्व–निर्णय को हटाना।
  - ☞ राजनीतिक दलों से सकारात्मक प्रतिक्रिया।
  - ☞ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।
  - ☞ महिला नेत्रिओं को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - ☞ पंचायती राज में पुरुष सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों का पुनः अभिविन्यास करना और
  - ☞ गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

उपरोक्त सुझावों का क्रियान्वयन कर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढाया जा सकता है। जिसका प्रभाव ग्रामीण विकास के रूप में दीर्धकाल में अवश्य देखने को मिलेगा।

सप्तम अध्याय समाप्त

शोध संदर्भ
Bibliography

''पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व ''

(अनुभवगम्य सर्वेक्षण आधारित सुलतानपुर जनपद का सूक्ष्म अध्ययन)

Women Leadership in Panchayati Raj Institution

(An empirical-based Micro-study of Distt. Sultanpur)

पुस्तक

1. अग्रवाल, जी0 के0, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, रास, बी0पी0डी0 पब्लिके"ान, आगरा
2. अग्रवाल,बी,; ए फिल्ड आर वन्स ओन, जेन्डर एण्ड लैण्ड राइट इन साउथ एशिया, न्यु यार्क, कैम्ब्रीज युनिवर्सीटि प्रेस, 1994
3. अंजुगम, एम एण्ड अलगुमानी, टी,; द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रों–फिनान्नस थ्रु सेल्फ–हेल्प–ग्रुप; ए के"ा स्टडी (2000)
4. उषा, पी एण्ड राव, एन. जे; विमेन इन ए डेवेलपिंग सोसाइटी, आसीस पब्लिके"ान, 1985
5. उपाध्याय, देवेन्द्र, पंचायती राज व्यवस्था, सामयिक प्रका"ान, नई दिल्ली,
6. ऐवरेट्ट, जे. एवं सवारा, एम; एम्पावरमेन्ट अर्गनाईजे"ान इन द इनफारमल सेक्टर, हिमालया पब्लिकें"ाग हाउस, बाब्बे, 1994
7. एक्रेली, बी.ए.; टेस्टींग द टूल्स आफ डेवेलेपमेन्ट : क्रेडिट प्रोग्रामस, लोन इनवोल्वमेन्ट एण्ड विमेन इमपावरमेन्ट : आई डी एस बुलेटीन 26(3) 1995,
8. कल्लूर, एम. एस,; इमपावमेन्ट ऑफ विमेन थ्रू एन.जी.ओज, ए के"ा स्टडी ऑफ **मिराडा** सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ चीनेहोली प्रोजेक्ट गुलवर्ग डिस्ट्रीक्ट, कर्नाटका स्टेट, इडियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चरल इकानमी, जुलाई–सितम्बर, 2001,

9. कुमार, एम. यु.; फ्राम पैसिभ पार्टिसिपे"ान टू इफेक्टिभ लीडर"ाप : ए स्टडी आन द एडवान्सेज इन वुमैन लीडर"ाप इन दक्षिना कन्नाडा, इण्डिया (2003)
10. कुमार मनीष, महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा, मधुर बुक्स, दिल्ली, 2006
11. चेस्टन, एस एण्ड कुहन, एल; इम्पावरिंग विमेन थ्रु माइक्रो फिनान्स, अप्रका"ात शोध पत्र, माइक्रो केडिट समिट 15, न्युयार्क, नवम्बर 2004
12. जोशी, डॉ0 आर0 पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान 2013
13. झॉ, सिद्धार्थ कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2016
14. दत्त, डॉ0 महे"वरी, गांधी का पंचायती राज, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा–3
15. द्विवेदी, डॉ रमे"ा प्रसाद, लोक प्र"ाासन व स्थानीय स्व"ाासन विभाग, नागपुर वि"वविद्यालय के लघु शोध के संस्मरण पर आधारित
16. दूबे, अवधेश कुमार, अग्रवाल, अनुपम, क्षेत्रीय नियोजन का ग्रामिण विकास में योगदान, डॉ0 रा0म0लो0अ0वि0वि0, फैजाबाद
17. देशाई बसन्त, भारत में ग्रामीण विकास, हिमालय पब्लिसिंग हाउस
18. नाबार्ड एण्ड माइक्रो फिनान्स 2000–2001 एण्ड 2001–2002 माइक्रो क्रेडिट इनोवे"ान डिपार्टमेंट, नाबार्ड, मुम्बई
19. प्रेम चेन्दर, एस.; एन. जी ओज, एण्ड लोकल एम.एफ.आईज – हाउ टू इनक्रिज पावर्टी रेडक्सन थ्रू वीमेन्स स्माल एण्ड माइक्रों–इन्टरप्राइजेस 2003
20. प्रो0 चौधरी एवं डा0 वि"वंभर, भारत में पंचायती राज का उद्‌भव एवं विकास, मैकग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क
21. मिश्रा एवं सुन्दरम्, भारतीय अर्थव्यवथा, एस. चन्द पब्लिके"ान, नई दिल्ली।
22. मृदुला, बी,; टारगेटिंग विमेन फॉर डेवेलेपमेन्ट, युनिवर्सिटी न्युजेज 6(47) 1998,

23. यादव, उत्तरा; ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर, साहित्य संगम पब्लिके"न, इलाहाबाद, 2004

24. रमे"ा, डी; सेल्फ–हेल्प–ग्रुप एण्ड इमन्सिपे"ान एमंग वुलनेरेबल रूरल विमेन इन तेलंगाना रिजनः एक स्टडी सेडमे (स्माल इन्टरप्राइजेज डेवेलपमेन्ट, मैनेजमेन्ट एण्ड एक्सटेन्सन जरनल), भाग 33, जून 2006

25. रहीम, ए.ए.; विमेन इमपावरमेन्ट थ्रु एस.एस.जीज, न्यु सेन्चुरी पब्लिके"ान, न्यु देलही, इडिंया, 2011

26. रेड्डी, ए. आर. रेड्डी, वाई, सुरे"ा एण्ड रेड्डी, एम.; विमैन एण्ड रूरल डेवलपमेन्टः ए स्टडी ऑफ डी.डब्लू.सी.आर.ए. इन कुड्डपाह डिस्ट्रीक्ट, कुरूक्षेत्र 42(9) 1994

27. राव, एन, जे, उषा; विमेन इन ए डेवेलपिंग सोसाईटी, आसीस पब्लीके"ान, 1985

28. राव, वी. डी,; इमन्सीपे"ान ऑफ विमैन थ्रु सेल्फ मैनेजमेन्टः ए स्टडी इन आन्ध्र प्रदे"ा, मैन एण्ड डेवलेपमेन्ट, मार्च 2004

29. विनायागामुर्थी, ए; विमेन इमपावरमेंन्ट थ्रु सेल्फ–हेल्प ग्रुप : ए के"ा स्टडी इन द नार्थ तमिलनाडू, सेडमें (स्माल इन्टरप्राइजेज डेवेलपमेन्ट, मैनेजमेन्ट एण्ड एक्सटेन्सन जरनल), भाग 34, मार्च 2007

30. शर्मा, प्रेम नारायण, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर

31. शारदा, ओ; इमपावरमेन्ट ऑफ रूरल विमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप इन प्रकासम डिस्ट्रीक्ट, केरला एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी, थ्रीस्सुर 1999,

32. शारदा, ए. एच.; विमेन, फरटीलिटी एण्ड इमपावरमेन्ट : सम इसूज इन द कन्टेम्प्ररी डेबेट, न्यु देलही (6) 1997

33. श्रीवास्तव, डा0 श्रीकान्त, सुलतानपुर : कल और आज, विद्यार्थी एण्ड कं0

34. सिंह, ओ, आर,; एजुके"ान एण्ड विमेन्स इमपावरमेन्ट, सोसल वेलफेयर 48(1) 2001

35. साहु एण्ड त्रिपाठी; सेल्फ–हेल्प–ग्रुप एण्ड विमेन इमपावरमेन्ट, अनमोल पब्लिके"ान प्रा.लि., न्यु देलही 2005

36. सिंह, उपेन्द्र प्रका"ा,; ग्रामीण पलायन रोकने में कारगर स्व–सहायता समूह; कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2010, पृ. 26–30
37. सिंह, डॉ महेन्द्र बहादुर, प्रादेशिक विकास नियोजन, तारा बुक एजेन्सी
38. सिंघवी एल0 एम0, पंचायती राज व्यवस्था : राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, विकास प्रका"ान, नई दिल्ली, 2009
39. सिंह, महिपाल, पंचायती राज चुनौतिया एवं संभावनाऍ, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली
40. सिंह, राजेश्वर, सुलतानपुर इतिहास की झलक, अर्यमा
41. सिंह, डॉ. अरूण प्रताप, जनपद सुलतानपुर की जनांकिकीय विशेषताऍ, International Journal of Advance Educational Research, Vol. 2, Issue 5
42. हैरिस जॉन, सोसल वर्क एण्ड सोसल केयर, आक्सफोर्ड क्विक रिफेंन्स
43. Rogers E.M. (1960); Social Change in Rural Society : A text book in rural Sociology, New York.
44. Sears David (2000); Rural Development in US, Whats happening today and What's on the horizon?, LEADER Magazine
45. Yadav Dale & Stander, Paul, Paul, D, "Personnel Management & Industrial Reletion, Prentiq Nath Indian, Pvt. Ltd., New Delhi, Year. 1996

रिपोर्ट एवं सांख्यिकीय पत्रिका

1. उत्तर प्रदेश सरकार, महिला एवं बाल विकास निदेशालय रिपोर्ट
2. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17, 2017–18, एवं 2018–19
3. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन
4. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2011
5. विश्व बैक रिपोर्ट, 2016–17
6. सुलतानपुर सांख्यिकीय पत्रिका, 2016, 2017, 2018

7. District Industrial Profile of Sultanpur District, MSME, Ministry of MSME, Govt of India
8. Indian Census, 2011
9. Sultanpur Census Report 2018-19
10. UNDP Report, 2014

पत्रिकाएँ एवं नोट्स

1. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, जुलाई 2014, अक्टूबर 2016, दिसम्बर 2017
2. ध्येय आई.ए.एस, नोट्स
3. सखी, मासिक पत्रिका, विभिन्न संस्करण

वेब साईट

1. www.boi.co.in
2. www.centralbankofindia.co.in
3. http://www.granthaalayah.com/International Journal of Research - GRANTHAALAYAH
4. https://www.hindiyojana.in/samarth-yojana/
5. https://hindi.nvshq.org/up-bc-sakhi-yojana/
6. www.investipedia.com
7. https://hi.vikaspedia.in/social-welfare
8. http://nari.nic.in/स्टेप–योजना
9. www.nird.org रिसर्च हाइलाइट्स, 2000–2001
10. https://www.patrika.com/finance-news/what-is-cent-kalyani-scheme-
11. www.rmk.nic.in
12. www.sciencedirect.com दास अनूप; फयुचर्स 2003
13. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/
14. www.sultanpur.nic.in
15. www.wikipedia.com
16. https://www.drishtiias.com